



भूलाभाई देसाई

आधुनिक भारत के निर्माता

# भूलाभाई देसाई

लेखक  
एम० सी० सीतलवाड

अनुवादक  
मुकुट बिहारी वर्मा

प्रकाशन विभाग  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
भारत सरकार

माघ 1894 • जनवरी 1973

मूल्य 5 00

२१

निदेशक प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार  
पटियाला हाउस, नई दिल्ली । द्वारा प्रकाशित ।

क्षेत्रीय कार्यालय

बाटावाला चम्बस, सर फीरोजगाह मेहता राड, बम्बई ।

8, एसप्लनेड ईस्ट कलकत्ता ।

गारुनी भवन 35 हड्डोस रोड, मद्रास 6

इण्डियन ग्राट प्रस, बैलाग वालोनी मार्केट नई दिल्ली द्वारा मुद्रित ।

भूलाभाई की पत्नी  
इच्छावेन की  
पुण्य स्मृति में  
समर्पित



## प्रस्तुत पुस्तक माला

इस ग्रथमाला का उद्देश्य भारत के उन स्वनामधेय पुरुषों और पुरुषियों का जावनगाथा को प्रकाश में लाना है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जागरण अभियान तथा स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भाग लिया।

यह क्षेत्र की बात है कि कुछ अपवादों का छाड़कर सामान्यतः इन महापुरुषों और प्रसाधारण देवियों की प्रामाणिक जीवनीया उपलब्ध नहीं है। परंतु इनके विषय में वर्तमान और आनवाली पीढ़ियों को कुछ जानकारा होना आवश्यक है। अतः इस अभाव को दूर करने के लिए ही इस ग्रथमाला की योजना बनाई गई। हमारा इरादा छोटी पुस्तकों के रूप में अपने लक्ष्यप्रतिष्ठ नानाओं की ऐसी सरल संक्षिप्त जीवनीया प्रकाशित करना है जिनके लगभग अपने विषय की अच्छी जानकारा रखने वाले योग्य व्यक्ति हों। इस ग्रथमाला की पुस्तकें 200 से 300 पन्नों तक की होंगी। ये पुस्तकें निश्चय ही, विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से तयार नहीं की जा रही हैं और न ही इनका उद्देश्य अन्य सांगोपांग जीवनीयों का स्थान ग्रहण करना है।

यद्यपि यह वाछनीय है कि इन जीवनीयों को बाल क्रमानुसार प्रकाशित किया जाए। किंतु ऐसा करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः इन जीवनीयों का लिखने का भार उन्हीं व्यक्तियों का सौंपा जा सकता है, जो जीवनी के नायक के बारे में लिखने के लिए हर तरह से समर्थ हों। अतएव, कतिपय व्यावहारिक कारणों से इन जीवनीयों के प्रकाशन में ऐतिहासिक क्रम का टूट जाना स्वाभाविक है। फिर भी यह आशा है कि कुछ ही समय के अंदर प्रायः सभी लक्ष्यप्रतिष्ठ राष्ट्रीय नानाओं की जीवनीया इस ग्रथमाला के अंतर्गत प्रकाशित हो जाएगी।

श्री आर० आर० दिवाकर इस ग्रथमाला के प्रधान सम्पादक हैं।



## प्राक्कथन

जब मुझसे आधुनिक भारत के निर्माता' ग्रंथमाला के लिए भूलाभाई देसाई की जीवना लिखने के लिए कहा गया, तब उनसे प्राप्त वकालत के प्रशिक्षण की स्मृतियों तथा उनके साथ अपने दीर्घ सपक के कारण मैंने इस काम को सहप शिरोधार्य किया ।

लेकिन मुझे लगता है कि मैंने दुस्साहस किया, क्योंकि मैंने सक्रिय राजनीति में कभी भाग नहीं लिया जबकि भूलाभाई की मुख्य सफलता राजनीति के क्षेत्र में ही रही । राष्ट्र में ऐसी द्रुतगति से परिवर्तन हुए हैं कि जिन घटनाओं ने श्री देसाई का सबध रहा उनकी स्मृति धुंधली पड़ गई है । ऐसी हालत में उन घटनाओं का चित्र खीचना और उस समय के राजनीतिक वातावरण को समझना आसान नहीं था । महत्वपूर्ण वागजपत्र उहाने सम्हाल कर नहीं रखे थे, इसलिए मरा काम और भी कठिन था ।

सौभाग्यवश रमण देसाई और ए० जी० मुलगावकर इन दो मित्रों का सहयोग मुझे प्राप्त हो गया । भूलाभाई में इन दोनों की दिलचस्पी थी, इससे मेरे लिए यह बड़े सहायक सिद्ध हुए । इनका सहयोग पाकर हमने भूलाभाई के सपक में आनवाला से जानकारी मागी । उनके अनेक मित्रों ने अपने सस्मरण आदि लिखकर भेजे और कुछ न भेंट करन पर जानकारी दी । इस तरह मूल्यवान सामग्री हम उपलब्ध हुई, जिसका पुस्तक लिखने में पूरा उपयोग किया गया है । इन सबका मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ ।

देसाई और मुलगावकर ने अग्यबारा और पुस्तका से भूलाभाई गवधी सामग्री सग्रह की । इसके अलावा भूलाभाई के सपक आए लागी ने जो गामग्रा थी उससे नोट तयार कर उहाने मुझे दिया । आकागावाणी के वर्ड्स बन्ड में



वरन वाले श्री एल० जी० भागवत न भी इगम उनकी सहायता का । यह परिश्रम साध्य काम था, जिसमें उन्हें एक वष से अधिक समय लग गया । यह सच है कि वे ऐसी सहायता न करते तो इस जीवनी का लिखा जाना संभव नहीं था ।

यह भी सौभाग्य की बात थी कि डा० एम मिश्रा से भी मूल्यवान विवरण हम उपलब्ध हो गए जिन्होंने भूलाभाई को दो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए देखा था । 'असम्बली की वारगुजारी' वाला अध्याय मुख्यतः श्री वाई० एन० सुखटकर द्वारा दिए गए विवरण से ही तैयार किया गया है जो उस समय के द्वाय असेम्बली में नामजद सदस्य थे और भूलाभाई के वामनलाप को उन्होंने स्वयं देखा था । श्री जा० एन० जोगी वारडाली के काम में उनका सहायक था और भूलाभाई को कई महत्वपूर्ण मुकदमों में भी जूनियर का हैसियत से उन्होंने काम किया था । भूलाभाई को कुछ मुकदमा, उनका व्यक्तित्व और वारडाली के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह उन्हीं के विवरण के आधार पर है ।

घरवालों का तो पूरा सहयोग मिलना स्वाभाविक ही था । श्रीमता माधुरा देसाई ने बड़ी मेहनत से पुराने कागजपत्रों तथा यरवदा जेल की उनकी डायरी को ढूँढा जिसमें यक्तियों और घटनाओं के बारे में भूलाभाई के विचार हैं । टाइप का हुई प्रतिलिपि के साथ उन्होंने मूल सामग्री भी मुझे भजन की कृपा की जिससे मैं यह देख सकूँ कि टाइप करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है । पत्रों और डायरी में कहीं कहीं अक्षर ऐसे मिट गए थे कि उन्हें पढ़ सकना मुश्किल था । कम से कम परिवर्तन परिवर्धन के साथ उनकी सगति बिठाने की चेष्टा की गई है ।

भूलाभाई ने जिस राजनीतिक स्थिति में काम किया उसके वर्णन में मैं मुख्यतः श्री आर० सी० मजूमदार की बहुमूल्य पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया' का आधार बनाया है । उनकी पुस्तक से जो कुछ उद्धृत किया गया है, उसके अलावा भी राजनीतिक घटनाक्रम का मेरा वर्णन बहुत कुछ उसी के अनुसार है । इसके लिए मैं श्री मजूमदार के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

उन अनेक अन्य विशिष्ट लेखकों का भी मैं आभारी हूँ जिनके ग्रंथों का सामग्री का मैंने अपनी पुस्तक में पूरा उपयोग किया है ।

५-

अतः मैं अपने जूनियर थो ज० एम० मुखी के प्रति अपनी वृत्तगता प्रकट किए बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने पुस्तक की पूरी पाण्डुलिपि को सावधानी से पढ़कर उपयोगी सुझाव दिए।

भूलाभाई का राष्ट्रीय नेता और प्रमुख वकील के रूप में सही और प्रामाणिक मूल्यांकन करने का मैं प्रयत्न किया है। इसमें मुझे कहा तक सफलता मिली यह निणय करना पाठक का और खासकर उनका काम है जो उन्हें जानते थे और उन्हें काम करते हुए देखने का जिहें मुअवसर मिला।

11, सफदरजग रोड  
नई दिल्ली।



## विषय सूची

1	प्रारम्भिक जीवन	1
2	युवावस्था	8
3	राजनीतिक जीवन का आरम्भ	27
4	बारहाली की परवी	38
5	काँग्रेस में प्रवेश और बारावासी	51
6	स्वराज्य पार्टी और चुनाव	81
7	असम्बली की बारगुजारी	87
8	पदग्रहण और पदत्याग	108
9	दूसरा महायुद्ध और भारत छोड़ो आन्दोलन	125
10	गतिराध और दसाई लियावत समझौता	158
11	आजाद हिन्द फौज का मुकदमा	202
12	अन्तिम यात्रा	242
13	भूलाभाई का व्यक्तित्व	246



## प्रारंभिक जीवन

73  
1983

भूलाभाई ने 1934 में दिए एक भाषण में अपने को एक मामूली आदमी बताया था। उन्होंने कहा था "मैं एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ था और जब सात बरस का था तो गुजराती की प्रारंभिक शिक्षा के लिए मुझे रोज पांच मील पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था।"

भूलाभाई का जन्म एक अनाविल ब्राह्मण परिवार में हुआ। पेशवाओं के समय से गुजरात के सूरत जिले के सामाजिक और प्रशासनिक जीवन में इस जाति का महत्वपूर्ण योग्य रहा है। यद्यपि अनाविल सदियों से खेती का धंधा करने लगे हैं, फिर भी उनका स्वभाव नहीं बदला। वे आजादी-पसन्द, अखण्ड, खरे, स्पष्टवादी और विभवसनीय होते हैं। इस जाति का एक बड़ा पेशवाओं के समय पट्टे पर जमीन लेकर किसानों से मालगुजारी की वसूली करने लगा था। ऐसे लोगों को 'देसाई' कहा जाता था। ऐसा लगता है कि मालगुजारी की वसूली का काम करने वाले लगभग सभी विचौलिये अनाविल ब्राह्मण ही थे। बाद में जब किसानों से सीधे मालगुजारी वसूली की जाने लगी तो क्षतिपूर्ति के लिए देसाईया की भत्ते के रूप में कुछ रकम वशानुगत दी जाने लगी। भूलाभाई के परिवार को इस सिलसिले में उसके हिस्से के 20 रुपये वार्षिक सरकार से मिलते थे।

भूलाभाई के पिता का नाम जीवनजी था। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मामूली थी। जीवनजी और उनके भाई खण्डूभाई को, जिनकी चार लड़कियाँ थीं अन्तर्द्वारा से की बड़ी तंगी रहती थी। जीवनजी वकालत करते थे। खण्डूभाई अदालत में भी और स्टाम्पफरोश थे। बाद में जीवनजी सरकारी वकील (मुल्तयारी) बने और

उ हे निजी तौर पर वकालत करन की छूट भी मिल गई। इससे उनकी स्थिति सुधरा और रुपया पसा इक्ट्ठा होने लगा। तब उन्होंने बलगाड के निक्ट चिनवाई मे कुछ जमीन खरीदी। वह बहुत कुछ बजर थी और आमदनी की दृष्टि से उसे नुनाफे का सोदा नहीं कहा जा सकता था। लेकिन उ होने उसकी अच्छी तरह जुताई की, पानी के लिए कुआ खुदवाया और उसमे न केवल हाफुस (एलफेंजो) आमो की बगिया लगाई, बल्कि कुछ भाग में धान की खेती भी की। बाद में जब जमीन से कमाई होने लगी और उनकी समृद्धि बढ़ी, तो उन्होंने बलसाड में अपना एक मकान बनवा लिया। जीवनजी खुशमिजाज, सगी साधियों के बीच आनन्द लेने वाले और जिन्दगी मजे से बिताने वाले आदमी थे। उनकी पत्नी रमाबाई अच्छे खाते पीत परिवार की थी। वह पढी लिखी नहीं थीं, स्वभाव से सीधी-सादी थी और पूजा पाठ में मगन रहती।

13 अक्टूबर 1877 को इस परिवार में पुत्र का जन्म हुआ। नवजात शिशु को लोग 'भूला' कहने लगे। इस नाम में यह कृतज्ञता भाव है कि मा बाप को भगवान ने ऐसा इकलौता बेटा दिया जो भूल से उनके यहाँ आ पहुँचा।

भूलाभाई का पालन-पोषण बचपन में मामा के यहाँ हुआ। वही गाँव के प्राइमरी स्कूल में उनकी पढाई हुई और उसमें वह गुजराती की सातवी कक्षा तक पढे। जसा उन्होंने बनाया है, उसी स्कूल के लिए उन्हें रोज कई मील पैदल चलना होता था। इसके बाद वह बलसाड के अबाबाई हाई स्कूल में दाखिल हुए और अगरेजी की पाचवी कक्षा तक वहाँ पढे। कहते हैं कि बलसाड के स्कूल के दिनों में वह क्रिकेट खेला करते थे—और शायद यही एकमात्र खेल था जिसमें कभी उन्होंने रस लिया।

अपने इकलौत बेटे के लिए जावनजी की महत्वाकांक्षा स्वाभाविक थी। वह चाहते थे कि वह या तो मशहूर वकील बने या फिर बड़ा सरकारी अफसर। इसलिए केवल 14 वर्ष की उम्र में, 1891 में उन्होंने उसे भागे की पढाई के लिए बम्बई भेज दिया। यह उस समय की बात है जब बम्बई में यू हाई स्कूल कायम हो हुआ था, जो बाद में वहाँ के सर्वोत्तम स्कूलों में गिना जाने लगा। इस स्कूल के भरदा और मजबान

दो ऐसे प्रिंसिपल हुए जिनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अंग्रेजी की बहुत बढ़िया पढाई और विद्यार्थी में अध्यापकों द्वारा व्यक्तिगत दिलचस्पी लेने के कारण इस स्कूल ने बहुत नाम कमाया। बलसाड का नवागतुरुक विद्यार्थी शीघ्र ही स्कूल की विविध प्रवृत्तियों में सक्रिय योगदान करने लगा और प्रिंसिपल भरडा का प्रिय शिष्य बन गया। इस स्कूल में ज्यादातर विद्यार्थी पारसी थे। भूलाभाई के आनंदी स्वभाव और उनकी विनोद-वृत्ति में इस स्कूल में बिताए काल का निश्चय ही बड़ा योग है।

बम्बई में भूलाभाई के परिवार का न कोई मकान था और न ही कोई रिश्तेदार ही। इसलिए गोवालिया टक स्थित गोकुलदास तेजपाल छात्रावास में उनके रहने की व्यवस्था की गई। इसी इमारत में कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय महासभा) का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी बाद में वपों तक विभिन्न रूपों में भूलाभाई ने सेवा की। कहते हैं कि भूलाभाई स्कूल और छात्रावास दोनों जगह अपने साथी विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय थे। छात्रावास के उनके कुछ समकालीन बताते हैं कि जो विद्यार्थी उनकी तरह सम्पन्न परिवार के नहीं थे उनका वह बहुत रुगल रखते थे। लेकिन बलसाड के स्कूल में दूसरा को चिढ़ाने और शरारत करने मजा लेने की वृत्ति भी उनमें आ गई थी जिससे वह छात्रावास के अपने साथियों का मनोरंजन भी किया करते थे।

1895 में भूलाभाई ने मट्रिक परीक्षा पास की और अपने स्कूल में वह सबप्रथम रहे। उसके बाद वह एल्फिस्टन कालेज में भरती हुए जो बम्बई में उच्च शिक्षा की एक प्रमुख संस्था है और जिसमें पढे हुए अनेक व्यक्ति बहुत नामी हुए हैं। गुजरात से आने वाले विद्यार्थियों के लिए उस समय दूसरी भाषा के रूप में फारसी लेने का आम रिवाज था। भूलाभाई ने फारसी ही ली और प्रो० मिजा हैरत के विद्यार्थी हुए जिनके बारे में मशहूर है कि वह विद्या के भंडार थे और उनकी याददाश्त गजब की थी। वह विद्वान ही नहीं, चापर और बढ़िया अध्यापक भी थे। भूलाभाई उनके प्रिय शिष्यों में थे। बरसों बाद उनमें साथी वकील उन्हें शुद्ध मुहावरेंदार उद्गार का प्रयोग करते देख आश्चर्य में पड़ जाते थे, और यह तो सभी जानते हैं कि कई बार उन्होंने मुकदमा में उद्गार में परवी ही नहीं की बल्कि सावजनिक सभाओं में उद्गार में भाषण भी किए। इतिहास और अंग्रेजी के भी वह बहुत योग्य विद्यार्थी थे।



कालेज में विद्यापिपा की गभाओं में यह अचमल योग्य करने थे । त्रिग स्वामाधिकता और प्रवाह के साथ यह अगरेजी में भाषण करने थे, उतमे उनके गादी बह प्रभावित हान थे ।

भूलाभाई का युविदमिटी जीवन बड़ा जानकार रहा । इण्टरमीडिएट और बी० ए० की परीक्षाओं में उन्होंने न केवल प्रथम श्रेणी पाई, बल्कि बी० ए० की परीक्षा में इतिहास में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने का कारण उन्हें यह सम्भव पुरस्कार के पनावा छात्रवृत्ति भी मिली । रोमन इतिहास में भी यह अचमल रह और अथगासन में उपाय स्थान बहुत रूचा रहा । एम० ए० में उन्होंने भाषाएँ ली और प्रो० मन्मिलन से गिता पाई । प्रो० मैकमिलन उस समय कालेज के स्थानापन प्रिंसिपल थे । गुजरात कालेज में भूलाभाई के प्राध्यापक नियुक्त होने पर उन्होंने लिखा था “मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगरेजी और इतिहास के यह बहुत बढ़िया गिदक साहित्य हाने, क्योंकि एम० ए० की कक्षा में यह सबसे मेधावी छात्र थे और हर चीज की गहराई में जान का उनमें लगन थी । कक्षा में व्याख्यान देने में उन्हें अगरेजी भाषा और साहित्य के अपने ज्ञान से बहुत मदद मिलेगी । इस कालेज के पलो के रूप में पदान का कुछ अनुभव भी उन्हें है । प्रो० मुलर की अस्थापी अनुपस्थिति में उन्होंने कालेज की कक्षाओं में अगरेजी पढ़ाई की, जिसके लिए वह पूरी तरह योग्य थे । देसाई न केवल तज विद्यार्थी थे, बल्कि जिमसताना कमेटी के सदस्य और डिबेटिंग सोसायटी के उपप्रधान भी थे ।”

बहा जाता है कि बी० ए० की परीक्षा में युनिवर्सिटी भर में दूसरा स्थान पाने पर उन्हें विदेश में पढ़ाई के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति मिलने की संभावना थी, लेकिन संयोगवश लगभग उसी समय उनके पिता गभीर रूप से बीमार हो गए और 1899 में उनकी मृत्यु हो गई । तब भूलाभाई ने कानून की पढ़ाई करने का निश्चय किया और एल-एल० बी० की पढ़ाई के साथ-साथ अहमदाबाद के गुजरात कालेज में अगरेजी तथा इतिहास के प्राध्यापक की नौकरी कर ली ।

उस समय का एक प्रसंग उल्लेखनीय है । बात यह हुई कि भूलाभाई के नौकरी पर जाने से पहले ही गुजरात कालेज के विद्यापियों तब यह सबर पहुंच गई थी कि एक

एसा नौजवान प्राध्यापक बनकर आ रहा है जिसने एम० ए० अगरेजी साहित्य तथा फस्ट क्लास आनर्स के साथ पास किया है। स्वभावतः विद्यार्थियों को अपने नए अध्यापक को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। भूलाभाई मध्यम बदन और इक्करे बदन के तेजस्वी युवक थे। उनके उस समय के एक विद्यार्थी का कहना है कि जैसे ही पुस्तक हाथ में लिए भूलाभाई क्लास में आए और व्याख्यान के लिए मंच पर चढ़े, विद्यार्थियों ने शरारत से पैसिलें खटखटाना तथा बँचो को थपथपाना शुरू कर दिया। यही नहीं, नागजी तीर भी कमरे में जोरो से उड़ने लगे। भूलाभाई ने यह सब देखा, लेकिन इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। बिना किसी उत्तेजना के उन्होंने क्लास पर एक नजर डाली, एक क्षण सोचा और फिर स्पष्ट और शिष्ट भाषा में कहा "दोस्तों, आप सभी सभ्य हैं, ऐसा मैं मानता हूँ और इसी तरह के व्यवहार की आपसे आशा रखता हूँ।" विद्यार्थी तो समझ रहे थे कि हमारी शरारत से नए प्राध्यापक गुस्से में लाल हो जाएंगे और भत्सना करेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बड़ी निराशा हुई, बल्कि उत्तेजक परिस्थिति में भी भूलाभाई के शालीन रहने से उन्हें बिल्कुल परास्त कर दिया। उन्हें देखकर तथा उन्होंने जो कुछ कहा था, उसका अर्थ समझकर सभी विद्यार्थियों को अपने व्यवहार पर अफसोस हुआ और चुपचाप अपनी वित्तबेँ खोलकर वे ध्यानपूर्वक उनका भाषण सुनने लगे। इस घटना की खबर सारे कालेज में फलना स्वाभाविक ही था और उसके बाद भूलाभाई का ऐसा रग जमा कि उनके प्रत्येक भाषण में विद्यार्थी हाजिर ही नहीं रहते थे, बल्कि पूरा शांति और ध्यान से उनकी बातें सुनते थे।

प्राध्यापक के रूप में भूलाभाई के सम्मरण उनके एक विद्यार्थी ने इन शब्दों में लेखबद्ध किए हैं "भूलाभाई जैसे ही होठ खोलते, शब्दों की धारा बहने लगती। बोलने में उन्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। वक्तव्य शक्ति का वह कोई प्रदर्शन नहीं करते थे। फिर भी वह जो कुछ कहते, उससे श्रोता मुग्ध हो जाते थे। भाषणों में वह पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहते थे। अगरेजी भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था, उनकी प्रतिपादन शली में कोई कमी नहीं थी। विचारक्षेत्र बड़ा व्यापक था और विषय पर उनकी पूरी पकड़ थी। इन कारणों से उनके प्रवचन सचमुच बड़े उपयोगी और ज्ञानवर्धक होते थे।"

मुझे भी कुछ महीने गुजरात कालेज में भूलाभाई से अगरेजी पढ़ने का सुयोग मिला है। यह न केवल योग्य और प्रेरणा देने वाले प्राध्यापक थे, वरन् प्रत्येक विद्यार्थी में वह बहुत हद तक व्यक्तिगत लक्षणी लेते थे। यह उनसे विविध विषयों पर निवृत्त लिखवाते और प्रत्येक निवृत्त की अलग-अलग जांच करने हर एक का उस बारे में आगे अध्ययन के सुझाव देते।

जसा कि उा दिना आम रिवाज था, भूलाभाई जब 1892 में स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी 15 वर्ष की छोटी उम्र में, इच्छावादी के साथ उनका विवाह हो गया। प्राध्यापक होने पर शुरू में वह एक प्रतिष्ठित अनाथालय के प्रभार में रहे। उनका नाम भामाभाई कृपाराम था और वह गुजरात में एक उच्च पक्ष्य सरकारी अधिकारी थे। उनका दफ्तर अहमदाबाद में ही था। बाद में भूलाभाई ने अहमदाबाद में अलग मकान लिया और अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने लगे। कठिनाई के वक़्त विद्यार्थियों के लिए उनके द्वार सदा खुले रहते थे। इस प्रकार भामाभाई कृपाराम के पड़ोस में रहते हुए इस तरुण दम्पति ने सुखी जीवन व्यतीत किया। इच्छावाने के लिए तो वे दिन बहुत ही सुप्त में रहे, क्योंकि उस वक़्त तक भूलाभाई व्यस्त बचालती जीवन में नहीं पड़े थे।

काम में व्यस्त न होने पर भूलाभाई विविध विषयों की पुस्तकें पढ़ने में लीन रहते थे। कभी कभी कुछ समान विचारवाले मित्रों के साथ भी वह काम का वक़्त बिताते थे। उनके ऐसे मित्रों में एक थे उनके साथी प्रोफेसर आनंदशंकर ध्रुव, जो संस्कृत के धुरधर पंडित थे। भूलाभाई की बौद्धिक प्रतिभा से प्रो० ध्रुव बड़े प्रभावित थे। उन्होंने आग्रह करने भूलाभाई से गुजराती पत्र 'बसंत' के लिए लेख लिखवाए, जिसका संपादन वह खुद करते थे। भूलाभाई की महान बौद्धिक प्रतिभा को देखकर उन्होंने ही भूलाभाई को प्राध्यापक का काम छोड़कर बम्बई में कानून के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था।

अहमदाबाद में भूलाभाई तीन वर्ष रहे। इस बीच उन्होंने एल० एल० बी० की परीक्षा पास कर ली और उसके बाद बम्बई हाईकोर्ट की एडवोकेट की परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की। उनके पुराने कागज़ों में 15 दिसम्बर 1905 का लिखा एक छोटा सा पत्र है, जिससे परीक्षाफल से पहले की उनकी मनोदशा का पता चलता

है। उसमें लिखा है "क्या होगा, इसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस तरह का कुछ विश्वास जरूरी है कि मैं पास हो जाऊंगा।"

और "वृत्तज्ञता का मैं भ्रत तक नहीं छाड़ूंगा, क्योंकि मुझे लागो से बहुत अनुग्रह मिला है।" उसी में आगे था "कभी-कभार, चमक उठने के सिवा मुझ में शायद कोई गुण नहीं है। मुझे और अधिक परिश्रमी होना चाहिए तथा अपनी कल्पनाशक्ति को नियंत्रित करना चाहिए।" उस परचे से यह भी पता चलता है कि आत्मचिन्तन का स्वभाव उनका तरुणावस्था में ही बन गया था।

उनका विश्वास सही साबित हुआ और परीक्षा में वह पास रहे। 22 दिसम्बर 1905 को बम्बई हाईकोर्ट के एडवाकेट के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया। इसके बाद उनका बकालती जीवन शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने तेजी से उन्नति की और खूब ख्याति पाई।

## वकालत

भूलाभाई ने 1906 में बंबई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। हाईकोर्ट का उस समय का वातावरण आज से बहुत भिन्न था। बेंच और बार, यानी ग्यायाधीश और वकील, दोनों के लिए निरस्रदेह वह सक्रमणकाल था।

हाईकोर्ट की स्थापना से पहले मुफ्तिसल में जो अदालतें थी, उनमें पंरबी का काम भमीन, मुसिफ, मुस्त्यार, वकील आदि नई किस्म के लोग करते थे और वे सब भारतीय होते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी भारतीय के वकालत का काम करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। शायद इसका कारण यह हो कि मुफ्तिसल अदालतों के मामलों की बड़ी अदालत में अपील की उस समय व्यवस्था नहीं थी। हाईकोर्ट की स्थापना के बाद ही सदर दीवानी और सदर फौजदारी अदालतें उस में मिला दी गई और अपीला की सुनवाई उसमें होने लगी। वकील या प्लीडर भी तभी से हाईकोर्ट में पहुंचने शुरू हुए।

बंबई में हाईकोर्ट की स्थापना होने पर, कलकत्ता और मद्रास के हाईकोर्टों की तरह, उसमें भी नीचे की अदालतों के फसलों की अपील तथा सीधे मुकदमों की सुनवाई का काम शुरू हुआ। हाईकोर्ट के इन कामों को 'एपिलेट साइड और 'ओरिजिनल साइड' कहा जाता था। मुकदमों की सीधी सुनवाई का क्षेत्र बंबई द्वीप और शहर के दीवानी और फौजदारी मामलों तक ही सीमित था, जबकि अपीलें मुफ्तिसल अदालतों के फसलों की होती थी। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक था कि शुरू में 'ओरिजिनल साइड' में वकालत का एकाधिपत्य अंगरेजों का रहा, जबकि अपील पक्ष में भारतीयों का एकाधिपत्य न रहते हुए भी बहुमत हुआ। अपीलों अधिकांश मुफ्तिसल

से होती थी और झगडा प्रायः जमीन के पट्टे, उत्तराधिकार या बटवारे का होता था, जिसके लिए लगान मालगुजारी की बारीकियों और हिंदू-मुसलमानों के जातिगत रीति रिवाज व परंपराओं की जानकारी आवश्यक थी। ये काम भारतीय वकील ही बखूबी कर सकते थे। इसीलिए उस समय अंगरेज बरिस्टरों की प्रधानता होते हुए भी अपील पक्ष में भारतीय वकीलों का जोर हुआ—यहां तक कि अगर फौजदारी या अन्य अपील में अगरज बरिस्टर को मुख्य वकील बनाया जाता तो भी भारतीय वकील को उसकी सहायता के लिए रखना आवश्यक था। भारतीय वकीलों को अगरजों के बराबर आने में अभी देर थी, फिर भी अपील पक्ष में भारतीय वकीलों की संख्या बढ़ने लगी थी। ये याग्यता और अनुभव में किसी से कम नहीं थे।

ओरिजिनल साइड में, यानि मुकदमों की सीधी सुनवाई में, स्थिति इससे भिन्न थी। बदरुद्दीन तयवजी और तलग जैसे कुछ विख्यात वकीलों ने यद्यपि इस दिशा में भी, उन्नीसवीं सदी समाप्त होने से पहले ही अपना स्थान बना लिया था, लेकिन ज्यादातर मामले अंगरेज बरिस्टरों के पास ही जाते थे। अगरजों में इनवरेरिटी, मकफसन लाउण्डेस और ग्रैनसन जैसे कुछ बरिस्टर निस्संदेह बहुत होशियार थे, लेकिन दूसरे अंगरेज वकीलों की भारी कमाई सिर्फ उनके अगरज हाने के कारण ही थी। बंबई के मुकदमेवाजों का बरिस्टरों की श्रेष्ठता में लगभग अधविश्वास था और ये भारत में शिक्षित वकीलों को बजाए विदेश में पढ़े बरिस्टरों को ही रखने पर जार देते थे। इसी कारण इंग्लण्ड से बरिस्टरों को आनेवाले नौजवान भारतीयों को भी भारत में वकालत पढ़े एडवोकेट पर तरजीह मिलती थी। ऐसा समय काफी अर्से बाद ही आया जब मुकदमों में अपने सालिसिटरों से इंग्लण्ड में पढ़े बरिस्टरों को बजाए भारत में शिक्षित एडवोकेटों से ही अपने मामलों की पैरवी कराने को कहने लगे।

सर चार्ल्स जेनकिंस ने जो 1899 में बंबई के चीफ जस्टिस बने थे, भारतीय वकीलों को बहुत प्रोत्साहन दिया। उनकी सलाह पर कुछ होशियार और हानहार तरुण भारतीय वकील ओरिजिनल साइड में गए। ऐसा उस समय इस नियम के अनुसार हुआ कि अपील का काम करने वाला कोई वकील यदि चाहेता एक साल

काम बढ़ करके अपना नाम ओरिजिनल साइड के एडवोकेट के रूप में दर्ज करा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इम्तिहान पास करने भी नाई भारतीय वकील ओरिजिनल साइड का एडवोकेट बन सकता था। भूलाभाई देसाई 1905 में यही इम्तिहान पास करने ओरिजिनल साइड के एडवोकेट बने थे।

भूलाभाई के एडवोकेट बनने के समय ओरिजिनल साइड में भारतीय वकीलों के प्रवेग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और कुछ महानगर अगरेज वरिस्टरों के साथ साथ बहादुरजी पादशाह, जिना और चिमनलाल सीतलवाड जैसे भारतीयों की वकालत भी खूब चमक उठी थी। ओरिजिनल साइड में इन लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा और ख्याति थी। भूलाभाई से दावप पूर्व ज० बी० कागा भी ओरिजिनल साइड के एडवोकेट बन चुके थे। ये दोनों ही कालांतर ओरिजिनल साइड में नवागत वकीलों में प्रमुख बन गए।

उस समय जबकि वकील समुदाय में अधिक संख्या अगरेज वरिस्टरों की थी और चीफ जस्टिस भी अगरेज (सर लॉरेंस जेनकिंस) थे, भूलाभाई का अपनी योग्यता का सिद्धां जमाने में अपने कुछ गुजराती सॉलिसिटर मित्रों से बहुत मदद मिली और उनकी बढौलत उन्हें कई मुकदमों मिले। फिर तो पाठे ही समय में उनकी वकालत चमक उठी और बड़े वकीलों का ध्यान उनकी तरफ गया। पनी बुद्धि और धाराप्रवाह भाषण के साथ साथ उनकी खुशमिजाजी और मिलनसारि न वकीलों और सॉलिसिटरो में उनको लोकप्रिय बना दिया। इन गुणों के कारण जूनियर होत हुए भी उनके पास बहुत काम आने लगा।

उनकी सधी हुई स्मरण शक्ति ने भी आगे चलकर वकालत में उन्हें बहुत मदद दी। कहा जाता है, वकालत के प्रारम्भिक काल में एक बार वह लाइब्रेरी में बैठे एक मुकदमे का अध्ययन करते हुए परबी की दलीलों के लिए विस्तृत नोट ले रहे थे कि संयोग से ओरिजिनल साइड के वकीलों में सबप्रमुख मि० इनवरेरिटी की निगाह उन पर पड़ी। उन्होंने कागज छीनकर फाड़ दिए और नौजवान एडवोकेट को नोट लेने की बुरी आदत छोड़ने की सलाह दी। इनवरेरिटी स्वयं भी शायद ही कभी

परवी करते हुए नोटों का सहारा लेने थे। दीवानी या फौजदारी किमी भी मुकदमे मल्मी बहस करते हुए भी यह मदा अपनी याददाश्त का ही भरोसा करने थे। एक प्रमुख वकील के बारे में मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार परवी करते समय उनके नोट वही इधर उधर हो गए और वह बड़ी परेशानी में पड़ गए थे।

भूलाभाई ने, जब वह बिलकुल नए और जूनियर थे, जराहरात के गवन और विश्वासघात के एक मामले में सपाई पक्ष की ओर से इनवरेटिटी के साथ काम किया। अभियुक्त अनूपराम नई साल सूरत के नवाब का दीवान रह चुका था और उस पर इलजाम था कि उसने नवाब के साथ विश्वासघात किया और उनके कुछ जवाहरात का गवन किया है। एक इलजाम में तो परवी इनवरेटिटी न की ओर दूसरे में, जो 2,000 रु० मूल्य की हीरे की अगूठी के गवन का था, भूलाभाई ने। मामला बड़ा पेचीला था, क्योंकि नवाब के पास अनूपराम का ऐसा पोस्ट वाड मौजूद था जिसमें अगूठी उनके पास हान तथा उनकी हिदायत व मुनाबिक उसे रखने की बात थी। अगूठी, ऐसा मालूम पड़ता है, नवाब के आदेश पर एक अगरेज अपसर को रिश्वत में दी गई थी। यह ऐसी बात थी जिसे अनूपराम अदालत में खुले तौर पर कहने की तैयार नहीं था, क्योंकि इसका कोई लिखित सबूत न था। भूलाभाई सूरत में जाकर सारा मामला समझ आग थे और पेचीदगी के बावजूद पूरे दिन की अपनी बहस में उन्होंने इस इलजाम से अपने मुवकिल को बरी करा लिया। दीवानी के ऐसे वकील के लिए जिसे वकालत गुरु किए अभी दो ही साल हुए थे, यह निस्संदेह बहुत श्रेय की बात थी।

लेकिन हमसे भी दिलचस्प और अमाधारण दीवानी मामला था, हाजी बीबी बनाम आगाखा वाला, जिसमें भूलाभाई को काफी शोहरत मिली। उस समय उनको वकालत करते केवल तीन साल हुए थे। हाजी बीबी, तीसरे आगाखा के चाचा की विधवा लड़की थी। आगाखा पर दावा यह था कि खोजा संप्रदाय के लोग उन्हें जो भेंट देते हैं, वह सिर्फ उनके अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के निर्वाह के लिए होती है। दूसरे यह कि उसके पिता की संपत्ति के प्रबंधन द्वारा आगाखा को संपत्ति देने का कागज धोखाघड़ी से प्राप्त किया गया है। मुकदमे में एक मजहबी मुद्दा भी उठाया गया था कि आगाखा के खोजा अनुयायी इस्लाम धर्म



स्वीकार करने के समय से ही बारह इमामों में विश्वास करते थे अहनालीम इमामों में नहीं। माग यह थी कि पहले आगाखा की सक्ति में परिवार के सदस्य की हस्तियत से हाजी नोबी का भी हिस्सा मिले और उसके पिता की सक्ति आगाखा को मिलने का आदेश रद्द किया जाए। गोजा सप्रदाय का बर्बई तथा मिथ में बड़ा जार था और मामला उनके घमगुरु पर था, इसलिए मुकदमे में बहुसरूपा में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक थी और कुछ उत्तेजना भी थी। दोनों ही तरफ के वकील चाटी के थे। भूलाभाई मुद्दई पक्ष में, बहादुरजी और चिमननाल सीतलवाड जस वरिष्ठ वकीलों के साथ थे। मुद्दई पक्ष गुरु में बहादुरजी ने ही प्रस्तुत किया, लकिन बाद में इसे भूलाभाई पर छोड़ दिया गया। इसके बाद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें मुकदमे में सनसनी घा गई और मुद्दई के वकील का परवी करने से इनकार करना पड़ा। जज रसेल ने इस घटना का वर्णन करते हुए लिखा कि पहले तो मुद्दई के वकील ने यह आपत्ति उठाई कि आपका इस मुकदमे की सुनवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी आगाखा से दोस्ती है। इस पर आगाखा के वकील ने कहा कि इस प्रकार तो सभी जजों पर एनराज किया जा सकता है। अस्तु इसके बाद मुद्दई के वकील ने गवाहों से कुछ ऐसे सवाल किए जिनसे उनकी धार्मिक भावना को चोट पहुंचती थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं जवाब सवाल प्रकाशित हुए तो बर्बई में मुसलमानों में उत्तेजना फैल जाएगी। इसके बाद मुद्दालेह आगाखा तृतीय से भी कोई सवाल पूछा गया जो मेरी समझ में उत्तेजक था। मेरे मना करने पर भी सवाल पूछा गया। उसके बाद जब फिर वसा ही सवाल पूछा गया तो मैंने अदालत में मौजूद दशका को, जिनमें बहुत बड़ी संख्या में खोजा लोग थे, कमरे से हटा दिया। इस पर मुद्दई के वकील ने परवी करने से इनकार कर दिया और मुकदमे से हट गए। मुद्दालेह के वकील के अनुरोध पर मुकदमे का फसला मुद्दई की गर मौजूदगी में किया गया और फसला आगाखा के पक्ष में हुआ। इस प्रकार यद्यपि भूलाभाई के मुकदमों की हार हुई, पर इससे उनको सभी लोग जान गए।

1908 का वर्ष भूलाभाई और इच्छाबेन के लिए महत्वपूर्ण रहा। इसी साल इनके पुत्र धीरूभाई का जन्म हुआ। यह अपने माता पिता की इकलौती सतान थे। इच्छाबेन के लिए ये दिन बड़े सुख के थे। जो वकील बहुत व्यस्त होते हैं वे अक्सर अपनी स्त्री बच्चों के नहीं रहते क्योंकि उन्हें हमेशा मुकदमों से घिरे और अपने

काम में व्यस्त रहना पड़ता है। लेकिन भूलाभाई अभी इस स्थिति को नहीं पहुँचे थे। मिलने जुलने वाले इच्छाबेन से अक्सर यह प्रश्न कर डालते थे कि आपके सिर्फ एक ही बच्चा क्यों हुआ? वह यही जवाब देतीं कि हमारा परिवार की यही परंपरा है और, फिर कहतीं 'शेरनी एक ही बच्चा जनती है।'

कागा और भूलाभाई की तुलना करना अप्रसंगिक नहीं होगा, क्योंकि दानो ही वकालत के पेशे में नए नए आए थे और दबई हाईकोर्ट में उनकी वकालत दिनोदिन चमक रही थी। काम की विविधता और उसके परिणाम की दृष्टि से, जूनियर वकीलो में उन दिनों ये दोनों प्रमुख थे। दोनों ने ही ओरिजनल साइड में एडवोकेट की परीक्षा पास की थी, जो उन दिनों बड़ी बड़ी थी। कागा ने वह परीक्षा 1903 में पास की थी और भूलाभाई ने 1905 में। कागा का दिमाग बड़ा साफ था और उनका नजीरा की गजब की याद थी। नजीरो की जानकारी से ज्यादा कानूनी उसूला की पकड़ को महत्व देते थे। कागा भीषे मामले की तहतक पहुँचते थे, जबकि भूलाभाई बहुत सूक्ष्म बुद्धि और प्रखर मस्तिष्क के थे और इस कारण कई बार मामले को पेचीदा बनाकर रास्ता निकालते थे। शुरू शुरू में कागा कुछ अटकते हुए बोलते थे और ऐसा अमर नहीं डाल पाए कि वह सफल वकील बनेंगे, यद्यपि कानूनी दक्षता के साथ बाद में अपनी इस कमी का उहो न दूर कर लिया था और उनके बोलने में प्रवाह आ गया था। इसके विपरीत भूलाभाई का शुरू से भाषा और वाकशैली पर आश्चर्यजनक अधिकार था और प्रसंगानुसार वह बड़े ओजस्वी हा जाते थे। बाद के दिनों में पता नहीं क्यों उनकी दलीलें कुछ उलझी हुईं हाने लगीं और कभी कभी उह समझना मुश्किल हा जाता था। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण उनका समझाने का ढंग था। जज के दिमाग से उलझने का वह भीषा प्रयत्न नहीं करते थे, अपने मुद्दे को वह धीरे धीरे आगे बढ़ाते और जब जज विपरीत राय व्यक्त करते तो वह उससे विवाद न करत, बल्कि अपनी बात को दूसरे ढंग से कहते। समझाने और कायल करने की शक्ति तो उनमें ऐसी जबरदस्त थी कि एक मामले में जजो को मैंने स्वयं यह कहते सुना कि भूलाभाई इसमें परवी कर रहे हैं इसलिए हम बहुत सावधान रहना हागा और उनकी दलीला की पूरी छानबीन करनी होगी, नहीं तो हम उनकी बात में आ जाएगे।

कागा और भूलाभाई दोनों ही अपने मुकदमों की तयारी बड़ी श्रम में

करते थे। एडवोकेट के रूप में दोनों ईमानदार थे और ऐसी कोई बात नहीं करत थे जो अनुचित हो। विपदा में रहने पर भी वे मित्रता बनाए रहते और एक दूसरे से सहयोग करते। वाजिब समझौते की गुंजाइश होने पर मामला तय कराने की काशिष करना दोनों का ही विशेष गुण था। यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि मुवक्किलों का दाना पर पूरा विश्वास था।

1928 में यह कहा जाता था कि भूलाभाई की बवालत बड़ी तेजा से चमकी और सात वर्ष की अल्प अवधि में ही उनके मातहत काम का अनुभव प्राप्त करने के लिए कई नए वकील आए और अनुभव प्राप्त करके बड़े वकील बन गए। इसके बाद तो इस पेशे में वह और भी ऊंचे चढ़े और 1913 या उससे भी पहले, उन्होंने प्रथम चम्बर में काम का अनुभव प्राप्त करने के लिए अपने आस-पास अनेक ऐसे नए वकीलों को इकट्ठा कर लिया जो बाद में खुद ही छोटी के वकील बन गए। इनमें, कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी और एम. बी. देसाई ही नहीं थे, बल्कि कागा के जज नियुक्त हो जाने पर एक जे. कानिया भी हमारे बीच आ गए थे।

भूलाभाई के पास काम सीखने वाले जूनियर वकील शाम का वहा पहुंचते थे। पर भूलाभाई बड़े व्यस्त वकील थे और यही वक्त था जब मुवक्किल और सालिसिटरो से घिर रहते। उनके माथ भूलाभाई की जो मशरूफाए चलती रहती, उनमें शामिल होने का सुयोग प्रशिक्षणार्थी वकीलों को शायद ही कभी मिलता। इसमें उनसे लाभ उठाना संभव नहीं था। यों भी भूलाभाई उन्हें कोई सीधा प्रशिक्षण नहीं देते थे और कभी कभी तो वह बड़ी सख्ती और बेरुखी से पेश आते थे। यही व्यवहार उनका उन सालिसिटरो के साथ भी था जो मुकदमे लाकर उन्हें देते थे। प्रशिक्षण का उनका सामान्य तरीका यह था कि वह अपने जूनियर को किसी मुकदमे का मसबिदा तैयार करने को देते या उसके बारे में राय व नज़ीरें जुटाने का काम देते। जि सदेह प्रशिक्षणार्थी उस पर अपना दिमाग लगाता और बड़ी मेहनत से मसबिदा तैयार करता तथा कानूनी मुद्दा की खोज करके उन्हें लेलबद्ध करके उन्हें देता। लेकिन मैं नहीं समझता कि इनसे भूलाभाई या अन्य वरिष्ठ वकीलों ने कभी फायदा उठाया है, क्योंकि उनके बारे में कोई राय उन्होंने शायद ही कभी व्यक्त की। प्रोत्साहन तो जूनियरों को कभी मिला ही नहीं। बात यह थी कि उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी और अपने ऊपर उन्हें इतना अधिक विश्वास था

कि अपने से प्रशिक्षण पानेवालों की योग्यता की दाद देने का उह रयाल ही नहीं होता था। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि उनके यहा काम सीखने वालों को तरह-तरह के मुकदमा की परवी के लिए तयार किए गए मसाले के अध्ययन की जो सुविधा वहा मिली वह उनके बहुत काम आई। उनके मातहत प्रशिक्षित वकीलों में से अधिकांश ने आगे चलकर वकालत में तथा अ यत्र जो नाम कमाया उसमें निस्संदेह भूलाभाई जैसे प्रख्यात और बम्बई हाईकोर्ट की भारिजनल साइड में वर्षों तक सभवत सबसे व्यस्त वकील के सानिध्य का श्रेय है।

भूलाभाई व वकालती जीवन की एक रोचक घटना उल्लेखनीय है। उस समय ओरिजनल साइड के लगभग सभी प्रमुख भारतीय वकील पगडी पहनकर हाईकोर्ट में परवी करने जाते थे। बाद में जब भारतीय वकीलों की सरपा बढी और प्रमुख अगरेज बरिस्टरा की जगह उहों ली तो अधिकांश भारतीय वकीलों ने सिर का बोथ (पगडी) हटाकर अगरेजी वेशभूषा धारण करना शुरू कर दिया। बहादुरजी, तल्यागखा और चिमनलाल सीतलवाड इनमें प्रमुख थे पर भूलाभाई और बागान ऐसा नहीं किया। भूलाभाई उस समय महाराष्ट्रीय ढंग की लाल पगडी पहनते थे। बार बार कहने और यदाकदा जोर डालन पर भी जब भूलाभाई उसे छोडन को तयार नहीं हुए तो चिमनलाल सीतलवाड को एक शरारत सूझी। भूलाभाई काम के भारी दबाव के बावजूद दोपहर के भोजन की छुट्टी के वक्त वकीलों के कामन रूम में ही बठकर चाय पिया करते थे। चाय पीते पीते वह मित्रों से गपशप करत या अपने जूनियर वकील और सालिसिटर से चल रहे मुकदमे की चर्चा में लीन रहत। एक दिन जब अपनी पगडी और चोगा मेज पर रख वह बातें कर रहे थे तो चिमनलाल को शरारत सूझी। भूलाभाई हाथ मुह घोने गए थे चिमनलाल उनकी पगडी का उठाकर अपने चेम्बर में ले गय। भूलाभाई धधूरी परवी छोडकर आए थे और अदालत में बापस जाने की जल्दी में थे। जस्टिस मार्टिन के पास मुकदमा था। वह अनुशासन के बडे पाबन्द थे और अदालत में निश्चित पोशाक में कोताही बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन कोई चारा नहीं था। अतः पगडी न मिलन पर भूलाभाई नये सिर ही सीधे जज के कमरे में पहुँचे और अपनी विपदा का हाल सुनाया। मार्टिन के पास भी कोई उपाय नहीं था। बुरा लगने पर भी उहे भूलाभाई को परवी की छूट देनी पडी। उसके बाद भूलाभाई ने पगडी

का आग्रह छोड़ अगरेजी वेशभूषा धारण कर ली और आधुनिक फ़शन के कपड़े पहनने लगे ।

प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में, यानी 1918 और 1919 में, कुछ ऐसी घटनाएँ हुईं, जिन्होंने भूलाभाई और कागा दाना का ओरिजिनल साइड का वकालत में खूब मालदार बनाया । युद्ध की समाप्ति के समय कपड़े के दामों में उतार चढ़ाव आया । उससे कपड़े की खूब सटटेबाजी होने लगी । लेकिन युद्ध की समाप्ति पर जब भाव गिरता कुछ व्यापारियों ने पहले के बड़े भावों पर किए सीमा का भुगतान करने से इन्कार किया । इस पर भारी तादाद में मुकदमों चले । चीफ़ जस्टिस मक्लीड उन दिनों रोज़ 20-30 ऐसे मुकदमों को निपटा देते थे । मुकदमों की बाढ़ के कारण ही एक एक दिन में 20-25 मुकदमों सुन लिए जाते थे । इसमें कागा और भूलाभाई को खूब कमाई हुई, क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में उन्हीं का पास आते थे और हर एक मुकदमे में वे ही दोनों पक्षों के वकील होते थे ।

कागा और भूलाभाई दोनों की ही कमाई इस तरह खूब बढ़ी । मगर भूलाभाई ने बहुत जल्द कागा से बाजी मार ली और संभवतः वर्षों तक बम्बई के वकीलों में उनकी वकालत ही सबसे बढ़ी चढ़ी रही और उन्होंने ही सबसे ज्यादा कमाई की । चम्बर जज के बोर्ड में होने वाले प्रायः सभी मुकदमों में वह वकील होते और एक ही दिन में वह अक्सर सभी तरह के 30-40 तक मुकदमों में खड़े होते थे । इसके अलावा उन दिनों ओरिजिनल साइड में सप्ताह के बीच बुधवार की छुट्टी रहा करती थी जिसका लाभ उठाकर ओरिजिनल साइड के प्रमुख वकील उस दिन अपीली साइड में अपीला की परवी करते थे । भूलाभाई ने लिए यह अमाधारण बात नहीं थी कि बुधवार के दिन लगभग एक दर्जन अपीलों की वह परवी करते थे ।

वकालत के इस भारी काम को भुगताने की भूलाभाई ने एक असाधारण तरीका निकाली थी । उन दिनों ओरिजिनल साइड में वकालत करने वाले वकीलों को दूसरे वकीलों की माफ़त परवी करने की छूट थी । भूलाभाई ने इसका लाभ उठाया । उनके पास सीखने वाले अनेक नए वकील थे, जो अपने काम में हाशियार थे । इसलिए भिन्न भिन्न घदालतों में मुकदमों लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी । भवली रूप में

होता यह था कि एक अदालत में वह पर्यी कर रह होन, और दूसरी में उनसे प्रशिक्षण लेन वाले दो-तीन जूनियर वकील उनकी तरफ से मामले निपटान ।

यह तरीका काफी लम्बे असें तक चला । इस तरह अपने सहायको से काम करवाकर एक ही समय कई अदालतों में होने वाले मुकदमों की फीस उठोने बमाई । आश्चय की बात है कि अनेक मामला में बडे उदार दिल के होने पर भी जिन जूनियर वकीलों के सहारे वह एमी कमाई करने थे उह उस काम के लिए उठोने बमी कुछ नहीं दिया । यह सही है कि इन वकीलों में खुशी से ही ऐसा किया बयोकि इससे उह काम का अनुभव हुआ और अदालत में उनकी साख जमी । पर भूलाभाई ने इस तरह जा कि सही तरीका नहीं था, जो भारी बमाई की, उससे उन अनेक वकीलों का ईर्ष्या होना स्वाभाविक था । उनकी साख कुछ जम चुकी थी, पर उह मुकदमे तभी मिल सन्ने थे जब भूलाभाई इस तरह अधाधुध एक साथ कई अदालतों के मुकदमे न लेने । नतीजा यह हुआ कि बार एसोसिएशन में गिकायत की गई, जिसने जाच कमेटी मुकरर की और उसके बाद यह तरीका बद हो गया ।

भूलाभाई के मुकदमा में सालिसिटर सूरजमल वी० मेहता द्वारा 'बाम्बे फ्रानिकल' के जगरेज सपादक वी० जी० हार्निमन पर चलाया गया मानहानि का मुकदमा बडा सनसनीदार रहा । हार्निमन भारतीया में बहुत लोकप्रिय थे । वह हमेशा भारतीयो का पक्ष लेते थे । सूरजमल ने 'बाम्बे फ्रानिकल' में निक्ले दो लेखा को मानहानिकारक बताकर उन पर पच्चीस हजार रुपये का दावा किया था ।

मामला इस प्रकार था कि सालिसिटर सूरजमल के एक मुबक्कल तात्या साहब होल्कर की सपत्ति हाजी अहमद हाजी टादा ने खरीदनी मजूर की थी, लेकिन उस सपत्ति का पट्टे ही किसी और से सीदा किया जा चुका था और उसने इस बिना पर मुकदमा चलाकर सफलता भी पा ली थी । उस मुकदमे में सूरजमल ही तात्या साहब का सालिसिटर था । 'बाम्बे फ्रानिकल' में छपे लख में सूरजमल पर यह आरोप लगाया गया था कि उसके बाद उसने हाजी टादा को उकसाकर अपने मुबक्कल पर मुकदमा चलवाया और उसे यह आश्वासन दिया कि मैं तात्या से

20 या 25 हजार रुपया क्षतिपूर्ति का दिलवा दूंगा। इसके लिए हाजी से 3 हजार रुपय लेने की बात तय हुई और सूरजमल न सी रुपया महीना पान वाले अपने एक बन्धु के नाम इस रकम के लिए हाजी से प्रोनोट लिखा लिया। बाद में मामला 9 000 रुपये पर तय हुआ। पर सूरजमल ने दादा से पूव निश्चित तीन हजार की ही माग की। दादा ने इस गिना पर इनकार किया कि क्षतिपूर्ति का रुपया बीस हजार से बहुत कम मिला है। इस बीच सूरजमल का वह बल मर गया और सूरजमल ने उसके भाई से दादा के खिलाफ प्रोनोट के तीन हजार की बमूली का दावा कराया। दादा ने मुकदमे में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और बलक का भाई भी यह न बता सका कि मर परलोकवासी भाई ने ऐसा क्या काम किया था जिसके बदले में उस इतने रुपय मिलत। तब सूरजमल ने स्वयं प्रोनोट की तसदाक कर भाई के दावे का समर्थन किया। लेकिन जिरह में दादा के इस आरोप की सफाई वह नहीं दे पाया कि मन स्वयं अपने मुवक्किल के खिलाफ मुकदमा करवाया था। दूसरे जवाब भी उसके सतापजनक नहीं थे। ऐसी हालत में जिरह के बीच ही भाई का तरफ से, जो कि उस मुकदमे का वादी था एकाएक प्रतिवादी (दादा) का मुकदमे का सब दन की रजामदो के साथ मुकदमा खत्म कर दन की दरकवास्त पश हुई और सूरजमल ने न ता उसका विरोध किया, न सालिसिटर के घे के दुरुपयोग के इल्लाम का गलत मिद्ध करने का मौका दन की माग की। जज ने इस पर टिप्पणी का कि मुद्दे न मुकदमा वापस लेकर बुद्धिमानी ही की।

इसी पर 'मुवक्किल और सालिसिटर' शीपक से बाम्बे कानिकल ने लिखा कि यदि मुकदमे में सामने आई बातें सच हैं और यह आरोप सही है कि सूरजमल ने जानबूझकर अपने एक मुवक्किल को दूसरे मुवक्किल के खिलाफ मुकदमे के लिए उकसाया, तो सालिसिटर के सम्मानपूर्ण घे के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हो सकता। इसी के विरुद्ध सूरजमल का मानहानि का दावा था जो 1916 से 1917 तक चला और अंत में फैसला सूरजमल के खिलाफ और हानिमन के पक्ष में रहा। शुरू में मुकदमा जस्टिस मैकलीड के सामने पश हुआ। उन्होंने हानिमन के खिलाफ फैसला दिया। इस मुकदमे से काफी उत्तेजना पैदा हुई, क्योंकि यूरोपियन समाज हानिमन से इस कारण नाराज था कि वह भारतीयों का पक्ष लेत थे।

मुकदमे की अपील की गई और प्रधान जज स्वाट ने यह निणय दिया कि हार्निमन ने अच्छी नीयत से सावजनिक महत्व के विषय पर टिप्पणी की। यद्यपि उनके साथी जज होरन की राय हार्निमन के खिलाफ थी, पर तु प्रधान जज का फैसला माना गया और हार्निमन मुकदमा जीत गए। इसकी अपील तीन जजों की बेंच के सामने हुई और तीनों का फैसला हार्निमन के पक्ष में हुआ।

इस अपील में हार्निमन की तरफ से बहादुरजी और चिमनलाल सीतलवाड़ के साथ भूलाभाई भी वकील थे। उन्होंने यद्यपि जूनियर के रूप में काम किया लेकिन मुकदमे की सफलता में उनका बहुत योग रहा।

कागा तो बराबर दीवानी मामले ही लेते थे, पर भूलाभाई अक्सर फौजदारी मामले भी ले लेते थे। कुछ फौजदारी मामलों में तो उन्हें विशिष्ट सफलता भी मिली। लेफ्टिनेंट कनल चार्ल्स ग्लेन कार्लिस पर चले फौजदारी के मामले का उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। कनल कार्लिस 1916 में दो महिलाओं के साथ विश्व भ्रमण कर रहे थे। भारत यात्रा के समय रपया कम हो जाने पर उन्होंने बंबई व दिल्ली के कुछ जोहरिया को बक ड्राफ्ट दिया और उनसे जवाहरात खरीदे। बैंक ने ड्राफ्ट का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला 1 लाख 60 हजार रुपये के भुगतान का था और कार्लिस उस समय अमरीका लौट चुका था। इसलिए जिन तीन जोहरियों को भुगतान होता था, उनमें से एक के आग्रह पर वारण्ट जारी किए गए और नवम्बर 1917 में यू ओरलीस में कार्लिस को गिरफ्तार कर उसे भारत लाने की कारवाई की गई। कोई पांच साल से ज्यादा वक्त इसमें लग गया और इस बीच उसे लगभग एक हजार दिन अमरीका की विविध जेलों में काटने पड़े। उसे भारत लाया गया। यहाँ भी उसे कई महीने हिरासत में रहना पड़ा। अगरेजों में इससे बड़ी हलचल थी। इसका इसी से पता चलता है कि बम्बई के तत्कालीन गवर्नर की पत्नी भी अदालत में कार्लिस के मुकदमे की कारवाई देखन आई थी। भूलाभाई ने इसमें कार्लिस की तरफ से परवी की। कागा एडवोकेट जनरल हो चुके थे, मुद्दे पक्ष में थे।

कार्लिस ने अपना मुकदमा अगरेजों की प्रमुख सालिसिटर फर्म के सुपुद किया



था पर अगरज गालिसिरो ने भूलाभाई को ही सफाई पत्र की परवी क लिए रगा। भूलाभाई न ऐसी बढ़िया परवा की कि चम्बई के जूरिया १ घायद ही मुना हो। परिणामत कार्लिम छाड लिग गए। भूलाभाई ने प्रति टागता स मदगद हाकर कार्लिम की तिम तरह चिचिया बघ गइ, वर दस्य हदय दायर था।

जनो क तीथस्थान पारसाथ शिगर ता गामला भी बहा दिलचस्प है। वकील के रूप म भूलाभाई की गायपद्धति पर भी उसमे प्रकाश पडता है। उनने साथ जूनियर के रूप म इस मुकदम म बाग करने वाले एक वकील न उतवा बिवरण दिया है। इस तीथस्थान पर पूजा के अधिकार का लेकर जा सप्रदाय के दो वर्गों म मुकदमा चला था। श्वेताम्बर और त्रिगम्बर दाना ही सप्रदाय के जन यहा तीथ यात्रा का जाते और पूजा पाठ करते हैं। उमका प्रवाध बराबर श्वेताम्बरा के हाथ मे रहा था और 1918 म उहोन पालगज क राजा से उसकी मिलिकत खरीद ली थी। इसके बाद 1920 म अपन इस अधिकार का उपयोग कर उहने पहाडी क शिखर पर सतरिया तथा रात मे चौकसी के लिए चौकीदारो की नियुक्ति की और वहा घान वाल तीथयात्रियो के लिए घमगालाजो क साथ साथ जनों, पुजारिया और वहा काम करत वाले कमचारिया के लिए मकात बनात भी शुरू किए। दिगम्बरो न पवित्र शिखर पर पाटक और भवन बनान पर जापति की। उनका कहना था कि इसस गिरि शिखर पर पूजा के उनके अधिकार म हस्तक्षप होता है और उनके शास्त्रो के मतानुमार त्रिगम्बर अपवित्र होता है। साथ ही पूजा विधि पर भी मतभेद था। श्वेताम्बर लोग तीथकरा ने चरण चिहो पर तबक तथा अन्य पूजा सामघी चढाकर उनकी पूजा करत थे। भगडा इस बात पर था कि दिगम्बर कहत थे नि चरण घान का हक हमारा है और श्वेताम्बर कहत थे कि ऐसा नही किया जा सवता। श्वेताम्बरो ने कुछ नए चरणचिह बनाए थे। उन पर भी मतभेद था।

अदालत म मामला जान पर हजारीबाग की मातहत अदालत (सर्वाडिनेट कोट) ने मुद्ई (दिगम्बरा) के हक म फसला देत हुए उनकी पूजा विधि का मा घ रखा और श्वेताम्बरा द्वारा पाटक तथा भवन बनान पर रोक लगा दी। श्वेता

म्बरो ने पटना हाईकोर्ट में इसकी अपील की। यह 1928 की बात है। बहुत बड़ी फीस देकर श्वेताम्बरो ने इसमें भूलाभाई को अपना वकील बनाया था।

सही स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए भूलाभाई पारसनाथ शिखर गए। उसकी चोटी तक जाकर चरणचि हो आदि को प्रत्यक्ष देखा और शनिवार को पटना पहुंचे। बनील की सुनवाई सामवार को होनी थी। बम्बई से रवाना होने से पहले उन्हें जिल्दबंद जो कागज़ान दिए गए, उनमें मातहत अदालत में की गई दलीला और उसके फसले के अलावा अन्य दस्तावेज थोड़े ही थे। और कोई सामग्री उन्हें नहीं दी गई थी। एक सहायक जूनियर उनके साथ था। पटना पहुंचने पर उन्हें 1000 पृष्ठों की एक और जिल्दबंद किताब दी गई जिसमें अपील सम्बंधी कागज़ात थे। अपील का फसला बहुत से कानूनी मुद्दा, मातहत अदालत में पेश हुई शहादती तथा स्थानीय काश्तकारी कानून के आधार पर हाना था। इन सबके अध्ययन के लिए वक्त पर सारी सामग्री का मिलना जरूरी था, पर यहाँ तो काश्तकारी कानून की कापी तक नहीं थी। भूलाभाई का इस पर नाराज हाना स्वाभाविक था। जब शाम का श्वेताम्बरो के प्रतिनिधि आनंदजी कल्याणजी के आदमी य चीजें लेकर उनके पास आए, तो वह उन पर बरस पड़े, क्योंकि सारी सामग्री का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के लिए वक्त नहीं रहा था। लेकिन अपील श्वेताम्बरो के लिए बहुत महत्व की थी और वह उन्हें जिताने का निश्चय कर चुके थे। इसलिए कुछ न कुछ करना ही था। अतः उन्होंने 1000 पृष्ठों की नई किताब की जिल्द फाड़कर अदालत में पेश किए गए कागज़ों का अलग किमा और अपने साथ मामल का अध्ययन करने वाले सहायक वकील को उनमें से काम के कागज़ छोटने के लिए सौंपकर, महत्व के शेष भाग का अपने अध्ययन के लिए रखा। इसके बाद टर्नेसी एक्ट की सम्बंधित धाराओं पर सरसरी नजर डाल मामले पर नए सिरे से विचार शुरू कर दिया।

अपने दिमाग को ताजा करने के लिए भूलाभाई अपने सहायक के साथ हवाखोरी के लिए बार में चल दिए। बार में जाते हुए एक शब्द भी वह नहीं बोले और मुकदम के बारे में चिंतन करते रहे। खान में भी उस रात उनका खास ध्यान न था और बहुत जल्दी अपने सान के कमरे में चले गए। जिस बगले में

ठहराए गए थे, उसी में एक अलग कमरे में उनके सहायक का स्थान मिला था। रात के कोई-कौड़ी बजे उन्होंने आकर अपने सहायक का दरवाजा खटखटाया और वह उत्साह के साथ जोर से कहने लग "पा लिया, पा लिया।" बात यह थी कि मुकदमे के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करके उन्होंने दलील का ऐसा मुद्दा ढूँढ़ निकाला था, जो उनके खयाल में उनके मुवक्किल के नाम का था। अपने सहायक को उन्होंने वह दलील सुनाई और पूछा कि यह दलील ठीक है या नहीं? सहायक ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, मेरा मुद्दा दाखल ठीक न करना, सचमुच दलील ठीक हो, तभी ठीक कहना।'

इसके बाद सोमवार को अपील की सुनवाई होने पर उन्होंने उसी दलील के साथ बहस शुरू की। वह तीन घण्टे तक धारा प्रवाह बोलने रहें। इसके बाद जज ने विपक्ष के वकील को अपना पक्ष पेश करने को कहा। विपक्ष में दिगम्बर की ओर से कलवत्ता के मशहूर अगरेज बरिस्टर पध थे, जिनके साथ सहामता के लिए कोई जूनियर वकील भी आए थे। फसला भूलाभाई के पक्ष में ही रहा और श्वेताम्बर की अपील की मुख्य बातें मान ली गईं।

भूलाभाई ने जिस तरह इस मुकदमे की परबी की, उससे पता चलता है कि कठिन परिस्थिति में उनका दिमाग कैसे काम करता था।

अपील का जब फसला हुआ उस समय भूलाभाई इंग्लैंड में थे। वहाँ से उन्होंने अपने सहायक को एक पत्र में लिखा "वहाँ मैं पध से मिला। हमारी अपील का फसले पर उन्होंने कहा 'एक का छोड़ बाकी सब मुद्दों में मेरी जीत रही। लेकिन अपील में जीत तुम्हारी हुई।'"

पहाड़ी शिखर को लेकर भूलाभाई का एक दूसरा मुकदमा भी उड़ा दिलचस्प है। काठियावाड़ के तत्कालीन पालीताणा राज्य में स्थित शत्रुजय पर्वत के मामले में उन्होंने जा योगदान किया उससे वकील के रूप में उनके इस गुण का पता चलता है कि मुकदमे में वाजिब समझौते की गुंजाइश हो तो उनके लिए वह तयार ही नहीं रहते बल्कि प्रयत्न भी करते थे।

शत्रुजय पवत भी जैनो का तीर्थस्थान है। प्राचीन काल के कुछ मंदिर वहा हैं जिनमे प्रतिष्ठापित प्रतिमाया की श्वेताम्बर लोग पूजा करते हैं। इनका प्रबंध आनन्दजी कल्याणजी नाम की संस्था करती है, जिसके पास इसके लिए मुगलो की सनद है। जनो को इस पवन की सनद मिलने के बहुत समय बाद पालीताणा दरबार के पास यह इलाका आया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए रवोपा के रूप में श्वेताम्बरो ने पालीताणा दरबार को एक निश्चित रकम देना स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से इस विषय में श्वेताम्बर संप्रदाय और पालीताणा दरबार के बीच जो इकरारनामा हुआ, उसके अनुसार 40 वर्ष तक हर साल 15,000 रुपये श्वेताम्बरो द्वारा पालीताणा दरबार को दिए जाने की बात तय हुई। दोनों पक्षा के बीच का झगडा ब्रिटिश सरकार के सीधे हस्तक्षेप से तय हुआ था, लेकिन बाद में इस पर जोर दिया गया कि कोई भी विवाद खडा होने पर जनो को पहले दरबार के पास ही फसले के लिए जाना चाहिए। 40 साल की अवधि समाप्त हो जाने पर, 1926 में, पालीताणा दरबार ने राजकोट स्थित अंगरेज सरकार के एजेंट का आवेदन भेजा कि इस तरीके का बजाए दरबार को तीर्थयात्रियों पर कर लगाने की प्रथा फिर से शुरू करने दी जाए। जनो ने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि अपना मामला सीधे एजेंट के पास रखने का हम हक है जो चाहे तो हमारे आवेदन पत्र की नकल दरबार को भेज सकते हैं। इस पर लम्बा विवाद चला। आखिर एजेंट ने जनो का आवेदन सीधे स्वीकार कर लिया और जनो पक्षा का अपना अपना मामला समझाने के लिए बुलाया। उस वकत जनो की तरफ से चिमननाल सीतलदास थे और पालीताणा दरबार की ओर से भूलाभा। दोनों पक्षा की बातें सुनकर एजेंट वाटसन ने जन संप्रदाय द्वारा पालीताणा दरबार को हर वर्ष दी जाने वाली रकम बढ़ाकर एक लाख रुपये निश्चित की और दरबार तथा जनो के बीच सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए कहा कि केवल ऐसे मामला में ही जनो को सीधे ब्रिटिश सरकार के पास जाने का हक है जो बहुत महत्वपूर्ण है।

स्पष्ट ही यह निष्पत्ति जनो के प्रतिबल था, इसलिए उन्होंने संपरिपद गवर्नर जनरल के यहा अपील की। लार्ड इविन ने 1923 की मई में शिमला में उसकी सुनवाई रखी। उस समय भूलाभाई दाजिलिंग में थे। वही से दरबार ने उन्हें

28/82

बुलवाया और जैनों की आर से चिमनलाल सीतलवाड ने परवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर लाड इबिन ने उन्हें आपस में समझौता करने के लिए कहा। उसके बाद जो हुआ, वह स्वयं चिमनलाल सीतलवाड के अनुसार इस प्रकार है 'मैं और भूलाभाई ने आपस में बातचीत करके समझौते की कुछ शर्तें निश्चित की, जिन्हें दोनों पक्षों को समझाकर, राजी करने की कोशिश की। पर जना द्वारा हर सात दरबार का कितनी रकम दी जाए, इस पर समझौता नहीं हो सका। तब तय हुआ कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत शर्तें स्वीकृति के लिए लाड इबिन का दरबार वार्षिक रकम तय करने का काम उन पर छोड़ दिया जाए। हमारी समझ में कितनी रकम वाजिब होगी, यह आपस में विचार करके निजी तौर पर भूलाभाई ने और मैं, खानगी में लाड इबिन का बता दिया। हमारी राय के अनुसार हा वाइसराय ने 40 साल के लिए 60 हजार रुपये की रकम प्रतिवर्ष तय की और सभी पक्षों ने उसे स्वीकार कर लिया।'

1927 तक भूलाभाई ने वकालत में इतनी सफलता प्राप्त कर ली थी कि सारे देश में उनकी ख्याति हो गई थी और वह देश के एक प्रमुख वकील माने जाने लगे थे। इस तरह कोई 40 साल तक उन्होंने वकालती जीवन बिताया। इसमें शक नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्र की महान सेवा की, फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका क्षेत्र वकालत ही था। उनकी बड़ी सफलता वकालत में ही रहा, और देश की हाईकोर्टों में उनके जारदार दलीलों की धाक बघी थी। उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी, आजाद हिंद फौज के अफसरों के मुकदमों से ही सम्बन्धित रहा जिन्हें अपनी कानूनी कुशलता और भाषण शक्ति से उन्होंने न केवल कानून के भारी दण्ड से बचाया बल्कि राष्ट्र के हित में एक बहुत बड़ी राजनीतिक विजय भी प्राप्त की।

उनके समकालीन तथा जूनियर वकीलों ने वकालत में उनकी भारी सफलता के विविध कारण बताए हैं। उनकी अदभुत कायक्षमता, पनी बुद्धि और तुरंत मामले की तरह तक पहुंचने की आवश्यक जनक शक्ति का सभी ने बखान किया है। कहा गया है कि प्रभाववादात्मक दलील देने में अपने सभी साधनों को उन्होंने मात कर लिया था। उनके एक आलोचक ने भी यह स्वीकार किया है वकील के रूप में

भूलाभाई ने बड़ी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया। "एक चीफ जस्टिस ने, जो उह अच्छी तरह जानते थे, कहा है भूलाभाई का दिमाग बड़ा तज था, भाषण शली कायल करने वाली थी और दलील व मुद्दे त्रिलकुल ठीक हात थे। अपने इन गुणा के कारण वह कही भी चमके बिना नहीं रहते, ऐसा मेरा विश्वास है।" औरों ने भी उनकी प्रखर बुद्धि, अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रभावशाली भाषा की सराहना की है। उनके चेम्बर में काम करने वाले एक जूनियर ने उह 'घोर परिश्रमी, प्रखर बुद्धि, चतुर और अत्यन्त प्रभावशाली बवाल' बताया है।

मैं उनसे साथ कई मुकदमा में रहा और वाद में कई मामलों में उनके विपक्ष में भी रहा। इसलिए मैं भी उह अच्छी तरह जानता हू। नि सदेह वह कठोर परिश्रमी थे, लेकिन यह गुण तो प्रायः सफल वकीलों में होता ही है। कानून और कानून के उसूलों की जानकारी भी सभी वकीलों के लिए बहुत जरूरी है और वकालत में सफलता प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोगों में वह बहुत हद तक होती ही है। भूलाभाई में हमारा भी असाधारण विशेषता थी, वह मेरे रयाल में यह थी कि उनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी भाषण कायल करने वाला तथा भाषा बड़ी अच्छी थी। वकालत के इस गुरु को वह पूरी तरह जानते थे कि जज को कैसे प्रभावित करना चाहिए। अपनी प्रखर बुद्धि से वह जज के रग-डग, हाव भाव और सवाल से जान लेते थे कि उसका दिमाग किस दिशा में काम कर रहा है। इसके बाद वह अपनी मीठी शली में इस तरह पक्ष का प्रतिपादन करते थे, माना जज के मन में जो है उसी की पुष्टि कर रहे हैं और जब जज उससे प्रभावित हो जाता, तब अचानक दलीलों को ऐसा मोड़ देते जिससे जो वह स्वयं चाहते उसकी पुष्टि होती। इसमें वह विविध युक्तियों से काम लेते और ऐसी स्थिति पैदा कर देते कि जज के उनकी बात गले उतरे बिना नहीं रहती। यही कारण है कि अनेक मामलों में जज ने शुरू में जो रुख लिया, उससे लगभग त्रिलकुल उलटा उसके निणय में सामन आया। जिन लोगों को अवसर उह परवी करने देखने का मौका मिला, उन सबने उनकी जज को कायल करने की शक्ति का लक्षित किया। भूलाभाई की प्रतिभा या ज्ञान कानून के किसी विशेष क्षेत्र तक सीमित न था। किसी भी कानूनी मामले में सभी पहलुओं का अपनी सूक्ष्म दृष्टि से वह समझ लेते थे। शायद इसका कारण यह हो कि अपनी भारी और विविध वका-

रुत में तरह तरह के मामलों का अध्ययन करते हुए उनका दिमाग इतना तेज हो गया था कि विविध प्रकार की और पेचीदी से पेचीदी समस्याओं का भी वह तुरन्त समझ लेते थे ।

स्वयं भूलाभाई वकालत में अपनी सफलता का कारण क्या मानते थे, यह एक प्राभाणिक सूत्र से पता चलता है । एक नौजवान वकील ने, जो भूलाभाई का मित्र था और उनकी जोरदार परबी तथा अपनी बात दूसरे के गले उतार देने की उनका शक्ति से चकाचौंध हा गया था, उनसे पूछा कि यह शक्ति आपने कैसे पाई ? कहते हैं कि इस पर भूलाभाई ने जवाब दिया "मेरे मित्र, यह सच है कि मैं अपने मुकामों में जी जान लगा देता हूँ, लेकिन सच पूछो तो यह ईश्वर की देन है, जिसका मैं पूरा लाभ उठा रहा हूँ ।"

अनेक वर्ष उनके निकट संपर्क में रहने पर मैं कह सकता हूँ कि यह सच है कि कभी कभी वह डींग हाकते थे और अपने कारनामों का बड़ा चढाकर बयान करते थे । इसमें भी शक नहीं कि अपनी बहुमुखी क्षमता पर उनके इतना विश्वास था कि अपनी गलती का वह आसानी से स्वीकार नहीं करते थे, मगर उनके इस बाहरी रूप के पीछे एक ऐसा मानवतापूर्ण और दयालु व्यक्तित्व छिपा हुआ था, जो बड़ा भावुक था और जिसमें कठिनाई तथा मुसीबत में पड़े लोगों के लिए गहरी महानुभूति भरी हुई थी ।

## राजनीतिक जीवन का आरम्भ

भूलाभाई स्वभावतः नरमदली थे। इसीलिए कांग्रेस में उत्साहपूर्वक काम करने पर भी उग्रपथी नहीं बन। राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रवेश भी कुछ धीमा और अटकता हुआ सा ही हुआ।

राजनीति में उन्हें लाने का श्रेय चिमनलाल सीतलवाड़ को दिया जाता है जिन्हें उनका गुरु, पथप्रदर्शक, मनदाता और मित्र बताते हैं। लेकिन यह ठीक नहीं जान पड़ता। भूलाभाई का राजनीति में सर्वप्रथम प्रवेश तो एनी बसण्ट के हाम रूल लीग आन्दोलन के साथ हुआ मालूम पड़ता है। उसकी ओर वह कैसे आकर्षित हुए, यह तो मालूम नहीं, पर शायद अपने सालिसिटर मिन छोट्टूभाई यकील के कारण वह इस आंदोलन में आए। छाट्टूभाई होम रूल आन्दोलन के उत्साही कार्यकर्ता थे।

इस आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक विचारा वाले अनेक व्यक्ति एक मंच पर आ गये थे। 1918 में ब्रिटिश सरकार लडाई के लिए रंगरूटों की भर्ती और युद्ध प्रयास को जोरदार बनाने में सभी भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। लेकिन उसने शासन में अधिक भाग की भारतीय मांग की उपेक्षा की और केवल यथासमय विचार का ही आश्वासन दिया। यह शायद उस कानून की पूर्वसूचना थी जिसने आगे जाकर 1919 के भारतीय शासन विधान का रूप लिया। तिलक, जिना, जयकर और हार्निमन जैसे लोग हाम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो चुके थे, भूलाभाई भी कुछ समय तक उसके सक्रिय सदस्य रहे।

एनी बसण्ट उन दिनों 'भारत में दशभक्ता की आराध्यदेवी' बन गई थी।



होम रूल लीग के संयुक्त तत्वावधान में 10 जून, 1918 का, हुई एक सभा में इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस और लीग (मुस्लिम लीग) दोनों को जो हो, वही व्यवस्था भारत में संपुष्ट कर सकती है। उसके बाद भी उनकी विचारधारा रही और 3 अगस्त, 1918 का उन्होंने कहा कि "माष्टपाड याज्ञानिक थोड़ी सी स्थानीय स्वराज्य के पुट के साथ भारत में तानाशाही तंत्र को हटा जा रहा गया है।"

हार्निमन द्वारा संपादित 'दाम्बे क्वानिकल' के 10 जून, 1918 के अंक में होम रूल लीग के दृष्टिकोण को अच्छे ढंग में उपस्थित किया गया। उसमें बताया गया कि ब्रिटेन के युद्ध-प्रयास में सहायता देने के लिए इंडियन डिफेंस फास कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष चिमनलाल सीतलवाड थे और सदस्यों में औरों के अलावा भूलाभाई भी थे। इसी सिलमिले में 9 जून, 1918 का बम्बई के टाउनहाल में बम्बई प्रांत की 'वार कानफेंस' (युद्ध परिषद्) हुई। बम्बई के गवर्नर लार्ड विलिंगडन उसके सभापति थे। युद्ध प्रयास को आगे बढ़ाने की उत्सुकता के बावजूद वह शासन सुधार के बारे में कोई बचन देने को तयार नहीं थे। कारवाई शुरू करते हुए उन्होंने कहा, "इस काम (युद्ध प्रयास) में हमारी सहायता के लिए सभी के संयुक्त सहयोग की चिंता और उत्सुकता के बावजूद, मैं जानता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जिनका जनता पर काफी असर है और जिनमें से अनेक होम रूल लीग नाम के राजनीतिक संगठन के सदस्य हैं। इनकी प्रवृत्तियाँ पिछले कुछ सालों से इस तरह की रही हैं कि जब तक मैं उन से खुलकर बात न कर लूँ और उनको समझ न लूँ तब तक मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि वे वास्तव में हमें सहयोग देना चाहते हैं। आगे उन्होंने यह भी कहा, "दिल्ली में हुई कानफेंस के बाद ऐसे कुछ लोग आगे जा भ्रमण किए या लेख लिखे उनका पिछले कुछ सप्ताह में मैंने अच्छी तरह अध्ययन किया है। उन्हें देखते हुए मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि इस काम के लिए जिस संयुक्त प्रयत्न की जरूरत है, उसमें वे साथ दे सकेंगे। उनकी स्थिति यह मालूम पड़ती है कि परिस्थिति की गंभीरता का हमें स्वाकार करते हैं, लेकिन जब तक निश्चित अवधि के भीतर हमें रूल (स्वराज्य) देने का वादा न किया जाए और अन्य मामलों में भी आश्वासन न दिए जाए तब तक हम जनता

मे युद्ध के लिए उत्साह पदा नहीं कर सकते और न रगस्टा की भर्ती में सफलता पा सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सौदवाजी की बात से वे इनकार करेंगे, लेकिन मैंने उनकी स्थिति काफी अच्छी तरह बना दी है और मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि उनकी मदद बहुत उपयोगी नहीं होगी। निश्चित भवधि म स्वराज की माग पर उन्होंने कहा, "वे अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीतिक सुधारों का सारा सवाल इस समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल के हाथ में है इसलिए जसा वचन व चाहते हैं, उसे देना वाइसराय या अन्य किसी के लिए बिलकुल असम्भव है।"

कानफ्रेस में पहला प्रस्ताव पेश होते ही गवर्नर ने कहा कि उसमें किसी तरह का सशोधन मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तिलक को सबसे पहले उस पर बोलने को बुलाया गया। उन्होंने अपनी ग्रीक होम रूल लीग की सम्राट के प्रति गहरी वफादारी प्रकट करते हुए कहा "मह प्रस्ताव मेरे विचार में एक दृष्टि से दोषपूर्ण हैं, लेकिन खेद की बात है कि जो काय विधि अपनाई गई है उसके अंतर्गत मैं इसमें सशोधन उपस्थित नहीं कर सकता।" इस पर गवर्नर ने कहा कि तिलक सशोधन पेश करना चाहत है तो ऐसा नहीं हो सकता, यह शुरू में ही कहा जा चुका है। तिलक ने कहा कि मैं सशोधन पेश नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि 'सरकार को सहयोग देने के लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। घर की रक्षा घर के शासन के बिना नहीं हो सकती।' वह और कुछ कह उससे पहले ही गवर्नर ने उन्हें टोका और कहा कि मैं राजनीतिक बहस नहीं होने द सकता। दूसरे दिनों भी बोलने लगे तो गवर्नर ने उन्हें रोक दिया। इस पर तिलक कानफ्रेस छोड़कर चले गए। उसके बाद नरसिंह चितामण केलकर के बोलने की बागी घा, के पहले ही गवर्नर ने कहा कि मैं राजनीतिक बहस नहीं होने दाने दाने दाने दाने भी हानिमन आदि के साथ कानफ्रेस छोड़कर चले गए। तदुपरांत नरसिंह चितामण आई। उन्होंने कहा - "आपने होम रूल पार्टी की ईमानदारी का मुझे जाहिर किया। इससे मुझे मामूली दुःख नहीं, बहुत दुःख हुआ है। मुझे इसका विरोध करना ही होगा। साम्राज्य की रक्षा में मदद देने के लिए उम्मीद है कि आप भी जितना कि और वाई हो सक्ता है।"

ने भी होमरूल वाला पर लगाए इस आरोप का खण्डन किया कि उनमें का अभाव है।

गवर्नर लाड विंलिंगडन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, "जिन्ना ने मेरी की है। मैं उह कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मेरे खयाल में मैं हामरूल वाला की राजभक्ति पर सदेह नहीं किया है।" जिन्ना ने कहा कि यदि आप देखें और बता सकें कि मैंने गलत अर्थ लगाया है तो मैं अपना विरोध वापस लूँगा। गवर्नर ने अपने भाषण का वह अंश पढ़ा ता जिन्ना की बात ही सही निकली। पर बड़ी उत्तेजना फैली और एक बड़े अपसर जिन्ना पर चिल्लाये, "बैठ जाओ!" तब गवर्नर ने यह कहते हुए सभा समाप्त कर दी कि होमरूल वाले सरकार को समर्थन करने के लिए शर्तें लगाना चाहते हैं। पर यह साम्राज्य पर सकट का समय है इसलिए बम्बई प्रान्त में रहने वाले साम्राज्य के हर नागरिक से मैं आशा करूँ कि उनमें साम्राज्य के प्रति कर्तव्य का पूरा भान हो।' इस तरह कानफ़ेस समाप्त हुई और उसने बाद बहिर्गमन करने वाले तिरक प्रभृति नेताओं ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था 'लाड विंलिंगडन की ज्यादती।'

तिलक और दूसरे के द्वारा सभा का त्याग भूलाभाई को पसन्द नहीं आया यह बाद की घटनाओं से स्पष्ट है। वह इस लिए कि कुछ समय बाद दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में भी लाड विंलिंगडन के सभापतित्व में ऐसी ही एक सभा हुई बम्बई होमरूल लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना जयवर, भूलाभाई और हानिम को उसमें नियमित किया गया। हामरूल लीग की कमेटी में उस पर विचार करने निश्चित किया गया—कि तिलक को बोलने में रोकने के विरोध-स्वरूप किसी को उसमें नहीं जाना चाहिए। भूलाभाई इसमें सहमत नहीं थे। इसलिए उन्होंने हामरूल लीग से इस्तीफा दे दिया और उस सभा में शामिल हुए। इस तरह होमरूल लीग के प्रवृत्तियों में उनका सहयोग थोड़े ही समय रहा। कांग्रेस वालों ने इसके लिए उनका आलोचना की और सबसे ज्यादा आलोचना उस बलसाठ नगर में हुई जहाँ वे वा रहेने वाले थे।

अनेक वर्षों बाद 1934 में अपने एक भाषण में उन्होंने इस घटना का इ

प्रकार उल्लेख किया—“मुझे आपके सामने यह स्वीकार करने में शर्म नहीं कि 1917 के भासपास गवर्नर लार्ड विलिंगडन का साथ देने के लिए, जो अब भारत के वाइसराय हैं, मैं हार्म रूल लीग से इस्तीफा देकर अपना राजनीतिक जीवन खत्म कर लिया था। लार्ड विलिंगडन ने कहा था कि युद्ध पराधीन राष्ट्रों को स्वाधीन बनने के लिए लड़ा जा रहा है और अंगरेजों की ताता पर उस समय मुझे पूरा विश्वास था।”

एनी बेमण्ट के विचार कुछ ही महीनों में बदल गए। बर्बई में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में (सितम्बर 1918) उनके अनुयायी काफी थे और उनका अमर भी बहुत था। लेकिन दिल्ली में हुए अधिवेशन (दिसम्बर 1918) में उनका वह प्रभाव नहीं रहा। कारण स्पष्ट था। रोलट बिल का उठाने समयन किया और उसके बाद न केवल वह नरमदलियों का समयन करने लगी, बल्कि शासन सुधारों की योजना में संगोपन के लिए कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड को प्रतिनिधि मंडल भेजने का भी उन्होंने विरोध किया। इसके बाद 1919 के शासन सुधार सामने आने पर, 1922 में, उन्होंने यह कहकर उनका समयन किया कि इनसे भारत की स्वतंत्रता मिल सकती है। सच तो यह है कि 1920 के बाद से ही राजनीति में उनका कोई स्थान नहीं रहा था। फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय राजनीति के एक बहुत नाजुक दौर में श्रीमती बेमण्ट ने बड़ा काम किया और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक, दानों ही दृष्टि से, भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान में उनका महान योग रहा। स्वराज्य के विचारों को भारत भर में फैलाने में जिस उत्साह से उन्होंने काम किया, उसे भारत कभी नहीं भूल सकता।”

1919 में चिमनलाल सीतलवाड को सरकार ने मर का खिताब दिया। तब भूलाभाई ने उन्हें बधाई देते हुए लिखा था— आप के इस सम्मान में बड़ा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है मानो यह सम्मान मेरा ही है। निस्संदेह किसी वकील को ऐसा सम्मान मिलने का यह पहला ही अवसर है।

प्रारंभिक मजूमदार की हिस्टरी आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया से (खंड 4 पृ० 44-45)

विमानाल सीतलवाड होरहाण तीतराण वसोल्णे ता गजरीति म बान  
 लिए हुमेणा प्रोन्गान देो ये । 1923 म उ अने भूळ भाई रगाई का बबई सरदा  
 की कार्यकारी परिषद का सदस्य रातो ही गोणिग की । उम ममय बह सर  
 एन्जीक्युटिव कौसिग के सम्म्य थे, त्रेनिग कुछ तिग कारण म पन्त्याग कम  
 चाहते थे । खु नीलाल मेहा का, ता उम ममय महा एन् मिनिस्टर थे, कायकाए  
 परिषद का सम्म्य बनाने का सुझाय आया, लेकिन विमालाल सातलवाड का रिवा  
 या कि 'मिनिस्टरों को तो पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए । सरकारी नौकराण  
 उनकी नजर नहीं रहनी चाहिए विशेषकर उम पत्रों पर जो गजरा के हाथ में हों ।  
 इस विचार से महमत हो गवनर भूलाभाई को बह पद देने क लिए तयार हा गए ।  
 भूलाभाई उस समय इगलण्ड म थे, इसलिए भारत मत्रो लाण वोल की माफ्त 22 मई,  
 1923 का, उहोंने भूलाभाई को यह सदेश भेजा—“आपको बबई सरदार की  
 कायकारी परिषद की सदस्यता स्थायी रूप से स्वीकार रगने दे जिण कहा जाने  
 वाला है । पिछली बार जब आपसे मैंने इग वारे म बान की थी तो आपने मेरी इच्छा  
 और सलाह मानने की रजामंदी दिवाई थी । मेरी निश्चिन राम जोर इच्छा है कि  
 सावजनिक हित मे आपको त्यागपूर्वक इसे स्वीकार कर लेना चाहिए । मिलने पर  
 सब स्पष्ट करूंगा । मैं यह पद छोड रहा हू त्रेकिन यह अच्छी तन्त्र समझ लें कि  
 मेरा पदत्याग सरकार से किसी मतभेद के कारण न होतर अन्य कारणों म है । इस  
 लिए पद स्वीकार करने मे जरा भी सकोच न करें । कृपया तार से सहमति भेजें और  
 बताए कि आप कब तक वहा से चल सकेंगे । जल्दी से जल्दी पद ग्रहण करने की  
 कोशिश करें । पत्नी ठीक होगी ऐसी धाना है ।”

इसके दूसरे ही दिन बबई के गवनर का विधिवत नियुक्तिपत्र भी पहुच गया ।  
 लेकिन भूलाभाई की पत्नी इच्छावेन वैसर के रोग से पीडित थी । इसलिए  
 भूलाभाई पद स्वीकार नहीं कर सके । एक तरह मे यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि  
 चिमनलाल सीतलवाड के सावजनिक जीवन के व्यापक अनुभव के बावजूद यह कहा  
 जा सकता है कि भूलाभाई ने 1923 म कायकारी परिषद की सदस्यता स्वीकार कर  
 ली होता तो राष्ट्र उनकी उस बहुमूल्य सेवा से वंचित ही रहता जो अपने जीवन  
 के शेष तेईस वर्षों म उहान की ।

1922 और 1923 भूलाभाई के लिए चिंता और मुमीबत के वष रहे। इच्छावेन 1922 में एकाएक बीमार हो गई थी। जब यह पता चला कि कैंसर का महा रोग उठे लग गया है तो स्वभावान उठे अपने बच्चे की चिंता हुई जो उस समय मुश्किल से 14 माल का था। धीरूभाई (पुत्र) हट्टे कट्टे तो कभी नहीं रहे थे। इससे बीमार पड जाने पर मा को उनकी चिंता अलग सताने लगी। उनकी मनोदशा उनके पत्र से जानी जा सकती है, जा हमे उपलब्ध उनका शायद एकमात्र पत्र है। 17 जुलाई, 1922 का यह पत्र भूलाभाई देसाई को यूरोप भेजा गया था। प्रियतम संबोधन के साथ उसमें लिखा था

“इस समय मेरी जो मनोदशा है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। डाक्टर की सलाह पर मुझे चलना पडना है। आशा करती हू कि आपसे भेंट होगी, लेकिन शायद न हो पाए। मिलना हो भी जाए तो ज्यादा समय तक हम साथ नहीं रह पाएंगे। मुझे विश्वास नहीं कि इस दुनिया में अब मैं ज्यादा दिन रहूंगी। मृत्यु के बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं। खयाल सिर्फ यही आता है कि मेरे सारे काम अधूरे पडे हैं। धीरू अभी छोटा ही है। चन्द्रू (एक मिन की कन्या, जिसे उहोन माद ले लिया था) का मैं अपने सामने ब्याह कर देना चाहती थी। यह भी मेरी इच्छा थी कि रणछोड (भतीजा) मेरे सामने ही अपनी परीक्षा में पास हो जाए। ऐसी बहुत सी बातें मन में ही रह जाएंगी।

“मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी नहीं आया जिसमें हम जीवन का आनंद ले सकें। और जब आया तो रोग ने घेर लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे दूसरों की चिंता करने के लिए ही पदा किया था। अपने भावुक स्वभाव के कारण अच्छी बुरी बातों का मेरे ऊपर बहुत असर पडता है। इससे मुझ बहुत कष्ट उठाना पडा है। मेरे लिए सतोप की बात यही है कि आप स्वस्थ हैं और धीरू भी पूरी तरह रोगमुक्त हो गया है। अपने लिए मुझे कोई चिंता नहीं। यह बात जरूर मुझे खलती है कि मेरे न रहने से आपको तकलीफ होगी। पिछले दिनों मैंने बहुत सोच विचार किया। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, जरूर भला किया। यही मेरे लिए सतोप की बात है। मेरे पीछे आप रज न करें। न मेरे

घट का ही विसा तरङ्ग दुगुनी हान दें । इम यान का मुझे निश्चय है कि माप उस कोई दुःख नहीं होने फिर भी मां की ममता ऐसा कहने के लिए मुझे प्रसन्न करती है । मेरे घेरे का ज्यादा खयाल करना, अगत घघे का बम । रणछाड का मुझसे बहुत स्नेह है । मेरे लिए उस बहुत शाय हागा । उसका भविष्य बनाना । धीरु की तरह वह भी अभी बहुत छोटा है । दुनिया उगन नहीं देगी है । इसलिए उस पर प्रेम रखना और उसे लायक बनाना । दिल का वह बहुत अच्छा है, पर तनको और चुप्पा है सा । ही भावुक भी बहुत है । मेरे पीछे धीरु अकेला पड जाएगा । वह धीरु का अकेलापन दूर करेगा और सब तरह से उसकी मदद करेगा । चट्टू मुझ से बहुत स्नेह रखती है । मेरी हीरे की अगूठी उसके विवाह पर उसे देना । साप हा मेरी एक कसीदेवाली साडी भी । उस अपनी बटी की तरह ममझना और बसा ही उस पर प्रेम रखना । धीरु के घपनी कोई कहने नहीं है । इसलिए उसे भी वहां समझाना कि चट्टू को वह अपनी बहन मान और उमम बसा ही स्नेह करे । एसा न कर सको तो फिर भगवान जमी प्रेरणा दें बसा करना ।

“मेरे सब कहने और जवाहरात मुहरबंद सबसे म भरकर धीरु की दुल्हन के लिए सुरक्षित रख देना । अपनी आधी सपत्ति धीरु को देना । उसकी अच्छी तरह देखभाल करना और उच्च शिक्षा दिलाकर योग्य बनाना ।

“तीघल की अपनी बाडी (बगीची) का ध्यान रखना । साल म कम से कम एक बार उस देखन जरूर जाना । इमसे मेरी आत्मा को बडा सुख मिलेगा । तीघल की और चनवाई की बाडिया धीरु के सिवा और किसी को न देना । न किसी और को उनका भागीदार ही बनाना । धीरु के लिए अच्छी दुल्हन ढूढना, किसी विलायती गुडिया से उसे याह न करने दना । ऐसी चुडल को अगर मेरे पवित्र घर मे लाए ता मेरी आत्मा को बहुत पीडा होगी और सभी को उससे बढ उठाना पडेगा । श्रद्धालु और धमभीरु माताओ के पुत्रो को तो पारिवारिक जीवन की शुद्धता पर खास ध्यान रखना चाहिए । आपकी माता जी सत स्वभाव की महिला थी । आप भी धमराज की तरह शुद्ध चरित्र हैं । मैं ता अभी भी ऐसा ही मानती हूँ । इसलिए अपना शेष जीवन भी इसी तरह का बिनाए और परमात्मा को इस बात का माक्षी

रखें कि आपके शुद्ध चरित्र और मा के नाम पर धम्मा न लगे यही मेरी हाविक इच्छा है और मुझे विश्वास है कि आप इस जरूर पूरा करेंगे ।”

देश में कोई एक साल तक लम्बी शल्य चिकित्सा कराने पर भी इच्छावेन की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ तब 1923 में भूलाभाई उन्हें इलाज के लिए लंदन ले गए । पुत्र भी उनके साथ ही रहा । मगर लंदन के इलाज से भी कोई लाभ नहीं हुआ । तब साल के अन्त में वह चम्बई लौट आई और कुछ ही महीनों बाद उनका देहांत हो गया ।

अपनी बीमारी की भारी वेदना के बावजूद इच्छावेन की चित्तवृत्ति बराबर स्थिर रही । घर-गृहस्थी के मामले उन्होंने निष्ठा लिए थे, अपने पुत्र तथा इष्टजनों के लिए व्यवस्था कर दी थी साथ ही तीसल और चिनवाई की जिन बाडियों से उन्हें बड़ा प्रेम था, उनके बारे में भी आदेश दे दिए थे । इससे उन्हें कोई मानसिक आशान्ति नहीं रह गई थी ।

इस प्रकार कोई तीस बरस के सुगी दाम्पत्य जीवन का अंत हुआ । गांव की होने पर भी इच्छावेन बहुत विशालहृदय थी और अहमदाबाद के सुगी दिनों में उनका घर हमेशा मेहमानों से भरा रहता था । बाद में तो उनका परिवार इतना सम्पत्तिशाली हो गया था जिसकी उ होन बल्पना भी नहीं की थी । फिर भी उनका जीवन सादा और आडम्बरहीन ही रहा । शुरू शुरू में गर्मियों की छुट्टियां में वह भूलाभाई के साथ पहाड़ पर जाया करती थी । लेकिन उच्च समाज का उ हें कोई आकर्षण नहीं था । बाद में जब लगभग हर साल भूलाभाई विदेश जाने लगे तो उ होने बलमाड से कुछ मील की दूरी पर समुद्र के किनारे अपने लिए एक बगला बनवा लिया था । वही उनका दरवार लगा रहना था । सभी रिश्तेदारों की उनके यहां भीड रहती । वह अपने को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखती थी । जाति के सयाने लड़के लड़कियों के ब्याह और जीविका की उ हें चि ना रहती और इसके लिए उनकी धली हमेशा खुली रहती । चिनवाई के खेतों में काम करने वाले सभी नौकरों और उनके घरवालों की भी वह प्रेमपूर्वक देखभाल करती थी ।



1926 के माच महीने में जब कागा, जा उता समय बर्बई में 1927 में  
 ये, गर्मी की छुट्टियों में बिलायत जाग लगे ता भूलाभाई से उनकी अनुपस्थिति में  
 एडवोकेट जनरल का काम करना का कहा गया। उनके नाम में इसका नाम  
 नहीं होने वाली थी, मगर यह इसकी स्वीकृति थी कि बर्बई के वकीलों के वह मुँ  
 है। इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया।

भूलाभाई कई बय लिबरल पार्टी में भी रहे। 1927 में बम्बई में लिबरल  
 फेडरेशन का जो अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार  
 मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन किया मालूम पड़ता है। ऐसा करते हुए 25 दिसम्बर  
 1927 को उन्होंने जो भाषण किया, वह कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उससे उनके  
 राजनीतिक विचारधारा का पता चलता है। इससे पता चलता है कि उनकी नज़र  
 में भारत की नागरिक प्रशासकीय सेवाओं के भारतीयकरण जल और थल सेना  
 के भारतीयकरण की मांग ज्यादा जरूरी थी। बाद में जब 1934 के आतिरी दिनों  
 में वह केन्द्रीय असम्बली में कांग्रेस पार्टी के नेता हुए, तब भी उनका यही  
 मन था।

भारत मंत्री लाड बरकेनहड के वक्तव्य का उल्लेख करा हुए अपने भाषण में  
 भूलाभाई ने कहा था, "वह यह कहते हैं कि यदि इस देश से ब्रिटिश जल थल सेना  
 को हटा लिया जाए और देश उनके संरक्षण से वंचित हो जाए तो हम स्वराज का  
 बात भूल जाएंगे। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ यह बात बार बार कहते हैं, मगर ब्रिटिश  
 सरकार ने सेना का भारतीयकरण करने का कभी कोई प्रयत्न नहीं किया। जल थल  
 सेना भी उसी तरह शासन का अंग है जिस तरह प्रशासन, मगर हम भारतीयों की  
 उनमें कहीं पहुँच नहीं है। यह भी कुछ आश्चर्य की ही बात है कि कांग्रेस के विच्छेद  
 30 40 बय के कायनाल में भी हमारा इस ओर ध्यान नहीं गया और यूरोप में महा  
 युद्ध छिड़ने पर ही इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि स्वराज की सरकार।  
 माग में हमारा सबसे कमजोर मुद्दा जल थल सेना के उच्च पदों पर भारतीयों का  
 संस्था अभाव ही है। सिविल सर्विस में तथा शासन के हर विभाग में अधिक पदों  
 की माग तो हमने हमेशा की, विधान सभाओं में विभिन्न प्रकार के सुधारों की भी  
 माग की और 'याम और शासन को पृथक् करने के लिए भी आंदोलन किया, मगर इस

‘तरफ कोई ध्यान नहीं गया। पुराने प्रस्तावों का अवलोकन करें तो यह बात खले  
 बिना नहीं रहेगा कि हमने शायद यह मान लिया था कि जल बल सेना में हमारे  
 लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।’

यह उल्लेखनीय है कि उन दिना यद्यपि वह लिबरल पार्टी में था, फिर भी  
 उनकी विचारधारा काफी गरम थी। प्रस्ताव (साइमन कमिशन के बहिष्कार) का  
 समर्थन करते हुए आग उड़ान जो कुछ कहा, उसमें यह स्पष्ट है, ‘हम प्रस्ताव के  
 परिणामों का भय दिखाया जाता है। सर मारापत जोशी ने दबी जबान से अधगारे  
 अखबारों द्वारा कल्पित दंगों का डर दिखाया है। मैं उन लोगों में से हूँ जो इस तरह  
 की परिस्थिति उत्पन्न होने पर सबसे बहुत विचलित नहीं होते, और ऐसा अवारण  
 नहीं है। यूरोप के पिछले महायुद्ध के समय जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की जा  
 रही थी, तब क्या कभी किसी ने उसके खर्च का हिसाब लगाया था? खर्च होने  
 वाली धनराशी या वह बहास आएगी इसका प्राथिक समस्या के रूप में किसी ने  
 देखा था? उस तो स्वतंत्रता और सिद्धांतों का लड़ाई माना गया, जिसे इस तरह  
 की छोटी बातों से ऊपर रखकर, उसके लिए किसी भी तरह के त्याग और बलिदान  
 को बड़ा नहीं समझा गया। और हम इतने डरपोर हुए हैं कि दो चार सौ की  
 प्राणहानि की महज संभावना ही हम भयभीत कर देती है। हम इस बात का समझ  
 लेना चाहिए कि हमारे साथ बसा ही बताव होगा जिसमें हम पान हैं। जो कुछ  
 मिले उस ही चुपचाप स्वीकार कर लेना यही नतीजा होगा कि अगली बार उससे  
 भी कम मिलेगा। भारतीय समस्या को जब हम पार्टी और निज स्वार्थों से ऊपर  
 रखन लेंगे, और देश के सभी विचार के लोगों का एक साथ लाने के लिए जब हम  
 प्रयत्नशील होंगे केवल तभी यथासंभव उन्नति की दिशा में आगे बढ़ना शुरू होगा,  
 और तभी साम्राज्य के अंदर स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए बधा  
 निव सुधारों की हमारी मांग पर कोई चारकर चारवाई होगी। हम सभी यह बधा  
 न कहें—अलग अलग रास्ता पर हम भले ही चलें, लेकिन जब लक्ष्य सभी का एक है  
 तो हम कधे-से-कधा भिडाकर क्यों न खड़े हों?’

## बारडोली की पैरवी

1922 में गांधीजी ने असहयोग का दोहन तज करने की घोषणा की और इसके लिए बारडोली में करवादी का गालन छेड़न का निश्चय किया गया। उसके पांच दिन बाद ही चोरीचोरा की दुपटना हुई। तब कांग्रेस की कार्यसमिति और महासमिति ने प्रस्तावित आ दालन रोक दिया। इसके बाद ही गांधीजी गिरफ्तार कर लिए गए और अहमदाबाद के जिला जज ब्रूमफील्ड ने उन्हें कद की सजा दी।

भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में इसके बाद 1928 में फिर बारडोली का प्रसंग आता है, जब वहाँ करवादी का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन का भारत के सत्याग्रह आंदोलन के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इस सत्याग्रह की सफलता के कारण बर्बई सरकार ने बारडोली के मामले की जांच कराई, उसमें भूलाभाई का बड़ा योग रहा। उसमें उ होने बारडोली के किसानों का पक्ष प्रस्तुत किया और कानूनी तौर पर सत्याग्रहियों की कारवादी को उसी तरह ठीक सिद्ध किया जिस तरह कि अपने जीवन के उत्तरकाल में फौजी अदालत (काट माशाल) में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की परवा करत हुए देश और ससार के सामने यह सिद्ध कर दिया कि कानून की दृष्टि से भी उन्हें राजद्रोह का अपराधी नहीं कहा जा सकता।

बारडोली सूत जिले के ठेठ पूरब में स्थित ताल्लुका है। ताल्लुके का क्षेत्रफल 222 बर्गमील है और उसमें 137 गाव हैं। 1926 में वहाँ की जनसंख्या 87 000 थी और उसमें ज्यादातर किसान थे, जिसमें लगान की रकम 4,30,263 रु० निश्चित

की गई थी। बम्बई प्रांत में प्रचलित प्रथा के अनुसार 1926 में नया बन्दोबस्त होना था। मालगुजारी की दर रयनगारी बन्दोबस्त के दूसरे किसी भी प्रांत से बम्बई प्रांत में अधिक थी, कास्त वाली जमीन पर वह अथ जिले से गुजरात के जिला में ज्यादा थी और गुजरात में भी मूलतः जिले में गवर्नर ज्यादा। नए बन्दोबस्त में जो मालगुजारी तय की जाती उसने खिलाफ अदालत में आवाज नहीं उठाई जा सकती थी, क्योंकि सरकार का जमीन का मालिक मानकर वह सारा मामला उसी की मर्जी में माना गया। मालगुजारी तय करना सरकार का काम था और अपनी इच्छानुसार चाहे जिस तरीके से वह एना कर सकती थी।

मालगुजारी का जो नया बन्दोबस्त 1926 में होना था, उसका काम बम्बई सरकार ने प्रांतीय सेवा के डिप्टी कंट्रोलर पद पर काम कर रहे एम० एस० जयकर का सीपा। जयकर को ऐसे काम का पहले से कोई अनुभव नहीं था। 1924 में ही होने यह काम शुरू किया और वार्ड पाठ महीने में ही अपनी रिपोर्ट तयार कर ली। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने मीरजुदा मालगुजारा में 25 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की और 23 गावा का वृषि लाभ की दृष्टि से निचले वर्ग से ऊचे वर्ग में कर दिया, जिसका फलस्वरूप ताल्लुके के सारे लगान में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इस वृद्धि के लिए उन्होंने ये कारण दिए

(1) यातायात के साधन काफी बढ़ गए हैं, जिनमें तापती वाली रेलवे की बड़ी लाइन खुलना भी है, (2) जनसंख्या में कोई 3,800 की वृद्धि हो गई है (3) दूध देने वाले पशुओं और बल गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, (4) चारों तरफ अच्छे बने पक्के मकानों को देखकर लगता है कि लागा की खुशहाली बढ़ रहा है, (5) काली परज लोगों में गिम्मा विस्तार और मद्यनिषेध से उनकी हालत सुधरी है, (6) खाद्य पदार्थों और कपास के दामों में असाधारण वृद्धि हुई है (7) क्षेत्र में मजदूरी की मजदूरी दूनी हो गई है और (8) जमीन के दाम बढ़ गए हैं, उसका मुकाबले मालगुजारी अनुपात से कम हुई है।

भूमि कर में 30 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश का मुख्य आधार जयकर ने इस तथ्य को बनाया कि ताल्लुके की उपज का कुछ मूल्य पिछले बन्दोबस्त के वकत से निश्चित रूप में 15,08,077 रु० बढ़ गया है।

जयकर की यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई, ताल्लुके के सदरमुनाम की केवल उनकी नकल भेजी गई। उस पर विचार करने के लिए ताल्लुका कांग्रेस कमरे ने एक समिति बनाई, जिसने उसका अध्ययन कर उसको सिफारिश का आलाचन की। बारडोली के किसानों ने मालगुजारी वृद्धि के खिलाफ एनराज पेश किए, पर कोई परिणाम न निकला। तब जावरी 1927 में अपनी एक सभा कर उहाँ खजू मिनिस्टर के पास प्रतिनिधि मंडल भेजन का निदधय किया। खजू मिनिस्टर ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

जयकर की रिपोर्ट बंदाबस्त के कमिश्नर के पास गई तो उसका पडतान करने वह इस नतीजे पर पहुँचे कि प्रस्तावित वृद्धि विश्वमनीय आरुहा पर आधारित नहीं है। जयकर ने बंदाबस्त का जो आधार ग्रहण किया था उसे अमाय कर उहूने बंदाबस्त का आधार जमीन के लगान को माना। इसके लिए जयकर की रिपोर्ट में जमीन की वित्री और लगान का जो विवरण परिशिष्ट रूप में दिया हुआ था, उस सही मानकर, उसके आधार पर, उहूने मालगुजारी में 29 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की।

बंदाबस्त अफसर और बंदाबस्त कमिश्नर, दोनों ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा था, उस पर विचार कर उनके द्वारा सुझाई हुई 30 और 29 प्रतिशत वृद्धि की जगह आखिर में सरकार ने 22 प्रतिशत वृद्धि का सिफारिश की। जुलाई (1927) में प्रकाशित सरकारी प्रस्ताव द्वारा सरकार ने बंदाबस्त कमिश्नर की उस सिफारिश को मान लिया जिसमें गावों के बिलकुल नए वर्गीकरण और खासकर 32 गावाओं के ऊपर के बग में करने के लिए कहा गया था। इसका नताजा यह हुआ कि उन गावाओं में मालगुजारी 50 से 60 प्रतिशत तक बढ़ गई।

बंदाबस्त अफसर और बंदाबस्त कमिश्नर ने वृद्धि के जो कारण दिए थे, उन पर किसानों और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समिति ने विचार किया। जो बातें आपत्तिजनक लगी, उन्हें अखबारा में प्रकाशित किया, साथ ही प्रस्तावित वृद्धि के विरुद्ध सरकार के पास भी आवेदन पत्र भेजे जिनमें बताया गया कि जयकर ने सबूद्ध सामग्री का अध्ययन नहीं किया। वह न तो गावों में गए और न लगान की तफसीला बातों

का उन्होंने अध्ययन किया। इनका बारे में रिपोर्ट के परिनिष्पत्ति में उन्होंने जो तथ्य दिए हैं, वे सही नहीं बल्कि ध्रान्त हैं। इन सब पर विचार करके सरकार ने अगले 22 प्रतिशत वृद्धि निश्चित की।

इन पर वारडाली के विमानों के विमानों के दिनांक 1927 में अपना सम्मेलन करके बड़ी हुई राशि में दान का निश्चय किया। बल्लभभाई पटेल से उन्होंने अपना मत रखने के लिए कहा। तब यह तजवीज हुई कि किसान पुरानी दर से तो मालगुजारी दें, पर जिनका बढ़ाया गया है वह अदा करने से इनकार करें। तथा बंदावस्त ठाक नहीं था। इसलिए आम भावना यही थी कि जब तक सब मामलों पर ठीक तरह और यावतुय विचार न हो जाए तब तक बड़ी हुई मालगुजारी न दी जाए। मुंबई, अनामोल बालीपरज और पारसी आबादी वाले गांवों का सम्मेलन कर उनका प्रतिनिधित्व की भावना जान लेने के बाद 6 फरवरी, 1928 को बल्लभभाई न बर्से के गवर्नर को एक पत्र लिखा। उसमें उन्हें परिस्थिति की जानकारी देकर नए व दोबारा से किसानों के साथ हानि वाला भारी अयाय का हानि बनाया और पर्याप्त अधिवार्युक्त निष्पक्ष आयापिकरण नियुक्त कर लोग का उसने सामन अपना मामला पेश करने का मौका देने के लिए कहा। आवश्यक होने पर इसने लिए गवर्नर से मिलने की इच्छा भी उद्घान व्यक्त की।

11 फरवरी 1928 तक जब उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला, तो 12 फरवरी को वारडाली में वह फिर किसानों से मिल और सारी स्थिति उन्हें समझाकर कहा 'जो स्थिति है उसमें पूरी विनम्रता के साथ मैं आपको यही सलाह दे सकता हूँ कि सरकार जब तक आपकी बात न माने, तब तक आप लगान विलकुल ही न दें। यह आप साफ समझ लें कि सरकार के पशुयल से आप बंधन अपना बंधन और दृढ़ निश्चय के द्वारा ही लड़ सकते हैं। लोग बंधन सहन के लिए दया हो जाए तो शक्तिशाली जुल्मी हुकूमत भी उनके धागे झुक दिता नहीं रहे सकती। सवाल रूपों का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का है मनुष्य के लिए तो मालगुजारी तय करने की स्वच्छ द सरकारी पद्धति का आपका विचार करना है सरकार जब तक सब मामले की जांच के लिए कोई निष्पक्ष अधिवार्युक्त नियुक्त न करे या मालगुजारी की वृद्धि के अपने हुकूम का मसूदा न करे, तब तक

हमारी लड़ाई जारी रहेगी बहुत मभव है कि सबर मिलान के लिए मरद सरवार आपवे मुखिया पर ही प्रहार करे । जि होने प्रस्ताव पेग किया है की जमीने समवत सबसे पहले जनर हागी । आप ऐसा बाता स विचलिन न लड़ाई के लिए तयार हा, और लड़ाई का तयार हा ता फिर डटकर लड़ें ।”

विभि न गाना से आए विविध जातिया के प्रतिनिधिया न तब यह स्वीकार किया, “बारडाणी ताल्लुके के निवासिया का यह सम्मलन बारडाना नए बन्दोबस्त म की गई मालगुजारी वृद्धि को मनमानी, गरकानूनी और अत्याचार पूण कारवाई मानकर सभी किसानों को सलाह दता है कि जब तक सरवार बन्दोबस्त की दर पर ही मालगुजारी की रकम पूर भुगतान के रूप म लेने तैयार न हो, या जब तक घटनास्थल पर ही जांच पडताल द्वारा बन्दोबस्त सशोधन का सारा मामला तय करन के लिए निष्पक्ष यायाधिकरण की नियुक्ति करे, तब तक बंदी हुई दर से मालगुजारी कोई न द ।”

इस तरह बल्लभभाई के नेतृत्व म सत्याग्रह करन और बढा हुआ भूमिकर न देने का निश्चय किया गया । सारे ताल्लुके म सत्याग्रह की याजना बडी सावधाना के साथ तयार की गई । ताल्लुके भर मे इसने जोर छा गया और कानूनभंग की भावना लोगो मे आ गई, क्योंकि उह अपने पक्ष क यथाचित हान म पूरा विश्वास था । सरवार न यह कहकर सत्याग्रह की अवहलना करने की काशिश की कि एक बाहरी आदमी इसका सचालन कर रहा है ।

बल्लभभाई न सारी स्थिति गाधीजी को बताई । उहे विश्वास हो गया कि किसानों का पक्ष यथाचित है । बल्लभभाई का सरकार से जो पत्र व्यवहार हुआ था उसका अध्ययन करके गाधीजी न अपने पत्र ‘यंग इण्डिया’ म इस सबध म एक लेख लिखा । आ दालन का पक्ष लेते हुए उसम उहोने लिखा—‘ इसम यह आग्रह नहीं है कि सरकारी निणय के विरुद्ध लोगो की बात सही है, बल्कि सारे मामले की जांच के लिए निष्पक्ष यायाधिकरण की नियुक्ति की माग की गई है और एसा न किया जाने पर करवृद्धि क विरुद्ध शांतिपूण आ दालन करने की बात है जिसम जमीन जन्नी सहित सभी तरह के कष्टसहन का तयार रना हागा ।’ उहोने

1-1 यह भी लिखा—“प्रस्तावित सत्याग्रह यद्यपि स्थानीय है और निश्चित उद्देश्य के लिए है, फिर भी इसका सावदेशिक महत्व है। क्योंकि बारडोली जसा ही हाल देश के अन्य अनेक भागों का है। इसने अलावा परोक्ष रूप से स्वराज्य की लड़ाई पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जिस आंदोलन से हम अपने प्रति हो रहे अत्याय का बोध है और उसके शांत प्रतिरोध के लिए बल और अनुशासन प्राप्त कर हम बचक सत्ते के आदी बनें, हम स्वराज के निवृत्त पहुंचाएंगे।”

सत्याग्रह की वल्लभभाई के नेतृत्व में प्रभा तयारी हो ही रही थी कि किसानों पर नए ब दावस्त के हिसाब से मालगुजारी जमा करने के नाटिस तामील हान लग। मालगुजारी न जमा करने पर तलाटिया (पटल) का किसानों की संपत्ति जप्त करने का हुक्म भी साथ ही मिल गए। लेकिन किसान इससे विचित्र नहीं हुए। वल्लभभाई इस समय सरदार कह जाने लगे थे। उ हान किसानों को बताया कि “सबसे बड़ी जरूरत यही है कि आप डरें विष्कुल नही।” सरकार ने लागू को राने दवाने के लिए सभी तरह की दण्डात्मक कारवाई की। बड़ा हुआ राजस्व न देने वालों की जमीन जप्त की, माल असमाय कौडिया के माल नीलाम किया, साथ ही जो पशुधन किसानों को सबसे प्यारा था, उसको भी जप्त कर कौडियों के माल बचा। यह सब बड़े आपत्तिजनक तरीकों से हुआ। सत्याग्रहियों की संपत्ति लूटने कोई आग नहीं आता था, इसलिए सरकार विक्री का नाटक करती थी। किसानों का आतंकित करने के लिए उन पर सरकारी नाटिस तामील करने और उनके माल की जब्ती का काम पठानों को सौंपा गया। सरकार की प्रतिष्ठा दाव पर थी, इसीलिए किसानों का सताने और आतंकित करने के लिए हर तरह के उपाय किए गए। यह मामला ऐसा था कि उसका असर न केवल स्थानीय बल्कि सावदेशिक होने वाला था, क्योंकि उसमें भारत पर हुकूमत कर रही ब्रिटिश सरकार के नतिक और बानूनी आधार का ही चुनौती थी।

मनमानी का बड़ा साम्राज्य था, लेकिन बारडोली के लोग अत तब उठने के लिए दृढनिश्चय थे। सरकारी अफसरा का उहाने वहिष्कार किया और ताल्लुके में सारा सरकारी कामकाज ठप्प हो गया। इतने पर भी उनका सारी प्रवृत्तिया



अहिंसात्मक रही, क्योंकि ये अपना आन्दोलन यत्सभभाई के नेतृत्व में चला रहा और उनका अहिंसा पर बड़ा आग्रह था। किसानों की कीमती जमीनें जन्म कर नाममात्र के भूस्व पर बेच दी गई। किसानों की मारी संपत्ति उनकी जमीन हाथों, वही जब्त कर बेच दी गई ता उनके पास संपत्ति का नाम पर कुछ भी नहीं रहा। लेकिन इस तरह बरबाद हो जान पर भी अपने इस निश्चय पर वे अडिग रहे कि सवनाश हा जान पर भी लगान अदा नहीं करेंगे। सत्याग्रह का सारा धान्दोलन शांतिपूर्ण रहा। कर वसूली के लिए किसानों का सभी तरह के प्रयत्न किए गए, मगर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सरकार ने यह दावा जरूर किया कि कुछ लोगों ने रकम जमा करा दी है, पर वह बारा ठाग था और सच्चाई यह है कि सरकार किसानों से कुछ भी वसूल नहीं कर पाई थी।

सत्याग्रह आन्दोलन जिस तरह चल रहा था, उसके कारण विभिन्न दलों के नेताओं ने उसकी सराहना की। इतना ही नहीं, केन्द्रीय असेम्बली के अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल तथा विभिन्न प्रांतों के अनेक प्रमुख व्यक्तियों ने उसका समर्थन भी किया। सवन महसूस किया कि यह ऐसा मामला है जो सारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आन्दोलन जब पूरा जा रहा था, सरदार पटेल ने लोगों से कहा, पशुबल (संयत्ति) से दुनिया में कोई ब्रिटिश सरकार का नहीं हरा सकता। यह चाहता सारे तात्कालिकों को नस्ननाबूद कर सकती है। इसलिए सरकार की उत्तेजक कारवाइयों के बावजूद उगला भी उसकी तरफ न उठाओ। आत्मरक्षा का अधिकार के बावजूद, जिसको मैं बहुत महत्व देता हूँ मैं कहूंगा कि अपशब्द और मारपीट पर भी आप उत्तजित होकर बदले में प्रहार न करें। इस तरह का जरा भी बहाना मिलने पर निश्चय ही सरकार की बन आएगी और हमने अब तक जो सफलता प्राप्त की है, वह सब धूल में मिल जाएगी।'

आन्दोलन में भाग लेने वाले कई किसानों और दूसरे लोगों पर मुकदमे चलाकर उन्हें कदों की सजा दी गई। सभी किसानों के अलावा सभी पेशों वाले, स्त्री, पुरुष जोर वच्चा ने आन्दोलन में भाग लिया। उन सभी को सरकार के क्रूर दमन का सिक्का टोकर सभी तरह के कष्ट सहन पड़े। समर्थकों के प्रयत्न भी हुए, पर कोई सफलता नहीं मिली।

आम्बिर बम्बई के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल ने आपस में विचार किया। उसके बाद ह्वाइट हाल (लंदन) और शिमला के बीच विचार विनिमय हुआ। इस विचार-विनिमय में जब यह अच्छी तरह महसूस कर लिया गया कि इस आंदोलन को कुचल देना कठिन है, तब सरकार वसी कमेटी नियुक्त करने का तयार हुई जिसका सरदार पटेल न मुझाव दिया था। कमेटी की नियुक्ति सम्बन्धी बातचीत में सरकार ने यह स्वीकार किया कि किसानों की जो जमीन जन्म करके बची गई है वह सब उन्हें वापस कर दी जाएगी, सभी कर्दों छोड़ दिए जाएंगे और (सत्याग्रहियों से सहानुभूति के कारण) जिन सलाटिया (पटेलों) को नौकरी से जलग किया गया है उन सबका बहाल कर दिया जाएगा। महादेव दसाई के शब्दों में इस तरह उस आंदोलन का अंत हुआ जिसे शांतिपूर्ण किसानों ने सत्य और कष्ट सहन का अपना हथियार बनाकर एम शत्रु के खिलाफ चलाया था जो चाहता तो किसी भी दिन अपनी पाश्र्विक शक्ति में उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता था। बारडोली सत्याग्रह के फलस्वरूप जो ममता हुआ वह सब पूछा तो सत्य और अहिंसा की ही विजय थी। सरदार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक चलने वाला यह तीसरा आंदोलन था, यानी स्वराज प्राप्ति के माग पर बढ़ते हुए जितनी मजिलें पूरी करने का उन्हें गौरव मिला उनमें यह तासरी मजिल थी। इसमें कोई शक नहीं कि यह राष्ट्र की एक महान नतिव विजय थी।

बम्बई सरकार ने जा जाच कमेटी बनाई उसमें आर० एस० ब्रूमफील्ड को जुडाशियल मम्बर के रूप में रखा गया और एम० आर० मन्मथल का रेवेन्यू मेम्बर के रूप में। कमेटी को लागू की इस शिकायत की जाच करनी थी कि मालगुजारी की वृद्धि लण्ड रेव्यू बोर्ड (भूमिकर सन्निधि) के अनुमार नहीं है और शिकायत के सत्या-सत्य की जाच के बाद यह भी बताना था कि वृद्धि करनी हो तो कितनी करनी चाहिए।

कमेटी की जाच ने केवल बारडोली के बल्कि समूचे भारत के किसानों के लिए बहुत महत्व की थी, साथ ही व्यापक राजनीतिक प्रश्नों पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए गांधीजी इस बात के लिए उत्सुक थे कि बारडोली के

किसानों का पक्ष दश व विसी अल्पतम योग्य वनील द्वारा पेश किया जाए। इसके लिए भूलाभाई पर उनकी नजर गई। वह यह जानते थे कि भूलाभाई जिले के ही निवासी हैं, वहां के किसानों की दफा का उह पता है और १७ हुए प्रात के भूमिकर प्रशासन का व्यापक अनुभव प्राप्त करने का उन्हें अवसर मिल है। यह भी उह पता था कि कांग्रेस म न होते हुए भी वह देशभक्त हैं। इसलिए भूलाभाई को उहोंने पण लिया और बरलभभाई उनके पास उसे ले गए। पण उ होने लिया था "मैं आपकी पूरी मत्त चाहता हू। जाच कमीशन का नियुक्ति का जहा तक सवाल है, हमन उसम सफलता पा ली है। "याय ही हागा, इसका तो मुझे विश्चय नहीं है, पर कम से कम अ याय म शकावट तो होगा ही।" भूलाभाई गांधीजी को इनकार नहीं कर सकते थ। उहोंने तुरत उनकी बात मान ली।

कमीशन की अनौपचारिक बैठक मे ७ नवम्बर, 1928 का भूलाभाई ने जनता के परोकार के रूप मे किसानों के पक्ष का प्रतिपादन किया। उहोंने लण्ड रेव्यू कोड की दफा 107 को अपने पक्ष का आधार बनाया। उ होने बनाया कि इसके अतगत खेती की जमीन के तार मे विचार करते हुए ब दोबस्त अफसर और बंदो बस्त कमिश्नर खेती से हानेवाले मुताफे का ही विचार करने का बाध्य हैं। लगान के आकडे कुछ मामलो म ही खेती की सही कमाई का पता लगान म सहायक हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र इसी आधार पर कोई निणय नहीं लिया जा सकता, जसा कि इय मामले म ब दोबस्त कमिश्नर न किया है। आगे उ हाने यह भी कहा कि लगान का आधार बारडाली जस इलाके के लिए असगत है, उहा कि पट्टे पर दिया गया क्षेत्र बहुत कम है और जो आकडे इकट्ठे किए गए है उनका ठीक जाच नहीं की गई। इसलिए खेती की शुद्ध कमाई या लाभ वही माना जाएगा, जा उपज के मूल्य म से बाश्त पर धाई लागत निकालकर बचे। उनका बहना था कि काश्त की लागत म मजदूरी, बीज तथा पशुधन (जीवित और मृत) क मूल्य, ब्राज और मूल्य—हास या घिसाई की रकम शामिल होगी।

भूलाभाई के इस तरह किसानों के पक्ष का मोटा विवरण देने के बाद जाच

का बाजाम्ना काम 1928 ही 14 नवम्बर का शुरू हुआ और 1929 की जनवरी के अंत तक चला। जाच अधिकारी जय गाँवा में जाच करने गए तो कई प्रमुख व्यक्ति तथा जनता के प्रतिनिधि उनके साथ गए, जिन्होंने उनके काम में सहायता की। लगान सम्बन्धी ब्यारे उठाते नयाग किए जिन्हें जाच कमीशन ने स्वीकार किया। जनप्रतिनिधियों के इस महत्त्व का कमीशन ने स्वीकार ही नहीं किया बल्कि उसकी इन गद्दी में सराहना भी की—“अपने डग से बहुतेरी उपयोगी जानकारी इपटठी करे के अलावा इन सज्जनों ने हमारे कायक्रम वाले प्रत्येक गाँव में हमारे वहाँ जाने से पहले ही पत्रचक्र वहाँ के लगान और जमीन के सौदों सम्बन्धी पूरे विवरण हमारे लिए व्यवस्थित रूप में संप्रहृ कर दिए। उनके कारण सही जानकारी प्राप्त करने में हम बहुत सहायता मिली। जिम मन्चाई तथा निष्पक्षता से हमारी ऐसी सहायता की गई, उसका धीर हमारी जाच के लिए वह कितनी मूल्यवान रही, उल्लेख किए बिना हम नहीं रह सकते।”

भूलाभाई ने इस सामग्री का बड़ी कुशलता के साथ उपयोग किया। इसके आधार पर उन्होंने जाच कमीशन का बताया कि लगान का आधार सर्वथा अविश्वसनीय और गुमराह करने वाला है, जिन किसी भी तरह के दौबस्त में सहायन का आधार नहीं बनाया जा सकता। उसका सच्चा आधार तो खेती से होने वाला मुनाफा ही हो सकता है। उन्होंने फी एकड़ और प्रत्येक खेत की उपज की तफसील दी। उनमें हानि वाली सब तरह की फसल का पूरा ब्योरा देकर यह भी बताया कि बाजार भाव से उसका क्या मूल्य हुआ एवं उस पर आइ सब तरह की लागत का हिसाब लगाकर सिद्ध किया कि खेती में लाभ को बचाए किसानों को घाटा-ही घाटा रहा है।

भूलाभाई ने बताया कि खेती में किसानों को साल दर साल घाटा ही उठाना पडा है और ऐसी हालत में राजस्व वृद्धि का बोझ वे बर्दाश्त नहीं कर सकते—साथ ही ऐसे आकडा और ब्योरो से इस बात को सिद्ध किया जिनकी सच्चाई को चुनौती नहीं दी जा सकती थी और जिन्हें जाच अफसरों ने स्वयं भी स्वीकार किया था। इस पर द्रूमफील्ड ने बटाक्ष करते हुए कहा, ‘मि० दसाई धंकरे की ‘बनिटी फेवर’ पुस्तक आपने पढी है?’ भूलाभाई के ‘हां’ कहने पर द्रूमफील्ड

बोले, "यह भी आप जानते हैं कि उमम एक परिच्छेद इस बारे में भी है। सालभर कुछ कमाई किए बिना भी कैसे मजे उड़ाए जा सकते हैं?" ऐसे समय में भूलाभाई गभीरतापूर्वक अपने मामले को समझा रह रहे थे, ब्रूमफील्ड का सुनकर वहां उपस्थित सरदार पटेल को गुस्ता आ गया और नज़ आवाज़ में कहा, "इस तरह की बकवास और गुस्ताखी का क्या मतलब? भूलाभाई, बहस बंद कर दें, क्योंकि जब अधिकारी गभीर नहीं तो बहस से क्या लाभ? यह कहकर जी० एन० जोशी के साथ, जो इस मामले में भूलाभाई की सहायता रहे थे, वह सुनवाई वाले तम्बू से बाहर चले गए। भूलाभाई से भी उहोने चलने की वृथा, पर वह विचलित नहीं हुए। वह जानते थे कि किसानों का जो प्रस्तुत कर रहा है उसका न केवल स्थानीय बल्कि सांख्यिक महत्व है। इसी अपना व्यावहारिक और सूक्ष्म बुद्धि से काम ले, उहोने अपनी दलीलें जारी रखीं, मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसका यह नतीजा हुआ कि उसके बाद अत तक उहोने दलीलें खामोशी और गभीरता के साथ सुनी गईं।

जिन आठ बातों के आधार पर बन्दोबस्त अफसर ने राजस्व बढ़ाने की सिफारिश की थी, उनका विश्लेषण करके भूलाभाई ने बताया कि इनमें से भी बसोटी पर धरती नहीं उतरती। इसका यह नतीजा निकला कि जांच करने पर अफसरों ने बन्दोबस्त अफसर के लगान सम्बन्धी आकड़ा को बिलकुल व्यर्थ बताया। उहोने कहा, 'किसी भी ताल्लुके के पूरे भाग की स्थिति का इनसे कोई भान नहीं होता।' खेती से होने वाले वास्तविक लाभ को आधार मानने का तरीका अस्वीकार करते हुए उहोने कहा कि उस स्वीकार करें तो मालगुजारी की मौजूदा दरों में बहुत कमी नहीं करनी पड़ेगी। लगान के आधार पर ही नया बन्दोबस्त करने की उहोने सिफारिश की और गांधी का नए वर्गीकरण करने के पक्ष में भी नियत किया।

इस जांच का मुख्य परिणाम यह हुआ कि जांच से पहले दोनों ताल्लुकों के राजस्व में जो 1,87,492 रु० की वृद्धि की गई थी, वह घटाकर 49,648 रु० कर दी गई। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ताल्लुकों का मिलाकर यहाँ के किसानों पर कोई 1,40,000 रु० वार्षिक बोझ कम हो गया। पर इस आर्थिक लाभ

से भी ज्यादा लाभ यह हुआ कि जनता के इस दावे की पुष्टि हो गई कि अधिकारियों ने नए बंदोबस्त में जो वृद्धि की, वह यथाथ स्थिति और कानून की दृष्टि से ठीक नहीं थी। जाच अफसरों ने इस बात का स्वीकार किया कि किसानों की शिकायत बेबुनियाद नहीं थी और इस तरह सारे मामले की निष्पक्ष जाच के लिए सत्याग्रह का औचित्य पूरी तरह सिद्ध हुआ। जाच कमीशन की रिपोर्ट का यह अंश इस दृष्टि से उल्लेखनीय है 'आकड़ों के प्रयोग की प्रचलित पद्धति हमारी राय में सिद्धांततः ठीक नहीं है, अमर जिला में चाहे जो हा लेकिन गुजरात के इस भाग के लिए तो यह उपयोगी नहीं है, जहां जमीन के पट्टे और विक्री पर अनेक बातों का अमर पड़ता है।'

बारडोली सत्याग्रह की सफलता के फलस्वरूप जाच कमीशन की सिफारिशों को देखते हुए पंजाब में लाखों रुपया की छूट दी गई और मध्य प्रदेश में मालगुजारी वमूली स्थगित की गई। बम्बई प्रांत में नए बंदोबस्त की जो कारवाई होने वाली थी, वह भी खत्म कर दी गई। इस प्रकार बारडोली सम्बन्धी जाच के फलस्वरूप परोक्ष रूप से जो लाभ हुआ, वह भी कुछ कम महत्व का नहीं था।

भूलाभाई ने इस मामले में अनेक दिन किसानों के पक्ष प्रतिपादन के लिए सगृहीत तथ्यों आकड़ों ब्योरो आदि सामग्री के गभीर अध्ययन में लगाए। जनता के प्रतिनिधियों और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसमें उनकी सहायता की। इस तरह सब तथ्यों को हृदयगम करके बड़ी कुशलतापूर्वक शांत और अविकलित रहते हुए, उत्तेजना और भावुकता से अपने को दूर रख, उन्होंने किसानों का पक्ष उपस्थित किया। इसका जाच अफसरों पर बहुत असर पड़ा। भूलाभाई को भी इससे किसानों की स्थिति अच्छी तरह जानने का अवसर मिला और देश की वास्तविक आर्थिक समस्या से वह भलीभांति परिचित हो गए। साथ ही इससे वह पटेल, गांधी और कांग्रेस के निकट ही नहीं आ गए बल्कि उनके भावी जीवन पर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ा।

इस तरह बारडोली के किसानों का पक्ष कुशलतापूर्वक उपस्थित करने

भूलाभाई ने देश के किसानों की बड़ी सेवा की, क्योंकि जाच कमीशन के निष्पत्तियों का देश भर में सरकारी राजस्व नीति पर असर पड़ा। स्वयं भूलाभाई ने इस बारे में कहा है, 'अपनी सारी संपत्ति की जग्गी का खतरा उठाकर भी किसानों ने निश्चय किया कि हम बड़ा हुआ राजस्व नहीं देंगे, जिससे भारतीय जनता का हम यह बता सकें कि सत्याग्रह द्वारा लक्ष्य सिद्धि असंभव नहीं है। सत्याग्रह अपने सामित और तत्कालीन उद्देश्य में सफल भी हुआ। बम्बई सरकार ने उसके फलस्वरूप कांग्रेस की सहायता से इस आश्वासन के साथ जाच कमीशन नियुक्त किया कि जाच के फलस्वरूप न केवल बड़ा हुआ राजस्व ही माफ किया जा सकेगा बल्कि जरूरत हुई तो मौजूदा दर में भी कमी की जा सकेगी। इस सम्प्रदाय में हम छह सात महीने गांव-गांव घूमे और अंत में जाच के फलस्वरूप ऐसा निणय प्राप्त किया जिससे बड़े हुए राजस्व से तो मुक्ति मिली ही, साथ ही प्रत्यक्षत स्वीकार न करत हुए भी पराक्ष रूप से सरकार ने राजस्व में 10 प्रतिशत कमी करना मंजूर कर लिया।'

सत्याग्रह में जनता का जो विजय मिली उससे ब्रिटिश सरकार और उसका प्रतिष्ठा को बड़ा गहरा धक्का लगा। साथ ही भाग्य के भरोसे खूपचाप कष्ट सहन करत वाला किसानों का अपनी शक्ति का भान हुआ। इसी आंदोलन के फलस्वरूप वल्लभभाई, सरदार पटेल के रूप में सामने आए और भूलाभाई जनता के परोक्ष के रूप में।

## कांग्रेस में प्रवेश और कारावास

इससे आगे भूलाभाई की प्रवृत्तियाँ कांग्रेस की गतिविधियों से सख्त हैं। इसलिए 1929 से आगे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रगति पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन (1927) में कार्य समिति की दश की अर्थ स्थापना के प्रतिनिधियों के सहयोग से भारत के लिए स्वराज्य का विधान तैयार करें, इसे बाद में होने वाले विशेष सम्मेलन में पेश करने का काम सौंपा गया। उनके अनुसार मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में सर्वदलीय समिति बनी, जिसकी पाठ 1928 में लखनऊ में हुए (हिंदू मुसलमानों के) सर्वदल सम्मेलन ने स्वीकार की। इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रतिपादन किया गया था। पर दिसम्बर 1928 में बलकृष्ण के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग उठी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंट लीग का संगठन कर इस बात के लिए लोकतांत्रिक भी तैयार कर रहे थे कि हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता में कम नहीं होना चाहिए। न भावना के कारण गांधीजी ने समझौते के रूप में यह सुझाया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट (औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी) इस विधान को इस रूप में (31 दिसम्बर 1929) अतः तक जमा कर लिया स्वीकार कर ले तो कांग्रेस इस अपना लेगी। और पूर्ण स्वाधीनता का प्रचार करने में यह प्रस्ताव बाधक नहीं होगा।'

समझौते के रूप में किए गए कांग्रेस के इस प्रस्ताव से राजनीति का सक्रिय आन्दोलन एक तरह से टल गया। 1929 का साल शांति से बीतने की वाशा में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आतंकवादी आन्दोलन अचानक नए सिरे से भड़क



भूलाभाई ने देश के किसानों की बड़ी सेवा की, क्योंकि जाच कमीशन के। का देश भर में सरकारी राजस्व नीति पर असर पड़ा। स्वयं भूलाभाई ने। म कहा है, 'अपनी सारी संपत्ति की जग्गी का खतरा उठाकर भी किर निश्चय किया कि हम बड़ा हुआ राजस्व नहीं देंगे, जिससे भारतीय जनता यह बता सकें कि सत्याग्रह द्वारा लक्ष्य सिद्धि असंभव नहीं है सत्याग्र सीमित और तत्कालीन उद्देश्य में सफल भी हुआ। बम्बई सरकार ने उस स्वरूप कांग्रेस की सहायता से इस आश्वासन के साथ जाच कमीशन नियु कि जाच के फलस्वरूप न केवल बड़ा हुआ राजस्व ही माफ किया जा सके। जरूरत हुई तो मौजूदा दर में भी कमी की जा सकेगी इस सम्बंध में। सान महीने गांव-गांव घूमे और अंत में जाच के फलस्वरूप ऐसा निष्पत्त प्राप्त जिससे बड़े हुए राजस्व से तो मुक्ति मिली ही, साथ ही प्रत्यक्षत स्वीकार हुए भी पराक्ष रूप से सरकार ने राजस्व में 10 प्रतिशत कमी करना म लिया।'

सत्याग्रह में जनता का जो विजय मिली, उससे ब्रिटिश सरकार और प्रतिष्ठा को बड़ा गहरा धक्का लगा। साथ ही भाग्य के भरासे चपचाप क बन वाले किसानों को अपनी शक्ति का भान हुआ। इसी आंदोलन में वल्लभभाई, सरदार पटेल के रूप में सामने आए और भूलाभाई जनता के रूप में।

के आदेश को चुपचाप शिरोधार्य किया। ऐसा लगता है कि मातीलाल नेहरू और गांधीजी कौंसिलो के बहिष्कार के पक्ष में हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ममाजवाद में अपनी आस्था लगातार प्रकट कर रहे और कांग्रेस में वामपंथियों का नेतृत्व भी उन्हें प्राप्त था। इतने पर भी 1927 में यूरोप में लौटने के बाद वह भा. गांधीजी के प्रभाव में आ रहे थे। अगले कार्यक्रम अधिवेशन के लिए गांधीजी ने उन्हीं का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। उसके बाद से ही सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे में अलग होते गए। हालांकि सुभाष बोस भी उन्हीं की तरह युवकों के नेता और कांग्रेस में वाम पक्ष के प्रतिनिधि थे।

31 अक्टूबर 1929 का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने लंदन में वापसा पत्र एक घोषणा की। वह ब्रिटिश सरकार के बुलान पर विचार विनिमय के लिए बहा गए थे। घोषणा में उन्होंने कहा "ब्रिटिश सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित करने का अधिकार दिया है कि 1917 की घोषणा में यह अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत के सवधानिक विकास का स्वाभाविक लक्ष्य उसको उपनिवेश का दर्जा देना है।"

कांग्रेस ने 31 दिसम्बर तक का जा अल्टीमेटम दिया था उसकी दृष्टि से वाइसरॉय के इस वक्तव्य को सम्झौते का कदम समझा गया क्योंकि इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का जनिम लक्ष्य स्वीकार किया गया था। गांधीजी और मोतीलाल नेहरू ने एक वक्तव्य में इस घोषणा की सराहना की और भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य विधान बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन (सबदल सम्मेलन) में उन्होंने कांग्रेस को प्रमुख प्रतिनिधित्व देने का सुझाव रखा और इस बात की मांग की कि उसमें यह विचार न हो कि औपनिवेशिक सविधान की योजना बनाना ही उसका काम होना चाहिए। मगर कांग्रेस में एक वग ऐसा भी था जो इस विचार से सहमत नहीं था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के खिलाफ था। इतने पर भी गांधीजी और मोतीलाल नेहरू की बात ही चली। दोनों नेता 23 दिसम्बर को वाइसरॉय से मिले और उनसे भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का निश्चित आश्वासन मांगा। लेकिन वाइसरॉय ऐसा नहीं कर सके और 31 अक्टूबर 1929 को उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उससे आगे जान में उन्होंने

उठा। साइमन कमीशन विराधी प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय पुलिस की मार से बुरी तरह घायल हुए और उसके कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, जो उस मार के ही फलस्वरूप हुई समझी जाती है। इसकी प्रतिक्रिया में दिल्ली में केन्द्रीय असेम्बली के अंदर जब उसकी वकालत हो रही थी, बम फेंका गया और भगतसिंह, बटुकेश्वरदत्त तथा कई अन्य व्यक्ति उसके लिए गिरफ्तार हुए। 1929, के मध्य में पंजाब पंडित का मुकदमा चला। जलम दुबे का बंगाल के खिलाफ भगतसिंह सहित कुछ कदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। अनशन करने वाला की हालत जरा नाजुक हो गई तो देश में प्रबल आंदोलन हुआ। जयपुर जगह लोगो ने आजाज उठाई कि राजनीतिक कदियों के साथ मानवता का व्यवहार जाना चाहिए। आखिर सभी कदियों को ममता बुझाकर अनशन छोड़ने को राजी किया गया। लेकिन बंगाल के यती-द्रनाथ दास फिर भी अडिग रहे और अनशन करते हुए 13 सितम्बर, 1929 को वह शहीद हो गए। आयरलैंड में ऐसी ही परिस्थिति में शहीद होने वाले वीर टेरेंस मकस्विनी के परिवार वालों ने इस अवसर पर जो संदेश भेजा, वह बड़ा ममस्पर्शी था। संदेश यह था—

“यती-द्र दास की मृत्यु से हमें बहुत दुःख हुआ और साथ ही गम भी। भारत जरूर आजाद होगा।”

यती-द्रनाथ दास की शहादत ने स्वभावतः युवक वर्ग की स्वाधीनता की भावना को उत्तेजित किया और प्रातिकारी आन्दोलन को भी उससे बढ़ावा मिला। गांधी जी ने अपने सिद्धान्त के कारण इस अनशन का समर्थन नहीं किया और न ‘यंग इंडिया’ में इसका कोई उल्लेख किया।

शुद्ध कांग्रेसी भी कई मामलों में परस्पर विरोधी विचारों के मालूम पड़ते थे। केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस दल के नेता मोतीलाल नेहरू बंगाल में असेम्बली के नए चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे। इसी बीच 15 जुलाई 1929 को कांग्रेस कार्यसमिति ने एक प्रस्ताव द्वारा कॉंग्रेस से पदत्याग करने का कांग्रेस जनों को आदेश दिया। यह बम आश्चर्य की बात नहीं थी कि जो मोतीलाल नेहरू बंगाल की कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ने का प्रोत्साहन दे रहे थे, उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति

के आदेश का चुपचाप शिरोधार्य किया। ऐसा लगता है कि मोतीलाल नेहरू और गांधीजी कौंसिलो के बहिष्कार के पक्ष में हो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ममाजवाद में अपनी आस्था लगातार प्रकट कर रहे और कांग्रेस में वामपथियों का नेतृत्व भी उन्हें प्राप्त था। इतने पर भी 1927 में यूरोप में लौटने के बाद वह भी गांधीजी के प्रभाव में आ रहे थे। अगले कांग्रेस अधिवेशन के लिए गांधीजी ने उद्दी की अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया। उसके बाद से ही सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू एक दूसरे से अलग होते गए। हालांकि सुभाष बोस भी उद्दी की तरह युवकों के नेता और कांग्रेस में वाम पक्ष के प्रतिनिधि थे।

31 अक्टूबर 1929 का वाइसराय लाड इरविन ने लंदन से वापसी पर एक घोषणा की। वह ब्रिटिश सरकार के बुलाने पर विचार विनिमय के लिए बहा गए थे। घोषणा में उन्होंने कहा “ब्रिटिश सरकार ने मुझे यह स्पष्ट घोषित करने का अधिकार दिया है कि 1917 की घोषणा में यह अभिप्राय असदिग्ध रूप से है कि भारत के सवधानिक विकास का स्वाभाविक लक्ष्य उसको उपनिवेश का दर्जा देना है।”

कांग्रेस ने 31 दिसम्बर तक का जा अल्टीमेटम दिया था, उसकी दृष्टि से वाइसराय के इस वक्तव्य को सभ्यता का कदम समझा गया क्योंकि इसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया गया था। गांधीजी और मोतीलाल नेहरू ने एक वक्तव्य में इस घोषणा की सराहना की और भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य विधान बनाने में सहयोग देने का प्रस्ताव किया। प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन (सबदल सम्मेलन) में उद्दी को प्रमुख प्रतिनिधित्व देने का सुझाव रखा और इस बात की मांग की कि उसमें यह विचार न हो कि औपनिवेशिक सविधान की योजना बनाना ही उसका काम होना चाहिए। मगर कांग्रेस में एक बम ऐसा भी था जो इस विचार से सहमत नहीं था और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के खिलाफ था। इतने पर भी गांधीजी और मोतीलाल नेहरू की बात ही चली। दोनों नेता 23 दिसम्बर को वाइसराय से मिले और उनसे भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का निश्चित आश्वासन मांगा। लेकिन वाइसराय ऐसा नहीं कर सके और 31 अक्टूबर 1929 को उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उससे आगे जान में उद्दी

अपनी असमयता प्रकट की। औपनिवेशिक स्वराज्य की दिशा में तत्काल आग बरसना चाही आशासन न मिलने के कारण गांधीजी निश्चित रूप से स्वाधीनता व 199 में हा गए। इसके फलस्वरूप कांग्रेस क्षेत्र में उठावा प्रभाव और भी बढ़ा।

1929 ई. दिसम्बर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। स्वाधीनता के लिए उनमें बड़ा उत्साह था। उनमें अध्यक्ष होने से कांग्रेस का वह अधिवेशन उड़ा जोशीला रहा। जसी कि सम्भावना था, उसकी कारणाई से कांग्रेस लाउ इरविन के प्रस्ताव से और दूर हो गई। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में गोलमेज कांग्रेस में कांग्रेस के भाग लेने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यह कांग्रेस बलकता में हुए पिछले साल के अपने अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार घोषणा करती है कि कांग्रेस के विधान की धारा 1 में दिए गए 'स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता होगा, साथ ही नेहरू (मन्त्री) द्वारा तयार की गई सारी योजना को खत्म करत हुए जाणा करती है कि आगे से सभी कांग्रेस जन अपना पूरा ध्यान भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने में ही लगाएंगे।

प्रस्ताव में कांग्रेस जनो तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले अन्य लोग से यह भी कहा गया कि भविष्य में कौंसिली के चुनाव में वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भाग न लें और 'कौंसिली या उनकी कमेटीयो में इस समय जो भी कांग्रेस जन हो वे इस्तीफा दे दें।' प्रस्ताव का वह अंग भी इससे कम महत्त्वपूर्ण नहीं था जिसमें कांग्रेस महासमिति को यह अधिकार दिया गया कि 'जब भी वह ठीक समझे कुछ चुनी हुई जगहों में या और कहीं आवश्यक एह्तियात के साथ करवदी संहिता (सविनय अवज्ञा) से प्रारम्भ का कार्यक्रम शुरू कर सकती है।' सत्याग्रह आन्दोलन को फिर से शुरू करने की तजवीज नि सदेह गांधीजी ने इसलिए सामने रखी ताकि नौजवान और क्रान्तिकारी अहिंसा की लड़ाई में शामिल होने का अवसर पाकर हिंसात्मक कारवाइयों से विरक्त हो इधर आ जाए।

कांग्रेस के दृष्टिकोण में लाहौर अधिवेशन में जो तबदीली आई, उससे देग में सबन उत्साह की लहर दौड गई। 31 दिसम्बर की आधी रात को जैसे ही कांग्रेस

के अल्टीमेटम की अवधि समाप्त हुई, कांग्रेस अध्यक्ष भव्य जुलूस में रावी नदी के तट पर आए और उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झण्डा लहराया। अठ्ठ रात्रि का समय और लाहौर की बडावे की सड़ियों के बावजूद असह्य जनसमुदाय उस ऐतिहासिक दृश्य को देखने के लिए वहाँ उपस्थित था। तिरंगा झण्डा ज्यो ज्यो ऊपर चढ़ा, भारी जनसमुदाय हृषिकेश हो उठा और भारत के गौरवमय भविष्य की नई आशा का संचार हुआ।

2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की नई कार्यसमिति की बैठक हुई और उसके आदेशानुसार फरवरी 1930 में विभिन्न प्रांतों के कांग्रेसी सदस्यों ने कौंसिली से इस्तीफे दे दिए। स्वाधीनता के विचार को व्यापक बनाने के लिए कार्यसमिति ने 26 जनवरी को सारे देश में स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय किया। इसके लिए उस दिन ग्रहण करने के लिए कार्यसमिति ने स्वाधीनता का प्रतिज्ञापत्र तैयार किया, जिसमें कहा गया कि “हम भारतीय प्रजाजन भी अब राष्ट्र की भांति स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं” और विश्वास व्यक्त किया कि “भारत को अंगरेजों से सम्बंध विच्छेद करके पूर्ण स्वराज्य (स्वाधीनता) प्राप्त करना चाहिए।” कहने की जरूरत नहीं कि स्वाधीनता दिवस सारे देश में सभी जगह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया।

अब सभी लोग मविनय अवज्ञा रूपी सत्याग्रह की प्रतीक्षा करने लगे, जिसका लाहौर कांग्रेस के प्रस्ताव में जिक्र था और जिसका शुरुआत गांधीजी और कार्यसमिति पर अवलम्बित था। कार्यसमिति ने अपनी ओर से यह भार पूरी तरह गांधीजी और उनके अनुयायियों पर डाल दिया। कार्यसमिति ने गांधीजी के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए उन्हें तथा उनमें विश्वास रखने वाले उनके ऐसे साथियों को, जिनका स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा में धार्मिक विश्वास हो, अधिकार दिया कि ‘वे जब, जिस तरह और जहाँ तक उचित समझें, सविनय अवज्ञा शुरू कर दें।’

गांधीजी ने, जैसी कि उनकी आदत थी, 2 मार्च, 1930 को वाइसराय को पत्र लिखकर अपने इस निणय की सूचना दी कि मैं साबरमती से कोई 200 मील से अधिक दूर गुजरात के समुद्रनटवर्ती गांव दांडी में नमक बनाकर सत्याग्रह आंदोलन

शुरू करूंगा। इस तरह कानून भंग की पूर्व सूचना देकर 12 मार्च, 1930 को 79 स्त्री पुरुष सत्याग्रहियों के साथ गांधीजी ने मायगमनी-भाथ्रम में प्रस्थान किया और पदयात्रा करते हुए 5 अप्रैल को दांडी के समुद्र-तट पर पहुंचे। सचमुच वह बड़ी भयंकर यात्रा थी। रास्ते भर गाववालों के गुण्डों के गुण्डे जमा हो जाते, जो चारों तरफ से आते, सबको पर छिड़काव करते, पत्ते बिछाकर सत्याग्रहियों का मार्ग सुगम बनाते और सत्याग्रहियों की चरणरज से पुण्य लाभ करते। तीन सौ से ज्यादा पत्तल अपनी नौकरों छोड़ सत्याग्रह में शामिल हो गए। 6 अप्रैल के बड़े सबेरे अपन दल के साथ गांधीजी न सागर में डुबकी लगाई और स्नानोपरान्त किनारे आ समुद्र की लहरों के साथ आया हुआ नमक उठाकर सत्याग्रह किया। यह कानून भंग मात्र सांकेतिक था, लेकिन जिस तरह इसका आयोजन किया गया वह अदम्य था। 24 मील की 24 दिन की घोर यात्रा से प्रचार कायम बड़ी मदद मिली और शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार की खुली अवज्ञा ने नेता और जनता सभी पर बहुत प्रभाव डाला। इस प्रकार गांधीजी का सकेत पाकर देशभर में जगह जगह नमक बनाना शुरू कर दिया। कानून की अवज्ञा की जड़ें लगीं। महरो में ऐसा नमक तसला में बनाया जाता। फिर क्या था, गिरफ्तारियों और दमन का ताता लग गया। थोड़ा-बहुत नहीं, बल्कि साठ हजार राजनीतिक कदी जेला के कठपौरे में पहुंच गए। तारीफ की बात यह थी कि ठोकरा और लाठिया से पिटाई तथा गिरफ्तारियों के बावजूद भारतवर्सी अहिंसक रहे। यह मानना ही पड़ेगा कि यह योजना गजब की सूझ थी और इस पर अमल भी बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया। गांधी की पदयात्रा ने गाववालों में जागृति ही नहीं पैदा की, बल्कि स्वराज्य के लिए कायस की लड़ाई का प्रयासबोध भी उन्हें करा दिया। यात्रा की छोटी से छोटी बातें विस्तृत रूप से अखबारों में निकलतीं। गांधीजी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और उनके द्वारा उठाए गए आन्दोलन के प्रति साविक उत्साह की लहर ने सत्याग्रह की इस पदयात्रा को सचमुच 'दांडी की तीर्थयात्रा' बना दिया और सारे देश में उसने अभूतपूर्व उत्साह का संचार किया। सरकार और उसके पृष्ठपोषकों ने गुरू-गुरू में उसकी अवज्ञा की और खिल्ली उड़ाई। अयोगीरे मन्त्रिपरिषद् (स्टेट्समन) ने तो यह कट्टी भी की कि "महात्माजी चाहें तो सागरजल को तब तक पनाते रह सकते हैं जब तक कि औपनिवेशिक स्वराज्य न मिल जाए।" लेकिन शीघ्र ही अवज्ञा और उपहास

स्वयं चिन्ता और भय न ल लिया । 6 अप्रैल को गांधीजी ने नमक कानून का विरोध शुरू किया । उमर दश भर का प्रयास करने का प्रेरणा मिला । प्राकृतिक कारणों से सरकारानुसार तीव्र नमक बनाना नभव नहीं था वही न कानून की अवस्था का निश्चय लिया गया । जिस कलकत्ता में वहां के मगर स्ट्रिमाहट सेनगुप्त ने मावजनिभ गमा में राजद्रोह माहित्य पत्रक कानून भंग था । शराब और अय नशीला न जा का जागृकार उद्दिष्टार गुप्त हुआ, माध हा का कड़े और ब्रिटिश माल का बहिष्कार के लिए धरना भी दिया जान लगा ।

लोगों का डरान के लिए सरकार का आर स धार अत्याचार हुआ जिनमें अमना और बडाला में तो बहुत ही दूरता दरती गई । दमनचक्र जारी स चला जोर नकारी कानून का बालगला हा गया । अगवारा का मुह बंद करने के लिए 11 अप्रैल को प्रेस आडिनम के मातहत 131 अखबारों से कुल 2,40,000 रु० तक के तौर पर बगूल किए गए । 9 अखबारों ने तो जमानत देने से इनकार प्रदान ही स्थगित कर दिया । कांग्रेस का दश भर में सरकारानुसार करार द गया और सरकार को उसकी सारी सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार मिला । इन इस सबके बावजूद आ दालन में और सासकर उसमें सक्रिय भाग लेने वाला हलचल में बाई कमी नहीं हुई । आदालन के लिए धन संग्रह और स्वयमेवको भरती आदि के काम जब खुलेआम करना संभव नहीं रहा तो पुलिस की नजर कर गुपचुप किए जाने लगे । फलत सरकारी निषेध के बावजूद सभाओं और सों का ही आयोजन नहीं हुआ, बल्कि सर कानूनी तौर पर असवार, बुलेटिन परचे भी छपकर बटते रहे । बम्बई जैसे कुछ स्वामी में तो रेडियो के द्वारा भी रेस का प्रचार किया गया और पुलिस पूरी कोशिश के बावजूद उसका पता नहीं पाई ।

ऐसी परिस्थिति में 5 मार्च 1930 को सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार लिया ।

गांधीजी की गिरफ्तारी के विरोध में गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद, बम्बई



मे बहुत बड़ा जुलूस निकला। एक लाय से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल हुए। फोट की तरफ जा रहा था। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन के सामने पुलिस ने रोकना। जुलूस वाले आगे रास्ता रखा दब्य वही सड़क पर बैठ गए और "का एक जोशीला अनुयायी आगे आकर बार बार कहन लगा "बलाशा गला, मेरी छाती म।" एक अय व्यक्ति न जुलूस में शामिल लागों की संबोधन कर रहा मरन की तयार हो वही घटा रह बाकी अपन अपन घर चले जाए।" लकिन निल भर भी प्रपनी जगह स नहीं हटा। आखिर रात के 8 बजे अधिकारी हार और जुलूम का अगरेजो की बस्ती फोट म जाने दिया। एक विदेशी पत्र प्रतिनिधि अनुसार सम्प्र पत्रुवल पर अहिंसा की इस विजय ने गांधीजी के अहिंसा बक्ति की सफलता का पहली बार भव्य प्रदशन किया।"

साइमन कमीशन न अपनी रिपोर्ट 1930 की पहली जून को पेश की जो सिफारिशों की, उह केन्द्रीय विधान सभा (इण्डियन लेजिस्लेटिव असेम्बली) न सतोपप्रद नहीं माना, यद्यपि उस समय उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने कोई राष्ट्रवादी सदस्य नहीं था। नरम दल वाले ने भी उससे असहमति प्रक और इम्बान पर जोर दिया कि गोलमेज सम्मेलन म उसे विचार का आधार बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता जो जेलो म थे, उहे एक जगह कर उ विचार करने की सुविधा की गई। विचारोपरांत 15 अगस्त, 1930 का उहोन रूप स एक वक्तव्य दिया। उसमें कहा गया कि उहे या कांग्रेस का एसा समाधान स्वीकार्य नहीं हो सकता जिसमें भारत को साम्राज्य से सम्बंध बिच्छे हूफ न मिले और जिसमें भारत म ऐसी राष्ट्रीय सरकार बनाना सम्भव न हो। रक्षा और वित्त व्यवस्था पर भी पूरा नियन्त्रण रहे।

पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवम्बर, 1930 से 19 जनवरी, तक आ और प्रधानमंत्री रमजे मकडानल्ड ने उसकी अध्यक्षता की। सम्मेलन साम्प्रदायिक मतभेद खुलकर सामने आए। प्रधान मंत्री के वक्तव्य के साथ यह स हुआ और इममें उ होने ब्रिटिश सरकार के रुब का समर्थन किया। मोट तौर पर यह भी बताया गया कि किस तरह का शासन विधान भारत के लिए ब्रिटिश स

बनाना चाहती है। 1935 में जो शासन विधान बना वह उसी पर आधारित था। माइमन कमीशन की सिफारिशों से वह निःसंदेह अच्छा था।

गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के दो दिन बाद प्रयाग में कांग्रेस कायसमिति की बैठक हुई। उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निणय को 'बहुत घमण्ड और सामान्य' बताया हुआ कहा गया कि उसके आधार पर कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यरवला जेल में 15 अगस्त, 1930 को कांग्रेस नेताओं ने जो निश्चय किया था उसकी कायसमिति ने पुष्टि की। हजारों स्त्री पुरुषों के जेल में हात, चिनम कायसमिति के सभी सदस्य और महाममिति के अधिकांश सदस्य भी थे कांग्रेस कोई नई नीति ग्रहण कर भी नहीं सकती थी। इसलिए स्वभावतः उमने आंदोलन को पहले ही हिंदायतो के अनुसार पूर्ण शक्ति सजारी रखने के लिए देश से कहा। लेकिन प्रस्ताव अभी जाबने से प्रकाशित भी नहीं हुआ था कि दूसरे दिन लदन से सप्रू (तेज बहादुर) और शास्त्री (श्रीनिवास) का तार मिला, जिसमें उ होने कायसमिति से उनके आने से पहले और उनकी बातें सुने बगर प्रधान-मंत्री के भाषण पर कोई निणय न लेने की प्राथना की थी। 26 जनवरी 1931 को कायसमिति के सदस्य भी जेल से रिहा कर दिए गए।

गोलमेज सम्मेलन के सदस्य 1931 की फरवरी में वापस आए। यहाँ ग्राम पर उद्घोष कांग्रेस नेताओं में गोठमज सम्मेलन में प्रस्तुत विचारों के अनुसार पूरी योजना तयार करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। सप्रू और शास्त्री के प्रयत्न में आगिर वाइमराय लाड इरविन से गांधीजी की मुलाकात और बातचात हुई। 27 वानचीन में फलस्वरूप ही दोनों में वह समझौता हुआ जिस गांधी दरियन 1931 कहा जाता है। समझौते पर कायसमिति में विचार के समय जवाहरलाल नेहरू और वल्लभभाइ पटल सहित समिति के कई सदस्यों ने उसे पसंद की। फिर भी 5 मार्च 1931 को उमने उमें स्वीकार कर लिया। स्पष्ट ही प्रयाग कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का अपना आग्रह छोड़ दिया, यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहा गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यह कहना पडा कि समझौते की कुछ शर्तों में सहमत नहीं हुए।

पूण सनिक हान के नात अपना गता की बात मुझे माननी ही चाहिए। युवक आन्दोलन के अर्थ नताशा का जहा तक संघ था, सुभाष बाग समेत उन संघों का सुधारन उसका विरोध किया।

भगतसिंह और उनके साथियों का मृत्यु २० नवंबर की अपील का वादपूर्वक वाक्प्रेस के ठीक पहले 29 मार्च, 1931 का उद्देश्य ही था। इस पर दश मंजूर धारा फल और जगह जगह उप प्रदर्शन हुए। भगतसिंह का फल का वाक्प्रेस अधिाशन म भी गाना छा गया और वाक्प्रेस न एक प्रस्ताव द्वारा "प्रधान प्रचार की राजनीतिक हिंसा से अपने आपका अलप्य रक्त हुए और उनका विचार करत हुए" भा भगतसिंह और उनके साथियों (सुपदव और राजगुरु) का शौर्य और आत्मत्याग की सराहना की। गांधी दरबिन समझौते का जहा तक संघ था, उद्देश्य का वाक्प्रेस न स्वीकार किया।

अप्रैल 1931 म लाड दरबिन चले गए और उनकी जगह लाड विविंगडन वाइसराय हुए। इस परिवर्तन मे लगा, मानो भारत का प्रति ब्रिटिश सरकार के स्व मे परिवर्तन हो रहा है और आगे बढ़ाई से काम लिया जाएगा।

दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितम्बर 1931 को शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले ही ब्रिटेन म सरकार बदल गई। कजरवेटिवो के दवाव पर मजदूर दल का सरकार का स्थान मिली जुली राष्ट्रीय सरकार ने लिया, जिसमे रमजे मकडारब के प्रधानमंत्री बने रहने पर भी इंडिया आफिस का कायभार सम्युअल होर ने सभाला वह कजरवेटिव थे। गांधीजी दूसरे गोलमेज सम्मेलन मे शामिल हुए, लेकिन उनकी पूरी कोशिश के बावजूद भारत म केन्द्र और प्रांतीय दोनो जगह तत्काल ऐसा पूण उत्तरदायी शासन कायम कराने मे उद्देश्य सफलता नहीं मिला जिसे बित्त, सुरक्षा और सेना तथा विदेश मामलो मे भी पूरे अधिकार हो। सच्चाई तो यह है कि पहले गोलमेज सम्मेलन म जो कुछ हुआ था दूसरे सम्मेलन मे उससे आगे कोई प्रगति नहीं हुई और उसकी समाप्ति पर गांधीजी गाली हाथ ही भारत लौटे।

इधर गांधीजी लदन म थ तभी बंगला और युक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) म आर्डिनेंस

जारी कर दमनचक्र शुरू कर दिया गया। वह भारत के रास्ते में थे, इसी बीच सीमा प्रांत में पठानों पर फौज न गोली चलाई और आ गोलनकारी कई पठानों को मार डाला। इन सब बातों से सारे देश में बड़ा क्षाभ था।

गांधीजी ने बम्बई पहुंचते ही वाइसराय को तार भेजकर बगाल, सीमाप्रांत और युक्त प्रांत के मामले में बातचीत करने के लिए बिना शर्त भेंट का अनुरोध किया। लार्ड विंलिंगटन उन समय कलकत्ता में थे ज होने मिलने से इनकार कर दिया। 7 जनवरी, 1932 के तार में 'सत्याग्रह की घमकी के बीच' गांधीजी से किसी बात चीत की संभावना को ही वाइसराय ने अमभव बनाया। ऐसा गांधीजी के तार में सरकारी दमन का विरोध करने हुए की गई इन सूचना पर किया गया कि सरकार यदि बाज नहीं आई तो अहिंसा की अपनी मयादा में रहत हुए कांग्रेस को भी कुछ-कुछ करना ही पड़ेगा। लार्ड विंलिंगटन अपने कडेपन के लिए मशहूर थे और ब्रिटेन में उनके लिए कहा जाता था कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को वह किसी तरह ढीला नहीं पड़ने देंगे। ऐसी हालत में यह स्वाभाविक ही था कि अघाघुघ दमन और गिरफ्तारियों का दौर जारी रहता। तब कांग्रेस की कायसमिति न, जिसकी बम्बई में बैठक हों रही थी, पुन सविनय अवज्ञा शुरू करने का निश्चय किया।

इस पर जनवरी के आरम्भ में ही गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया और महीना खत्म होते-होते देशभर के अधिकांश कांग्रेस नेता जेलों में पहुंच गए। वाइसराय द्वारा आर्डिनंस पर आर्डिनंस जारी किए जाने लग और फरवरी की पहली तारीख से पहले ही कई हजार कांग्रेसी स्त्री पुरुष जेलों में जा पहुँचे। अबबारों की आजादी के दमन के लिए प्रेस आर्डिनंस जारी किए गए। लेकिन सविनय धवना का आ दोलन खत्म नहीं हुआ। 1930 की तरह ब्यापक चाहे वह न रह पाया हा, फिर भी बढ़ नहीं हुआ और किसी न किसी रूप में चलता ही रहा। यहाँ तक कि सरकारी नियेषाज्ञा के बावजूद, कांग्रेस के गरकानूनी होते हुए दिल्ली और कलकत्ता में कांग्रेस के दो अभिवेशन भी हुए।

अब हम भूलाभाई की प्रवृत्तियों पर घाए, जो लिबरल पार्टी से इस्तीफा देकर 1930 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ब्रिटिश माल के बहिष्कार के कायल

हो जान पर उहोन बबई मे स्वदेशी सभा की स्थापना की, जिनका मुख्य उद्देश्य बहिष्कार की आगे बढ़ाना था। बबई के उद्योगपतियों पर उनका बहुत प्रभाव था। इसका मलावा इस काम में एफ० ई० दिनाग नाम के एक साटिसिटर ने भी उनसे साथ दिया। इससे सूती कपड़े के 80 कारखाने (मिल) स्वदेशी सभा में शामिल हुए। उसकी सदस्यता की मुख्य शर्त यह थी कि उसमें शामिल होने वाले बबई सूती कारखाना 18 नम्बर से कम सूत का कपड़ा नहीं बनाएगा और न कपड़ा बनाने में विदेशी सूत या रेशम का ही उपयोग करेगा। सभा का काम ठाम था और उसके बहुत कारगर होने के कारण आखिर 1932 में, सरकार ने उस सरकारवादी करार दे दिया।

1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में कार्यसमिति ने ब्रिटेन के प्रति भारत का आर्थिक दमदारी की जाच के लिए कमटी नियुक्त करने का कहा गया था। उनमें अनुसार भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक कारवाइयें तथा भारत के तथाकथित सरकारी ऋण की जाच पड़ताल कर यह बताने के लिए निम्नलिखित मध्य रूप में भारत को कितनी देनदारी माननी चाहिए, कमटी बनाई गई इसमें डी० एन० बहादुरजी के० टी० शाह और जे० सी० कुमारप्पा के साथ भूतमाई भी रखे गए। 1931 में कार्यसमिति ने उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की। जाच के फलस्वरूप कमटी इस परिणाम पर पहुंची थी कि भारत के ऊपर जा सरकारवादी ऋण है वह केवल देश की भलाई के लिए नहीं लिया गया। इसलिए उसका सात भार अकेले भारत पर ही नहीं पड़ना चाहिए। कमटी ने कहा

भारत में ईस्ट इण्डिया कंपनी ने जब से राजनीतिक सत्ता प्राप्त की तब ग्रेट ब्रिटेन उससे बराबर अपनी संपत्ति प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है। इसके विपरीत जब तक खुद भारत का सवाल है उसके उद्योग धंधे या तो नष्ट हो गए हैं या नष्ट कर दिए गए हैं और भारत ब्रिटेन में बन या उत्पादित माल का बाजार मात्र रह गया है। भारत का अंगरेजों के लिए सभी तरह की फौजी और गरफौजा चौकरी का भी व्यापक क्षेत्र बनाया गया है, जिनको मिलने वाला तनखवाही और पेंशनों के ही अगर हिसाब लगाए तो उसका योग भी विपुल सध्या में होगा यही तथ्य

# हांगेस में प्रवेग और कारावास

स बात के लिए काफी होने चाहिए कि किसी भी नरक और पापपूर्ण दृष्टिकान  
भारत के नाम पढे हुए इस सरकारी कृण का भार भारत क कर्षों म हटाकर  
ब्रिटेन के ऊपर डाला जाना चाहिए । भारत म रगी जान वाल, उना के लिए  
प्रह नही कहा जा सकता कि खाली उमी की रखा के लिए वह रगी जा रही है ।

वह तो बहुत कुछ यहा ब्रिटेन का कब्जा बनाए रखने के लिए ही है और यदि केलि-  
सबरी की भाषा म कह तो ब्रिटेन की साम्राज्यवादी स्याइयो क गि बाय क  
देशा म लठने के लिए ही उमे यहा रखा गया है । ऐसी दृष्टि में कल हन न

सुझाए तो गलत नही होगा कि जिम भारत का नापारण मनिन धरन बना  
है उसका आशिक भार ब्रिटेन को बर्दाश्त करना चाहिए और भारत की रक्षा  
का उतना अश कम करना चाहिए ।

उन उयल पुयल वाल राजनीतिक घटनाओं क बीच में नूयानर्द क उ  
जाने की भी वारी आ गइ । भूलाभाई क पुत्र धीरान्द न कल क न बगिर्द, पाग  
कर ली थी । 1932 क आरम्भ म घटमदावा के एन मुन्दिर सिंग की कदा म  
उनका विवाह भी हो गया और कुछ महीन मारा पन्धिरा करण क । एय बाय  
भूलाभाइ कांग्रेस का प्रवृत्तिया म सक्रिय भाग लन गइ । 25 नूयर्द 1932 का बवद  
वह गिरफ्तार कर लिए गए । गिरफ्तारी पर दण्ड क नूयर्द न 'आदिनेग क

तहत भूलाभाई की गिरफ्तारी शीघ्र क उमक मनवार क । 27 धरन पर  
पर ही स्पशल पावस आडिनेम क मानहन गित्ता दिना 25 का नूयर्द क लिटा  
कमिशनर स्वय उह गिरफ्तार करन बाण । दण्ड क नूयर्द क नूयर्द क लिटा  
फिर पुलिस कमिशनर के दफतर म क जाल क दण्ड क नूयर्द क लिटा  
वाद बवई की जल म उह नामिन का उल म नूयर्द क लिटा । यही क दण्ड

रहे । उनकी गिरफ्तारी पर बम्बई क नूयर्द क लिटा, दण्ड क नूयर्द क लिटा  
बद हा गए थ । कानूनी तथा दण्ड क नूयर्द क लिटा उमन कम गामनी नही  
दा की ।

बाद में उह एक मा क द की उमन की मन्ना की गई । इस वार में क  
है नही कि उनकी गिरफ्तारी स्वय, दण्ड की उमन प्रवृत्तिया के कारण  
नूयर्द क लिटा

और उन्हें कद भी उमी के कारण हुई। या भी वह उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें साल की शुरुआत में ही सरकार ने कांग्रेस के विषय में अपना रुत स्पष्ट करने के लिए कहा था। यही नहीं, जुलाई 1932 में गिरफ्तार होने के कुछ समय पहले ही उन पर पुलिस की निगरानी थी।

भूलाभाई की गिरफ्तारी पर उनके अनेक मित्रों को यह चिंता हुई कि भारत के जीवन के अल्पकाल होने के कारण एक साल का जेल जीवन वह कस बिता सकेगा। इसमें शक नहीं कि जेल में उन्हें 'ए' क्लास मिला और उमी हिसाब से उनके विशेष विशेष व्यवहार भी किया गया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनकी इजाजतानुसार उनके खाने की विशेष व्यवस्था की गई। अपना खाना बाहर से भण्डारी की विशेष अनुमति मिल जाने पर जेल से बाहर उंहाने इसके लिए एक बगल किराए पर लिया और खाना बनाने के लिए रसाइया रखा, वही से उनका खाना जेल में आता था। उनके पुत्र पुत्रवधू और मित्रों की अनुमति लेकर समय-समय उनसे मिलते रहने की भी पूरी सुविधा थी। मगर इन विशेष सुविधाओं के बावजूद उस समय जेल के कुछ नियम ऐसे थे जो अत्यंत कठोर की तरह 'ए' क्लास वालों पर भी लागू होते थे। जल के तत्कालीन सुपरिण्टेण्डेंट मेजर जनरल भण्डारी के ही अनुसार उस समय प्रचलित एक नियम ऐसा था जिसके अनुसार सभी कैदियों को, फिर वे किसी भी दर्जे के क्यों न हों रात के बक्त उनकी कोठरी में पखान पेशाब के लिए मट्टी का एक बतन रखकर उंहताले में बद कर दिया जाता था। 'ए' क्लास वाले सत्याग्रहियों को स्वभावतः यह अच्छा नहीं लगा और इसका विरोध करते हुए उंहोंने कहा कि स्वेच्छा से गिरफ्तार होने वाले ता' भागन का मौका मिलने पर भी नहीं भागेंगे।

भूलाभाई के जेल-जीवन का जहां तक सम्बन्ध है, नासिक जेल के तत्कालीन सुपरिण्टेण्डेंट मेजर जनरल भण्डारी के अनुसार वह 'और लागे से बहुत भिन्न थे प्रायना और गीता पाठ से उंहका दिन आरंभ होता था। इसके बाद वह बानून सम्बन्धी ही नहीं, बल्कि विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने रहते और उनके नोट भी लते। जेल में उंहान इतना कितायें पढ़ी कि रिहाई के बक्त तक इन्होंने अच्छे

खासे पुस्तकालय का रूप ले लिया था। इसके अलावा जेल में किसी भी स्थिति में वह कभी उत्तेजित नहीं हुए।”

फिर भी यह जिज्ञासा बना रहती है कि भूलाभाइ पर, जा जामती पर रोज दस दस घण्टे या उससे भी अधिक काम करते थे जेल के एकांत और निर्धन्य जीवन का क्या असर पड़ा? सौभाग्यवश घर वाला का जेल से लिखे उनका कुछ पत्र मौजूद हैं जिनसे इस जिज्ञाना के समाधान में सहायता मिल सकती है। पुत्र और पुत्रवधू से दूर होकर वह लम्बा पत्र लिखने की उनकी आदत थी, जिसके कारण जेल में ही नहीं उसके बाद भी उन्होंने यही सिलसिला रखा। अक्सर दोना का वह इकट्ठे ही पत्र लिखते थे।

गिरफ्तारी और सजा के कोई बीस दिन बाद ही 17 अगस्त 1932 को लिखा हुआ उनका पत्र बहुत लम्बा है। उससे जेल की उनकी मनान्शा का पता चलता है। “अपनी गिरफ्तारी के बाद से मेरे मन में तरह तरह के विचार आए हैं।” यह बताते हुए उन्होंने लिखा “पहले सप्ताह मेरे दिमाग पर बहुत बोझ पड़ा और अपने प्रति सहानुभूति रखने वाले किसी के सामने होने की मेरी हिम्मत नहीं होनी थी, क्योंकि उससे मुझे यह ख्याल जाता था कि जिस तरह अचानक मैं शेष दुनिया से अलग कर दिया गया और यहाँ भेजा गया जहाँ ताना-चार सजायापना कदिया और एक सिपाही के सिवा कभी बर्दास ही कोई भिन्न नजर जाता है।”

इसके बाद कारावास के अंत का यह प्रभाव का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि लामा की प्रशंसा का बिना ही महत्व क्या न था और उससे आत्मगौरव का भान भी क्या होता हो फिर भी जेल के बंधनयुक्त एकांत जीवन का पिताने के लिए वह काफी नहीं है। यही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सपना में योगदान का आत्मसन्तोष भी उसमें बहुत सहायक नहीं होता। अनेक वर्ष पूर्व धेकरे की ‘एसमाण्ड’ पुस्तक में जसा पढ़ा था, दुनिया के लिए ऐसी घटनाएँ नगण्य हैं और दुनिया के सब काम तो पहले की तरह ही चलते रहते हैं। रोज का वही क्रम बढ़ी बढ़ी दीवारों से घिरे मूलेपन में रहना, लोहे के छद्मों के अन्दर ताले में बंद रहते हुए भी चौकीदारों का बराबर निगरानी रखना और शांत रहना—ये सब ऐसी अप्रिय बातें हैं जिनका



मुकाबला किसी कारगर सिद्धांत से ही किया जा सकता है वह कारा सिद्धांत आखिर क्या है, जिससे यह स्थिति काबिले बर्दाश्त हो और ईश्वर की अनुकंपा से अंत में शायद उपयोगी भी ठहरे ? मैं उसकी तलाश में हूँ। लेकिन अभी तो मैं महात्मा जी से ही निष्ठा उधार ले रहा हूँ, जिन्होंने हमारा स्वतंत्रता पर जोर दिया है और हमसे से कम से कम कुछ के मन पर तो यह बिना ही दिया है कि वह जिस तरह भी प्राप्न हो और उससे भौतिक सुख समृद्धि का बंट हो या नहीं पर स्वयं उसका अपना ही बड़ा महत्व है।

स्वतंत्रता की अनुभूति को उताना ऐसा बहुमूल्य बताया जिसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इसके नाम पर और इसकी रक्षा के लिए दुनिया में घर्षणित लोगो ने अपनी जानें दी हैं और अकथनीय कष्ट उठाए हैं। महात्मा जी ने राष्ट्र से त्याग और बलिदान की जो मांग की है उसका इससे बड़ा उपयोग क्या हो सकता है कि भारतवासी जान लें कि स्वतंत्रता ऐसा मूल अधिकार है जिसकी प्राप्ति के लिए कोई भी कीमत या बलिदान ज्यादा नहीं है। इसका हमें भ्रान होना ही चाहिए कि इस समय तो स्वतंत्रता क्या, उसके दिखावे से भी हम वंचित हैं पश्चिम के लोगों ने हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली है। इसके विरुद्ध हमें सग्राम करना ही चाहिए और उस सग्राम को, स्वतंत्रता की लड़ाई को, न केवल व्यापक बनाना चाहिए बल्कि जब तक लक्ष्य सिद्ध न हो तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी बराबर जारी रखने की कोशिश करनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में उनकी यह चेतावनी उनके राष्ट्रवाद का उग्र पर अनुभवपूर्ण रूप व्यक्त करती है — ' हुकूमत करने वाली जाति शासित जाति को स्वतंत्रता का उपहार कभी नहीं देती, इसलिए उससे स्वतंत्रता के लिए प्रायना करने का कोई लाभ न होगा। सवधानिक आन्दोलन या ऐसे ही दूसरे तरीकों का जिनके नाम पर देशभक्ति का ढोंग करने वाले अपने को और दूसरों को धोखा देते हैं कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्रता की मांग के लिए सर्वनय अवज्ञा के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकार के बनाए प्रत्येक कानून के आगे हम सिर झुकाने रहें तो हम गुलाम बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार कानून बनाने में वह कभी बसर नहीं रखेगी और हम हमेशा गुनाम ही बने रहेंगे। अतएव अत्याय कानून का हम विरोध करना ही

चाहिए नहीं तो अत्याय के विरुद्ध—या दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता के लिए—लड़ाई कभी शुरू हो ही नहीं सकती। इसीलिए सविनय अवज्ञा प्रत्येक स्वतंत्रता प्रेमी का जन्मसिद्ध अधिकार है और होना चाहिए।'

पत्र के अंत में उन्होंने कहा "मुझे लगता है कि एक सदी से अधिक समय के बाद स्वतंत्रता की दशा में हम सोचने लगे हैं और हमारी दास मनोवृत्ति बदलने लगी है, लेकिन निजी और वगैरह स्वार्थ (जो दासता के अनिवार्य दोष हैं) तेजी से इस दिशा में बढ़ने में अभी भी कुछ बाधाएं डालने हैं। पराधीन लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना आने में कुछ समय लगता ही है। लोग कहते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?' और निष्क्रिय बनकर परतंत्रता में पड़े रहते हैं। अतः सबसे पहली आवश्यकता यही है कि लोगों को भान हो, हम स्वतंत्र होना चाहिए, कभी न कभी इसके लिए प्रयत्न शुरू करना ही होगा, उस प्रयत्न या स्वतंत्रता के सघर्ष में हम अनगिनत कष्ट उठाने पड़ेंगे, स्वतंत्रता पा लेने पर भी कठिनाइयों का अंत नहीं होगा बल्कि अनेक जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिर भी स्वतंत्रता का महत्व है, और उसके लिए जो भी कष्ट उठाए जाएं, अधिक नहीं। वह आवश्यक है और उसके लिए हमें सघर्ष करना ही चाहिए।'

उन्होंने "प्राणा की भगवान की कृपा से, सघर्ष करते हुए, भारत स्वतंत्र होकर रहेगा, और यह विचार ही वह कारगर सिद्धांत होगा जिसके सहारे मैं जेल जावन की नीरसता को न केवल बर्दाश्त करूंगा बल्कि उसका लाभ भी उठाऊंगा।"

गांधीजी के नेतृत्व में काम करने से लिबरल (नरम दली) विचारधारा के बजाय सविनय अवज्ञा की क्षमता के वह कायल हो गए थे। उसके कारण कष्टपूर्ण और एकाकी जीवन के लिए तैयार होकर उनका मन उसका औचित्य जानने के लिए आतुर था। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस विश्वास में उन्होंने उसे पा लिया कि उनका जर्मनी ही विदेशी सत्ता के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए हुआ है—ऐसी स्वतंत्रता जिसके बिना मानव अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं है।

एक महीने बाद स्वभावतः अपने पुत्र की ओर उनका ध्यान गया जिसने नरकाल का घंटा अभी शुरू ही किया था। 8 सितम्बर 1932 को उन्होंने उसे लिखा

“जसा मैंने अपने पहले पत्र में (जो तुम्हारे पास पहुँचा ही नहीं) लिखा था, बुराई में भी नलाई छिपी रहती है। अतः तुम जो अकेले पढ़ गए हो उसमें भा यह भलाई है कि इससे तुम आत्मनिभर बानगे, तुम्हारा अन्दर आत्मविश्वास जागेगा, निपार ले की शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारा मस्तिष्क व्यापक और ठास बनेगा। दूसरे क दृष्टिकर को समझने की प्रवृत्ति भी तुम्हें अपने में डालनी चाहिए। उससे दुहरा लाभ होगा— यकालत के घड़े में इससे इस बात का सही अंदाज करन में मदद मिलती है कि कनु व्यक्ति अमुक परिस्थिति में किस तरह सावेगा और क्या करेगा, दूसरी आर व्यक्ति जीवन में इससे कट्टरता कम होती है और अपनी ही बात पर अड़े रहन क बरप दूसरे की बात को भी समझने की वृत्ति बनती है। भगवान की दया से तुम्हारा सफलता में मुझे कोई शक नहीं है।”

गुजराती नववर्ष के दिन, जब कि परिवार में बड़े लोग छोटे का मर कामना करते और उन्हें अपने आशीर्वाद देने हैं पुत्र जीर पुत्रवधू को उहोंने एक लम्बा पत्र लिखा। इसमें उहोंने अपने भावी मसुवे बताए और मातृभूमि का सेवा क लिए दरिद्रनारायण की सेवा का सक्त्व प्रदर्शित किया। ‘जानवूचकर मैंने किमा का कोई अहित कभी नहीं किया है और ईश्वर ने चाहा ता अपने शेष जीवन की उपयोग में सक्रिय सेवा में ही करना चाहता हू। भविष्य में मैं निस्सदेह गरीब, अशिक्षित, पददलित, पीड़ित और दुखी लोगों के बीच, उनकी दशा सुधारने का काम करूंगा। उनके दुख दूर करने के लिए किए गए थोड़े काम का भी बड़ा महत्व है।

‘दुनिया में सबत्र और हमारे देश में खास तौर पर लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि उह रहने को अच्छी जगह, तन ढकने को पर्याप्त कपड़ा, विश्राम के लिए जबर और आत्मसुधार की सहूलियत हो। यह उनकी रोजमर्रा की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति पर ही मानव की तरह वे सामान्य जीवन यापन कर सकते हैं। पर्याप्त रूप में सामान्य रूप से पौष्टिक आहार उपयुक्त निवास अच्छे कपड़, उचित विश्राम, मातृभाषा का ज्ञान पण्डे पुजारियों और धार्मिक विधि विधान के चक्कर में मुक्त रहते हुए भी इश्वर में पूण विश्वास— इस तरह का आस्तिक, माफ

सुकरा जीयत हम लोगों का हो जाए तो हमारे देश की हालत ही बदल जाए। हिन्दू धर्म तथा भारतीय परंपराओं से भी हमारे देशवासी कितने दूर होते जा रहे हैं। उन्हें उनके दायित्व का बोध कराना कठिन नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस ओर प्रयत्न ही नहीं हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो, जेल में बाहर आन पर योजना बनाकर इस दिशा में सगठित कार्य करने का मरा विचार है।”

अतः मैं कहता हूँ ‘राष्ट्रीयता देशभक्ति स्वतंत्रता, सच्चे आतुत्व और वास्तविक समानता की भावना लोगों में लाने के लिए (देश की सभी भाषाओं के माध्यम से) देशभर में नियमित और सतत प्रचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ व्यापक राष्ट्रीय सिद्धांतों के आधार पर सगठनों का सभी प्रांतों में जाल बिछा देना चाहिए, जिससे कोई भी विचार तत्काल और बिना किसी प्रत्यक्ष प्रयत्न के सब जगह पहुंच जाए। प्रांतीय स्वराज्य या स्वायत्तता के रूप में हम क्या मिलेगा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह सच्ची और वास्तविक हो तो उसके जरिए सरकारी तंत्र का उपयोग कर किसान मजदूरों की रोजमर्रा की जिदगी में बहुत जल्द सुधार किया जा सकता है। इस तरह देश सेवा की, जो हमारे यहां परीब और उपेक्षितों यानी दरिद्रनारायण की सेवा का ही पर्यायवाची है, पूरी बोधिता करूंगा।

उनका मस्तिष्क इस प्रकार अब देशवासियों को पण्डे पुजारियों, धार्मिक विधि विधान, जातिप्रथा तथा अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त कर उनका जीवन स्तर ऊंचा करने के व्यापक प्रश्न के समाधान में लग गया था। स्वतंत्रता का, उनके विचार में, बहुसंख्यक देशवासियों के लिए तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि उनके रहन सहन में सुधार न हो और वे सम्यक् मानव जीवन न बिताने लें, जिसमें जीवन की अच्छी चीजों का वे उपभोग करें और उससे अधिक की भी आशा करें।

नववय की शुभ कामनाओं का उनका ढंग भी उत्कृष्टनीय है, जो उस पत्र में इस तरह व्यक्त हुआ। “मेरे प्यारे बच्चा, तुम्हारे साथ, जब तक ईश्वर का अनुग्रह रहे सुख से जीने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि

सुम जीवन भर मुझे सहारा ही नहीं दोगे बल्कि अपनी सद्भावना, सहिष्णुता सहानुभूति, बुद्धिमत्ता और इस सबसे बढ़कर अपने प्रेम से मेरे जीवन को सृष्टि सुखी और वैदीप्यमान बनाओगे । विनम्र होने पर भी मुझे तुम्हारे ऊपर पर है और बड़े सुखी हृदय से मैं भगवान से नववर्ष पर तुम्हारे लिए सुम कामना करता हूँ ।”

नवबर में जेल से लिखे उनके पत्रों में ऐसी कुछ पुस्तकों का उल्लेख भी है जिन्हें वह पढ़ रहे थे ।

वह लिखते हैं “यह बात मैं फिर कहना चाहता हूँ कि बहुत और अपाय पढ़ने के बजाय जो पढ़ो उसकी बिल्कुल सही जानकारी ग्रहण करने पर ज्यादा ध्यान दो । तथ्यों का विश्लेषण करके आवश्यक-अनावश्यक के भेद को जान लेने का अभ्यास करो, जिससे निजी, सावजनिक और वकालत के मामलों में ठीक वक्त पर ठीक मुँह उठा सको ।”

19 दिसंबर 1932 को लिखे पत्र में वह फिर कागानार में बिताए वक्त में जिक्र करते हैं “इस माल की समाप्ति के साथ मुझे घर छोड़े पांच महीने जाएंगे । मुझे यह मानना ही पड़ेगा कि समय इतनी जल्दी बीता है जितनी तब की आशा मैंने नहीं की थी । जितनी जल्दी पांच महीने निकल गए उससे लगता कि सजा की शेष अवधि को भी इसी तरह जल्दी काट लूंगा । लेकिन इसकी चिन्ता में मैं क्यों पड़ूँ ? इस समय तो मेरा प्रयत्न यही होना चाहिए कि अपना स्वास्थ्य बनाए रखूँ और समय का पूरा सदुपयोग करूँ । एक महीने या उससे ऊपर तक पढ़ रहे के बाद जो कुछ पड़ा उसकी प्रतिक्रिया अंकित करने और उसमें से जो देश लाभ का हो उसे बताने की इच्छा होगी ।”

वस्तुतः उनका ध्यान देश की विविध समस्याओं पर था, जसा आगे उल्लेख लिखा । भविष्य के बाय के संवर्ष में अभी मैं बिल्कुल अनिश्चित हूँ । देश की स्थिति काफी बदल गई है और नए शासन सुधारों की जा विविध प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है उससे स्थिति अनिश्चित है । इससे राष्ट्रहित में मुझे तीर पर सजि काय करने में स्वाद पढ़ने की सभावना है । अतन्तीभत्वा हमार काम लोगी

राजनीतिक चेतना पैदा करना है और किसानों के मन से जड़ता और भय को निकालना है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीयता और विश्वबधुत्व के बजाय राष्ट्रीय भावना पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देशप्रेम की बात ज्यादा असर करती है। अपनी राष्ट्रीय सरकार होने पर हमें न केवल विदेशी शासकों के अपमानपूर्ण व्यवहार से मुक्ति मिलेगी बल्कि हमारी भौतिक उन्नति भी हागी और दशा सुधरेगी। यह बताया जाए तो उसका तत्काल असर होगा। वर्तमान शासन के विरुद्ध स्वाभिमान अभी भी हमारे अंदर पूरी तरह जागृत नहीं हुआ है। इस सबके लिए योजना बनाना कठिन नहीं है। आशा है कि गांवों में जाकर काम करने वाले काफी कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र की प्रगति पर ही ध्यान दें। लोकतंत्र में जनता शिक्षित की जाएगी ताकि वह स्वयं विचार कर सके, फिर भी नेताओं को विभिन्न विषयों में पारंगत होना पड़ेगा और जनता का नेतृत्व करना होगा। जनता को गरीबी और गुलामी से छुटकारा मिले यह उनका उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही जनता को भी परलोक की चिंता में वक्त न खराब करके सही सोचने व ईमानदारी का और परिश्रमपूर्ण जीवन बिताने पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू समाज भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए विविध धार्मिक कथाओं में भगवत् खपान के बजाए भ्रातृत्व के आधार पर एक हो, यही इसका एकमात्र उपाय है।”

हरिजन लड़के लड़कियों की शिक्षा में सहायता करने और घर के काम काज में ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को नौकर रखने की सलाह देते हुए, फिर यही बात कही ‘अभी तो मैं वर्तमान परिस्थिति पर ही ध्यान दे रहा हूँ, भविष्य के काम का जहाँ तक सबंध है, सदेह और कठिनाई से मुक्त होकर किसी निष्पक्ष पर पहुँचने में समय नहीं हुआ है। लेकिन सेवा की इच्छा होने पर काम अपने आप सामने आ जाएगा। रिहाई के बाद (जब भी वह हो) अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा, जसा ईश्वर की कृपा से इस समय है, तो राष्ट्र की कुछ न कुछ सेवा करने की आशा रखता ही हूँ।”

जनवरी और फरवरी (1933) में हम फिर उह जेल में की गई पढ़ाई का

उल्लेख करते पाते हैं। 20 जायगी के पत्र में उन्होंने पुत्रवधु को लिखा अभी मैंने हाल्डेन को आरगया पूरी की है। पुस्तक पठनीय और मनने योग्य है। ओर बातों में उगम गये कुछ दृष्टिकोण को बड़े स्पष्ट और निश्चित रूप में उल्लेख किया गया है। मैं व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वयं में विश्वास करता हूँ, पर मैं यह मानता हूँ कि जहाँ तक पक्ष का संबंध है उन पर अवसर ऐसी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है जिनकी हम पहले से कल्पना नहीं कर सकते, न उन्हें रोकना नियंत्रित ही कर पाते हैं। हाल्डेन इसे मानव जीवन में विद्यमान 'अनिश्चितता या अदृष्ट' बताते हैं। पुस्तक के अंत में उद्घाटन कहा है, अच्छे से अच्छे व्यवस्थित जीवन में भी अनिश्चितता का बड़ा हाथ है, इसलिए दानवास्त्र से हम उनका परिणामस्वरूप होने वाले मुक्त दुःख में अनासक्त रहने की शिक्षा लेनी चाहिए। मनुष्य तो यही आशा रख सकता है कि खूब सोच विचारकर लिए व्यवस्थित काम का परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन विपरीत परिस्थिति, बीमारी, दुर्भाग्य या मृत्यु से सब सोचा विचार व्यर्थ हो जाता है। फिर भी अगर हम सोच विचारकर काम करें, तो यह भावना तो रहेगी ही कि हमने अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से उसे किया है और निश्चित परिणाम न निकलने पर भी सातवना, के लिए यही बात कम नहीं होगी।' जीवन के बारे में मेरा जो दृष्टिकोण है उसकी इससे अच्छी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। और इससे जब तक मैं जीवित रहूँ, मुझे सतोष और सुख मिलेगा।'

15 फरवरी के पत्र में उन्होंने 'टावस विद मुसालिनी का जिक्र किया, जिसे 'बाफी अच्छी' बताते हुए कहा लेकिन और मुसालिनी के विद्वानों में विपरीतता होते हुए भी उद्देश्य पूर्ति के साधन दोनों के एक ही हैं—दोनों ने ही जो कुछ किया वह सब अपने अपने देश और दशवासिया के नाम पर और उनके हित में किया। दातों के दशवासिया न उनकी बातों को माना और उन्हें सहयोग नहीं दिया।'

आठ महीने के जेल जीवन ने उन्हें उसका चम्पस्त बना दिया था जसा कि 22 मार्च (1933) के उनके पत्र से स्पष्ट है "आठ महीने ही गए और, जसा

काप्रेस में प्रवेश और कारावास

in the year '21-22)

स्वाभाविक था, मैं अब जेल-जीवन का अभ्यस्त बन गया हूँ। कभी कभी तो मैं अपने को सब चिन्ताओं से बिल्कुल मुक्त अनुभव करता हूँ। मैं नहीं समझता कि बाहर रहते हुए राजमर्दा के कामवाज और उसस पदा हुई ममम्याआ में जो व्यस्त रहना पड़ता था वहाँ उसका अभाव होने में यह स्थिति है या भरी मन स्थिति में परिवर्तन हुआ है जिसका मैं स्वागत करता हूँ।"

22 अप्रैल (1933) के उनके पत्र में फिर अपनी पढ़ी किताबों का जिक्र है। 'माई टू याउजेण्ट ईयस के रचियता विरके द्वारा लिखित 'ग्लिम्पसज आव दि प्रेट' की प्रशंसा करते हुए लिखा, 'हां सके तो अपने पुस्तकालय के लिए इसे मंगा लो। इसमें यूरोप के विशिष्ट व्यक्तियों का बड़ा अच्छा चित्रण है। मसलन जमनी व काइसर विलियम से उसने पूछा कि उसको किस चीज से शक्ति मिलती है। उत्तर में काइसर ने कहा कि कृतव्य भावना और विनोदप्रियता। वास्तव में विनोदप्रियता-अपन और दूसरे पर हस सकने की क्षमता आदमी को जीवन के कटु अनुभवों को हसकर भूल जाने की शक्ति देती है। इससे दिमाग का तनाव कम हो जाता है और सही ढंग से सोचने में आसानी होती है। जीवन की कटुता विनोद में घुल जाती है।

भूलाभाई जेल में ही थे कि 23 अप्रैल 1933 का एक सरकारी नोटिस उन पर तामील हुआ जिसमें उनसे यह बताने को कहा गया कि देसाईगिरी के लिए उनके परिवार को बलसाड के सरकारी एजाने से मिलने वाले नकदी 20 रुपये वार्षिक भत्ते में उनका कितना हिस्सा है और उसे उनकी सरकार विराधी हलचलों के कारण क्या न जप्त कर लिया जाए? साथ में यह भी सूचना थी कि पन्द्रह दिन में कोई जवाब न मिलने पर समझा जाएगा कि इसकी कोई सफाई नहीं है और रकम जप्त करने की कारवाई की जाएगी। स्पष्ट ही उन्होंने या उनके परिवार में किसी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और भत्ते की रकम जप्त होन दी। उल्लेखनीय बात यह है कि उस समय की विदेशी सरकार कितनी सजग थी कि एक बिद्रोही के 20 रुपये वार्षिक भत्ते के हिस्से को जप्त करने में भी असावधानी नहीं की गई।

त्रेठ में दात का दद बढ़कर फोडा हो जाने से भूलाभाई बहुत बीमार हो गए



थे। बीमारी के कारण ही सजा की पूरी भीमाद पूरी करने में कुछ दिन पहले ही, 4 जुलाई 1933 को उह गतिव जेल में छुड़ा दिया गया। बीमारी के कारण वह छह मन्नाह अस्पताल में रहे, जहाँ आपरेण करने उनकी दंत-पीडा दूर का पड़ा। 4 जुलाई के 'साम्ब प्रातिपल' में अपने समाचार में बताया कि 'विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन पर जब वह रजगादी से उतर तो घटे समझार मालूम पड़ते थे और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। जबड़े में लग प्लास्टर को इंगित कर उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन में आराम करना चाहता हूँ।

6 जुलाई का उह गांधीजी का यह तार मिला "अभी मालूम हुआ कि आप छूट गए और बहुत बीमार हैं, श्रम्य तार द्वारा अपना पूरा हाल भेजिए। बीमारा जल्द अच्छी होगी, एमी आशा है।" इसके बाद उसी दिन उन्हें यह दूसरा तार भी मिला 'सबरे गतिव' तार भेजा था। आने लायक हालत हा तो यहाँ चले आइए। तार से अपनी हालत की सूचना दें।"

भूलाभाई जेल में थे, उस बीच अोक राजनीतिक घटनाएँ हा चुकी थीं। 17 अगस्त 1933 को प्रधानमंत्री रमजे मक्डानल्ड अपने साम्रदायिक नियम का घोषणा कर चुके थे। उसमें मुसलमानों अग्रजों और सिखों का पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। लेकिन गांधीजी की दृष्टि में उसकी सबसे आपत्तिजनक बात दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी जिनमें केवल दलित वर्ग के मतदाता ही मत दें। साथ ही ऐग विषय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को सामान्य या आम निर्वाचन क्षेत्रों में भी मत देने का अधिकार दिया गया। यह जरूर है कि इस नियम के साथ मक्डानल्ड ने ऐस विकल्प को स्वीकार कर लेने की रणामदी भी जाहिर की जो हिंदू और दलितवर्ग मिलकर आपसी बातचीत से तैयार करें।

18 अगस्त को गांधीजी ने मक्डानल्ड को पत्र लिखकर बताया कि इस नियम के विरुद्ध 20 सितम्बर के दोपहर से वह आमरण उपवास शुरू करेंगे जिसे इस योजना में सशोधन कर समुन्नत निर्वाचन पद्धति कायम करने पर छोड़ा जा सकता है।

गांधीजी के सभावित उपवास की खबर से सारे देश में चिन्ता और सनसनी फल गई। इस गंभीर निणय से उन्हें रोक्न की कोशिश हुई, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। 20 सितम्बर को जब उपवास शुरू हुआ तो सारा देश हिल उठा। स्वयं इंग्लैंड में भी कुछ प्रभावशाली व्यक्तिगणों ने अपने देशवासियों के नाम अपील प्रवाहित कर उनसे देश भर में गांधीजी के लिए विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन करने के लिए कहा। हमारे देश में तो उपवास शुरू करने का दिन सबत्र उपवास और प्रार्थना द्वारा मनाया ही गया।

लम्बे विचार विनिमय के बाद आखिर उपवास के पाचवें दिन दलित वर्ग के नेता अम्बेडकर और मालवीय जी तथा अन्य लोगो का बीच, जिन्होंने इस काम के लिए नेता सम्मेलन का आयोजन किया था, एक समझौता हुआ। सक्षेप में इसमें दलितवर्ग को समुक्न निर्वाचन के माथ मैक्डानल्ड के निणय में नियत सख्या में अधिक सुरक्षित स्थान कुछ शर्तों पर देने का निश्चय हुआ। इन शर्तों के अनुसार प्रत्येक सुरक्षित स्थान के लिए यह व्यवस्था की गई कि प्राथमिक रूप से केवल दलितवर्गीय मतदाना ही कुछ उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इस समझौते को पूना पैक्ट (या यरवडा समझौता, क्योंकि यह गांधीजी के यरवडा जेल में रहते किया गया था) कहा जाता है और सभी पक्षा ने इसे स्वीकार किया। इसलिए सरकारा वैधानिक योजना में इसके अनुसार संशोधन किया गया। इस तरह उन लोगो का प्रयत्न सफल हुआ जिनका तात्कालिक उद्देश्य गांधीजी की प्राण-रक्षा के लिए उनका उपवास समाप्त कराना था।

लोगों के मन में यह प्रश्न फिर भी बना ही रहा कि ऐतिहासिक कहा जान वाला यह उपवास जिस उद्देश्य से किया गया उसके लिए इसका किया जाना क्या आवश्यक था और उसके फलस्वरूप जो निणय हुआ उसे क्या सतोषजनक कहा जा सकता है? इस संवध में जवाहरलाल नेहरू की राय बहुत दिलचस्प है "राजनीतिक प्रश्न को धार्मिक और भावुक रूप में लेने, साथ ही उसका संवध में बार-बार भगवान की दुहाई देने पर मुझे सहज ही उन पर गुस्ता आया। पर उनका तो यहां तक कहना है कि उपवास का दिन भी भगवान ने ही तय कर दिया था। यह कसा

गतरनाय उदाहरण है!" गांधीजी के अथ अनेक अनुयायियों के भी ऐसे ही विचार थे और सविनय अथवा आन्दोलन पर ता इसका विलुप्त विनाशक ही प्रभाव पडा।

मगर, आन्दोलन फिर भी जारी रहा। 26 जनवरी (1931) का स्वाधानता दिवस दशभर में सयत्र बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इन मिलमिले में निष घाना के होत हुए भी कांग्रेस के जो जलूम निकले उन्हें भग करन के लिए बड़े जगद पुलिस ने लोग पर गोलिया चलाई। 7 फरवरी 1933 को बस्तूरवा को गिरफ्तार कर छट महीन की बंद की सजा दे दी गई। लेकिन सबसे प्रमुख घटना तो निषेधात के धावजूद कांग्रेस का अधिवेशन करन की हुई। यह 31 मार्च 1933 को बलकत्ता में हुआ। "उमये लिए दश क विभिन्न भागा से 2,000 से अधिक प्रतिनिधि बुं गए थे, जिनमें स कोई एक हजार के बरीय तो बलकत्ता को रवाना होने के गहं या रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिए गए।" प० मदनमोहन मालवीय उसका अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें और जवाहरलाल नेहरू की माता स्वरूपरानी को, जिन्होंने उसमें शामिल होने का निश्चय किया था, अनेक अथ नताओं के साम रास्त में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इतने पर भी, निषेधाता के धावजूद, अधिवेशन के लिए चुने गए स्थान पर एक हजार से अधिक प्रतिनिधि एकत्र हुए और अधिवेशन शुरू हो गया। इसी बीच पुलिस आ पहुंची और उसने कांग्रेसजनों पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के भारी लाठी प्रहार से धायल होते हुए भी घेरे के बीचोबीच जो प्रतिनिधि थे उन्होंने यतीन्द्रमोहन सेनगुप्त की पत्नी सनगुप्त का सभापति चुनकर अधिवेशन का काम जारी रखा। अधिवेशन में स्वीकृति प्रस्तावों में (1) पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की पुष्टि की गई, (2) सविनय अवज्ञा का समर्थन किया गया और (3) विदेशी कपड़े तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार जारी रखने की कता।"

इस कांग्रेस के अध्यक्ष के भाषण के इस भाग से उस समय दशभर में जारी दमनचक्र की शाकी मिलती है। 'अनुमान है कि पिछले प दह महानों में लगभग 1 20 000 व्यक्ति गिरफ्तार कर जेलों में ठूस लिए गए, जिनमें बड़े हजार स्त्रिया और काफी बड़ी तादाद में बच्चे भी हैं। यह तो सबविदित है कि सरकार ने दमनचक्र शुरू किया तब उसने यह भाशा की थी कि छह सप्ताह के अंदर ही कांग्रेस

को कुचलकर रख दिया जाएगा। लेकिन पद्मह महाना म भी सरकार ऐसा नहीं कर पाई है न पद्मह महीने और दमन से भी वह ऐसा कर पाएगी।

8 मई 1933 को गांधीजी न कि 21 दिन का उपवास करने की घोषणा की। इस बार वह आत्मशुद्धि और हरिजनकाय म (दलितवर्ग को जब हरिजन कहा जान लगा था) अधिक लगन के लिए था। इस पर, उपवास के उद्देश्य को दखत हुए, सरकार ने गांधीजी का जेल से छाड़ देने का फमला किया। रिहा हान ही, 8 मई का, गांधीजी ने एक वक्ताव्य दिया। इसमें और बातों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष से सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक या डेढ़ महान के लिए स्थगित कर देने की सिफारिश भी की गई।

सरकार से बातचीत शुरू करने के लिए ऐसा किया गया, तो स्पष्ट ही उसमें कोई सफलता नहीं मिली। सरकार ने अपनी स्थिति इस रूप में स्पष्ट की कि "कांग्रेस के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन बढ़ करने पर तर्जियाँ की रिहाई की बातचीत कर इन सरकारानुनी हलचलों के बारे में समझौता करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।" वाइसराय इस समय लाड इरविन नहीं लाड त्रिलिंगडन थे। सविनय अवज्ञा बढ़ किए बगैर कांग्रेस में बातचीत करने का कोई मकाल ही नहीं था। वाइसराय ने एक वक्ताव्य द्वारा इस बात को प्रमाणित किया कि लाड इरविन द्वारा किए गए (सरकारी दृष्टिकोण से) अपमानपूर्ण समझौते का वाद सरकार ने अपनी स्थिति सुधार ली है और वह पहल में वही सविनयगाली है। माधवराव श्रीदरि अपने ने, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, स्थिति पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाया। उसमें उग्र मतभेद सामने आए और मत में निश्चय हुआ कि गांधीजी वाइसराय से मिल कर सरकार के साथ किसी समझौते पर पहुँचने का वागिशा करें। लेकिन, जैसी कि सनावना थी वाइसराय ने गांधीजी से मिलने में इनकार कर दिया। इसमें कांग्रेस का काफी धक्का लगा। ऐसी परिस्थिति में सामूहिक सत्याग्रह स्थगित कर वयविक मर्यादों की ही छूट दी गई—वह भी सिफ उन चुन हुए लोगों को जो उसके योग्य हैं और स्वेच्छा से ऐसा करना चाहें। सामूहिक सत्याग्रह स्थगित होने से कांग्रेस की विविध कमेटियाँ और युद्ध परिषदों का काम भी ठप्प हो गया।

सामूहिक सत्याग्रह 8 मई 1933 को अचानक बद कर देने से घोर तो और, गांधीजी के अनेक अनुयायियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। बिठठलभाई पटेल और सुभाष बोस उस समय देश से बाहर थे। विदेश में ही एक वक्तव्य में उन्होंने इस निणय की निंदा की और कहा कि इससे न केवल कांग्रेस के काम को धक्का लगा है बल्कि कांग्रेस ने पिछले 13 सालों में स्वतंत्रता के लिए जो काम किया था वह भी चौपट हो गया है। बंबई के एक नेता नरीमन ने भी गांधीजी की कड़ी आलोचना की और कहा, गांधीजी की ऐसी हरकतों रोकने के लिए हमें स्व. मोतीलाल नेहरू जैसे दबंग और स्पष्टबक्ता आदमी की जरूरत है जो गांधीजी के सिर में सिर मिलाते के बजाय जो बात ठीक लगे उसे साफ कहते में जरा भी न हिचकें।

लेकिन गांधीजी के अनुयायियों ने गांधीजी की आलाचना न की। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू तक ने यही कहा कि उनके कामों को हम सामान्य मापदण्ड से या मामूली तक से नहीं जाच सकते।

अब हम भूलाभाई की रिहाई के बाद हुई राजनीतिक हलचलों पर ध्यान देंगे। गांधीजी सत्याग्रह आन्दोलन को बिना शर्त बंद करने के विरुद्ध थे। लंदन से लौट कर जयपुर ने खुलेआम यह कहा कि गालमेज काफ़ेस में जो आश्वासन दिया गया था कि यहाँ हुए समझौते के आधार पर भी संसद में शासन सुधार के प्रस्ताव रखे जाएं उनको सरकार ने तोड़ा है। यह कहा जाता है कि गांधी जी का विचार यह था कि इस सब में वह वाइसरॉय से मिलेंगे और उनसे बातचीत करने के बाद ही यह तय करेंगे कि सत्याग्रह आंदोलन बंद किया जाये या नहीं। यही नहीं बल्कि उनके दिमाग में यह बात भी थी कि कांग्रेस नेताओं की 12 जुलाई का हान वाली बैठक में सत्याग्रह बंद कराने का निश्चय किया गया तो वह कांग्रेस से अलग हो जाएँगे और आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे उसमें मुटठीभर आदमी ही उनके साथ क्या न हो।

सुभाष बोस उस समय विद्यना में थे वहाँ से उन्होंने लिखा कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधीजी असफल रहें हैं। सत्याग्रह आंदोलन इसलिए असफल रहा, क्योंकि जब वह अपने पूरे जोर पर था तभी राजनीति से उसे अस्पृश्यता निवारण का समाजिक उद्देश्य की तरफ मोड़ दिया गया। कांग्रेस की प्रवृत्ति को इस तरह

बदल देने का ऐसा परिणाम होना स्वभाविक ही था जो रणक्षेत्र में गए सैनिकों को अचानक युद्ध के वजय आबपाशी के लिए नहर खोदने के काम पर लगाने से होता। आंदोलन को बदलना आत्मसमर्पण के सिवा और कुछ नहीं है।”

हार्निमन का विचार था कि आंदोलन शिथिल पड़ गया है, इसलिए उसे बदकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए रचनात्मक कार्य करना चाहिए। उनके अनुसार आंदोलन बद करने का अर्थ उस सरकार से सहयोग करना नहीं जो एक हाथ मलाठी और दूसरे में विशेष अधिकार लिए रहती है। इतने पर भी यह मानना ही होगा कि आंदोलन ने लागा मउत्साह का ऐसा संचार किया था जैसा इससे पहले यमी नहीं हुआ। 11 जुलाई 1933 को खबर आई कि वाइसराय न गांधीजी से मिलने से इनकार कर दिया है और लिखा है कि कांग्रेस के सत्याग्रह (सविनय अवज्ञा) की नीति पर जमे रहते वह उनसे नहीं मिल सकते।

14 जुलाई (1933) को गांधीजी ने कांग्रेसी नेताओं के सम्मेलन में भाषण दिया। उन्होंने कई वक्तव्यों के इस बयान पर अफसोस जाहिर किया कि कार्यकर्ता लोग थक गए हैं और विश्राम चाहते हैं। इसके वजय, “वे यह कहते कि वे स्वयं थक गए हैं तो वह ज्यादा ठीक होता। कार्यकर्ता नहीं थके हैं। देश में भी थकावट नहीं है। देश तो आंदोलन को जारी रखने के लिए तयार है। सरकार हमसे पूरा आत्मसमर्पण चाहती है। लेकिन मैं तो मर मिटना पसंद करूंगा पर आत्मसमर्पण नहीं करूंगा।” फलस्वरूप आंदोलन बिना शत बद करने का प्रस्ताव 16 के विरुद्ध 40 के बहुमत से अस्वीकृत हो गया।

गांधीजी ने वाइसराय से जो मुलाकात चाही थी उसे वाइसराय न यह कह कर ठुकरा दिया कि आंदोलन बद किए बिना मिलना नहीं हो सकता। इस पर गांधीजी साबरमती आश्रम चले गए, जहां दो साल के बाद 19 जुलाई 1932 को वह पहुंचे।

21 जुलाई 1933 को तत्कालीन कांग्रेस-अध्यक्ष अणे न एलान किया कि मालगुजारी और करबंदी समेत सभी तरह का सत्याग्रह आंदोलन बद कर दिया जाए और फिलहाल कांग्रेस की सभी सत्याग्रह बद रहे।

25 जुलाई 1933 को साबरमती आश्रम को, जो 18 साल से कायम था और काम कर रहा था, गांधीजी ने भग कर दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने कहा 'दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिस पर मैं अपने स्वामित्व का दावा कर सकूँ फिर भी कुछ ऐसी मूल्यवान चीजें मेरे पास हैं जिन्हें मेरी समझा जा सकता है और सत्याग्रह-आश्रम उनमें शायद सबसे बहुमूल्य है। मुझे लगता है कि जब मैं एक ऐन काय का हाथ में ले रहा हूँ जो मेरे लिए नया और पवित्र है, आश्रम के अपने साधियों को अपनी अब तक की प्रवृत्तियों का परित्याग कर उसमें अपना साथ देन के लिए मुझे आमंत्रित करना ही चाहिए।' बस्तूरवा, महादेव देसाई बालेलकर और बत्तीस अन्य आश्रमवासियों के साथ, जो बाद में उनका अनुसरण करने वाले थे, राम गांधी की ओर कूच करने की उनकी तयारी थी। लेकिन यह कूच शुरू होने के पहले ही, 1 अगस्त 1933 को, वे सब गिरफ्तार कर लिए गए।

लाइ विलिंगडन का, जिन्हें कुछ अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रतिष्ठा का कट्टर संरक्षक बताया है, दमनचक्र इस समय पूरे जोर पर था। ब्रिटिश वायुसेना ने सीमा प्रांत के गांधी पर भारी बमबर्षा की। यह ऐसा बड़ा जुल्म था कि लंदन के 'यूज क्रानिकल' तब को कहना पड़ा, "खार पर बमबर्षा अगर नतिक दृष्टि से ठीक है तो लंदन पर भी बमबर्षा करना अनतिक नहीं कहा जा सकता।" लेकिन लाइ विलिंगडन अपना दमन नीति पर बदस्तूर कायम रहे। 4 अगस्त 1933 को गांधीजी रिहा कर दिए गए पर उसी वक्त उनको हुबम मिला कि पूना नगर के सीमा क्षेत्र से बाहर न जाएं। उन्होंने तत्काल इस आज्ञा को भंग किया जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर बरवला जेल ले जाया गया। वहाँ उन पर मुकदमा चला कर उन्हें एक साल बंद की सजा दी गई। बस्तूरवा तथा अन्य अंग्रेजों के साथ भी यही हुमा और उन्हें भी भिन्न भिन्न अवधियों के कारावास की सजा दी गई।

भूनाभाई की बीमारी दूर नहीं हुई थी, इसलिए अपने पुत्र धोभाई और पुत्रवधु के साथ इलाज के लिए वह 7 अगस्त 1933 का यूरोप चले गए।

## स्वराज्य पार्टी और चुनाव

भूलाभाई के विद्वान न आ जान क बाद 1934-35 म कांग्रेस काय समिति का पुनर्गठन हुआ । गांधीजी उसम गया मून यानी नई पीढी के कुछ लोगो का शामिल करना चाहा थे । जवाहरलाल की प्रेरणा म जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी तथा दो अन्य ममाजयादिया का उसम शामिल किया गया । सग्दार वल्लभभाई बटी हिचकिचाहट के बाद इसम सहमत हुए साथ ही भूलाभाई को भी काय समिति मे लेन का उद्दान जाग्रह किया । इस प्रकार भूलाभाई कांग्रेस की काय समिति क सम्म्य बन और फिर उसम अनवर वष रह ।

गालमज सम्मलन क तीग तीर यानी उसक तीना अधिवेशन मे जा निणय किए गए थ उह 1933 क मार्च म एक मरनागी दबन पत्र म प्रकाशित किया गया । मसद क दाना सदना की समुक्त समिति को क गुवाथ भेजे गए जिस पर विचारीपरा त ती वह गायनविधान बना जिस 1935 का भारत शासकविधान (गवर्मेण्ट आफ इडिया एक्ट) कहत ह ।

2 अप्रैल 1934 का गांधीजी न एक वक्तव्य निकाला, जिसे सत्याग्रह का मरिया कहा जाता है । सत्याग्रह म्दगित करन का जा मुवाव उहोन दिया उसस काग्रम क अनवर व्यक्ति म्दमत नही थ । फिर भी पटना म 18 स 20 मई तक हुए अधिवेशन म कांग्रेस की कायसमिति दोना न गांधीजी की सिफारिश क अनुसार सत्याग्रह म्दगित करन का निणय किया साथ ही कौंसिल प्रवेण का कांग्रेस क काय प्रम का जग मान लिया । इसक अनुसार 20 मई 1924 का सत्याग्रह का दोलन वद



हो गया और कौंसिल प्रवेश का जो प्रयोग 1923 में पहली बार गुरु करके 1925 में वापस ले लिया गया था उसे फिर से स्वीकार किया गया।

कांग्रेस ने कौंसिल प्रवेश का निणय किन परिस्थितियों में और कस किया, इसपर कांग्रेस के दो प्रमुख व्यक्तियों ने प्रकाश डाला है। जिस बठक में इस योजना बनी मालूम पड़ती है उसका व्योरा कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने इस प्रकार दिया है 'हमसे से कोई तीस व्यक्ति 31 मार्च और 1 अप्रैल 1934 को सिन्धु में डा० असारी की कोठी पर जमा हुए। बठक से पहले सारी स्थिति पर अच्छी तरह विचार कर लिया गया था। इस पर सभी एकमत थे कि स्वराज्य पार्टी बनाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। गांधीजी को इस पर कोई आपत्ति न होगी, यह निश्चित करने के लिए, मुझे और डा० असारी को उन्होंने इस सम्बन्ध में आपत्त लिखे थे, उन्हें फिर पढ़ा गया। इसके बाद रंगास्वामी आयोगार के मसौदे को, जिसमें गांधीजी ने स्वयं संशोधन किये थे, आधारस्वरूप स्वीकार किया गया। भारत सरकार के द्वितीय विधान सभा (सण्ट्रल असेम्बली) का चुनाव अक्टूबर या नवम्बर में कर डालना चाहती है, जिससे कांग्रेस चुनाव की तयारी न कर पाए और उसमें सफल न हो सके ऐसी सूचना हाल में ही डा० असारी को मिली थी। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि प्रस्तावित स्वराज्य पार्टी को इस चुनाव में भाग लेना चाहिए। उपस्थित जनता में से अनेक को इस पर कुछ आशचर्य हुआ क्योंकि कौंसिल प्रवेश विराधी भावना विलुप्त समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन दूसरे दिन हममें से अधिकांश ने स्वीकार किया कि जो परिस्थिति है उसमें डा० असारी का चुनाव ही एकमात्र ऐसा चुनाव है, जिसे स्वीकार करना चाहिए। तब भूलाभाइ देमाई का अध्यक्षता में बठक हुई और उसमें सबसम्मति से स्वराज्यपार्टी संगठित कर चुनाव लड़ने का निश्चय हुआ। मैं सिर्फ यह रणी गई कि गांधीजी का इसमें आपत्ति न हो। और इसमें उनकी शुभकामना ही नहीं बल्कि हार्दिक समर्थन भी रहे। बठक में इस तरह गांधीजी के निणय और मतत्व में स्पष्टता जा विश्वास व्यक्त किया गया वह उल्लेखनीय है। इसी दृष्टि से यह भी निश्चय हुआ कि परिपक्व के प्रस्ताव का जब तक गांधीजी दखन स्वीकार न कर लें तब तक उस प्रस्तावित न किया जाए।'

मुन्शी ने आम बतनाया है कि "अगले दिन गांधीजी की स्वीकृति प्राप्त कर

के लिए डा० असारी, भूलाभाई दसाई और डा० विधानचन्द्र राय पटना गए। गांधीजी न उस पर महमति प्रकट की। यही नहीं बल्कि उतान तो यह जाने बगर ही कि दिल्ली की बठक ने उनकी महमति की शत पर चुनाव लड़ने का फसला किया है सत्याग्रह को जाघने से बंद कर देने की भी सलाह दी। (अप्रैल 1934)।”

ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो कुछ हो रहा था उसका कोई पता न होते हुए भी, पटना में खुद उनका विभाग भी उमी दिशा में काम कर रहा था। यह बाबू राजेन्द्रप्रसाद के इन शब्दों से जाना जा सकता है। ‘प्रस्तावित शासन सुधारों की नुटिया के बावजूद और कांग्रेस उसको स्वीकार करेगी या उसका विरोध करेगी इस पचड़े में पड़े बगर बहुत से लोगों को लगा कि चुनाव तो हमें लड़ने ही चाहिए। कांग्रेस क्षेत्रों में यह चर्चा डा० विधानचन्द्र राय और भूलाभाई दसाई न शुरू की। गांधीजी जो उस समय पटना में थे उताने भी सभ्यत इसपर विचार किया। जहा तक मेरा सवाल है, मैं तो भूकंप पीडिता की सेवा के काम में इतना व्यस्त था कि और किसी बात पर ध्यान दे ही नहीं सकता था।

थाग उ होने यह भी बनाया कि बाढ़ पीडित क्षेत्रों का दौरा करते हुए एक बार हम भागलपुर जिले के सहरसा गांव में रुके हुए थे। सामंवार होने से गांधीजी का उस दिन मौन था। फिर भी मैंने उन्हें कुछ लिखने में मशगूल पाया। शाम को उतान मुझे अपना लिखा एक कागज दिया और उसे पढ़कर राय देने को कहा। उस पटन पर मालूम हुआ कि उसमें सत्याग्रह बंद करने और थानेवाले चुनावों के सम्बन्ध में उनका विचार था। उताने बताया कि जेल से छूट कर आन के बाद मेरे कुछ निकटवर्ती साथियों ने मुझे जो कुछ बताया उसके फलस्वरूप ही मेरे ऐसे विचार बन हैं। रही मेरी बात सा जहा तक मेरे प्रात का सवाल था सत्याग्रह में शिथिलता का अलावा भूकंप के कारण भी वातावरण बिल्कुल बल गया था। वहा सत्याग्रह का न किसी का खयाल था न सत्याग्रह में पड़ने के लिए कोई उत्सुक ही था। राजनीतिक कार्यकर्ता तो जेल में छूट ही पूरी तरह पीडिता की सेवा के काम में लग गए थे। इसलिए गांधीजी की बात मुझे ठीक हट लगा और उनका यत्न का मैंने समर्थन किया। वह उसे अगबारा में प्रकाशित करने के लिए भजना चाहत थे। सहरसा में तार घर न होने में मैं आदमी के साथ उसे पटना भेजने की व्यवस्था की। लेकिन

आदमी उसे लेकर जाता उससे पहले ही महात्मा गांधी के नाम आया डा० असाए का तार लेकर पटना से एक आदमी आ पहुँचा। तार में डा० असारी ने सूचना दी थी कि भूलाभाई और डा० राय के साथ वह गांधीजी से कुछ परामर्श करने पटना आ रहे हैं। तब गांधीजी ने अखबारी को अपना दैनिक भेजने का विचार स्वीकार दिया और हम लोग पटना खाना हा गए। वहाँ डा० असारी तथा दूसरे लोगों के साथ लम्बे विचारविमर्श के बाद गांधीजी का वक्तव्य अखबारों को दिया गया। सत्याग्रह बढ़ाने के निणय को तो अनेक कांग्रेसियाँ न पसंद किया पर बर्तन के जा कारण दिये गए थे वे निस्संदेह उह ठीक नहीं लग।”

कांग्रेस को कौंसिल प्रवेश के अनुकूल बनाने में भूलाभाई का सक्रिय योग रहा, यह शिलांग से 10 मई 1934 का लिखे उनके एक पत्र से स्पष्ट है। यहाँ कारण है कि स्वराज्य पार्टी के पुनर्गठन का निश्चय करने पर कौंसिलों के काम संचालन के लिए जो संसदीय बॉडी बनाया गया उसका महामंत्री उहाँ का नियुक्त किया। चुनावी की तयारी और उम्मीदवारों के चुनाव में निस्संदेह उहाँ बहूत सक्रिय भाग लिया। वे द्रीय असम्बली के लिए वह स्वयं गुजरात से उम्मीदवार थे, फिर भी चुनाव अभियान के सिलसिले में दश के कई भागों में वह गए और कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में भाषण दिए।

सत्याग्रह के बड़े तले कानून भंग की उग्र कारवाही के बाद कौंसिल प्रयोग का कामनाम बढ़ती का परस्परविरोधी बात लगी। कांग्रेस न पूरा स्वतंत्रता का अपना लक्ष्य घोषित कर उसकी प्राप्ति के लिए सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था। वही कांग्रेस क्या अब सरकार से सहयोग करने कौंसिलों में जा रही है? लिबरल में और उसमें फिर क्या अन्तर रहा? यह कामनाम क्या ब्रिटिश प्रभुत्व का अंत कर दश का स्वतंत्र करने की उसका घोषित नीति में मल खाता है? इस तरह की अनेक जिनासाजा के समाधान का जखूरत थी और भूलाभाई न अपना भाषणा में इस दिशा में मत्त्वपूर्ण योगदान किया। पिछले चार साल के गांधीजी के सम्पर्क का उनपर कितना गहरा असर हुआ था, यह भी उनके भाषणा से साफ मालूम पडा

उत्तराखण्ड के लिए 8 जुलाई 1934 को कोयम्बतूर में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा प्रहलाद जी हो जायें के कारण कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस हार गई। लेकिन मेरा मानना है कि यह आशा राई प्रकृष्ट ही कर सकती है कि केवल एक आन्दोलन में ही हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा। इस जादालन से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि हमारी शक्ति प्रतिष्ठा बढ़ा बढ़ गई। जिस प्रश्न पर कांग्रेस चुनाव हार गई है वह बिल्कुल यही है कि देश में राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ है या वह विदेशी सरकार की शक्ति का समर्थन करता है।

हमारा प्रचार विभागवाला भी भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आत्मा के लोकांगण में इस राष्ट्रीय आन्दोलन में मानव भाग लेने के लिए बचाई देता हूँ। इस आन्दोलन से यह सिद्ध हो गया है कि आत्मा की शक्ति का दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। अगर हम अपने उद्देश्य में विफल हुए हैं तो इसका कारण यही है कि हमने महात्मा गांधी का पूरा विश्वास नहीं दिया।

एक और सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता एक अच्छी वस्तु है तो यह क्यों मूराप के लिए ही नहीं रहने सारी दुनिया के लोगों के लिए है।

धार्मिक विधि विधानों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा के कारण उन्होंने कहा कि हम धर्म का अमली उद्देश्य का भूल गए हैं। धर्म का असली उद्देश्य मनुष्य का ऊँचा उठाना है और उसकी आत्मा का मुक्त करना है। इसी दृष्टि से आज गांधीजी ने हरिजन आन्दोलन को चलाया है।

गांधीजी के दाण्डी मूच के महत्व पर उन्होंने विद्यार्थियों की एक सभा में कहा कि कभी कभी एक छोटी सी घटना से महान शक्तियाँ का सुत्रपात होता है। अमेरिका की स्वाधीनता की लड़ाई एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी, जबकि अमेरिकन दशभक्ता ने चाय के कुछ बक्सा का समुद्र में फेंक दिया था। इसी तरह जब आपके महान नेता ने नमक कानून तोड़ने के लिए 250 मील की पैदल यात्रा की और समुद्र की तह से एक चुटकी नमक उठाकर कानून तोड़ा तो यह कानून का मामूली उल्लंघन नहीं था बल्कि भारतीय जनता की स्वाधीनता का उदघाटन

था। यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और यदि आप लागा न इसके महत्व को समझा होता और अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज भारत में भी वही क्रांति हुई होती जो अमेरिका में हुई थी।

यह बताने की तो जरूरत ही नहीं कि चुनाव में वह सफल हुए और नवम्बर 1934 में गुजरात से सेण्ट्रल असेम्बली के लिए चुन लिए गए।

## असेम्बली की कारगुजारी

भूलाभाई न देश की जो सेवा की वह दो क्षेत्रों में बहुत मूल्यवान रही। एक तो कानून के क्षेत्र में, जहाँ बारडोली की जाच और जाजाद हिंद फौज के मुकाम में परवी करके उन्होंने राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा की, दूसरे विधान सभा क्षेत्र में जहाँ 1919 के भारत शासन विधान के अंतर्गत स्थापित लेजिस्लेटिव असेम्बली यानी के द्रीय विधान सभा में—जिसका अधिवेशन 1935 के प्रारम्भिक दिनों में शुरू हुआ था—कांग्रेस दल के नेता की हैसियत से उन्होंने काम किया।

इस बात को सभी मानते हैं कि कांग्रेस दल के नेता की हैसियत से जो जटिल और महान दायित्व उनके ऊपर आया था उसका उन्होंने बड़ी कुशलता से निर्वह किया। असेम्बली में कांग्रेस दल के सदस्यों में सत्य मूर्ति और गोविंद वल्लभ पंत जैसे महारथी भी थे, लेकिन सब उनमें पूरा विश्वास रखते थे। यही नहीं बल्कि जहाँ हम आगे देखेंगे, विपक्ष के लोग भी उनकी इज्जत और सहायता करते थे। नतीजा की हैसियत से वह बड़े समय और शिष्टता से काम करते थे और बहुत स मामलों में अपने पक्ष के प्रतिपादन का भारत अपने योग्य साधियों पर छोड़कर उनके मार्गदर्शन की रक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। जिस तरह वहाँ उन्होंने काम किया उसे देखकर निस्संकाच कहा जा सकता है कि कांग्रेस दल के नेतृत्व के लिए उनसे बड़ा आर्मा दूसरा नहीं मिल सकता था। नेता, वक्ता और विवादपटु के रूप में वे उज्ज्वल कीर्ति अर्जित की है, उनके अनेक ऐसे मानवी गुण भी हैं जिनके कारण जो भी उनके संपर्क में आया, वे उनसे प्रभावित हुए और उनके आदर की भावना रखे बिना नहीं रह सके। असेम्बली में जिस तरह उन्होंने

किया, जसा वातावरण बनाया और जा सफलता प्राप्त की उसके सही और विस्तृत विवरण के बगैर उनके व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता ।

असेम्बली में कांग्रेस सदस्यों की संख्या पचपन थी, पर वे दो पक्षा में विभक्त थे । एक पक्ष में वे ग्यारह सदस्य थे जो मानवीयजी और अणु के अनुयायी थे और अपना काँग्रेस नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी कांग्रेसी कहते थे । दूसरे पक्ष में मुख्य कांग्रेस दल था, जिसके चवालीस सदस्य थे । बंगाल के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के सभी स्थानों पर कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी रहे जबकि पंजाब में सिर्फ एक स्थान कांग्रेसी उम्मीदवार विजयी रहे, जबकि पंजाब में सिर्फ एक स्थान कांग्रेस का मिलना अत्यंत ही कम था । कांग्रेस को भारी सफलता मिली । कांग्रेस की सबसे बड़ी सफलता आर० के० पणमन्यम चेट्टी की पराजय थी जिन्होंने भारत की ओर से आटाबा का वह बदन नाम समझाता किया था जिससे ब्रिटिश माल को तराजू मिलती थी और वह माल जो वे द्वीप असेम्बली के अध्यक्ष भी बनाए गए थे । कन्ना न होगा कि सरकार का पूरा समर्थन उह था और उनकी सफलता के लिए सरकारी पक्ष ने पूरा कोशिश की थी । स्वतंत्र या इण्डिपण्डण्ट कहलाने वालों में तीन को छान सभी मुसलमान थे और मुहम्मद अली जिना उनके नेता थे । इनके वाद नामजद अफसरों और गर सरकारी लोगों का बड़ा समूह था जिनकी सत्ता नमश छन्नीस और तरह थी । इनके अलावा गैर सरकारी अंग्रेजों का अलग एक गुट था । इस तरह अपने दो पक्षों के साथ, जो सामान्यतः मतदान में साथ ही रहते थे, कांग्रेस को सरकार पर कुछ मिलाकर पचास से ज्यादा मत प्राप्त नहीं कर सकता था । इसलिए सतुलन स्वतंत्र सदस्यों के हाथ में था और महत्वपूर्ण मामलों में अक्सर उनका योगदान निर्णायक रहा ।

उन दिनों की असेम्बली भानुमती के कुन्ने की तरह थी । वाइसरॉय की कौंसिल के सभी सदस्य सरकारी पक्ष में थे और ला मेम्बर (विधि सदस्य) नपेद्र नाथ सरकार सदन के नेता थे । नामजद अफसर और गरसरकारी सदस्य आमतीर पर अपने भाषणा और मतदान में सरकार के साथ रहते थे, इसमें जपवाद बहुत कम था भी वभार ही होता था । सरकारी पक्ष में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति नपेद्र

नाथ सरकार और फाइनेंग मेम्बर (वित्त सदस्य) परी जेम्स ग्रिग थे। नृपेन्द्रनाथ कलकत्ता के नामी वकील थे जिनकी बहालगी से आमनी भी बहुत थी। राजनीति में उनका वाद गाम सरागार नहीं था या उनका विचार हिंदू सभा के दृष्टिकोण से कुछ मल गान था और कुछ मिलाकर उनकी विचारधारा कांग्रेस के खिलाफ थी बल्कि यह सच्चे और जाहता चान्त उस मक्षिण और प्रभावकारी ढंग से बहतर अपनी बात ग उतागन का उनका अच्छी क्षमता था। पर साथ ही जगन के तागे भा और जगन पत्न पर रिमी प भी थाक्षप करने और खरी ग्याटी मुनाम म वाद मतीर रही गन थ। गन विमा म नहीं थे, अपन पर उ ह पूण निरवास था उन का समा गन और विना भा रिपशा म जगन पटन पर वाग्युद्ध को हमगा तगार गन थे। ग्रिग रिटिंग मिनि मरेंगे थे और इंडिया सिविल सर्विस का एक उच्चतम पर प रिटन का मिनि मरिग न भारत जान वाले विरले लागे म म व ने। इंग्लिश मिनि मरिग म भी उन समय अंग्रेज का ही बहुमत था और उच्चतम गरागी पदा पर उन का परछन प्राधिपत्य वा भारतीय सदस्यो के लिए बानुनी तथा मरधानि रूप म वाई गान ग हाते हुए भी उन मुद्रिल स ही कभी गमा गार्ट पद मिलता था ग्रिग को रिटिंग वित्त विभाग का काफी अनुभव था और वन का गान आप गन रक्यू म भा गहन बर माल काम किया था, जिससे आयकर के मामला ग व विपा था। ऐतिन वह शगडालू व्यक्ति व, चाह जब जिगस गगटे पडन म जरा भी नहीं निवकते थे। कहते हैं कि जरा भी गुजाइश होने पर वनी जामानी स वह गाला गलीज पर भी आ जाते थे। अंग्रेज व्यापारिया की प्रा म काफी वनी सरया म चुन गए अंग्रेज व्यापारिया का नतत्व पहले कुछ समय लसगा हउसन न किया, उसका वाद एल० सी० वस उनके नेता बने। कांग्रेस पक्ष में भूलाभाई के अलावा सत्यमूर्ति, गावि दवल्लभ पत, वी० वी० (ब्यकट वराह) गिरि श्रीप्रकाश नरहरि विष्णु गाडगील और अनतशयनम अयगार जैसे मशहूर आदमी थे।

मुस्लिम लीग नाम की उस समय वाई पार्टी नहीं थी, लेकिन कई प्रमुख मुसलमान सदस्य ऐम थे जो राजनीति को मुसलमानों के दृष्टिकोण से ही देखते थे। जिना, अब्दुल रहीम, मुहम्मद याकूब और जियाउद्दीन अहमद ऐसे ही सदस्य थे। कोलनगुडी के राजा और बम्बई के कावसजी जहागीर जैसे कुछ सदस्य भी थे।



असेम्बली का अधिवेशन गुरु होन के कुछ समय बाद ही 22 जनवरी 1933 को उगम एक वाम स्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई। उसमें भूतामाई ने जो भाग लिया उससे यह बात साफ हो गई कि तुर्की-यतुर्की जवाब देने में वह किसी से कम नहीं। वहस भारत बांस को लेकर हुई, जिनकी गिरफ्तारी पर आसाम के गोपीनाथ बार डोलाइ न सरकार की आलोचना की, कि उसने इस असेम्बली के एक निर्वाचित सदस्य को गिरफ्तार करके उसे मदन की कारवाई में भाग देने से रोका है और इस तरह जिस निर्वाचन क्षेत्र में उसे चुना, उसको इस सदन में प्रतिनिधित्व से वंचित कर सदन के अधिकार क्षेत्र में गंभीर रूप से हस्तक्षेप किया है। असेम्बली के अध्यक्ष गिडनी न मर्यादा भंग के इस प्रस्ताव का विचार के लिए मजूर तो किया, पर साथ ही सदस्यों के अधिकार क्षेत्र तो ही सीमित रहें और गिरफ्तारी या तत्संबंधी कानून कारवाई के बारे में कुछ न करें। जिना ने इस पर जानना चाहा कि अधिकार क्षेत्र से उनका क्या आगम है क्योंकि उसकी व्याख्या कोई नहीं हुई है। अध्यक्ष न बहा, 'सदन से सदस्य को अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर करना और इस तरह सदस्य के रूप में उसके अधिकार से उसे वंचित करना।'

बहस की शुरुआत में ही ला मेम्बर ने यह स्पष्ट किया कि केन्द्रीय असेम्बली में कानून बनाने वाली सर्वोच्च नहीं बल्कि मातहत मन्त्रालय (मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेशन) ही इसलिए अधिनियम प्रदत्त अधिकारों के अलावा उसके और कोई अधिकार नहीं है। प्रामाणिक पुस्तकों के उद्धरणों द्वारा ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इंग्लैंड के हाउस आफ कॉमन्स की जो अधिकार हैं वे या बस अधिकार उसके उपनिवेशों को सुप्रीम लेजिस्लेटिव कॉमिल या असेम्बली का नहीं हो सकते। सदस्या व शोल्ने की स्वतंत्रता के हक के बारे में उन्होंने कहा, वह उन्हें भारत शासन विधान से मिला है, जिसका मतलब यह है कि वह सदन प्रदत्त नहीं बल्कि व्यक्ति का कानून से मिला हुआ हक है।

सिंध के सदस्य लालचंद नवलराय के यह पूछने पर कि इसके आगे भी कुछ है या नहीं, ला मेम्बर ने मसखरेपन से जवाब दिया—'जरूर है, क्योंकि 1925 में, मैं समझता हूँ, श्री लालचंद नवलराय की मदद से 'लेकिन वह आगे कुछ बहुत उससे पहले ही लालचंद नवलराय ने टोका और बताया कि मैं तो 1923 में ही

सदस्य बनकर आया हू। तब भी ला मेम्बर परास्त नहीं हुए और विनोदी ढग से बहने लगे—“मुझे अफसोस है कि श्री लालचंद नवलराम की बहुमूल्य मदद के बग़र ही एक कानून बना—1925 का 28 वा कानून। उसके मातहत कोई आदमी अगर इस असेम्बली का सदस्य हा तो किसी दीवानी मामले मे उसे कैद म नही रखा जा सकता।” इस बात पर उन्होंने विशेष जोर दिया कि उस कानून की जरूरत इसलिए पडी, क्योंकि असेम्बली को किसी तरह का कोई अधिकार नही था। साथ ही संभवत काप्रेसी सदस्यों पर यह छीटाकशा की, कि उसके कारण वे असेम्बली के अधिवेशन के होते जेल जाकर सभ्राट का जाथित्य प्राप्त नही कर सकते। अत म उन्होंने कहा ‘शरत चंद्र बोस को असेम्बली की हाजरी का समन भेजा गया, उससे उनके लिए अधिवेशन मे हाजिर होना कोई अनिवाय बात नही हो गई। या आन के अनिच्छुक होन, तो उसका कोई दण्ड उह नही भुगतना पडता। इसलिए समन की भाषा कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि उसके कारण उनके लिए यह बाध्यता नही हुई कि उह अधिवेशन मे हाजिर होना ही चाहिए।’

भूलाभाई ने इस पर जोरदार भाषण किया, जिसपर सरकारी विवरण के अनुसार बार-बार हपध्वनि हुई। असेम्बली मे यही उनका पहला भाषण था और इस महत्वपूर्ण भाषण म उन्होंने बताया कि अधिकार दो तरह के हात है (1) ‘सदन का वह अधिकार, जिससे उसे निणय करने और नियम भंग के अपराधी से नियम पालन कराने की सत्ता प्राप्त होती है’, और (2) ‘सदन का ऐसा अधिकार जो उसके सदस्य होने के नाते व्यक्ति को हाता है, फिर यह दूसरी बात है कि इम देश मे आज जमी सरकार है वह उसको मानती है या नही।’ और इस बात पर जोर दिया कि कानून ने अगर सदन को ऐसा अधिकार नही दिया है ता कानून ने 1818 के तीसरे रगुलेशन जसे कानून के मातहत नजरबंद सदस्य को, जैसे शरत बोस हैं, सदन मे उपस्थित होन के अधिकार से वचित भी नही किया है। इस रेगुलेशन को उहोन ‘मौजूदा सभी सर-कानूनी कानूनों मे सबसे क्रूर’ बताया और अद्भुत कल्पना शक्ति एव दूरदर्शिता से काम ले सदस्या से कहा “आइए हम सदन के अधिकार निश्चित करके इस देश मे कामन ला (सामाय कानून) का विकास करें।”

इस बात को वह नि सदेह अच्छी तरह जानते थे कि किसी खास अधिकार

या सुविधा पर जोर दिया गया ता जंग्रेजी शासन की आर स उसका विरोध निश्चित है, इसलिए उ ज्ञान कहा "हम इम बात का नही भूल सकन, न हमे भूलना हा चाहिए कि जनता के अधिकाग और उसकी सुविधाओ के मामल म इस दग को मरकार का रग जनता क प्रति मतत गनुतापूण है, और यह बहून बुरी मनोवति है।" और गपपूण स्वर म बताया कि अग किसी दश मे एसा अयाय नहा हा सकता। साथ हा यह कहन म भी नही चुक कि सकार का एसा विरोधी रग आत्म रि बास या हदता की निगानी नही है, इनके विपरीत वह उमक घटते आत्म विस्वान और इम इच्छा का धानक है कि सदन क लिए जिन व्यक्तिया का जनता न विविध चुना है, उ ह हाजिर होन म राकबर मदन का उनकी सहायता से रचिन रता जाए जिसके व पूर ह्वदार ह।

आग उ दान कहा याय करन वाली किसी अदालत से जब किसी पर समन तामील होना है ता उस यायालय लाया जाना है, यहा तक कि याय म सहायता के लिए जेल क फाटक तक खुल जात है और जे म बद व्यक्ति (कदी) तक का यायालय म पग किया ह। इसलिए यह बात सुनकर मुझे बडा आश्चय हुआ कि जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए यायालय स रण्ड नही मिला है बल्कि कबल सरकारी जाग पर जिस नजरबद किया गया है, उसे उस काम के लिए आ याया लय की सहायता करन से अधिक नही ता उतना ही मत्वपूण जग्ग है, सदन म जान स राका जाता है। सदन का—असम्बली के सदस्यो का—यह स्थिति अस्वीकार करके यह स्पष्ट कहना ही चाहिए कि बोस को उससे कही ऊचे दर्जे का, बडा, अनुल्लघनीय अधिकार प्राप्त है और उस पर नमल की व्यवस्था हानी ही चाहिए।

यह नारदार और मामिक अपील उनकी कुगल क्वालत की सूचक थी पर साथ ही एसा भापा म की गई थी जिनम न ता कटुता थी और न उत्तेजना। यह स्पष्ट था कि प्रचलित कानून के अनुसार असेम्बली पूण स्वतंत्र नही, बल्कि मात हत सस्था ही थी जिसके सदस्यो का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही थ, फिर भी अपने माथी सदस्यो से, कानून के सकीण दायरे से ऊपर उठ कर देशभक्ति के यापक आधार पर समथन करने की अपील करके, उ हाने सदस्यो के अधिकार का मामला निश्चय ही ऊचे घरातल पर ला दिया।

उनके बाद प्रस्ताव पर जिन्ना का भाषण हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी मामले में वहस गुरू करने की उनकी आदत नहीं थी बल्कि जय किसी के वहस गुरू करने के बाद मामला जहम हा तो बीच में वह हम्नक्षेप करते थे, जिसमें उनसे पहले के वक्ता जो मुद्दे उठाते उनका पूरा लाभ वह उठा लेते थे। उनके भाषणों को बरसों बाद पढ़ने पर उनका कोई ग्लाम असर नहीं पड़ता लेकिन इसमें शक नहीं कि अपने बोलने के ढंग से वह अपने श्रोताओं पर ऐसा असर डाले बिना नहीं रहते थे कि वहस में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। वह तक देने के बदले सवाल करते, जिनमें से कुछ का कर्मा बर्भा वह खुद ही जवाब देते और अक्सर बिना जवाब दिए ऐसा असर डालने की काशिश करते माना उसका कोई जवाब संभव ही नहीं है। यहाँ भी उन्होंने अपने विशिष्ट ढंग से इसी मुद्दे पर बहुत जोर दिया कि 1932 की फरवरी में, शरत बोस को गिरफ्तार किया गया था और इतने दिनों बाद भी उनपर मुकदमा नहीं चलाया गया है वह 1932 की फरवरी की बात है और अब हम 1935 की जनवरी में है और उन्हें गिरफ्तार किस कानून के अन्तर्गत किया गया? एक रेगुलेशन के मातहत मेरा ख्याल है कि उन्होंने सरकार को चुनौती दी, कि उन पर अदालत में मुकदमा चलाए। पर सरकार ने ऐसा नहीं किया।" इस पर कुछ सदस्यों ने शर्म शर्म (धक्कार) कहकर दाद दी और उनका प्रवाह आगे बढ़ा बहुत खूब। फिर यह भी याद रखने की बात है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें चुना वह कानून सम्मत है और अधिपूर्वक ही उन्हें इस सदन का सदस्य चुना गया।

आगे उन्होंने कहा "थोड़ी दूर के लिए यह मान भी लें कि सदस्यों का ताददास अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर भी सरकारी कारवाइयों का निरीक्षण व टीका का ता उन्हें निमित्त देना है, क्या उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं कि सरकार का ढंग ऐसा है कि हम उसकी निंदा का प्रस्ताव करना पड़गा। कुछ वय पूर्व असेम्बली के अधिकांश पर विचार करने के लिए तत्कालीन डाम मेम्बर मुडीमन की अध्यक्षता में बनी समिती का जिसके वह स्वयं भी एक सदस्य थे, जिक्र कर बताया कि उसने कुछ मुझाव भी लिए थे, लेकिन अभी भी वही दुश्चक्र जारी है। सदस्यों के लिए ता कोई सुविधा और अधिकार नहीं है पर सरकार का रेगुलेशन के मातहत एम मन

मान अधिकार है कि किसी भी आदमी का अपन हुबहू स बिना मुकदमा चलाए अनिश्चिन काल के लिए नजरबंद कर सकती है, जिगसे अपन निजी या सावजनिक काम का बह नही कर सकता और न इस सदन (असेम्बली) में अपने फज बो हा अदा कर सकता है। इसलिए इस सदन की कोई आवाज नही है न सम्बद्ध अर्थ के लिए कोई उपाय है, कोई कानून नही है और सरकार जा कुछ करे बह ठाक है। लेकिन यह एक असभव स्थिति है, जो बर्दाश्त नही की जा सकती, इसलिए सरकार के ऐसे ढंग की निंदा और भत्सना करने का हम पूरा हक है।

बत्स के अंत में होम मेम्बर ने जिना को अपने पक्ष में लाने और उनके गुण के मददगारों को कांग्रेस के पक्ष में मत देने से रोकने की कोशिश की, पर जिना ने अपना रख नहीं बदला। फलतः सरकार की निंदा का काय-स्थगन प्रस्ताव 54 के विरुद्ध 58 मत से पास हो गया। इस तरह सरकार की करारी हार हुई।

असेम्बली में भूलाभाई कैसा काम करते हैं यह देखने के लिए लोग उत्सुक थे कहते हैं कि कांग्रेस के दो भूतपूर्व अध्यक्ष असेम्बली में उनकी बारगुजारी देखने के लिए ही आये जाते थे। भूलाभाई ने उनकी आगा से कही बत्स सफलता प्राप्त की। उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी के लोग एक टीम की तरह मिल जुल कर काम करते थे और कुछ चुने हुए सदस्य वित्त, वाणिज्य, सेना और शिक्षा जैसी विषयों के ही विशेष अध्ययन में लगे रहते थे। वह आवश्यक होने पर ही बत्स में हस्तक्षेप करते, लेकिन जब बोलते तो बड़े जोरदार और अधिकारपूर्ण ढंग से। यद्यपि कटुता और आक्षेप का बह बचाने थे। जिना के साथ उनके सम्बन्ध घनिष्ठ थे क्योंकि बम्बई में कालत करत हुए उनका बहुत साथ रहा था। सरकारी सदस्य भी उनके स्पष्ट चिन्तन और प्रतिपादन के कायल थे और उनकी इज्जत करत थे। प्रहार करने में कभी न चूकने वाले फाइनेंस मेम्बर प्रिंस ने, जिनकी कांग्रेस पार्टी के नेता से अवसर नोकझाक होती था, अपनी आत्मकथा में उस पार्टी के साथ अपने सम्बन्ध का दिलचस्प वर्णन किया है। उद्योग इस बात की दाद दी है कि कांग्रेस वाले साफगोई से कभी बुरा नहीं मानते, बसतें उन्हें इस बात का यकीन ही कि बात इमानदारी से कही गई है, जात्याभिमान से प्रेरित हाकर नहीं। उद्योग यह भी बताता कि जाहिरा उनके मुख्य विरोधी होने हुए भी भूलाभाई गोविंद वल्लभ

पत आर मत्यमूर्ति जस विभिन्न स्वभाव वाले काग्रेसी नेताओ के साथ मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे ।

1935 की फरवरी में मदन मोहन मालवीय सरकार ने भारतीय शासन सुधारों के बारे में पालमण्ट का संयुक्त समिति द्वारा तयार मसौदा विचाराय उपस्थित किया । यह महत्व का विषय था, इसलिए वातावरण उत्तेजनापूर्ण होना स्वाभाविक था । प्रथम महायुद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के देशों में जो जागृति आई थी, उससे यहाँ पराधीनता से मुक्ति का इच्छा बलवती हो गई थी, जिसका हमारे यहाँ भी असर पड़ना ही था । ऐसी हालत में प्रस्तावित शासन सुधार बिल्कुल नाकाफ़ी थे, और वे नाकाफ़ी ही नहीं थे बल्कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों में भी उन पर मतभेद था । यह भी हास्यास्पद बात हुई कि केन्द्रीय धारा सभा में अभी उस पर विचार ही हो रहा था कि ब्रिटिश पालमण्ट ने अपनी ओर से उसे विधेयक के रूप में प्रकाशित भी कर दिया ।

सरकारी प्रस्ताव पर अनेक संशोधन पेश हुए जिनमें भूलाभाई और जिन्ना के सबसे महत्वपूर्ण थे । भूलाभाई के संशोधन में यह मत व्यक्त किया गया कि शासन सुधारों की योजना भारत पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व बनाए रखने और उसका आर्थिक शोषण जारी रखने की दृष्टि से बनाई गई है साथ ही भारतीय जनता को उससे वास्तविक सत्ता नहीं मिलती, इससे भारत के राजनीतिक और आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी, इसलिए संपरिषद गवर्नर जनरल से यह असम्बन्धी सिफारिश करती है कि वे इस योजना के आधार पर कोई कानून न बनाने की सलाह दे और सरकार को सलाह दें । साम्प्रदायिक नियम का मजूर या नामजूर करने से इसलिए इनकार किया गया कि ऐसा करने से ही इस भवष में आपसी समझौते का गुंजाइश है ।

जिन्ना के संशोधन में साम्प्रदायिक नियम को, जिस रूप में है वसा ही स्वीकार करने को कहा गया, जब तक कि सम्बन्धित सम्प्रदाय आपसी रजामंदी से उसका कोई विकल्प न प्रस्तुत करें । शासन सुधारों में प्रांतीय सरकारों की योजना को उन्होंने 'अत्यंत निराशाजनक और असंतोषप्रद' बताकर उसके कारण दिए । और केन्द्रीय सरकार सम्बन्धी योजना के बारे में कहा, "वह बुनियादी तौर पर ही खराब है और ब्रिटिश भारत की जनता को सबथा अस्वीकार है ।" इस योजना के

आधार पर कोई कागू (विधा) न बनाने पर जार देा हुए ब्रिटिश सरकार के उद्धान कहा कि भारत में ऐसी सरकार की स्थापना की जाए जो "बामनविन रूप में और पूर्ण तरह (जनता के प्रति) उत्तरदायी हो।"

भूनाभाई ने अपने सगाथा पर बालन हुए जा भाषण किया वह बग जोरदार था। उसमें मालूम पड़ता था कि रिपाट (ब्रम्नाविन शासन मुधार) और भारत की वैधानिक समस्याओं का उद्धान गू अध्येयन किया था। अपना इकूमा के बारे में भारतीय जनता के समय समय पर बल्लत रहा बाल रग का उल्लेख करने हुए उद्धान कहा पहले पहल तो हमने उस अपने हिंड में समझकर उसका स्वागत किया। लेकिन पिछले तीस सालों की घटनाओं ने हमारे विचारों का बिकुर बदल दिया है। महायुद्ध में भारत ने अपना सभी गाधन और सैनिक ब्रिटन के सुपुद किए। ब्रिटन की आजादी के लिए हमने युद्ध में भाग लिया। उस समय हमसे कहा गया था कि युद्ध ब्रिटन के लिए नहीं बल्कि ससार के सभी पराधान लोगों की आत्म निणय का अधिवाग दिलाए के लिए लड़ा जा रहा है। मगर युद्ध समाप्त होने पर उस समय के वादा का या तो भुला दिया गया है, या उनसे इनकार किया जा रहा है, या फिर उनमें काट पेंच का गई है।"

पालमण्ट की समुक्त समिति की रिपाट का एक उद्धरण मुना कर उमने इस मुनाक का उद्धान जारदार लढन किया कि घम, जाति या भाषा के कारण मनन पना हात है जिनका परिणाम बड़ा विनाशक होता है। उद्धान कहा कि भाषुक्तिक ससार जोर सबसे बड़े लाकतनों दशा का इतिहास तो इससे उल्टा ही सिद्ध करता है। लोगों की एकता तो राजनीतिक और भाषिक स्वार्थों पर ही निर्भर है। समुक्त राज्य अमरीका का उदाहरण देते हुए बताया कि यूरोप के प्रत्येक देश का विविध जातियों के लाग वहाँ बसे हुए हैं फिर भी उन्होंने अपनी ऐसा टाम राजनीतिक इकाइ बना रखी है कि मारा ससार उनसे उरता और उनकी इज्जत करता है। इसी तरह, स्विटजरलण्ड का उदाहरण सिद्ध करता है कि राजनीतिक एकता में भाषा की विभिन्नता बाधक नहीं होती। भाषा राजनीतिक एकता में बाधक होती है। यह विभिन्न जातियाँ में फूट डालती है यह कहना तो ऐसा बात है जिसमें कोई त्रुक नहीं है।

इसी तरह धम के लिए उहोन कहा, “वह तो मनुष्य और भगवान के बीच की बात है। उसे भौतिक लाभ की सोदेबाजी में नहीं लाना चाहिए।” सरकार द्वारा 1906 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन या सुरक्षित स्थानों की शुरुआत का जिक्र कर बताया कि उसने विभिन्न जातियों के पारस्परिक सम्बन्धों को बिगाड़ा है, क्योंकि उसमें ऐसा जहर भरा हुआ है जिससे पायन्य भावना की दुष्ट प्रवृत्ति उत्पन्न होती जा रही है।

शासन सुधारों की तफसील में जाते हुए उहोंने गोलमेज कानफ्रेंस के प्रतिनिधित्व को चुनौती दी और कहा हमने मागी तो रोटी थी, पर मिला पत्थर।” उस कानफ्रेंस का परिणाम तो इतना निराशापूर्ण हुआ कि उसके सबसे बड़े समयक मेर मित्र सर तेजबहादुर सप्रू तक को बहा से वापस आकर कहना पड़ा, “उसमें जो कुछ हुआ उसमें मेरे मन में आया कि मैं राजनीति से अलग हो जाऊँ।” यही नहीं बल्कि उहोंने (सप्रू ने) यह भी कहा कि “अपने देश के लिए मुझे ऐसा कोई (शासन) विधान नहीं चाहिए जो हिस्सों में बटा हुआ हो, हिस्सों में उसका जायजा लिया जा सके और हिस्सों में ही उस मजूर या नामजूर कर सकते हों।”

प्रस्तावित शासन विधान का मुख्य दोष उहोंने यह बताया कि उसमें देशवासियों को (1) आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है (2) वदशिक मामलों के नियंत्रण से वंचित रखा गया है (3) मुद्रा और विनिमय के मामलों में उनका हाथ नहीं है, (4) वित्त की व्यवस्था व अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकत, और (5) देश के रोजमर्रा के शासन में भी उनकी कोई पूछ नहीं है। “एसे शासन विधान से उहोंने बड़ी भावुकता संपूछा, जिम्मेदारी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ अपने अच्चे भविष्य की हम वसे प्राणा कर सकत हैं ? और प्राणीय स्वतंत्रता की बात का विडम्बना मात्र बताया।

अप्रेज सदस्यों से—चाहे वे सरकारी नौकरी में हों या स्वतंत्र—उहोंने कहा, “आप अगर अपने महान राष्ट्र की परंपराओं के पुजारी हैं, अपने राष्ट्र द्वारा दिए गए वादा के कायल हैं छोटी घटनाओं को प्रायः भूलत नहीं, तो मैं समझता हूँ कि यह आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ब्रिटेन की दुनिया में आज जो स्थान प्राप्त है वह हमारे देश भारत की सम्पत्ति और यहाँ के बाजारों में अपना माल



बचने के आपके एकाधिकार के ही कारण है। मैं इसके लिए आपकी वृत्तगता नहीं चाहता, फिर भी, क्या मैं आपसे यह अनुरोध नहीं कर सकता कि आपके लिए हमने जो किया वही आप भी हमारे लिए करें? सत्सार में अपना प्रमुख स्थान बनाने के लिए आपका जो कुछ करना चाहिए था वही नहीं बल्कि उससे भी अधिक प्राप्त करके, और सत्सार में अपना प्रमुख स्थान बना लेने के बाद, अब क्या वह समय नहीं आ गया है कि जब भी हमारी इस मांग में शामिल हों कि भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और तुरंत मिलनी चाहिए।'

अंत में उन्होंने कहा "संशोधन का परिणाम जो भी हो, भारत की यह निश्चित आवाज सब जगह पहुंच ही जानी चाहिए कि यह शासन विधान निरुद्ध है और हम मजबूर नहीं हैं। जो कुछ हम चाहते हैं उस लेन के लिए मजबूर करने का ताकत चाहे हमारे पास न हो, फिर भी जो नहीं चाहते उसे ठुकराने का आत्मसम्मान तो हममें है ही।'

इसके बाद कई अन्य वक्ता बाले, जिनमें जिनना भी थे। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण किया कि गोलमेज कानफ़ेस के तीसरे दौर में न बुलाये जाने के कारण प्रस्तावित विधान में मेरा विरोध नहीं है, बल्कि सचार्ई यह है कि यह योजना बनने लगी तभी से मैं इसका कट्टर विरोधी था। इसलिए कानफ़ेस के बाद के अधिेशन में नहीं बुलाया गया। भूलाभाई ने अपने संशोधन पर जो रज लिखा उसे उन्होंने नकारात्मक बताया और कहा, "जहां तक मेरा अपना सवाल है मैं सांप्रदायिक विषय से सतुष्ट नहीं हूँ लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि जब तक हम उसकी जगह अपनी कोई योजना तयार न कर लें तब तक मेरे आत्मसम्मान को कभी सताया नहीं होगा।" भूलाभाई की इस बात पर उन्होंने सहमति दर्शाई कि भाषा का उतना महत्व नहीं है और धर्म बस मनुष्य और ईश्वर के बीच की चीज है, लेकिन अमल सवाल भाषा या धर्म का नहीं बल्कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का राजनीतिक प्रश्न है इसलिए राजनीतिक रूप में इसे लेकर इसका समाधान करना ही होगा।

अंत में सदन के नेता नये द्रनाथ मरकार ने जवाब दिया जिसमें विरोध पक्ष ने भाषणा को इवाई फायर बताया जिसकी आवाज तो होती है और कुछ

कुछ धुआ भी निकलता है, पर उससे घायल कोई नहीं होता।" इसके बाद भूलाभाई का सशोधन, जो रिपोर्ट को ठुकरा देने का था, 61 के विरुद्ध 72 मत से गिर गया और अग्य सशोधनो के लिए अलग अलग भागो पर मतदान के बाद अध्यक्ष ने पूरे प्रस्ताव पर मतदान को अनावश्यक बताने बचक को स्थगित कर दिया।

इसके कुछ समय बाद बी० (भुवनेश्वर) दास के उस प्रस्ताव पर भी अच्छी गरमा रहा जिसमें सीमा प्रात में खुलाई विदमतगारा पर लगे प्रतिबंध को हटाने की माग की गई थी। इस वहम में अनन्य वक्ताओं ने भाग लिया पर यह उल्लेखनीय है कि प्रस्तावक और भूलाभाई सहित दो अग्य सदस्यों के अलावा अग्य सभी वक्ता सुसलमान थे। सरकारी पक्ष से बोलने वाले सभी अग्रज थे और उन्होंने प्रस्ताव का बड़ा विरोध किया, जबकि भारतीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन।

भूलाभाई बोल तो थोड़ा ही, पर जो बोले वह आरदार था। उन्होंने बताया कि सीमाप्रात के सदस्य को छाडकर, शायद मैं ही यहाँ अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिम्का खान अब्दुल गफ्फार खास पिछली गिरफ्तारी के पहले धनिष्ठ सम्पर्क था। जिस भाषण पर उन्हें गिरफ्तार किया गया वह गिरफ्तारी से बहुत पहले दिया गया था और उसके तीन चार महीने बाद उन्हें सजा दी गई। सरकार ने उमें गोद निकाला। पता नहीं क्यों भाषण के काफी बाद तक सरकार को यह नहीं मूना कि उसमें कोई ऐसी बात है कि जिस पर गफ्फार खास का गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन एक दिन मवेने वर्षा में उन्हें उस भाषण के कारण गिरफ्तार किया गया, जो उन्होंने तीन चार महीने पहले किश्चयन एसोसियेशन में दिया था और जिसमें उन्होंने उस आ दालन का अपना अनुभव श्रोताओं को बताया था जिसका उन्होंने तीन-चार साल तक नतृत्व किया। गिरफ्तारी के बाद मुझ से बकाल को हैसियत से सलाह देने के लिए पहली बात उन्होंने यही कही, "सच्चाई से अगरे भाग चलना हो तो मैं मुकदमा लडने और अपनी कही झर एक बात का सच साबित कराने के लिए तयार हूँ।" और उमें ईमानदार पठान को यह सुनकर निस्मदह बड़ा अचरज हुआ कि ऐसा नहीं किया जा सकता। सरकार की शक्ति का अगरे यही उपयोग है कि उसके जरिए दग में ऐसी किसी सस्था को न रक्षित किया जाए दस को शक्तिशाली, मुदक और उन्नत करना चाहती हो तो वह शक्ति निष्पक्ष ही अनिष्टकारी है।"

अतः मैं उद्देश्य कहता हूँ कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन हूँ, क्योंकि "मान सार्वभौमिक के लिए निजी तौर पर मैं बहुत ऊंची राय रखता हूँ। यह श्रेष्ठ पुरस्कार है जो पूरा तरह सच्चाई और ध्याय के हक में है और सच्चाई की खातिर हर तरह का कष्ट सहन की तैयारी रहते हैं।" जिना ने भी इन शब्दों के साथ प्रस्ताव का समर्थन किया "सीमा प्रांत में शांति पदा करके बहा के लोगों का वैधानिक मांग पर वापस लाना प्रयत्न करना चाहिए। इस सदन में देशभर के प्रतिनिधियों ने जो आवाज उठाई है उसका सम्मान करना ही चाहिए। मैं कहता हूँ अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। उनसे दिल जीतकर सीमा प्रांत में सच्ची शांति और सद्भावना कायम करो।" इनके बाद मतदान में 46 के विरुद्ध 72 मत से प्रस्ताव पास हो गया।

भूलाभाई ने असेम्बली में जो कार्य किया और अपने भाषणा तथा बहस में उद्देश्य देना की जा सेवा की उसका यह धाड़ा सा घणन है। और भी कई महत्वपूर्ण मामलों में उद्देश्य अपना योगदान दिया, जिसका प्रसंगानुसार बाद में बताने करेंगे। फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनपर यहाँ संक्षिप्त दृष्टिपात कर लेना ठीक होगा।

असेम्बली के प्रश्नोत्तरों में भूलाभाई सक्रिय भाग नहीं लेते थे। यह काम उद्देश्य अपने पक्ष के दूसरे वरिष्ठ सदस्यों पर छोड़ दिया था। इनमें सत्यमूर्ति और अविनाशचलिंगम चेट्टियार सबसे बढ़कर थे और सरकारी पक्ष का बड़ा तारा करते थे।

रेलवे बजट पर बहस में जो 22 फरवरी 1935 को शुरू हुई थी, भूलाभाई ने महत्वपूर्ण भाग लिया। कामस मेम्बर ने रेलवे बोर्ड के खर्च की मद में 8,25,00 रु० की मांग पेश की थी जिसे घटाकर केवल एक रुपया कर देने का सजोधन भूलाभाई ने रखा। इस सम्बंध में बोलते हुए उद्देश्यने शासन सुधार योजना में रखी गई उस व्यवस्था की बड़ा आलोचना की जिसमें रेलों के मामले का वित्तिय असम्बन्ध का आलोचना के क्षेत्र से बाहर रखने की बात थी। रेलवे बोर्ड की शक्ति-शक्ति का बुरा तरह परदाफाश किया और भारतीयों को रेलों की व्यवस्था से दूर रखने की ओर अपनी ही संपत्ति की व्यवस्था का अनुभव प्राप्त करने से रोकने की सहायता किया। उद्देश्यने कहा "भारतीयकरण शब्द ही सरकारी नीति की भरसना है। किसी

भी भाषा में 'भारतीयकरण' शब्द होना ही क्यों चाहिए ? ब्रिटिषकरण, फ्रांसीसीकरण या जापानीकरण जैसे शब्द क्या किसी ने सुने हैं ? 'भारतीयकरण' शब्द को तो सदन की बहस के विवरण से ही निकाल देना चाहिए । जब ऐसा समय आ जाएगा कि भारतीय अपने मामला का खुद दायजभाल करने लगेंगे तब 'भारतीयकरण' शब्द प्रक्रिया न रहकर तथ्य बन जाएगा और उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी ।" यह भाषण इतना जोरदार था कि इस पर बीच-बीच में तालियाँ ही नहीं बजी, बल्कि मरवाही पक्ष से वामसंभवद्वार का जवाबी भाषण ही जान के बाद भूलाभाई के सशोधन के पक्ष में अग्रज और नामजद सदस्यों के विरोध के बावजूद 75 मत आए और वह पास हो गया ।

1936 में उद्दामे कम्पनी (सशोधन) बिल की बहस में सक्रिय भाग लिया और उसके लिए धनो प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) का इस सम्बन्ध में अपना काल्पनी जीवन के व्यापक अनुभवों से बड़ा लाभ पहुँचाया । कम्पनियों के मनेजिंग एजेंटों को मिलने वाले पारिश्रमिक का उन्होंने एक आधार निश्चित किया, जो अभी तक कायम है । उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि मनेजिंग एजेंट को मिलने वाली रकम कम्पनी को होने वाले शुद्ध लाभ के अनुपात से ही निश्चित होनी चाहिए । इसी तरह और भी रचनात्मक सुझाव देकर कम्पनी सम्बन्धी कानून को ऐसा बनाने में योगदान किया जिससे मनेजिंग एजेंट या डाइरेक्टर आदि कोई कम्पनियाँ से अनुचित लाभ न उठा पाए । 1936 में इसने कानून का रूप लिया ।

इसी तरह इश्वारेंस (बीमा) बिल की बहस में भी, जिसने 1938 में कानून का रूप लिया, उन्होंने महत्वपूर्ण भाग लिया । ला (कानून) मेंबर नपेंद्रनाथ सरकार ने उस पक्ष किया था, जिन्हें अपने कालत के अनुभव से कुछ भारतीय बीमा कम्पनियों द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों की पूरी जानकारी थी और उन्होंने उन्हें राकन के लिए यह बिल तैयार किया था । ऐसी गड़बड़ी से लाभ उठाने वाले जो लोग थे उनके निहित स्वाद्य हो गए थे । और उनके प्रतिनिधि 1937 के अगस्त-सितम्बर में बिल पर विचार के समय भारी सख्या में शिमला पहुँच गए थे । सम्बद्ध विषय की पूरी जानकारी और प्रतिपादन कुशलता के कारण उन्होंने बहुत अच्छी तरह बिल पेश किया, जिसमें मनेजिंग एजेंटों के बारे में उन्होंने कहा, "ईश्वर की

संघटि के तीन पयुआ म मुझ बड़ा कर लगता है ये हैं शेर, साप और बीमा कम्पनियों के मनेजिंग एजेंट ।

भूलाभाई न इन बड़ग म भाग लिया । उनका मतभ्य था कि यह बिल राजनीतिक न हान पर भा दग म जा राजनीतिक स्थिति है, उससे अप्रभावित नहीं है । अंग्रेज बीमा कम्पनियों का भारत पर ब्रिटिश शासन होने के कारण कुछ मुक्ति पाए हैं जि ह व छोड़ना नहीं चाहत । यह स्थिति ठीक नहीं है और कानूनी सरक्षों के बजाय उठे भारत के लोगों की सम्भावना प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । बीमे के व्यवसाय म लगे सभी लोगों के हिता का समन्वय कर सबको एक समान मुविधा मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए । साथ ही बीमा कम्पनियों के एजेंटों का दिए जाने वाले कमीशन म कमी कर अपने राब का अनुपात घटाना चाहिए और सुरक्षित कोष कायम कर उसका रूपया सिक्कोरिटियों मे रक्षना चाहिए । जहा तक मनेजिंग एजेंट का मवाल है मैं इस पक्ष म हू कि बीमा कम्पनियों मे उनकी भरत नहीं लेकिन इसके लिए जो करार पहले हो चुके हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

मौजूदा मनेजिंग एजेंटों के प्रति सहानुभूति के लिए लोगों ने उनकी भाला-चना की और उहोन पुराने करारों को पाच साल तक कायम रखन का जा सुयाव दिया था, उसका जिना ने बड़ा विरोध । उनकी इन बात की भी जिन्ना ने आलोचना की कि मौजूदा करार खत्म कराने के लिए तो अदालतों की ही दरण लेनी पड़ेगी । उ हान कहा 'अदालत हम क्यों जाए ? कानून बनाना तो हमारा ही काम है । अदालत तो सिफ उनका भाध्य करने और उहू अमल मे लाने के ही लिए है ।' लेकिन भूलाभाई का जोर इसी बात पर रहा कि पालिसी लेने वालों की हितचिन्ता के साथ इस व्यवसाय म सलग्न सभी के हिता का समन्वय करत हुए भारतीय बीमा व्यवसाय को समुन्नत करने का प्रयत्न होना चाहिए । और बिल के तृतीय भाचन पर, भाषण करते हुए अपने विशेष अदाज से उहोने कहा "इस तरह के कानूनी मामलो म सभी के स्वार्थों का सरक्षण सम्भव नहीं होता । अपने लम्बे कालकी जीवन म मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जीवन मे समझौता किए बिना काम नहीं चलता । साथ ही यह सिद्ध करना भी सम्भव नहीं होता कि ज

समझौता किया जा रहा है यह ठीक ही है। पर कोई भी समझौता करते समय भविष्य का विचार करके, पूरी ईमानदारी से काम लेना चाहिए।

स्वराज्य की असली कुजी सेना का त्वरित भारतीयकरण में है, 1927 में प्रवृत्त किए इस विचार पर भूलाभाई अब भी कायम थे। इस पर विचार के लिए कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर बोलते हुए 1938 की 2 सितम्बर को उन्होंने इन स्पष्ट दावों में भारतीय मांग उपस्थित की "हमारी निश्चित रूप से यह मांग है कि सेना पूर्णरूप से भारतीय होनी चाहिए जिसके अफसर भी भारतीय ही हों और ब्रिटिश सेना किसी भी रूप में भारत में नहीं रहनी चाहिए इसी पक्ष भूमि में हम इस कमेटी की नियुक्ति चाहते हैं—सेना में जो भारतीय अफसर हैं उनकी तनखाह अंग्रेजी अफसरों के बराबर करके हमारे ऊपर फौजी खर्च बढ़ाने जसा काम के लिए नहीं हमारी तो यह निश्चित मांग है कि पन्द्रह साल के अंदर भारतीय सेना में कोई भी ऐसा अफसर नहीं रहना चाहिए जो भारतीय न हो। दूसरी बात हम निश्चित रूप में यह कहना चाहते हैं कि सेना में भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है और जो वादा किया गया था उस पर पूरी तरह धमल नहीं हुआ है। कुछ भारतीय ऐसे हो सकते हैं जो आपने पिटठू होने के कारण आपको प्रिय हो और उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया गया हो, या अपनी चापलूसी के कारण वे ऐसा मानते हो, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है और हम निश्चित रूप से यह समझते हैं कि यह अपमानित करने इस्तीफा देने के लिए वाध्य करने की, और संभव है तो बलात्कार करने नौकरी से हटाने की आपने पूरी कोशिश की है। हमारी राय में आपने कमेटी की सिफारिशों को अमली रूप देने में यही तरीका अपनाई है। इसलिए हमारी मांग है कि भारतीय सेना में पन्द्रह वर्ष के बीच सभी अफसर भारतीय हो जाने चाहिए और उनके बीच भेदभाव की बात ही खत्म हो जानी चाहिए।"

असेम्बली की उनकी प्रवृत्तिया लुगभग 1938 के अंत तक जारी रही। 1938 के आखिरी दिनों में दूसरे महायुद्ध की संभावना स्पष्ट हो गई थी। सितम्बर 1938 में राष्ट्रसंध (लीग ऑफ नेशंस) के वारे में बोलते हुए भूलाभाई ने उस दिन हिलटॉप के साथ ही देवाइल चम्बरलैन की भेंट का उल्लेख किया

उन्होंने यह भविष्यवाणी की "मुझे लगता है कि घम्बरलेन ब्रिटिश साम्राज्य को नायम रखने के लिए चबोस्लावाकिया की स्वतंत्रता का सीदा करेंगे।" उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए ही शान्ति का राग बलाप रहा है।

भूलाभाई की असेम्बली की बारगुजारी पर दृष्टिपात करने के बाद हमें हमें दल के नेता के रूप में उनके गुणा तथा उनकी वाद विवाद पटुता का बिन्दन करना चाहिए। यह तो हम पहले ही बता चुके हैं कि लिबरल राजनीति के नाम से उ होने सावजनिक जीवन में प्रवेश किया था और उग्र राजनीति को उन्होंने कभी नहीं अपनाया। लेकिन इसमें शक नहीं कि लिबरल मनोवृत्ति होने पर भी कांग्रेस में प्रवेश के बाद वह उसने प्रति पूरे धरपादार रहे। असेम्बली में उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति का ही प्रतिपादन किया। यह जरूर है कि कांग्रेस के वह अधक नहीं थे और अपना स्वतंत्र मत भी रखते थे। जसा कि उनके भाषणों से सामक कम्पनियो और बीमा सबधी बिलो की बहस में लिए भाषणा से स्पष्ट है। बुराई को दूर करने के लिए उनकी निगाह हमेशा एम उपाया पर रहती थी जो 'दायपूष और मुक्तिपुक्त हा।

उनका ब्यक्तित्व आकषक था। स्वभाव में विनम्र और गिष्ट थे, पर किना से डरने दबने वाले नहीं। मुल पर सज था और बौद्धिकता की छाप। आवाज स्पष्ट और मधुर। असेम्बला में जब तक भाषण करते सदस्य सुनने के लिए दौड़ पड़ते और सदन खचाखच भर जाता। लम्बी शरबानी में, हाथों को पीछे बाधकर कुछ झुके हुए खड़े होकर भाषण करने हुए वह प्राचीन काल के रोमन सनटर जैसे मालूम पड़ते थे। अपनी प्रोजेक्वी व मधुर भाषा में धाराप्रवाह बोलते हुए, कभी कभी विनोद की भी वह पुट देते थे पर उसमें किसी पर कोई आक्षेप न हाता। इससे वह सभी की सद्भावना के पात्र थे।

इस तरह सभी दृष्टियों से अपनी पार्टी के वह योग्य नेता थे। और पार्टी के लोग उनसे मिल जुल कर काम करने की प्रेरणा पाते थे। आगे आने के लिए उन्होंने कभी कोई उताड़ पछाड नहीं की, न आगे आने का उह कभी लाभ ही हुआ, इसके विपरीत प्रश्नोत्तर, बिलो पर होने वाली बहस तथा काय स्थगन प्रस्तावी क

समय पार्टी के सदस्यों को अपना जोहर दिखाने का वह पूरा मौका देते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण न केवल अपनी पार्टी में वह लोकप्रिय हुए, बल्कि सरकारी पक्ष, मुसलमान सदस्य तथा असेम्बली के सभी क्षेत्रों में उन्हें पसंद किया जाता था। सदन में या बाहर न तो वह अलग-थलग रहते थे, न उनके व्यवहार में घमण्ड की वृद्धि, लोग उनकी इज्जत करते और सम्मानपूर्वक ही उनके साथ पेश आते थे। वह कुछ गंभीर अवश्य थे और किसी का मुंह न लगाते थे। छोटी-छोटी गोष्ठियों में वह अवश्य वेतकलुफी से पेश आते थे। ऐसे समारोहों में अक्सर उन्हीं के कारण जान आती थी क्योंकि मजिदर किस्से बहानिया सुना-सुनाकर वह लोगों का मनोरंजन करते और समारोह को मजिदर बना देते थे।

वक्ता निस्संदेह वह अच्छे थे, पर अब अनेक प्रसिद्ध वक्ताओं की तरह उनकी भी कुछ विशेष आदतें थीं। भूलाभाई अपने भाषणों में 'आशा और विश्वास' (मुझे आशा है और इस बात का मुझे विश्वास है) शब्दों का बार-बार प्रयोग करते थे। इसी तरह प्रसंगानुसार अपना उल्लेख वह इन शब्दों में करते, "मैं उन लोगों में हूँ या 'मैं उन लोगों में नहीं हूँ।' अपनी बात को वह सक्षिप्त और निश्चित रूप में कह सकते थे, लेकिन कई बार वह ज़रूरत से ज्यादा बोल जाते और वाक्यों का ठाक ढग से पूरा न कर पाते।

लेकिन ये ऐसे मामूली दोष हैं जिनका असेम्बली में तथा अ-पक्ष, राजनीतिक नेता और वक्ता के रूप में उनकी महान सफलता को देखते आसानी से दरगुजर किया जा सकता है। किसी भी लोकतंत्रीय दश में प्रचलित किसी भी मापदण्ड से क्या न देखें, विधायक की हैसियत से उनका स्थान बहुत ऊँचा है। उन्हें ऐसे विरोध पक्ष के नेतृत्व का अवसर मिला, जिसका विरोध के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उस समय जसी स्थिति थी उसमें सरकारी पक्ष को हटा करके स्वयं सत्ता ग्रहण करना उसके लिए संभव ही नहीं था। लेकिन ऐसी मजबूरी के वातावरण में भी अपने सार असेम्बली काल में उठाने निराशा का पाम भी नहीं फटवने दिया। इसी कारण यह था उनके दिल वाले जो भी कुछ कहते उस पर सरकारी पक्ष हमेशा ध्यान देता था।

मोतीलाल नेहरू की तुलना में वह कैसे रहे? यह ऐसा प्रश्न है जो उन दिनों अक्सर किया जाता था। इस सम्बन्ध में उनके एक ऐसे साथी ने, जिसे उनसे काम



को निकट से देखने का अवसर मिला था, जो कुछ कहा वह बताना अनुचित न होगा। दोनों की तुलना करने हुए उसने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि "मातालाल का स्वराज्य पार्टी के नेता बनने से पहले से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा नाम था। धानदभवन के स्वामी और जवाहरलाल के पिता के रूप में उनकी ख्याति थी। उनका चारे में कितनी ही कथाएँ प्रचलित हो गई थीं। वह उस समय के अद्वितीय पुरुष थे। भूलाभाई के चारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता था और वकालत में मातीलाल से ज्यादा मशहूर होते हुए भी कांग्रेस के विधान सभा क्षेत्र का नेतृत्व ग्रहण करने के समय तक राजनीति में वह नौसिखिए ही थे। असेम्बली के वाद विवाद का जहाँ तक सम्बन्ध है, मोतीलाल हथौड़े के प्रहार करते थे, जबकि भूलाभाई हिरन की तरह ऊँची नीची पहाड़ियों पर छलाग लगाते थे। सावजनिक वक्त के रूप में निस्संदेह भूलाभाई मोतीलाल से बढ़कर थे, लेकिन मोतीलाल में जो बूटकरिया लेने का माहा था उसका भूलाभाई में अभाव था। साथ ही मोतीलाल में लेखन कौशल भी खूब था।

दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर व्यक्तित्व का था। मोतीलाल को अपनी शक्ति का भान ही नहीं, जब भी था। एक मशहूर अखबार ने उन्हें देश का सबसे गर्वीला आदमी बताया था। मोतीलाल जी सतोषपूर्वक इस उक्ति को दुहराते थे। उनका विशाल जबड़ा ऐसा था, मानो शाही घोषणा के लिए ही हो। हकमउद्दुनी उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं थी, और उल्लंघन करने वाला कोई भी क्यों न हो, उसका वह तुरन्त शासन करते थे। लाला लाजपतराय के साथ उनका विवाद इसका उच्चतम उदाहरण है, जिसमें आखिर महात्मा गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। भूलाभाई इससे बिल्कुल अलग किस्म के हैं। उनकी मृदु मुस्कान उनकी गिष्टता की झोतक है। साथ ही उनमें दुनियादारों और आदमी से बरतने की चतुराई भी है। इसी कारण असेम्बली में जिन्ना और उनके गुट के साथ निकट सहयोग से काम करते हैं और अपने दिल में प्रेमभाव से मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ाई है, जसा मोतीलाल के वक्त में शायद ही कभी हुआ हो। अपने इन गुणों से उन्होंने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की है और अग्रजों में वह खाम तोर से लोकप्रिय हैं। यह बात इसलिए और भी उल्लेखनीय है, क्योंकि आत्मप्रचार की ओर उनका कोई ध्यान नहीं है। अखबारों में अपने प्रचार की उनका कोई चिन्ता नहीं, जबकि मोतीलाल

ने अपनी काफी बमाई खच कर खुद अपने अखबार निकालने मे भी सकोच नहीं किया ।

भूलाभाई ने असेम्बली मे थोडे ही समय मे जो कारगुजारी दिखाई वह एसी शानदार थी कि एस्किवथ, एडवड कासन, एफ० ई० स्मिथ और सर जान साइमन जस महान विधायका की श्रेणी मे उनकी गिनती की जा सकती है, जो सभी वकालत क रास्ते राजनीति मे आए और बीसवी सदी के प्रारम्भिक दशको मे इस क्षेत्र मे अदभुत सफलता प्राप्त कर मशहूर हो गए ।

1939 मे द्वितीय महायुद्ध छिडने पर सेण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली से कांग्रेस कसे हटी यह हम आगे देखेंगे । कांग्रेस के हट जाने के बाद असेम्बली की कारवाई मे भूलाभाई न सिफ दो अवसरो पर भाग लिया, एक तो युद्ध के लिए खच की माग पर उसे नामजूर कराने के लिए 19 नवम्बर 1940 को और दूसरी बार भी ऐसी ही माग नामजूर कराने तथा भारतीय स्वतंत्रता की माग के लिए 1945 के माच मे । इन दानो अवसरा पर उन्होंने जो महत्वपूर्ण भाषण दिए उन पर हम यथास्थान बाद मे विचार करेंगे ।

## पदग्रहण और पदत्याग

अब हम उस समय की कांग्रेस की गतिविधियाँ और उनमें भूलाभाई की प्रवृत्तियों पर थोड़ा दृष्टिपात करें जबकि वह असेम्बली में कांग्रेस दल के नेता थे। कांग्रेस में समाजवादी प्रभाव के प्रवेश की बात हम पहले जान ही चुके हैं। यह भी हम बता चुके हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस का इसमें सास हाथ रहा, जो दोनों ही नई पीढ़ी के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल ने तो दिसम्बर 1933 में ही एक सावजनिक वक्तव्य में कहा था— 'फासिज्म और कम्युनिज्म के बीच कोई मध्यमार्ग नहीं है। हमें इन दो में से ही किसी एक को चुनना होगा और मैं साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के सिद्धान्त का पसंद करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह हर्गिज नहीं कि कम्युनिज्म के अधभक्ता ने जो कुछ किया या जो कुछ वे कहें, उस सब को मुझे मानना चाहिए। कम्युनिज्म की भूल विचारधारा और उसमें इतिहास का जो वैज्ञानिक प्रतिपादन है उसे मैं जरूर ठीक मानता हूँ, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि बदलती हुई स्थितियों और प्रत्यक्ष देश की अपनी परिस्थिति के अनुसार उसे त्रियाचित ही करना चाहिए।' सुभाष बोस के रूपाल में नेहरू के विचार बुनियादी तौर पर गलत थे, क्योंकि यह बात तकसम्मत नहीं है कि इन दिनों के सिवा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। मेरा तो विश्वास है कि दोना के संयोग से नया रास्ता निकालना संभव है और हमारा देश भारत ऐसा करेगा इसकी मुझे पूरी आशा है।'<sup>1</sup>

1 हिस्टरी आफ फीडम मूवमेण्ट इन इंडिया' से (खंड 3 पृ० 555-556)

अप्रैल 1936 में हुई लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण करने हुए जवाहरलाल ने अपने साम्यवादी विचारों का खुलकर प्रतिपादन किया। इसके बाद दुबारा अध्यक्ष चुने जाने पर उसी साल (1936) दिसंबर में फजपुर कांग्रेस में अपनी इस विचारधारा की परिपुष्टि की। अधिवेशन के एक महीने पहले रूस में नया साम्यवादी विधान बना, इसलिए फजपुर कांग्रेस का वातावरण स्वभावतः समाजवादी नारा से आच्छादित था। किसान मजदूरों के अधिकारों पर उनमें जोर था। समाजवादी पक्ष यहाँ इतना प्रबल था कि कांग्रेस की विषय समिति में उभरने जाकर दिया कि अधिवेशन का यह घोषणा करनी चाहिए कि समार के पराधीन राष्ट्रा और मावियन रूस की जनता के साथ भारत की जनता एकजुट है।

मगर फजपुर-कांग्रेस तक कम्युनिज्म के बारे में जवाहरलाल का जोर काफी कम हो गया था। 'कांग्रेस के इतिहास' में इसका कारण एक साल के उनके अनुभव को बताया गया है, लेकिन यह बड़ना सायद ज्यादा सही होगा कि यह सब गांधीजी और उनके सावरमती आश्रम के निकट सपक का परिणाम था।

भूलाभाई देसाई असेम्बली के काम में व्यस्त थे, साथ ही कांग्रेस की गतिविधियाँ में भी सक्रिय भाग लेते रहे। 5 फरवरी 1936 को त्रिपे उनके एक पत्र में इस बात का उल्लेख है कि "राजनीतिक कदियों मवधी प्रस्ताव का मसौदा मैन और सुभाष वास न मिलकर तैयार किया जबकि सभ मवधी प्रस्ताव राजाजी न। इसके अलावा म य कई प्रस्ताव भी मैन तयार किए। राजनीतिक कदियों की रिहाई और बिहार तृष्ठा उत्तर प्रदेश में गवर्नरी के रूप को छाड़ दूसरे मामला में वातावरण कुल मिलाकर ठीक मालूम पड़ता है। लेकिन गवर्नरी के चुकन स इनकार करने पर प्रा तीय परि पद का क्या रूप अपनाता चाहिए इसका अंतिम निणय तो शास का गांधीजी जा सलाह देंगे उमी पर निर न है।" गवर्नरी के रख से मनलव सायद बिहार और उत्तर प्रदेश के गवर्नरी शासन में अपनाए गए अथाधु ध दमन से है जिसके फलस्वरूप बहा बहुत बडा मरया में कार्यम वाले जेला में बढ थे।

लगभग इसी समय वह हिन्दू मुसलमानों के बीच समझौते के लिए भी प्रयत्न मील थे और इसके लिए मुस्लिम नेता आगाखा से बातचीत चला रहे थे। एसा

मालूम पड़ता है कि सयुक्त निर्वाचन के सबध में वाई ऐसी तजवीज सुझाने के लिए उठाने आगावा में कहा था जो मुसलमानों का स्वीकार हो। इसके जवाब में आगावा ने भूलाभाई को लिखा था 'सयुक्त निर्वाचन की ऐसी कोई तजवीज में नहीं सुझा सकता जो निर्विरोध हो। पंजाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वहाँ इस समय जो स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है इसमें कुछ शक है। फिर भी इस मामले को छाड़ दिया जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता।' और आश्वासन दिया कि 'ज्यों ही मुझे उपयुक्त अवसर दीखेगा, मैं अपने सुझाव आपको भेजूंगा। इस बीच यह ध्यान रखें कि मुस्लिम (मुस्लिम बहुल) प्रांतों की मर्जी के बगैर कुछ करने की वाशिना नहीं है ता उसका परिणाम खतरनाक होगा।'

नए शासन सुधारों के अंतर्गत चुनाव लड़ने और कांग्रेस द्वारा पदग्रहण के मामले पर कांग्रेसी नेताओं में भारी मतभेद था। दिल्ली से 2 अप्रैल को अपने घर भेजे पत्र में भूलाभाई ने इसके बारे में कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया बताई थी। उन्होंने लिखा 'कांग्रेस की भावी नीति के बारे में विचार बदलत रहते हैं, इसलिए निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी की स्थिति तो यह है जवाहरलाल निश्चित रूप से पदग्रहण के विरुद्ध है, लेकिन कांग्रेस का बहुमत पदग्रहण का निणय करल तो उनका क्या रुख रहेगा यह नहीं कहा जा सकता। राजेन्द्रबाबू और वल्लभभाई से प्रभावित बगैर लक्ष्यपूर्ति के साधन के रूप में पदग्रहण के पक्ष में है। जवाहरलाल इसे गलत और प्रतिक्रियावादी मनोवृत्ति बताते हैं। वह रूस के समाजवादी नारों में विश्वास रखते हैं और उसी के अनुकूल बात करते हैं। दूसरा बगैर यह मानता है कि कांग्रेस को अधिकांश प्रांतों में बहुमत नहीं मिला और उसने पदग्रहण नहीं किया तो उसका यह दुष्परिणाम होगा कि उस हालत में बनने वाले मंत्रिमण्डल ब्रिटिश पक्षपाती होगा, जो आर्डिनेंसों सहित सभी दमनकारी कानूनों का अमल जारी रखेंगे और कांग्रेस को हर तरह कुचल डालने की कोशिश के अलावा किसान मजदूर आदि ग्रामीणजनों को कुछ मामूली राहत देकर जनता को कांग्रेस से विमुख करने का प्रयत्न करने में भी वाई कसर नहीं रखेंगे। इस बगैर का यह भी खयाल है कि जवाहरलाल के नारों का दिखावटी असर चाहे हों पर भारतीय जनता पर उसका कोई स्थिर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरा अपना विचार यह है कि जवाहरलाल न जो रुख अपनाया है उससे कांग्रेस को चुनाव में बहुमत नहीं मिलेगा।

‘पदग्रहण का कायश्रम तथा सफल हो सकता है जब कांग्रेस इस विषय में एकमत हो और उसका कायश्रम व्यापकान्वित रखा जाए। पदग्रहण के बारे में विचार जारी है और आग सोमवार को प्रयाग में विचार होगा। जवाहरलाल का कायश्रम बताते हैं, उस पर बड़ पमान पर चुनाव उठना संकार है क्योंकि उसका आधार पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा। उसमें परिश्रम और धन व्यय जाएगा। पालमटरी बाढ़ भी उस हालत में घनात्रय है क्योंकि तब कायश्रमविधि विधान सभा में कवल प्रचार के लिए कुछ ही उम्मीदवार पड़ेंगे।’

‘विचार विनिमय में मैं पूरा भाग ले रहा हूँ। महात्माजी और राज द्रवाकु का समयक वग (जिसमें मेरी भी गिनता है) मेरे विचारों से महत है। बापू (गाधीजी) जवाहरलाल को अपन रास्त लान के लिए उतना काशिश नहीं कर रहे हैं जितनी मैं समझता था। देखना है क्या होता है। इस बीच हम अपने पान और अनुभव का पूरा उपयोग करके देश को ठीक रास्त लजान के लिए सहा निरूपण पर पहुँचना ही चाहिए।’

अतः मैं उहोने लिखा  
 तरह के अनुमान लगा रहूँ हैं।  
 वातचात गुप्त चल रही है इसलिए लोग तरह  
 पत जी की राय मेरी राय से सबसे ज्यादा  
 मिलती है। महात्माजी सहज प्रवृत्ति से अतः मैं टाक रास्ता निवाल लेते हैं।

गाधीजी और राजाजी (राजगोपालाचाय) में ऐसा लगता है उन दिनों कांग्रेस सबधी कुछ मामलों में मतभेद बढ़ रहे थे। इस सबध में गाधीजी के कहने पर राजाजी बंबई में भूलाभाई से मिले और उही के यहाँ वह ठहरे भी थे। बातचीत के बाद बंबई से लौटते हुए 22 अगस्त 1936 को रेलगाड़ी से उहोने भूलाभाई को पत्र लिखा ‘बापू के आग्रह पर मैं बंबई आकर आप सबसे मिला यह बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो उस समय मेरी मनोस्थिति ऐसी थी कि वर्धा से चुपचाप भागकर सीधा अपने घासल में जा छिपूँ। जिस स्थिति में मुझे ऐसा प्रग्र कर दिया था उसको लेकर जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैं आप लोग से न मिलता तो बहुत बुरी बात होती। आप मेरे साथ जिस स्नेह और उदारता से पेश आए उसका याद मुझे हमेशा बनी रहेगी। आपकी उत्पारता और निस्वाय वृत्ति की मैं प्रशंसा करता हूँ।’

1935 की नई शासनमुधार योजना के अतगत 1937 की फरवरी में प्रातीय कौंसिलों के चुनाव हुए। कांग्रेस ने कॉमिल प्रवेश की अपनी नीति के अनुसार चुनाव में भाग लिया। इसमें कई प्रांतों में—जैसे मद्रास, संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश), मध्य प्रांत (मध्य प्रदेश), बिहार और उड़ीसा में—उसे पूर्ण बहुमत मिला। बंबई, बंगाल, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, इन चारों प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं हात हुआ भी उसके सदस्यों की संख्या, अथवा किसी भी पक्ष के सदस्यों से अधिक नहीं, यानी कौंसिल में उसी का दल सर्रास में सबसे बड़ा था। सिंध, पंजाब और पञ्जाब ऐसे प्रांत थे जहाँ कांग्रेस को कम स्थान मिले और वह अल्पमत में रही।

चुनाव में ऐसी सफलता और प्रातीय कौंसिलों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि कांग्रेस इस स्थिति का लाभ उठाए या नहीं? मार्च 1937 में होने वाले महामिति के अधिवेशन में इस संबंध में विचार्य होना था। वहाँ परस्पर विरोधी विचार सामने आए, लेकिन बहुमत के बाद मत लेने पर पदग्रहण न करने का सलाह गिर गया और कुछ शतक के साथ पदग्रहण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। शतक यह भी कि गवर्नर अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग कर मंत्रियों के नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अतः में समझौते का ऐसा रास्ता निकाला गया जिसमें वाइसरॉय ने आश्वासन दिया कि सरकार और जनता के बीच यथासंभव अधिक से अधिक सहयोग बनाए रखा जाएगा और ऐसी नीयत न आने दी जाएगी कि परस्पर मतभेद के कारण मंत्रिमण्डल को हस्तक्षेप देना पड़े। वायसमिति ने इस आश्वासन को स्वीकार कर कांग्रेसजनता को पदग्रहण करने का इजाजत दी। फलस्वरूप जिन प्रांतों की असेम्बलियाँ में कांग्रेस का बहुमत था वहाँ कांग्रेस ने अपने मंत्रिमण्डल बनाए।

राजाजी, गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक जैसे बृहत् योग्य व्यक्तियों का कांग्रेस ने मुख्य मंत्री बनाया। जब तक कि मंत्रिमण्डल रहे इन्होंने अपने प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा, मद्यनिषेध और अछूतों के जनों अन्यायों को दूर करने की वांछित नीतियों को जिनका कांग्रेस सरकारों से प्रतिपादन करता आ रही थी। बंगाल और पंजाब में जो गैर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बन उठे हैं भी कांग्रेस की हालत सुधार के लिए कई अच्छे काम किए।

इतने पर भी यह मानना ही होगा कि जिन प्रांतों में कांग्रेस का बहुमत था वहां मंत्रिमंडल बनाने में मुसलमानों के वारे में बड़ी जटिल समस्याएँ पैदा हुईं। इसमें शक नहीं कि इसी की लेकर भारतीय जनता का एक बड़ा समुदाय ऐसा मानता है कि कांग्रेस ने जो डग अपनाया उससे अधिक ही अधिक होन वाले देश के बटवारे की नींव पड़ी। भूलाभाई ने आगे चलकर हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जो प्रयास किया उससे इसका कुछ संबंध है, इसलिए इस पर एक दृष्टि डालना आवश्यक है।

गोलमेज कांग्रेस में यह सब के बतलाने के लिए मान लिया गया था कि प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाते समय उनमें सभी प्रमुख जातियाँ और खासकर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व रहेगा लेकिन कांग्रेस ने जब पदग्रहण का निश्चय किया तो उसने यह सिद्धांत अपनाया कि कांग्रेसी प्रांतों में केवल कांग्रेस जनो का ही मंत्री बनाया जाए। मुस्लिम लीग का, जो उस समय निश्चय ही मुसलमानों के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करती थी, कहना था कि मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के हान चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुस्लिम लीग को छोड़कर कांग्रेस का सत्य बनना जरूरी है। इससे मुसलमानों में कांग्रेस का विरोध बढ़ा और मुस्लिम लीग की ओर उनका झुकाव बढ़ गया।

स्थिति का पूरी तरह समझने के लिए हम समुक्त प्रांत पर नजर डालनी होगी, जहाँ मुस्लिम आवादी सिर्फ 16 फीसदी हान पर भी मुसलमानों का दश के अधिक भागों की अपेक्षा अधिक प्रभाव था। अन्तर्गत यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त मुसलमानों और मुसलमान जमींदारों का वहाँ बड़ा प्रभाव था। उनमें से कुछ तो अखिल भारतीय स्वायत्तता के नेता थे। यह भी कहा जाता है कि कुछ ऐसी बातचीत भी हो गई थी कि चुनाव में सफलता मिलने पर संयुक्त मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जिसमें दो स्थान मुसलमानों का मिलेंगे। संभवतः समाज के अनुसार कांग्रेस मुस्लिम लीग के सदस्यों का ऊपर लिखी शर्त पर मंत्रिमंडल में रखने का तयार थी। जिसका प्रकारान्तरेण से यही मतलब होता था कि मुस्लिम लीग कांग्रेस में शामिल हो जाए। कांग्रेस ने जो कदम अपनाया उसका आधार जवाहरलाल की इस उक्ति को बताया जाता है कि देश में दो ही पक्ष हैं—कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार। पर



स्पष्ट ही मुस्लिम लीग इस बात को मानने के लिए तयार नहीं थी, क्योंकि उस हालत में उसे अपन को भग कर कांग्रेस में मिल जाना पड़ता ।

भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास (हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया) में बताया गया है कि 'कांग्रेस नेताओं का यह निश्चय बहुत नासमझी का था और इसका परिणाम घातक ही हो सकता था । मुसलमानों का इससे यह पूरा विश्वास हो गया कि उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है । इस तरह कांग्रेस की इस शक्त ने मुसलमानों को अलग रास्ता पकड़ने को प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप ही पाकिस्तान का नींव पड़ी । जवाहरलाल का इसमें लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिनकी राय थी कि "भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह पृथक् जाति अथवा नस्ल के नहीं बल्कि धर्म के कारण अल्पसंख्यक हैं । स्पष्ट ही धर्म का विभाजन स्थायी नहीं होता, क्योंकि धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, और ऐसा करने से जाति, सांस्कृतिक परम्परा एवं भाषा नहीं बदलती ।" यह दृष्टिकोण किताबी और सचचा अवास्तविक था । दुर्भाग्य से कांग्रेस इससे प्रभावित हुई । जसा कि कहा गया है जवाहरलाल अपनी ही कल्पना के लोक में रहते थे जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था ।

कांग्रेस का रुख वस्तुतः ठीक नहीं था, क्योंकि वह इस धारणा पर आधारित था कि दंग में मुस्लिम लीग का कोई खास असर नहीं है । मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व के लिए यह बात भी इसी धारणा से प्रेरित होकर लगाई गई कि उनका कांग्रेस में शामिल होना आवश्यक है । मुसलमानों ने इसका स्पष्ट ही यह अर्थ लगाया कि मुस्लिम लीग में रहने वाले मुसलमानों के लिए राजनीतिक पक्ष के सब रास्ते बंद हो गए हैं । मुस्लिम लीग का यह अर्थ लगाना भी स्वाभाविक था कि यह मुस्लिम लीग का खत्म करने का प्रयत्न है । जसा कि कहा गया है 'जिना ने 1937 के चुनाव इसी आधार पर लड़े थे कि हिंदू बहुमत वाले प्रांतों में मिले जुले मंत्रिमंडल बनेंगे और मुसलमान बिना कांग्रेस में शामिल हुए उनमें सहयोग देंगे । कांग्रेस और लीग का दृष्टिकोण में कोई खास फर्क नहीं है ।' यह बताकर लीगा नेता ने 1937 में कहा था 'कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम में सहयोग करने में हम सुगाहारी और इसके लिए हम हमारा तयार हैं । लेकिन सहयोग के बजाय कांग्रेस में

गामिल करन की जो नीति कांग्रेस ने—यासवर मयुक्त प्रांत में—अपनाई उससे जिना की इस नीति का बड़ा धक्का लगा। मंत्रीपूषण स्वतंत्र सहायक की आशा उससे एकत्र गम हा गई और मुसलमानों का हिंदुओं की नीयत पर भरोसा नहीं रहा। मध्यवर्गीय मुसलमानों के लिए राष्ट्रीय शासन का अर्थ हिंदू राज्य हो गया। जिना ने कहा, 'यह न्याय्य जाति ने यह बात साफ कर दी है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है।'

जिना ने इस चुनौती समझा और इसके मुकाबले का बटिबद्ध हो गए। उसमें उनका नतीजा खूब चमका। राष्ट्रीय बं विस्फोट उठे जो जिहाद बोल दिया। लखनऊ में मुस्लिम लीग के अधिवेशन का सभापतित्व करते हुए उन्होंने मुसलमानों को कहा कि वे संगठित होकर हिंदू बहुमत और हिंदू आधिपत्य का विरोध करें। पंजाब, बंगाल और असम में जो गैरमुस्लिम-लागी मुस्लिम दल थे उनके नेताओं पर भी कांग्रेस के रूप और जिना की चुनौती का असर पड़ा। इस तरह कांग्रेस ने जो नीति अपनाई उससे मुस्लिम लीग में जान डालकर उसे सुदृढ़ करने में बड़ी मदद की। फिर तो लीग का प्रभाव बराबर बढ़ता गया और चुनावों में भी उस अधिकाधिक सफलता मिलने लगी।

अपने अदूरदर्शी रूप के कारण कांग्रेस स्थिति का ठीक अनुमान नहीं लगा सकी। इसके बाद न तो 1930 में ही, इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के जलसे का सभापतित्व करते हुए भारत में मुस्लिम भारत बनाने की मुस्लिम मांग का एगान किया था। उन्होंने कहा था 'पंजाब, पश्चिमांचल सीमाप्रांत, सिंध और बलूचिस्तान का मिलाकर एक राज्य बना देना चाहिए। यह राज्य चाहे ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासित हो या ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर रहे, कम से कम पश्चिमांचल भारत में मुसलमानों का अंत में यहाँ मिलना, ऐसा भुक्के लगता है। यही में मुसलमानों के अलग दल की आवाज उठा। कमिश्नरों में पड़े एक नौजवान मुसलमान रहमतअली ने इस निश्चित रूप दिया और गालमज सम्मेलन के सदस्य बनकर जो मुसलमान लखनऊ गए थे, उनमें सामने वह रूपरेखा पेश की। इस उत्साही नौजवान ने बाद में उस छात्रों को लाना के पास भेजा। निस्संदेह उस वक्त उन पर किसी ने कोई खाम ध्यान नहीं दिया। लेकिन यह मानना ही होगा कि इनके ल

और रहमत अली की कल्पना धीरे धीरे जोर पकड़ती गई और इसमें कांग्रेसी नेताओं की गलत चाल से भी बड़ी मदद मिली। यह ठीक ही कहा गया है कि "कांग्रेस की यह वैसी ही गंभीर गलती थी जसी कि बीस साल पहले ब्रिटिश सरकार ने की थी जब गांधीजी को सनकी समझकर उसने उनकी उपेक्षा की थी।"<sup>1</sup>

वाइसराय लॉड लिनलिथगो ने प्रांतों में शासन सुधारों को सफल बनाने के लिए कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए अनेक उपायों के अलावा उन्होंने असेम्बली के भूलाभाई आदि कांग्रेसी नेताओं से भी बातचीत की। 13 सितम्बर 1937 के अपने एक पत्र में भूलाभाई ने वाइसराय के बारे में लिखा है कि "वह सकोची और सज्जन व्यक्ति हैं। उनमें शान नहीं मालूम पड़ती। जिस तरह बराबरी के दर्जे पर उन्होंने बात की, उससे मुझे ऐसा नहीं लगा कि वह दिखावा कर रहे हैं, बल्कि ऐसी छाप पड़ी कि हममें से कम से कम कुछ को वह अपना से नीचा नहीं मानते।"

यह प्रसन्न वाइसराय के साथ 7 सितम्बर 1937 को हुई मुलाकात में पड़ा मालूम पड़ता है। यह भी लगता है कि मुलाकात का सक्षिप्त विवरण उन्होंने गांधीजी को भी भेजा होगा। इस मुलाकात का जो विवरण भूलाभाई ने अपने पास रखा उसमें उन्होंने लिखा है

"वाइसराय के प्राइवेट सिक्रेटरी का पत्र पाकर मंगलवार की शाम मैं वाइसराय से मिला। प्राइवेट सिक्रेटरी से पूछने पर यह मुझे पहले ही बता दिया गया था कि किसी खास मुद्दे के बजाय सामान्य चर्चा ही होगी। जब मैं उनसे मिला तो सबसे पहले उन्होंने गांधीजी के स्वास्थ्य पर चिन्ता प्रकट की और उनके बारे में पूछनाछ की। स्पष्ट ही उसमें खाली शिष्टाचार ही नहीं था। गांधीजी के स्वास्थ्य में जो गिरावट आई थी उससे वह सचमुच चिन्तित मालूम पड़े। इसके बाद महत्व की पहली बात उन्होंने यह पूछी कि लोकतन्त्रीय सरकार इस देश में कामयाब होगी या नहीं। मैंने बताया है कि इस देश में कुछ समय तक राजतंत्र रहा अवश्य पर वह निरंकुश शासन के बजाय बहुत कुछ देश में केन्द्रीय सरकार के अभाव में हीन पर उसका विकल्पमान रहा। इसके अलावा उसके साथ-साथ गाँव वाले पचासतों

1 आक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया (पृ० 815-819)

द्वारा अपना शासन खुद ही चलाते थे जिसमें कभी-कभी ही हस्तक्षेप होता और बाहरी आक्रमण पर के द्रीय सत्ता से उन्हें सरक्षण मिलता था । जिस जाति प्रथा को हम दोषपूर्ण मानते हैं उसका भी मुख्य आधार लोकतंत्र ही है, क्योंकि उसमें निणय बहुमत के आधार पर ही होत है और उह सबको मानना पड़ता है ।

“मैंने उहे यह भी बताया कि दुनिया आज जिस तरह बदल गई है और खासकर भारत में भी जो परिवर्तन हुआ है, उसमें ब्रिटिश शासन की जगह हम लोकतंत्र कायम करके काम चला सकते हैं—माचविचार के बाद ही हमन उसको अपना राजनीतिक लक्ष्य बनाया है ।

“ इस बात की आर भी मैंन उनका ध्यान दिलाया कि भारत में जो सेना है वह साम्राज्यवादी उद्देश्य से रखी जा रही है और उसके पूणतया भारतीयकरण की दिशा में भी कोई कारवाई नहीं की गई है । इसलिए ब्रिटिश सरकार का यह दायित्व है कि असेम्बली में इस विषय पर हमने जो माग रखी थी उसके अनुसार उसके खर्च में कम से कम दस से पंद्रह करोड़ रुपये साल की रकम तो वह दे ही । लेकिन इसका कोई सतोपजनक जवाब नहीं मिला और पूव पश्चिम दोनों जगह इस समय जो नाजुक हालत है उसका उल्लेख कर इसे टाल दिया गया ।

“कांग्रेस का अधिकाधिक प्रातो के शासन पर अधिभार होता जा रहा है और विधान सभाओं के भीतर-बाहर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, इस स्थिति को उन्होंने स्वीकार ही नहीं कर लिया मालूम पड़ता बल्कि इस पर वह खुश भी मालूम पड़े ।

“इस बात पर भी मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया कि सच (फेडरेशन) की स्थापना के लिए हम उत्सुक नहीं हैं, बल्कि सच पूछो तो उसके खिलाफ हैं । हमारा यह भी मत है कि राजाओं को उसमें प्रवेश के लिए राजी करने को ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रांतों पर जो कि सच की मुख्य इकाई है ऐसा बोज नहीं बालना चाहिए जो अनुचित हो । सच योजना के बारे में अपना रुव भी मैंन उन्हें स्पष्ट किया । मैंने बताया कि देश की विद्यालता को देखत हुए, और राजनीतिक एव भौगोलिक कारणों से, यहा सुदृढ केद्रीय शासन का होना आवश्यक है, जिन तरह सच लागू

करने की योजना है वह सर्वोत्तम उपाय नहीं है, होना यह चाहिए कि सध ब्रिटिश भारत के प्रांता का बनाए जाए और उमम एसी गुजाइंग रखी जाए कि रियासतें जब चाह तब उसमे शामिल हो सकें, वशत दोनो पक्ष राजी हो ।

“बातचीत के अ त मे वायसराय ने मुझ बताया कि इस बात को यह समझत है कि हमारी तरफ से लगातार जार डाले बगर अग्रजा को बतमान शासन विधान म संगोधन के लिए तैयार करना कठिन है और कम से कम हमारी दृष्टि से इस सम्ब ध म हमारे प्रयत्नो की उहाने मराहना भी की ।

“यह भी मैंने उ हें बताया कि हमारे केन्द्रीय असेम्बली म आने का काई ठोस परिणाम न तो कानूनो के रूप म हुआ है और न प्रशासनिक कारवाई के रूप मे । यह भी बताया कि जन परामश का यह तरीका भी आजमाया जा चुका है, उसमे अब न तो मजा रहा है और न उससे लोगो को धोखे म ही रखा जा सकता है । व द्रीय असेम्बली मे फिर भी हम बने हुए हैं तो निस्सदह इसीलिए कि हर विषय पर अपने विचार व्यक्त कर लोकमत को उमके अनुकूल बनाने म मदद मिलती है और इस बात पर जोर देने का मौका मिलता है कि वतमान सरकार का रूप बदले बगर जनता की भलाई करना सम्भव नहीं है ।”

1937 म कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ । अंग्रेजी शासन से प्रान्तो म प्रशासन की जो समस्याए पदा हुई थी उनके कारण तथा हजारो की सख्या म भारतीयो को जेला मे डाल देने और तरह तरह के दमनकारी कानून बनाकर अघा धुध दमन शुरू कर देने से स्थिति बहुत बिगड गई थी ।

इस समय तब भूलाभाई कांग्रेस मे जो प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुके थे उसका इसी से पता लगता है कि 1938 मे वह बम्बई प्रा तीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए । कांग्रेस वायसमिति के सदस्य तो वह पहले से ही थे ।

कांग्रेस का 51वा अधिवेशन 1938 की फरवरी मे हरिपुरा मे हुआ । उस समय कांग्रेस मे तरुण और अधिक उग्र धम का प्रभाव बढ रहा था, जिसका स्पष्ट

प्रमाण सुभाष घोष का मय सम्मति से उन अधिवेशन का अध्यक्ष चुना जाना था । अधिवेशन में यूरोप में युद्ध की बटती हुई सम्भावना पर विचार कर एक प्रस्ताव द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि भारत एस साय्नाज्जवादी युद्ध में भागीदार नहीं बन सकता और अपने धन जन का ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में उपयोग नहीं करने देगा, न जनता की स्पष्ट स्वाकृति के बगर वह किसी युद्ध में शामिल हो सकता है । इसलिए भारत में युद्ध की तयारी और बड़े पैमाने पर युद्धाम्वास तथा हवाई हमले से रक्षा की एहतियाती कारवाइ को वह पसन्द नहीं करता, जिसके द्वारा एमा वातावरण बनाया जा रहा है मानो युद्ध भारत के द्वार पर है । और भारत को युद्ध में शामिल करने का यत्न किया गया तो उमका प्रतिरोध विष्ण जाएगा ।”

इसा प्रस्ताव के फलस्वरूप प्रान्तों के कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने पद त्याग किया और फिर भारतीय जनता की स्वीकृति बगर भारत का युद्ध में घसीटने के विरोध में मविनय अवका आन्दोलन चलाया गया ।

सुभाष वाम इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके उग्र अनुयायी वग और गांधीजी के अनुयायियों के बीच मतभेद इतने बड़े कि समाधान लगभग असभव हो गया । उनके विस्तार में जाने की यहा कोई जखुरत नहीं है । अलबत्ता यह जरूर कहना पड़ेगा कि फूट का जानतीजा होता है वही यहाँ भी हुआ और कांग्रेस उससे निस्सन्देह कमजोर पड़ी । मार्च 1937 में त्रिपुरी में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन को लेकर तो य मतभेद बहुत ही बढ़ गए । गांधीजी ने उसकी अध्यक्षता के लिए पट्टाभि सीतारामय्य का नाम सुझाया और उनके पक्ष में अपना जोर डाला । उनके विरुद्ध सुभाष वास उम्मादवार हुए जिनका फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना गांधीजी को पसन्द नहीं था पर थे वह निस्सन्देह तगडे उम्मीदवार । स्पष्ट ही कांग्रेस का काफी बढा वग सुभाष वास का समर्थक था जिसके कारण ही गांधीजी के विरोध के बावजूद उन्हें पट्टाभि से 95 मत ज्यादा मिले और चुनाव में वह विजयी रहे । गांधीजी ने एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने इस वस्तुतः अपनी हार बताया । कांग्रेस के इतिहास में बताया गया है कि “इससे देश में हलचल मच गई और जिन्होंने सुभाष वास को मत दिया था उन में से भी काफी लोग उनसे विमुख हो गए ।” गांधीवादी लोगो ने उनसे असहयोग किया और काय समिति से ऐसे सत्रह सदस्यों के २ ॥

दे देने पर सुभाष और उनके भाई शरतचंद बास सिफ यही नो कायसमिति के सदस्य रह गए। इसके बाद कांग्रेस महासमिति के गोविंदवल्लभ पंत तथा अन्य अनेक सदस्यों ने कांग्रेस के अधिवेशन में एसा प्रस्ताव पेश करने की विधिवत सूचना भेजी जिस में कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के सुपुत्र अख्यक्ष से अनुरोध किया गया कि कायसमिति का संगठन वह उन्हीं की इच्छानुसार करें।

त्रिपुरी अधिवेशन का माच 1939 में हुआ पर सुभाष बास बीमारी के कारण उसकी अध्यक्षता नहीं कर पाए। अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए उनमें से एक में स्वाधीनता की राष्ट्रीय मांग की पुष्टि करत हुए कहा गया कि स्वाधीन भारत का संविधान ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जिसका चुनाव वयस्व मताधिकार के आधार पर भारतीय जनता करे और जिस में विदेशी सत्ता का कोई हस्तक्षेप न हो।

अधिवेशन में जब गोविंदवल्लभ पंत के प्रस्ताव पर विचार शुरू हुआ तो उस पर व्यापक मतभेद के कारण बड़ा हंगामा मचा जिसके कारण अधिवेशन को अगले दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। वाद में दूसरे दिन खुल अधिवेशन में वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। अमली तौर पर उससे कांग्रेस की बागडार पूरी तरह गांधीजी के सुपुत्र कर दी गई और कांग्रेस के उग्रपथी बग की कुछ न चली। इसी के फलस्वरूप उन लागो न सुभाष बोस के नेतृत्व में फारवर्ड ब्लाक नाम का एक नया दल बनाया। गांधीजी और जवाहरलाल से सुभाष बाप का मतभेद 'इस बात पर था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटेन से आगे जो लड़ाई हान वाली है उसमें कौन सा तरीका अपनाया जाए। सुभाष बोस ऐसे राष्ट्रीय सघप के पक्ष में थे जिसमें होने वाले विश्वयुद्ध का पूरा लाभ उठाया जाए और विश्वयुद्ध की सभावना को मद्दे नजर रख देश में सघप की तयारी शुरू कर दी जाए। गांधीजी और जवाहरलाल इससे सहमत नहीं थे। इस तरह सुभाष बोस और गांधीजी के बीच मौलिक मतभेद था।' भूलाभाई का भुजाव लिबरला की ओर होने से सुभाष बोस और उनके गुट के उग्र विचारों से वह कोई सहानुभूति नहीं थी।

कई साल से भूलाभाई स्वास्थ्य सुधार के लिए हर साल कुछ सप्ताह यूरोप-यात्रा करने लगे थे। इस यात्रा का लाभ उठा वह भारत के पक्ष में भाषण करते

और लोग से मिलते जुलते थे। युद्धारम्भ के एक सप्ताह पूर्व वह इंग्लण्ड में ही था। ऐसा लगने लगा कि वही वह लदन में ही न फस जाए। लेकिन लदन में रहने वाले कुछ मित्रों के प्रभाव से उनकी यात्रा का प्रबन्ध हो गया और सोमवार 16 जुलाई 1939 को वह साउथम्पटन से स्वयं रवाना हो गए।

भारत लौटने पर 13 अगस्त 1939 को रामपुर के नागरिकों की विशाल सभा में वहाँ की म्युनिसिपलटी ने देश सेवा के लिए मानपत्र देकर उनका सम्मान किया। जनता ने स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उनका जलूस निकाला गया। भूलाभाई ने उसका जवाब हिंदुस्तानी में दिया। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी क्योंकि कालेज में उनकी दूसरी भाषा फारसी थी जिससे उद्गू पर उन्हें पूरा अधिकार था। इसके अलावा विविध भाषा सीखने का उन्हें शौक था, जिस कारण बड़ी बड़ी सभाओं में उद्गू होने गुजराती के अलावा उद्गू में भी भाषण दिए। गुजराती साहित्यिक क्षेत्र में तो उनका बड़ा सम्मान था और बहुत पहले 1934 में ही वह गुजरात साहित्य परिषद् के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके थे।

मानपत्र के जवाब में भाषण करते हुए भूलाभाई ने इस बात पर जोर दिया कि देश का लक्ष्य स्वतंत्रता की प्राप्ति जत्र तब न हा जाए तब तक किसी की सेवाओं का दखान नहीं होना चाहिए। साथ ही देशवासियों से इसके लिए अपना समुक्त मोर्चा बनाने की अपील की। इस सबध में उद्गू होने स्वतंत्र देशों का अनुभव बताते हुए कहा वहाँ नियम होने तक तो मतभेद रहने हैं लेकिन एक बार नियम ल लेने के बाद अपने मतभेदों के बावजूद सभी उस नियम के अनुसार काम करने को एक हा जाते हैं। मानव स्वभाव ऐसा है कि कुछ लोग छोट मोटे झगडा और परनिंदा में ही रगत रहते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं, आप लोगों को इससे ऊपर उठना चाहिए। यह ऐसा समय है जिसे अग्रज सक्रमणकाल कहते हैं ऐसे समय आपस का दूर और हमारा तरह-तरह के अलग अलग दलो में बटना ठीक नहीं। इसके लिए एक नया के बाद काफी समय होगा। लडाई के हमारे तरीके बदलत रहे यह था जगत्ता है, यह भी सम्भव है कि हमारे दृष्टिकोण अलग अलग हो, लेकिन एक साथ ही जिस पर दो मत नहीं हो सकते, न होने ही चाहिए और वह यह है कि काम गमी मिलजुल कर करें। जो निश्चय कर लिया उसे पूरा करने में ही ही जाना



चाहिए और बिना किसी मतभेद के उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए।" स्पष्ट ही यह कांग्रेस में हाल ही में सामने आए मतभेदों को लक्ष्य कर कहा गया था, जिन्हें वह पसंद नहीं करते थे। सेवा भावना पर भी उंहाने जोर दिया और अंत में ईश्वर और दश के नाम पर लोक सेवकों से सच्ची सेवा भावना से काम करने तथा जनता से छोटी मोटी बातों पर आपस में न झगड़त हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए जी जान से जुट जाने की अपील की।

3 सितम्बर 1939 को महायुद्ध शुरू हो गया, जिसमें अपने दावानल में आधा से ज्यादा दुनिया का लपेट लिया और छह साल तक मानवता उसमें द्रस्त रही। कांग्रेस कायसमिति की बड़ी चेतावनी के बावजूद भारतीय जनता से स्वोक्ति लिए बगैर वाइसराय ने भारत को उस युद्ध में शोक दिया। युद्ध के समय कांग्रेस की कायसमिति ने उसके बारे में गांधीजी से कुछ भिन्न रुख अपनाया, जो निस्मदह सुभाष बोस द्वारा इस अवसर पर प्रकट किए गए रुख से प्रभावित था। 15 सितम्बर 1939 को अपने प्रस्ताव में कायसमिति ने भारतीय जनता की स्वोक्ति लिए अगर भारत को युद्ध में शामिल करने की वाइसराय की घोषणा पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए साधनों का उपयोग करने का प्रतिवाद किया और इस बात की खुली घोषणा की कि भारत ऐसे युद्ध में भाग नहीं ले सकता जो ब्रिटेन को लोकतंत्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा है पर स्वयं उसे (भारत को) ऐसी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। साथ ही, इसी दृष्टि से, 'उसने ब्रिटिश सरकार से स्पष्ट रूप में यह बताने का कहा कि लोकतंत्र, साम्राज्यवाद और युद्ध के बाद नई व्यवस्था के बारे में युद्ध उद्देश्य क्या हैं, भारत पर वे किस तरह लागू किए जाएंगे और उस दृष्टि से तत्काल भारत में क्या करण का विचार है।' 10 अक्टूबर (1939) को महासमिति ने इसकी पुष्टि करते हुए भाग की कि 'भारत को स्वतंत्र देना घोषित करना आवश्यक है और उसका यथासंभव अधिक के अधिक असली रूप अभी सामने आ जाना चाहिए।'

इसके जवाब में वाइसराय लार्ड लिनलियन का एक वक्तव्य सामने आया। उन्होंने भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की ब्रिटिश नीति की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल ब्रिटेन 1935 के शासन विधान से आगे नहीं जा सकता, युद्ध-

समाप्ति के बाद ही भागतीय विचारों को ध्यान म रखते हुए उसमें संगोधन पर विचार किया जा सकता है। मगर उन्होंने "परामश मडल कायम करन की तजवीज रखी जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रमुख दला के साथ साथ राजाओं के प्रतिनिधि भी रहेंगे और स्वयं गवर्नर जनरल उसके अध्यक्ष होंगे।"

कांग्रेस की काय समिति ने इसे "पुरानी साम्राज्यवादी नीति की स्पष्ट परिपुष्टि" बताते हुए घोषणा की कि ऐसी हालत में वह युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन नहीं कर सकती। इस दिशा में तत्कालीन कारवाई के रूप में प्राता के कांग्रेसी मन्त्रिमंडल को उसने पदत्याग का आदेश दिया, जिसके अनुसार अक्टूबर नवम्बर (1939) में सभी कांग्रेसी मन्त्री अपने पदों से हट गए और कांग्रेसी मन्त्रिमंडल खत्म हो गया। साथ ही केन्द्रीय असेम्बली के कांग्रेसी सदस्यों ने भी उसमें जाना बन्द कर दिया। इस प्रकार 1935 और 1937 में कांग्रेस ने विधान सभाओं में सरकार से सहयोग को जो नीति शुरू की थी वह समाप्त हो गई। आजादी की लड़ाई अब नया रूप लेने वाली थी, जिसमें सविनय अवज्ञा का निश्चय ही बड़ा भाग था।

8 अक्टूबर 1939 को वर्धा से अपने घरवालों को लिखे पत्र में भूलाभाई ने बताया कि "जा वातचीत चल रही है उसका अच्छा परिणाम निकलन की मुझे वास उम्मीद नहीं है। असल बात यह है कि अभी हम किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सकते। बाइमराय दूसरे पक्ष से भी वातचीत करके ब्रिटिश मन्त्रिमंडल को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। मेरे रयाल में, इस सबका महत्वपूर्ण परिणाम नहीं जाना है।"

इसके बाद कुछ आत्मनिरीक्षण की भावना में उठाने लगा "अनीत की देखना और दोती बातों से सताप अनुभव करना कोई अच्छी निगाना नहीं है। ऐसा करना बुद्धि की निशानी है। मेरे मन में ऐसी भावना नहीं आता। मैं यह अनुभव कर ही नहीं पाता कि गुजरात बालेज की पहली मजिल हाल अपन कमर में मैं बठा था उसे कितना अरसा हो गया। मुझे तो लगता है मानो वह अभी बल की ही बात है। ऐसा ही मुझे कालत के बारे में लगता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि उमम आसानी से बगाई कर लेने के सिवा धरा ही क्या है, हा जब कोई मुझसे मेर दिमाग में आता है, तो उस पर दलील देने में मुझे ऐसा ही भानन्द आता है जसा

‘किसी सुन्दर कलाकृति के निर्माण में। यह भावना ऐसी है, जिससे जीवन-संचार होता है और जि दगी बढ़ती है।’

अंत में पुत्र और पुत्रवधू को, जो उनके मन में हमेशा बने रहते थे, नसीहत है ‘अब तुम दोनों बड़े हो गए हो और मानव स्वभाव की छोटी मोटी कमियों को दरगुजर करते हुए एक दूसरे की समझने लग हो। धीरू बड़ा हो गया है, तुम भी बड़ी हो गई हो तुम दोनों न अपना मित्र मजल बना लिया है और अपने दग से जि दगी बिताने लगे हो। इससे मुझे खुशी होती है। कुल मिलाकर इससे सतोप का ही अनुभव हाता है लेकिन इसके साथ ही अकेलेपन की भावना भी मन में आती है और किसी के साथ की चाह मन में बेचनी पदा करती है। संक्षेप में कहूँ तो यही बेचनी का कारण है। यानी इससे मेरा मन बेचन रहता है, लेकिन यह अच्छी बात है या बुरी यह समझ में नहीं आता है और मैं यही मान कर मन को सतोप देता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। शांति अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ अधिक सक्रिय रूप से आगे बढ़ा जा सके तो और भी अच्छा। शांति की कद्र करते हुए भी, मैं समझता हूँ, अंत तक मैं सधप करता रहूँगा और इस तरह जि दगी को ताजा रखूँगा। जीवन के ऐसे दृष्टिकोण से निस्मदेह मरे अन्दर बेचनी और उद्विग्नता होती है और मुझे तुम्हारा ध्यान आता है, लेकिन तुम्हें इससे उद्विग्न होने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो यह सब इसीलिए लिख रहा हूँ कि तुम मेरी मनो दगा को समझ लो और मेरे बारे में कोई गलत धारणा बनाकर मन को अशांत न बनाओ।’

भूलाभाई की उम्र अब साठ से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में ताजगी थी और उन्होंने बहुत परिश्रम पूरा एवं सक्रिय जीवन कायम रखा। सावजनिक काय और वकालत तो उनके जीवन साथी ही रहे जिन्होंने अंत तक उनकी पूरी दिलचस्पी रखी।

## दूसरा महायुद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन

कांग्रेस की अथ विविध प्रवृत्तियों से भा भूलाभाई का बराबर सम्बन्ध रहा और गांधीजी समय समय पर अनेक बातों में खासतौर पर कानूनी मामलों में, उनसे परामर्श लेते रहे, फिर भी, जसा कि बताया जा चुका है उनका मुख्य क्षेत्र सेंट्रल असेम्बली के मार्फत पर जाजादी की लड़ाई लड़ना रहा। यह प्रवृत्ति अब बढ़ा चुकी थी। इससे उनका वकालत के अपने धंधे के लिए ज्यादा समय की गुंजाइश हो गई मगर उनका मन तो राजनीति में रमा हुआ था। इसलिए कांग्रेस की कार्य समिति के मन्स्य बन रहे और जसा हम बता चुके हैं, बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बने हुए थे।

कांग्रेस मंत्रिमंडल के पद त्याग से सरकार का ता शायद राहत ही मिली क्योंकि वे अगर क्वायम रहते तो सरकार के युद्ध प्रयत्न में निस्संदेह रुकावट पड़ती। उनके पद त्याग से वह बाधा नहीं रही और वाइसराय का खुली छूट मिल गई।

इधर कांग्रेस में जा मतभेद थे व अक्टूबर (1939) के बाद खुलकर सामने आए। कांग्रेस के गमगढ़ अधिवेशन (मार्च 1940) के समय सुभाष बोस के फारवर्ड प्लान का समर्थन करने वाला न उसके मुकाबल अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया और दावा किया कि मोलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हान वाले कांग्रेस अधिवेशन से वह कहीं ज्यादा सफल रहा।

सुभाष और गांधी में ता मतभेद थे हा गांधीजी के नतत्व में काम करने वाल भी एकमत नहीं थे। जवाहरलाल का मत था कि "ब्रिटेन जब जीवन मरण के संधप में लगा हुआ है मत्याग्रह आ दालन शुरू करके उसे परेशानी में डालना भारत की शान के खिलाफ है।" और गांधीजी का विचार भी कुछ इससे मिलता जुलता

ही था 'ब्रिटेन के सकट का लाभ उठाकर हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते। ऐसा करना अहिंसा का तरीका नहीं है।' इसके विरुद्ध सुभाष बोस इस मत के थे कि ब्रिटेन की कठिनाई का लाभ उठा हमें अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए उस पर पूरा जार डालना चाहिए। गांधीजी के अनुयाइयां में भी बहुमत उनका था जो अहिंसा क सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी युद्ध प्रयत्न में ममश्रीते और सहयोग की नीति पर पूरी तरह विश्वास नहीं रखते थे। व तो ब्रिटेन के युद्ध समाप्ति पर भारत का मांग पूरी करने का आश्वासन दे दान पर भी सहयोग के लिए तयार नहीं थे। युद्ध में हानि वाले भारी नर सहार का श्याल मात्र उन्हें व्याकूल करता था। मचाई तो यह है कि इससे पहले भी, 22 जुलाई, 1939 को, उ होने हिटलर का पत्र लिखकर उस युद्ध-विमुख करने का प्रयत्न किया था। यही नहीं बल्कि एम ही खुले पत्र ब्रिटिश जनता के नाम लिखकर उनसे भी ऐसी ही अपील की थी। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद का विचार सवथा भिन्न था। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि कांग्रेस शांतिवादियां की सस्था नहीं है, उसकी स्थापना तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हुई है। और यह कहने में भी नहीं चूके कि अगर और कोई विकल्प न हो तो (स्वतंत्रता के लिए) तलवार उठाने का भी हम पूरा हक है।

काय समिति न जून 1940 में जा प्रस्ताव स्वीकार किया उसमें यही हल था। उसमें स्पष्ट कहा गया कि काय समिति पूरी तरह गांधीजी के साथ जाने में असमर्थ है, मगर इस बात को मानती है कि उ हें अपने महान आदर्श पर अपने डम स चलने का पूरी आजादी होना चाहिए, इसलिए दशभर में आत्मरक्षा और सांजनिज सुरक्षा के लिए (सरकारी के साथ साथ) सगठन बनाने का वायक्रम कांग्रेस न बनाया है और जिस अपना ही तरफ में कार्यरि वत करने के लिए कांग्रेस जनो से कहा गया है, उसका दायित्व में उ हें मुक्त करती है।' बाद में काय समिति न भारत का पूरा स्वाधीनता की तत्काल स्पष्ट घोषणा करके द्र म के द्राय असेम्बली के निर्वाचित सभ्यो की विश्वासप्राप्त राष्ट्रीय सरकार बनाने की अपना मांग फिर स रता। ऐसा करते हुए उनमें घोषणा का कि जब तक ऐसा न किया जाय, दंग स्वेच्छा स या स्वतंत्र दंग की हैमियत में युद्ध के लिए नतिक और भौतिक साधन नहीं प्रस्तुत कर सकता।

-कांग्रेस ने सहयोग के लिए जा गत रखी थी उस पर 8 अगस्त 1940 का वाइसराय न एक वक्तव्य निकाला। उसमें सरकार की ओर से गवर्नर जनरल की एक्जीक्यूटिव कौंसिल में विस्तार और युद्ध शाय में परामर्श के लिए समिति (वार एडवाइजरी कौंसिल) नियम बनाने का कारवाई तत्काल करने की रजाम दी जाहिर की गई। साथ ही कांग्रेस को इस मांग का मानन के लिए भी वाइसराय तयार था कि युद्ध ममानि पर भारत का सविधान बनाने के लिए सविधान सभा बनाई जाय। लेकिन उनकी इस तजवीज का कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही ठुकरा दिया।

इस बीच सुभाष बास के उत्साही अनुयाइयो ने कानून भंग करने का आन्दोलन शुरू कर दिया था। धीरे धीरे गांधीजी के अनुयायी और फिर स्वयं गांधीजी भी सविनय अवज्ञा का सहारा लेने का वाध्य हुए। उसका नतीजा, उसके जनक और मुख्य प्रतिपादक हान के कारण, गांधीजी ही अच्छी तरह कर सकत थे। मगर गांधीजी अभी तो अंग्रेजों का जबकि वे अपने अस्तित्व के लिए जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे थे, परेशान नहीं करना चाहत थे, इसलिए सविनय अवज्ञा के आन्दोलन का तात्कालिक मुद्दा उ हान भारत की स्वतंत्रता के बजाय भाषण स्वातंत्र्य को बताया। उन्होंने दावा किया कि मुझे भारतीय जनता से यह कहने का पूरा हक है कि युद्ध में मुझे विश्वास नहीं है और युद्ध प्रयत्न का प्राग बढाने की किसी कारवाई में मुझे कोई सराकार नहीं है। जैसा कि वह पहल से करत आए थे मितम्बर (1940) में वह वाइसराय से मिल और उन्हें अपने इन इरादों की सूचना दी कि अपने इस हक के अनुमार मैं गुले ग्राम दशभर में लागा से बहूगा कि वे भारत के नाम पर होने वाले युद्ध प्रयत्न में किसी तरह का काइ महायता न करें। वाइसराय एसी मांग स्वीकार करेंगे, यह आशा करना व्यथ था। फरवरी अक्टूबर (1940) में सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू हो गया।

सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह का यह आन्दोलन शुरू में सामूहिक न हाकर व्यक्तिगत ही रहा। कुछ खास व्यक्ति ही उसके लिए चुने जात, जो युद्ध विरोधा नारे लगाकर गिरफ्तार होत थे। यह समूह के बजाय अकेल ही किया जाना था। बाद में इसने प्रतिनिधिक सत्याग्रह का रूप लिया, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को सत्या

ग्रह के लिए घुना जाता था और उनका बल युद्ध विरोधा नार लगाता हुआ गिरफ्तार होता था। कांग्रेस का बड़े-बड़े लोगो ने इमम भाग लिया और मो० आजाद तथा राजाजी महिंत कोई 600 व्यक्ति इस तरह जेल गए।

युद्ध प्रयत्न म भाग लेने के बारे म कांग्रेस का रुग् दुनिया क मामन रसन क लिए केन्द्रीय असेम्बली क मच का सहारा लेने का भा निश्चय किया गया। इमक अनुसार अठारह महीने बाद 19 नवम्बर, 1940 को भूलाभाई न उसम जाकर भाषण दिया। भाषण म बजट का अस्वीकृत करने पर जार दन हुए उहान कहा कि हमारा दल इम अवसर पर इमीलिए उपस्थित हुआ है जिसस युद्ध प्रयत्न म भागने के भाग लेने के विषय म स्थिति दुनिया का स्पष्ट कर दी जाए।

‘ पिछले महायुद्ध म भारत न—यहा तक कि मैंने और महारमा गांधी न भा अपना हादिक सहयोग प्रदान किया था। अपन मित्र सर टामस स्ट्रागमन क माथ जगह जगह जाकर मैंने उसक लिए भाषण दिए थ।’ समझ्या यह है कि युद्ध का जब तक भारत का युद्ध नहीं बनाया जाएगा तब तक आपका उसम भारत का समर्थन घोर सहयोग मिलना असभव है। इसलिए स्थिति यह है—इस सदन का और सारी दुनिया का हम बिल्कुल स्पष्ट रूप न बता दना चाहत है—कि आपका लाकतत्र की तारीफ करना मन्कारी क सिवा कुछ नहीं है। लाकतत्र के आप पक्ष म हैं ता वह किस लाकतत्र के? अपन मर या सभा के? जा आपक लिए लाकतत्र हा मर लिए पराधीनता, तो उस मन्कारी के सिवा क्या कहें? हा, अगर सभा क लिए लाकतत्र की बात हो, तो युद्ध म बराबरी दर्जे क मित्र राष्ट्र क रूप म लडने म हम हमथा तयार है। युद्ध घोषणा क एक सप्ताह क अंदर ही हमने इस सम्ब ध म जा वक्तव्य दिया था उससे यह साफ है कि भारत पीछे नहीं हटा है। लेकिन उनके साथ ही यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का बार बार बचकूफ नहीं बनाया जा सकता। आपका यह समय लेना चाहिए कि युद्ध म हम तभी भाग ल सकते है जब हम विश्वास करा दिया जाए कि युद्ध आपकी हो नहीं हमारी भा स्वतंत्रता क लिए है।

सशस्त्र संग्राम म ब्रिटेन का सफलता का मतलब भारत पर विदेशी शासन को नया जीवन देना हो और यदि उसस हमारी पराधीनता की अवधि बढ़ती हो तो

मैं उसकी सफलता नहीं चाह सकता। ' गांधीजी का यह उद्घरण कर उम्हान आग कहा "सरकारी रूप से निराश हान पर भी, आप विश्वास करें या नहीं, गांधीजी आपका परगान नहीं बनना चाहत, लेकिन परगान न बनना का इच्छा का यह नतीजा नहीं हाना चाहिए कि हमारा म्बनाग हा जाग । हमारा सर्वा इच्छा का आप इतना नाजायज फायदा नहीं उठा सकन कि हमारा जवान पर त्रिकुल ताला ही डाल दिया जाए । हमारी उत्तरता का आपका मक्कारा का लडाग हर्गिज नहीं बनन दिया जा सकता ।' अत म उहाने इस वाक्य के साथ भाषण समाप्त किया, साथी क रूप म हम प्रगना पूरी ताकत क साथ युद्ध म सहयोग करेंगे लेकिन अनुचर बनकर हर्गिज नहीं । इन गल्गे क साथ मैं इस (फाइनेम) विल का विरोध करता हू ।"

इसका फल यह हुआ कि फाइनेंस विल पर सरकार की हार हा गई । बहुमत से वह अस्वीकृत हुआ, जिससे कांग्रेस की आर से भूलाभाई न जा रूप लिया या उसकी पुष्टि हुई । यह बात दूररी है कि असम्भला म हुई हार के बावजूद वाइमराय का प्राप्त अधिकार से इस फिर भी लागू किया गया ।

भूलाभाई क निजी विचार कुछ भी रह हा, पर कांग्रेस क एक प्रमुख सिपाही क रूप म वैयक्तिक सत्याग्रह म उ हान भाग लिदा । दिसम्बर, 1940 को उहोन वैयक्तिक सत्याग्रह किया । उसी दिन उ ह गिरफ्तार कर लिया गया । सराजिनी नायडू और मगलदास पक्वासा भी उसी सवेर गिरफ्तार किए गए थे । सराजिनी नायडू उ ही का तरह कांग्रेस काय समिति की सभ्या थी और पक्वासा बम्बई लेजिस्लटिव कोसिल के अध्यक्ष थे । गिरफ्तारिया भारत रक्षा कानून के मातहत की गई और गिरफ्तार व्यक्ति पूना का घरबदा जल भेजे गए ।

जेल म पहुचत ही, जसा स्वाभाविक था, भूलाभाई न (घरबदा जल से) अपने घरवाला को पत्र लिखना शुरू कर दिया । इनमे से कुछ सुरक्षित हैं और उनका उस समय की मनोदशा का उत्तम पता लगता है ।

11 दिसम्बर 1940 के पत्र म उ होने लिखा "इस सप्ताह मेरे मन म जा विचार उठ रहे है उह मैं सक्षिप्त म लिपिबद्ध करूंगा । यह मैं शुरू म ही बता



देना चाहता हू कि उसमें या आगे मीजूजी में लिगू, मौलिक कुछ नहीं हागा, उसका तो सिर्फ यही महत्व है कि जीवन का कस बनाया जा सकता, यह हम जानते हैं।" बंजन का हवाला दते हुए उ हान बताया कि अमताप ही आधुनिक विज्ञान का आधार है। लेकिन आगे मीजूजी जीवन पर ही सतुष्ट न रहे आगे बदन का म त्रावाधा रमते हुए भी मुया जीवन क लिए अमताप का मताप न ममत्व करना आवश्यक है। एसा किए जिना मन का गति नहीं मिल सकती। आजकल में एसी ही मनाउक्ति बनाने का प्रयत्न कर रहा हू।"

५ जनवरी 1941 का उ हान लिगा मैं उदू सींग रहा हू, कयाकि उदू भावा जानते हुए भी उमकी लिपि का मुग बाध नहीं है। पतजलि का योगमूत्र पड रहा हू—मुमुधु 'मयामी की दृष्टि सनी बल्वि एम ज्यति की दृष्टि न जा दुनिया म रहते हुए और अपन वतथ्य करत हुए जाउन की पूणता प्राप्त करना चाहता है।

11 जनवरी 1941 म भूलाभाई ने जल म डायरी लिखना शुरू किया। वरि 150 पृष्ठा की डायरी म अपन कारावाम क समय उ हान 70 पृष्ठ हीं लिख मालूम पडते है। डायरी राउ राउ नहीं लिखी गइ बाच बीच म खाली भा है। लेकिन उसमें लिखा कुछ बातें बडा राचक हैं कयाकि उनमें आत्म निरीक्षण क अलावा गाधीजी के नतत्व म काग्रेस द्वारा गृहीत नीति की आलाचना भा है। इममें सगह नहीं कि काग्रेस के एक प्रमुख बायकर्ता क नात उ हाने अपना आचरण उसी क अनुरूप रखा पर तु उनका जिज्ञामु और भावुक मन उगक मुम्य नेता गाधीजी क अनेक तौर-तरीका से पूरी तरह सहमत नहीं हा सका।

डायरी का आरम्भ (11 जनवरी का) भूलाभाई न इस प्राक्कपन के साथ किया 'आज मुझे जपन लिए याती अपनी आरमा क लिए कुछ प्राप्त करना चाहिए।' और उसी दिन लिगा 'आज मैं आत्मनिग्रह का अभ्यास शुरू करूंगा जिसकी कि इस समय मुझ जहरत है। एसा कोई नहीं जिस पर मैं निर्भर कर सकू (बच्चा का जीवन म मरत्व है, पर उनका जपना अलग धर्म है जसा कि हाना भी चाहिए)। दुगदाई हान हुए भी यह उपयोग भावना है और आत्महानता क बजाय आत्मगौरव ही मुझे अपन अ रर पदा करना चाहिए।'

स्पष्ट ही कुछ दिनों से घरवालों का कोई पत्र न पाने से वह उदास थे। 15 जनवरी (1941) को तो वह बहुत उद्विग्न भी थे। इस दिन उन्होंने लिखा "यह विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक ही होगा—यह तो जरूरी नहीं कि जमा हम चाहते हैं वसा ही हो, पर जा हा उसके लिए मानना चाहिए कि वह ठीक हा हुआ है। जो हाना ही है उमम भरे दखल देन से हागा भी क्या? यही मानकर मैं दिमाग का शांति रखता हूँ और खुश रहता हूँ।" पर दूसरे ही दिन (16 जनवरी का) आज कितन पत्र आए। एक बूडापस्त से भी मैं बड़ा खुश हूँ कोई परेशानी नहीं, बल से कितना अंतर है।"

इसके बाद कुछ आत्मनिरीक्षण की बारी आती है जिसमें यह उदाहरण है कि कल परेशान और आज खुश क्यों रूँ? हमेशा एकसा रहने जितना आत्मनिग्रह प्राप्त करना एक बड़ी सफलता है—सफलता इसलिए कि मुझमें श्रद्धा की कमी है ऐमा न ज्ञाता तो कभी-कभी खुश रहने के बजाय हर हालत में बराबर रहता। अपनी इस कमी का मुझे दूर करना ही पड़ेगा।

महीने के अंत में पुत्र और पुत्रवधू मिलने आए और जेल के अहाते में लगाने के लिए उन्हें कई पौधे दे गए। 23 जनवरी (1941) के पत्र में उन्होंने लिखा, 'लिली का जो पौधा तुम दे गए थे, वह फूल उठा है। यह उस सुन्दरता और सुगंध का प्रतीक है, जो तुम यहाँ छोड़ गए थे।' उन्होंने बताया कि 'पढ़ाई ठीक चल रहा है हाफिज के उद्घोष का 75 पृष्ठ, पतञ्जलि योगसूत्र के कुछ अंश और गीता के कुछ अध्याय पढ़े जा रहे हैं। नए चरखे से कताई भी नियमित और सुगम हो गई है।"

6 फरवरी (1941) के पत्र में फिर उन पौधों का उल्लेख है जिनकी वह बड़ी सावधानी से जेल में देखभाल कर रहे थे। 'पहले वाली टिली एक हफ्ते तक चिली रहा और सुगंध का प्रसन्नता फलाती रही। दूसरा फूल भी चिली है जो प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है। यह अपने चारों ओर रंग और सुगंध बिखेर रहा है जो ग्लडिआला तुम दे गए थे, उसकी पत्तियाँ एक एक करके खुल रही हैं। इनके मुरझाने पर भी, इनके साथ आई प्रेममयी याद बनी रहती है।"

18 फरवरी के पत्र में उन्होंने फिर लिखा, "ग्लडिआला पूरी तरह चिली हुआ है। इसका रूप रंग और सुगंध मुझे घर की याद दिलाते हैं।"

6 अप्रैल (1941) के पत्र में हम उह आत्मसुधार की प्रवृत्ति में पाते हैं। उस दिन रामनवमी का पर्व था और राष्ट्रीय सप्ताह का पहला दिन। उस दिन की डायरी में उन्होंने लिखा “आज से राष्ट्रीय सप्ताह शुरू होता है। हमारी आजादी की लड़ाई में इसका बड़ा महत्व है क्योंकि इसी सप्ताह के अंतिम दिन जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसे हम भूल नहीं सकते। महात्मा गांधी ने सप्ताह के आरम्भ और अंत के दिन (6 और 13 अप्रैल को) उपवास और आत्मनिरीक्षण करने को कहा है। उनका इससे चाह जो अभिप्राय हो हमें इसका वही अर्थ लगाना चाहिए जो हमारी समझ में आए। आत्मनिरीक्षण से निस्संदेह अपने का समझन का अवसर मिलता है।”

आत्मचिंतन में आगे उन्होंने लिखा ‘परधम से स्वधम श्रेष्ठ है। यानी दूसरे के बताए रास्ते पर चलने के बजाय अपनी दृष्टि से खुद सोचे हुए रास्ते पर चलना चाहिए। कोई आदमी अपने ही गुणों से तरक्की कर सकता है। आत्म-समर्पण वहां तक ठीक हो सकता है जहां उसके लिए पूरा श्रद्धा हो, लेकिन जहां आस्था में कमी हो और बुद्धि समर्थन न करे वहां अपने रास्ते ही चलना ठीक होगा। जरूरत दरअसल इस बात की है कि राग, लोभ और क्रोध से मुक्त रहते हुए निष्पक्ष करने की आदत डाली जाए।—अब मैं ऐसा ही करने का प्रयत्न करूंगा।—कोई प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। सबसे पहले मुझे मन, वचन और कर्म में सयत होना चाहिए मतलब कि न ऐसी कोई बात सोचनी चाहिए, न ऐसी कोई बात बहनी चाहिए और न ऐसा कोई काम करना चाहिए जो व्यर्थ हो। उदाहरण के लिए जेल की चर्चा अब मैं नहीं करूंगा, जो कि वस्तुतः व्यर्थ ही है। ऐसा करने में स्थिति को बदलता सकता नहीं, जबरदस्ती मिले विश्राम का सदुपयोग क्या न किया जाए? इसका लाभ उठाकर आत्मनिग्रह और सतुलन पदा करन का अभ्यास क्यों न हो जिसके फलस्वरूप ही उस गति और सुख की प्राप्ति हो सकती है जिसके लिए मैं तरस रहा हूँ। मैं ऐसा करूंगा। ऐसा करना मैंने शुरू भी कर दिया है।”

इसी दिन बाद में उन्होंने राजनीतिक आंदोलन के बारे में भी चिंतन किया। उन्होंने लिखा सच्चाई और ईमानदारी से काम लें तो समस्या का समाधान असंभव नहीं है, ऐसा न भी हो तो कम से कम दिमाग तो साफ हो जायेगा। मनुष्य पर जासपास की परिस्थिति का असर जरूर पड़ता है

पर उसे परिस्थिति का गुलाम नहीं बन जाना चाहिए। साथ समझकर अपना रास्ता आप निकालना चाहिए। दूम्ने को नेता मानकर अपना माग ग्रहण करने का नतीजा तो अपन द्यक्वित्व का खरम कर देना जाता है। नेता स्वधम से नहीं हटता यानी वह जमा ठीक समये जमा ही करता है। अनुयायियों से उही अपक्षा रखता है कि वे उसके बताये रास्ते पर चलें या फिर अपन विवेक से जसा ठीक समये जसा करें। जो लोग उमका अधानुकरण करते हैं उनकी उपक्षा वह करने लगता है कि य ता जमा वह चाहेगा जमा करेंगे ही। अत आत्मी को अपने बारे में खुद ही निणय करना चाहिए और अपने ही रास्ते पर चलना चाहिए।'

सावजनिक जीवन में—वक्ति कहा जाना चाहिए कांग्रेस और गांधीजी के नेतृत्व में—अपन म्यान के बारे में उपयक्त दृष्टि से उ होंने कहा "समय आने पर उमका लाम उठाने की मरी तयारी न हो यह मैं नहीं चाहता। मेरे विचार में ऊंचे आदर्शों का मामन रखकर उनपर आवरण न करने से ऐसे आदश अपनाता कही अच्छा है जो चाहे देखन में बहुत ऊंचे न हो पर अमल में लाये जाए।"

इसके कुछ दिन बाद (13 अप्रल 1941 का) 'महात्मा गांधी' शीपक से उठाने राजनीतिक जीवन का विश्लेषण किया "आज जलियावाला बाग हत्याकाण्ड का दिन है। गांधीजी ने इस सिलमिले में 6 से 13 अप्रल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने का आदश दिया है। वह इसे गुद्धि और सेवा का सप्ताह कहते हैं। सेवा की उनकी अपनी परिभाषा मापदण्ड विचार और प्रयोग हैं—उसी का वह सबसे अनुसरण चाहते हैं। माभूली आदमी के लिये यह एक हद तक ही सभव है। लेकिन एक बार उनके रास्ते पर आपने पर रखा नहीं कि उसमें दलाल की तरह घसते ही चले जाएंगे। इस तरह लोग उनके प्रयोग के साधन बनते हैं और जिस तरह प्रयोगशालाओं में चूहों पर प्रयोग किए जाते हैं उमी तरह उन पर य उनके द्वारा वह अपने नय नय प्रयोग करत रहते हैं। अहिंसा के विचार और आदश न अब सनक का रूप ले लिया है और मनुष्य का उनकी बल्पना एसी जटिल हो गई है कि उनके विचारों का साथ देना सभव नहीं रहा। वह ता मनुष्य को ऐसा नया रूप देना चाहते हैं जिसमें वह अधिक से अधिक कष्टसहिष्णु और अहिंसक बने। यही नहीं, उनका तो यह भी विचार है कि ऐसा मानव समूह,

सगळी हिंसा यानी स य बल के सामने भी छाती खालकर खड़ा हो जाय, तो उससे हिंसा करने वाले का मन बदले बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं उनके इस दावे से सहमत नहीं हो सकता। यह आशा करना और बात है कि मनुष्य एक दिन इतना विकास कर लेगा और इतना सच्चा और माया हो जाएगा कि हिंसा का प्रवृत्ति ही मिट जाएगी लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कब होगा। मगर गांधीजी के लिए तो प्रयोग ही काफी है चाहे जिन पर प्रयोग किया जाए उनका कुछ भी बचो न हो। वास्तव में लोगों के कष्ट सहन में उन्हें मजा आता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि उसका कोई न कोई परिणाम जरूर निकलेगा और कोई परिणाम न निकला तो भी प्रयोग तो होगा ही। वर्धा के प्रसिद्ध प्रस्ताव में हमने उनका जितना साथ दिया मैं समझता हूँ, उससे आगे जाना हमारे लिए संभव नहीं है। वह प्रस्ताव भी कुछ न कुछ सपका बनाये रहने के लिए किया गया नहीं तो यह बात वह स्वयं भी अच्छी तरह जानते थे कि उनसे कोई महत्त्व नहीं था। जाता पर उनका प्रभाव का उपयोग करने के लालच ने ही, हमें वह प्रस्ताव पास करने को प्रेरित किया। दुनिया की और मनुष्य की आज जो स्थिति है उसमें राज्य या सरकार द्वारा सगळी बल या शक्ति ही समाज में व्यवस्था कायम रख सकती है। निस्संदेह उसके दुरुपयोग या जरूरत से ज्यादा उपयोग की संभावना है लेकिन यह तो सभी उपयोगी साधनों के बारे में कही जा सकती हैं। यहाँ तक कि जो विज्ञान मनुष्य का हित साधन है वह भी आज विनाश का साधन बन गया है। और, यह सब विनाश समाज की भलाई के नाम पर ही हो रहा है।'

उ होन आगे यह भी लिखा ' एक बार गांधीजी से तक करते हुए विनम्रता में मैंने कहा कि यदि आप मान लेते हैं कि पुलिस ताकत से काम ले सकती है, तो गणित के प्रयोग के विरुद्ध आपका बुनियादी विरोध तो खत्म हो जाता है। इसमें एक नहीं कि हमें आदेश तो अपनी इच्छानुसार ऊँचे से ऊँचा ही रखना चाहिए लेकिन अगर जिंदा रहना है तो वास्तविकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो वास्तविकता यह है कि समाज में गुंडे बढ़ाए गए हैं, जिनका दमन जरूरी है। पर गांधीजी पर इसका कोई असर न हुआ। वह तो कहते हैं कि इस बदन तो सत्ता मिलती भी हो तो न लो, नहीं तो देश के नौजवान युद्ध पिपासु बन जाएंगे और मैं जा प्रयोग (अहिंसा का) कर रहा हूँ वह खत्म हो जाएगा। सच तो यह है कि

उन्होंने हमें दलदल में पना दिया और वह यह नहीं चाहत कि उससे हम निकलें। वह कहत हैं इम लडाई म नाग लेबर हिगा और बल के उपयोग से अपन हाथ गद मउ करा। आगे हम देखेंगे। इम प्रकार जितना ही हम उनके तौर-तरीको, विचारों, और मिद्दानों को जांच करें उम मालूम पटगा कि वह ऐसा आदिम समाज का मनुष्य मानना चाहत हैं जिनम मनुष्य का जावन बिठकुल सीधा-सादा हा और उसकी आवयबनाए इतनी कम हों कि लडन पगवन क लिए कुछ रहे ही नहीं। मतलब यह कि जीवन का स्तर ऊचा करन की जरूरत नहीं और मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा एक बुटिया, एक गाय और एक एकूठ जमीन के सिवा कुछ नहीं चाहिए—फलवत्ता पसा जरूर हा। यशोकि या ता हम आधुनिक विज्ञान का उपयोग करें और उनके सतरे भी उठाए या फिर चरों और बलगाडी के युग म ही पडे रह। मजा यह है कि अपने ऐमे विचारों क बावजूद वह रेलगाडी और माटर का उपयोग भा करत हैं। मैं ता इम आदिम अवस्था क बजाय आधुनिक युग को ही पसद करूंगा जो सतरा के बावजूद मनुष्य के जीवन स्तर को ऊचा उठाता है। गावा और ग्रामीणों की स्थिति सुधारन की बात ता ठीक है, पर उसका यही उपाय नहीं कि गाव वालों को पापाण युग की अवस्था म रखा जाए या उससे कुछ आगे बलगाडी और चरों युग म। वह कुछ भी क्या न वह दुनिया ता आग बढनी ही रहगी—जसा कि स्वयं भारत म भी हम दख रह है।

अत म निष्कप निवाला निश्चि भविष्य मे कोई भी राष्ट्र या स्वतंत्र सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सगठित शक्ति मदा क पुलिस के बगर कर सकेगा या करगा, इसकी कोई सम्भावना नहीं है। अथवा अराजकता क सिवा कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस तो अपनी जहिंसा स एक गाव म हुए दग का भी नहीं रोक पाई। दका में कांग्रेस कमेटी हाते हुए भी दगा रावने म वह असफल रही और मासपास के 31 गावों सहित बहा सबनाश हो गया। देश म शांति रखने स्त्री-पुरुष बच्चों और उनकी सपत्ति की रक्षा के लिए यह है कांग्रेस की क्षमता।”

और चरों के सम्बंध मे 15 अप्रैल का लिखा ‘यहा आने के कुछ दिन बाद स ही मैं नियमित रूप से चरों कात रहा हू और उसका अच्छा अभ्यास हो गया है लेकिन महात्मा जी के प्रति श्रद्धा भाव रखत हुए भी मैं यह नहीं मानता कि इससे

भारत के कला विमान या पान म कोई वृद्धि होगी । यह ता समाज की उस अवस्था का प्रतीक है जा कभी की बीत चुकी है । विमान क प्रयाग स उत्पन्न बुराइयो के वावजूद दुनिया 10वीं सती को नहीं लौट सकती । अगर यह जीवन म साप्तांगी का प्रतीक हो तो उस सादगी म हमारा जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा और (वैज्ञानिक साधनों के उपयोग म पिछले रत्न स) हम पराधीन ही रहेंगे । सादगी की यह धारणा आदिम युग की स्थिति का ल जान थाला है । यह ध्यान दन की बात है कि देग म जब 60 कराड स अधिक मूल्य क कपड का वार्षिक खपत है, सादी का उत्पादन पिछले 20 साल म काइ 75 कराड स ज्यादा का नहीं हुआ है—वह भा जिन परिस्थितिया म जितन प्रचार और सच क वाद (महात्मा जी न इसके लिए उनम लाखो रुपया इकट्ठा किया जिनका यत्र उद्याग म ही पूरा विश्वास है और चर्खे म बिल्कुल नहीं) । फिर भी कांग्रेसी की हैमियत से इन दा वारणो स मैंने इसका समयन किया है—(1) यह हमारी लडाई का प्रतीक बन गया है और (2) गावा म किसानों की कमाई म इससे कुछ वृद्धि हागा है । चर्खे म अदभुन शक्ति का मैंने कभी दावा नहीं किया न एसा कहन की ही कभी हिम्मत की कि मिला का नाश हा जाए तो मुझे बड़ी खुशी हागी । मनोयोग म विश्वास रखन वाले पूजोपतिना न महात्मा जी स फायदा उठाया है और महात्मा जी ने उनम । लेकिन सच पूछा तो कोई भी चर्खे को भारत की मुक्ति का साधन नहीं मानता । उद्यागीकरण की बुराइया का यह निश्चय ही उपयुक्त विकल्प नहीं है । गावा और छोट कस्बो म भा जहा गरीब लोग रहत हैं उनके सिवा कभी के लिए यह उपयागी नहीं है जा बाप दादो के वक्त से इस चला रहे हैं और अब भी इससे चिपटे रहना चाहते हैं । चर्खा कातने वालो को गुजारे लायक मजूरी दने के लिए भी चर्खा करना पडता है । इसी से यह स्पष्ट है कि आर्थिक दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं है और बहुत दिन नहीं टिकेगा ।”

‘सत्याग्रह’ की किसी समस्या का जब कोई समाधान नहीं हो पाता तो महात्माजी का अंतिम जवाब यही होता है, ‘इसका विशेषज्ञ तो मैं ही हूँ क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ? और मजा यह है कि अर्थ क्षेत्रा के विशेषज्ञों की तो जाच की जा सकती है पर यहा उसकी कोई गुजाइश नहीं !’ उहोन जाग लिखा, ‘राष्ट्रीय धडे पर हम चर्खे का रखते है और रचनात्मक कहे जानेवाले कार्यक्रम म इतना

महत्व देने हैं इसका कारण इसके सिवा कुछ नहीं है कि महात्माजी की खातिर हमें चर्चों का मजूर करना ही होगा। युद्ध में काम लेने वाला कोई व्यक्ति इसके महत्व का नहीं मानता, पर महात्मा जा क प्रभाव का लाभ उठान के लिए विरोध कोई नग्न करता। और बाकी सब ता भेचवाल चलने वाले ही हैं।—महारमाजी तो यह भी कहते हैं कि अहिंसा क साथ चर्चों का भा स्वीकार करना चाहिए मानो दोनों में का रहस्यपूर्ण सम्बन्ध हो। लेकिन चर्चों में मुधार का प्रयत्न भा मनीन और चावित्कार की उपयोगिता का प्रमाण है। अब चर्चों के साथ साथ तबली चली है। यह ता चर्चों में भी एक क्कम पीछे है।'

16 अप्रैल (1941) के पत्र में समार में घट रही घटनाका का उल्लेख करने हुए बताया कि युद्ध ता पहले भी यह है पर ऐसा कोई नहीं हुआ जिसमें सारी दुनिया फम गई है और निम्नका समार के अविष्य पर भारी प्रभाव पड़ना निश्चिन्त है। अब ता हर रूपन नवशे उदल रह हैं। इसके बाद 18 अप्रैल को फिर डायरी में अहिंसा पर लम्बा तक विनक मिलता है। उसमें बताया कि अहिंसा से यदि यह आग्य है कि समाज शान्तिप्रिय बने और शांतिपूर्वक रह तब तो ठीक है लेकिन यदि इसका जय समाज की सुरक्षा के लिए समाज या राज्य के पान संगठित शक्ति (मना और पुलिस) न रखना हा तो वह ठीक नहीं। 'आत्मनियन्त्रित अराजकता' या राज्यहीन समाज का स्वप्न ता जरूर तुभावना है पर व्यावहारिक नहीं। हमारे बीच एम भा लाग हैं जा आज के रुम के ढग पर भारत को ढालना चाहत हैं व अराजकता का इसलिए पसद करत है कि कभी स्थिति होन पर ही उनके मनोनुकूल नई व्यवस्था यटा लाई जा सकेगी। लेकिन इग सम्भावना को दरगुजर नहीं किया जा सकता कि अराजकता आकर भी वसी नई व्यवस्था कायम न हो क्योंकि उनके पाम ऐसी नई व्यवस्था कायम करने की शक्ति नहीं। विदेशी सत्ता हमारे दग स ट्ट जाण और अपना सयबल भा अपन साथ ले जाए ता स्वतन्त्रता हम ही जाएग पर अहिंसा के मौजूदा रख पर कायम रह ता प्राप्त आजादी टिकाऊ नहीं होगी। साथ बल न हान स, महज एक हजार गस्त्रधारी भी हमसे उस फिर छान लेंगे और अहिंसावादी हाने स हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ता फिर अहिंसक असहयोग ही हम शुरू करेंगे और वही सिलमिला बना रहगा।— वास्तव में युद्ध का विरोध करने वाले भी नकली शांतिवादी हैं। वे फीज चाहत हैं, मगर



बहुते हैं कि इस लड़ाई से अलग रहो। बाग़ में देख लेंगे। मेरा कहना है कि अगर हमें फौज खड़ी करनी ही है तो हम इस मौके का लाभ उठाए और चाहे विदेशों सरकार के ही ज़तगत बयो न हा अपन नौजवानों को फौजी तालीम दिलवाए।

आग उठाने बहा कि सोचना तो हमन विल्कुल ही छोड दिया है और कोई कुछ सोचता भी है तो डर के मारे साफ बहता नही न उस पर अमल ही करता है। सत्याग्रह का यह आन्दोलन जसा महात्माजी बहत है, कांग्रेस को जीवित रखने के लिए शुरू किया गया है, क्याकि उनके बयानानुसार युद्ध में ब्रिटेन का परेशान न करने की इच्छा को इस हद तक नहीं ले जाया जा सकता कि कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सवाल यह है कि कांग्रेस को और देशवासियों पर उसके प्रभाव को हम कायम क्या रखना चाहते हैं? इसका अर्थ तो यही हो सकता है (माना हमारा ऐसा विश्वास है) कि भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य बना रहेगा, वही हमारे देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम करता रहेगा और हमारे लिए ऐसा शासनविधान भी बनाएगा जिसके अंतगत हम चुनाव लड़ कर शासन का भार ग्रहण करेंगे। दूसरा कोई अर्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि और किसी काम का लायक तो हमारा संगठन (कांग्रेस) है ही नहीं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि सत्याग्रह की यह लड़ाई इसीलिए शुरू की गई है कि शांति कायम रखने का काम दूसरा करे और हम इसके बाद जा कुछ सत्ता प्राप्त कर सकें वह कर लें। इस प्रकार एक जोर तो हम ब्रिटेन की विजय में विश्वास रखा है और उन विजया दखना चाहते हैं, दूसरी ओर हमारा आन्दोलन इसी में खाबट डाल रहा है। एक ओर हम युद्ध प्रयत्न में अधिक से अधिक बाधा डालना चाहते हैं दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि हम ब्रिटेन को परेशान नहीं करना चाहत। तो क्या हम चाहते हैं कि युद्ध में बाधा डालने का हमारा आन्दोलन सफल न हा। आखिर आन्दोलन तो इसी उद्देश्य से चलाया जाता है कि वह सफल हो। आन्दोलन चलाकर यह सोचना कि यह सफल न हो राजनीतिक मूढता की हद है। सिर्फ गांधीजी का सुश्रु करन के लिए यह किया जा रहा है। हम ब्रिटेन से साफ कह देना चाहिए कि हमारी सुरक्षा और स्वतंत्रता उसकी सुरक्षा व स्वतंत्रता से बंधी है और अगर वह हम पर विश्वास करे और ऐसे अधिकार दे कि हम अपने देशवासियों को उत्साहित कर सकें तो हम युद्ध में पूरी मदद करने को तैयार हैं। विश्व सभ्यता की ऐसी स्थिति में हमें

इस ढाग को खतम करना चाहिए । और नही तो ब्रिटेन के इस महान सकट म, उससे सदभाव दिखाने के लिए ही हमे ऐसा करना चाहिए । जब ब्रिटेन की हालत अच्छी थी, तब गाधीजी सदभाव की बात कहत थ । आज तो पूरा ब्रिटेन खडहर हा रहा है ।”

भूलाभाई की उस समय क्या मनोदशा थी यह इससे स्पष्ट है । गाधाजी के अय अनेक बुद्धिवादी अनुयायियो की तरह वह भी उनके बताए रास्त पर चलत रहे, पर यह स्पष्ट है कि उसकी साथवता मे उह विश्वास नही था और न वह यही मानत थे कि ऐसा करने से दश का भला होगा । आग चलकर हिंदू मुसलमानो के बीच सद्भावना का उहाने जा प्रयत्न किया वह भा उनकी इस समय की विचार-धारा के ही अनुकूल था ।

20 अप्रैल 1941 की अपनी डायरी म उ होने अहमदावाद म हुए दग पर लिखा “चूठी अफवाह पर वह शुरू हुआ बतात है पर सवाल यह है कि अफवाह उठा क्यों और कैसे ? निश्चय हा उसके गहरे कारण रहे हागे—जापसी वमनस्य और शिकायतें चाहे सही या गलत । उ हं गुण्डा की बरतून या ‘अग्नेजा’ (पुलिस) की करामातें कहन भर से काम नही चलेगा, बल्कि उनकी तह मे जाना चाहिए । मुरप बात यह है कि जिस अहमदावाद ने भारत को सत्याग्रह का माग दियाया और जो सत्याग्रहियो का गल कह जान वाले गुजरात की राजधानी है, वहा आज दग को रोकन के लिए सत्याग्रह के वजाय पुलिस सशस्त्र पुलिस और सना का ही माग की जा रही है । इससे स्पष्ट है कि गडबडी और अशाति को रोकन के लिए राज्य की संगठित शक्ति या बल ही एकमात्र उपाय है और उसी के सहार राज्य शाति और व्यवस्था कायम रख सकता है । कांग्रेस का संगठन यह काम नही कर सकता, यह बिल्कुल स्पष्ट है ।”

21 अप्रैल 1941 को इसी सबध म उ हाने फिर लिखा ‘दगा (जिसने अब हिंदू मुस्लिम दगे का रूप ले लिया है) जारी है । आज सवेरे सुपरिण्टेण्डेण्ट जब रोज की तरह गश्त पर आए ता मेरी और उनकी बातचात हुई । सुपरिण्टेण्डेण्ट ने दगे का जा हाल बताया उस पर हमारे एक बुजुर्ग साथी ने कहा, ‘हिंदू अच्छी तरह पिटाइ कर दें तो मुसलमान दगा शुरू करने की हिम्मत नही

करेंगे।' और इस सभ्य में कलकत्ता तथा दो-तीन अन्य स्थानों के उदाहरण भी दिए। सुपरिण्टेंडेंट ने कहा कि सिंध में हिन्दू कमजोर हैं और धुरी तरह पिटे। इस पर एक और साथी ने पहले बुजुर्ग का समर्थन करते हुए कहा, 'जहाँ एक बार अच्छी तरह ठुकाई हुई नहीं कि फिर मुसलमान दगा करने की हिम्मत नहीं करेंगे।' ये उनके अमली विचार हैं जो उत्तेजना में प्रकट हुए लेकिन जाहरा वे अहिंसा का ज्ञात करने हैं।

9 मई का फिर घरवालों की ओर उनका मन गया और अपने पुत्र पुत्रवधू का विवाह तिथि पर स्नेहपूर्वक उनका स्मरण करते हुए इस बात पर सताप अनुभव किया कि पुन (धीरुभाई) ने वकालत का धंधा जमा लिया है और पुनवधू (माधुरी) न घर गिरस्ती सम्हाल ली है।

इसके बाद 19 मई (1941) के एक सक्षिप्त पत्र में दुनिया में हो रही घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वतंत्रता सभ्य के बारे में विचार किया "हम सभ्य का अर्थ क्या होगा? दुनिया में घटनाओं की पृष्ठभूमि में देखने पर यह बहुत छोटी बात मालूम पड़ती है। जसी द्रुतगति से इस समय घटनाचक्र चल रहा है ऐसा पहले कभी नहीं था। इसका अर्थ क्या होगा इसका सही अंदाज कोई नहीं लगा सकता। अतः हम वास्तविकता का ध्यान रखते हुए भविष्य के लिए तयार रहना चाहिए।"

दुनिया में हो रही घटनाओं के ही सिलसिले में 24 जून की डायरी में भारत की स्थिति की चर्चा की ओर कांग्रेस के रूप को अग्रगण्य बताया "युद्ध में, जो दो दिन पूर्व रूस और जर्मनी के बीच शुरू हुआ था अमरीका और इंग्लैंड का रुस के साथ हाँ जाना राजनीति में 'यथायथा' का बढ़िया उदाहरण है। हमारे यहाँ एम. यथायथा का अभाव है और मुझे लगता है कि अपने ही स्वभाव के कारण हम कभी यथायथा नहीं बन पाएंगे। अमरीका और इंग्लैंड साफ कहते हैं कि कम्युनिज्म उन्हें पसंद नहीं फिर भी आज व जर्मनी के विरुद्ध जिस भीषण युद्ध में अस्त हैं, उसमें अपने कम्युनिज्म विरोध के कारण रूस का साथ न दे अप्रत्यक्ष रूप से जर्मनी को मदद नहीं पहुँचाना चाहते। यही राजनीति का यथायथा है। महान

राजद्र बाबू कहते थे और कृपालानी भी जो देश भर में नाच रहे हैं और इस समस्या का कोई समाधान नहीं बताते, उनका समयन करते हैं कि यह आन्दोलन हम अपनी आजादी के लिए चला रहे हैं और जिस तरह तथा जितने परिमाण में वह चल रहा है उस पर हम सतोष हैं। यह नाग जनता का इस प्रकार भ्रम में क्या डालन है। क्या अपने सक्ती उहोत यह पूछा है कि यह सत्याग्रह है किसके विरुद्ध? क्या नए सभावित आक्रमणकारी के विरुद्ध? महादेव देसाई का यही कहना है और वह शांति सेना की बात करते हैं। ऐसी बात है तो अभी उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि अभी के सत्याग्रह का उससे भला क्या लेना-देना? और अगर यह अग्रजों के खिलाफ है तो भी इस समय इसकी कोई जरूरत नहीं। क्योंकि वह हटाया जान वाला है और अगर वह नहीं हटता तो यह आन्दोलन और भी गलत है। किसी सघन का चर्चा की जाती है और आशा की जाती है कि उसकी वजह से आजादी आसमान से टपक पड़ेगी। निश्चय ही यथायवाद नहीं है।

“पिल्लिले दिमाग वाला के लिए, जेल में सिवा बाल बच्च के बिछोह के और कोई असुविधा नहीं। उह कुछ करना धरना नहीं। गांधीजी ने उह चर्चा चलाने का काम न दिया है जिसे साचने विचारन की जरूरत नहीं। मगर जिसके पास दिमाग है, उस यदि वास्तविक समस्याओं पर साचन का अवसर न मिले तो वह कुद पड जाएगा।

“यथायवाद से सपक न रहने के कारण वह कुछ साचना विचारता नहीं। सिर्फ बठा बठा अगरेजा का गाली देता है। उस यह भी नहीं दिखाई देता कि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच त्वाई बढ रही है। वह शांति सेना और सतयुग के सपन देखता है। गांधीजी के सत्याग्रह करने पर अगरेजा न कोई सदभाव नहीं दिखाया, इसलिए महात्माजी की सम्मान की रक्षा के लिए उसे जारी रखना चाहिए। देश में क्या हो रहा है दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, सेवा ग्राम की जय।”

घरवाला को त्रिसे पत्र (26 जून) में समकालीन इतिहास का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने का जिक्र है “पिछले डेढ़, बलजियन और फ्रांसीसी युद्धों की ही तरह रूस का युद्ध भी दिलचस्प है। इसलिए कृपया एक अच्छा युद्ध का नक्शा लेते आना।”

इसो दिन कांग्रेस द्वारा यथाय की उपक्षा का अपनी डायरी मे फिर उल्लेख किया कांग्रेस न यथाय की तो बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। यह नारा तो ठीक है कि 40 करोड़ लोगो की आजादी की माग पूरी हाने मे भला कौन हकावट डाल सकता है ? पर असली रूप मे तो 40 करोड़ का बहुत छोटा हिस्सा भी आन्दोलन का साथ नहीं दे रहा। सचाइ तो यह है कि कांग्रेस न अपन प्रभाव का अनिरजित अनुमान लगा रखा है। यह सही है कि उसकी सभाओ मे लाखा की भोड हाना है, लेकिन दा आदमी भी अपनी जेब स कुछ दन को तयार नहीं हात और न एस कार्यक्रम मे ही शराक हान को तयार है, जिसमे खतरा या कष्ट सहन की जायका हा। इसक अलावा कांग्रेस ने लोगो को बहुत ऊची आशाए बघाई हैं, लेकिन कुछ करने का वे तयार नहीं, साथ ही बात व बड़ी गरम करत है और समयोता करने का तयार नहीं। यह बात लोगो क दिमाग मे बिठाने मे कांग्रेस बिल्कुल असफल रहा है कि हम पराजित लाग है और हमारा राष्ट्र पराधीनता मे प्रस्त है। इसलिए हम यास्तविकता का ध्यान रखना चाहिए और स्थिति का अधिक मे अधिक लाभ उठाना चाहिए।'

जापान के युद्ध मे पडन के बाद 31 जुलाई का लिखे पत्र मे उन्होंने भारत पर उनकी आँख हान का संकेत दिया 'जापान के नए आक्रमण स अब युद्ध भारत के अधिन नजदीक आ गया है। जापान भारत और चीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। वह थाईलैण्ड (स्याम) पर भी कब्जा करेगा। बर्मा उसका तात्कालिक लक्ष्य है और उसके बाद डच ईस्ट इंडीज (पूर्वी द्वीप समूह)। पश्चिम के मार्च का जहा तक सवाल है, पिछले दो दिना मे उसकी स्थिति काफी स्पष्ट हो गई है।'

० अगस्त (1941) का यह मुसलमाना के प्रति कांग्रेस की नानि का निष्पत्तना का जालाबना करत हैं 'मुसलमाना के साथ समयोते का इसमे अच्छा जयमर नही हो सकता। इसक बाद लम्बे अरसे तक ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी इच्छा कुछ भी क्या न हा महात्माजी उसके लिए कभी तयार न हाग क्या कि युद्ध मे उनकी मदद के आधार पर ही ऐसा हो सकता है और यह उह हजिज मजूर न हागा। हिन्दू मुसलमाना की एकता को निश्चय ही वह बचा

महत्व देते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अपन मौजूदा रख से अपनी जिन्दगी में उन्होंने उसकी सभावना समाप्त कर दी है। जिता और उन लोगों के बीच जो जाहिरा उनके समर्थक माने जाते हैं (तथा जिनका जपन अपने सूबे में बड़ा असर है) मतभेद है। वे समझते की घात करने को राजामद हैं, बल्कि उत्सुक है लेकिन हमारी तरफ से दरवाजा बन्द है। उनके (गांधीजी के) कट्टर भक्त इतन पर भी, यह अच्छा तरह जानते हुए भी कि दरवाजा हमारी तरफ से बन्द है, दोष उल्टे तरीके पर डालना चाहते हैं। हमारी स्थिति इस तरह सब पूछा तो दुर्ग और अनिश्चित है। वान यह है कि चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस महात्मा जी पर अवलम्बित है और महात्माजी इसके बदले में कांग्रेस द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में अपना आध्यात्मिक प्रयोग करना चाहते हैं। वह कांग्रेस से हट जाए तभी इस दिशा में प्रगति संभव है। आज ता स्थिति यह है कि युद्ध के बीच कुछ नहीं किया जा सकता और युद्ध समाप्त होने पर भी कुछ नहीं, क्योंकि अंग्रेज जीत ना उनकी स्थिति अब स ज्यादा मजबूत होगा जोर हार गए ता क्या होगा यह कुछ कहा ही नहीं जा सकता। युद्ध से दूर रहने की इस वृत्ति से कुछ नहीं हो सकता। राजनीतिक दृष्टि से ता सौदा पटान का यही अवसर है, लेकिन कोई आश्चर्य घटना न घटे ता कुछ समय के लिए ता कांग्रेस के लिए राजनीति माना नहीं है। यह स्थिति बन तन रहेगी, यह कहना कठिन है, यह बहुत जल्द तन न रहेगा मानना चाहिए।”

यदि अपन प्रियजना पर या घर द्वार पर हमला हो ता क्या बलपूर्वक उसका प्रतिरोध करना गलत है इस पर गांधीजी न लिखा कि किसी भा हालत में बल प्रयोग गलत है। मेरी समझ में गांधीजी की भूल है। गांधीजी यह भूल जाते हैं कि उन्हें आत्म मनुष्य नहीं साधारण मनुष्य से काम पड़ता है। पंजाब में इन लोगों ने जो प्रश्न किया था वह कोई सद्धान्तिक प्रश्न नहीं था यह स्थिति किसी भा दिन उनके राज्य में या गांव में आ सकती है। तो वे क्या करें। यही है यथाय की उपेक्षा। वर्तमान स्थिति की उपेक्षा करके आदर्श स्थिति का कल्पना या इच्छा करना यथायथादी नीति नहीं। हम यह कहने में संकोच न होना चाहिए कि गांधी जी की नीति गलत है। उनकी नीति या सिद्धान्त भाग्ये किसी समय सही हो सकते हैं, पर आज की स्थिति में नहीं। आज जो स्थिति है उसमें हमारा ही विचार ठीक है और गांधीजी गलती पर है, क्योंकि प्रकृति का प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण नियम सापेक्षता का सिद्धान्त की उद्देश्य उपेक्षा की है।

10 अगस्त का पत्र में उन दिना पढ़ो 'गुडवाइ मि० चिप्स' पुस्तक का उल्लेख कर बताया कि वह ऐसी पुस्तक है जिसे मानवता की भावना रखने वाला कोई व्यक्ति पढ़कर भूल नहीं सकता।

पारसिया के नववय दिवस पर (5 सितम्बर 1941) व्यंग्य में लिखा 'सार दिन डाक्टर का सत्याग्रहिया न बघाई और शुभकामना दी और जवाब में डाक्टर ने उनकी रिहाई की कामना की। अर्थात् ब्रिटिश सरकार की कृपा से जल से छुटकारा।' महायुद्ध की दूसरी चरण तथ्य पर (3 सितम्बर को) आकाशवाणी से हुए वाइमराय के भाषण का यह अंग उद्घोषित उद्धृत किया "हमारे बाब एस भी लोग हैं जो हल को हाथ लगाय बगर ही (यानी युद्ध में यागदान के बिना ही) विजय स्वीकार फल में हाथ बटाना चाहते हैं।" भाग्ये कहा "रामगढ़ काग्रेस में पहले केन्द्रीय असेम्बली में हाजिरी लगवाने के लिए हम दिल्ली गए थे, जिससे कि हम सदस्यता से हटाया न जा सके। यह ठीक ही हुआ, क्योंकि एसा न करने पर सदस्यता समाप्त हो जाना से अक्टूबर नवम्बर में फाइनेंस बिल अस्वीकृत कराने हम वहां न जा पाते। (और) दिल्ली में रहते हुए सर जगदीश प्रसाद से मैं कई बार मिला। उनका यह विचार था कि नामन में

जा भी थोड़े से अधिकार के स्थान हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इन्हीं के बल पर हम और ले सकेंगे। उन्हीं के कहने पर मैं मि० लथवेट से मिलने की सहमत हुआ और उन्हें अपनी (कांग्रेस की—जसा कि मैं समझता था) स्थिति स्पष्ट की। मैं उन्हें बताया कि सत्याग्रही समझौते की बात करने से कभी इन्कार नहीं कर सकता। उन्होंने भी माना कि सावजनिक रूप से हम (कांग्रेस) स्वतन्त्रता की माग स पाछे नहीं हट सकते। उस वक्त तक सरकार से हमारा थाड़ा बहुत सपक कायम था, इसलिए गतिराध (जो 1935 के शासन विधान के के द्वीय सरकार सम्बन्धी भाग का अस्वीकृत करके हमने पदा कर रखा था) और भावी संविधान के सम्बन्ध में कुछ ऐसे सभ्रात व्यक्तियों से मैंने बातचीत की जो ऐसे मामलों में अमर रखते थे। सर मारिस गायर से कई घंटे इस बारे में विचार विनिमय हुआ कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है और विधान में क्या परिवर्तन सम्भव हैं। उन्होंने कहा, अंग्रेज लोग हमारे साथ इस बारे में कोई रास्ता निकालने के लिए बातचीत करना तयार हैं, बशर्ते कि नया विधान या नयी व्यवस्था मौजूदा विधान से बिल्कुल ही भिन्न न हो।”

भूलाभाई ने जेल में 1940-41 के बीच जा डायरी लिखी थी, उसके इन उदाहरणों से उस समय की उनकी मनादशा पर प्रकाश पड़ता है और पता चलता है कि कमी व्यग्रता से उनका दिमाग काम कर रहा था। उनसे हमें एक ऐसे आदमी की शाकी मिलती है जो आत्मनिरीक्षण द्वारा अपनी कमियों को सदा देखना ही नहीं बल्कि उन्हें दूर करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता है। दश की समस्याओं पर उनके विचारों की भी इससे चाकी मिलती है। उनका दृष्टिकोण तटस्थ था, जिसके कारण वह सामान्य कांग्रेसजना से अलग दिखाई पड़ता था। उनके कुछ विचार तो कांग्रेस वालों के सामान्य स्तर से मेल खाते थे। संभवतः इसी कारण जिन लोगों के साथ उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए काम किया उन्हीं से बाद में उन्हें अच्छा व्यवहार नहीं मिला।

पिछले आन्दोलन में सजा पाने पर भूलाभाई नासिक जेल में रखे गए थे, उस समय वहाँ के सुपरिन्टेण्डेंट भडारी थे, वही अब परवदा जेल आ गए थे, जहाँ



इस बार भूलाभाई को रग्या गया। वह भूलाभाई का विशेष ध्यान रखते थे। उहाँ के प्रयत्न से सत्याग्रही कदियों को रात में ताले भेद करने जैसे कुछ तकलाफ़ेह नियम उठा लिए गए थे। उहाँने भूलाभाई के बारे में बताया है कि उहाँने जेल के नियम भंग करने और अधिकारियों की हुकम उदूली करने पर कदियों को कोड़े लगाने का उनसे अनुरोध किया था।

सरकार ने 16 सितम्बर 1941 का बामारी के कारण भूलाभाई को जल स रिहा कर दिया। इस विषय की सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया— 'श्री भूलाभाई देसाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बम्बई सरकार का (डाक्टरों द्वारा) मिली सलाह के अनुसार जेल में उसकी और बिगड़ने की संभावना है। इसलिए डाक्टरों सलाह पर सरकार ने उँहें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।' ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ समय तक जेल में ही उनका इलाज हाता रहा, उसके बाद पूना के सासून अस्पताल में उँह इलाज के लिए रखा गया। वहाँ दो बार डा० मोदी ने उनके स्वास्थ्य की परीक्षा कर सिबिज सजन को रिपोर्ट दी। इसके बाद 16 सितम्बर को जेल सुपरि टेण्डेण्ट सासून अस्पताल आए और वहाँ उनकी रिहाई का हुकम दिया। उस समय भूलाभाई का स्वास्थ्य इस काबिल नहीं था कि बंबई का सफर कर सकत इसलिए बंबई जाने लायक होने तक उँह अस्पताल में ही रहने का सलाह दी गई। एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि को डा० मोदी ने बताया कि भूलाभाई का स्वास्थ्य इस समय ऐसा नहीं कि उँह बंबई ले जाया जा सक। उँह पूण विधाम की आवश्यकता बतात हुए उँहोंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनका मुलाकान और बानचीत जहाँ तक हो कम से कम करनी चाहिए। उँहाने कहा, मैंने उँहें जब पहली बार देखा था तब से कुछ सुधार ता है फिर भी कम से कम एक मप्ताह उँह अस्पताल से नहीं हटाना चाहिए। बाद में बंबई लौटने पर वह पुन अपना इलाज करात रह। पर बंबई से डा० मोदी के पास पहुचने वाले पत्रों के अनुसार अक्टूबर 1941 तक भी वह पूरी तरह रोग मुक्त नहा हुए थ।

अब हम उन घटनाओं पर आए जिनके कारण अंत में कांग्रेस को प्रारत छोड़ो प्रस्ताव पास करना पडा। वाइसराय की कायकारी परिपद के विस्तार

और रक्षा समिति (एडवाइजरी डिफेंस कौंसिल) की स्थापना से भारत को पनाप नहीं हुआ। तब 1941 के अगस्त में युद्ध के उद्देश्य के बारे में ब्रिटेन और अमेरिका का बमनध्य निकला जो अटलांटिक चार्टर के नाम से मशहूर है। उसमें अग्र बातों में साथ यह भी कहा गया कि दोनों राष्ट्र "सभी देशों की जनता के अपनी इच्छानुसार अपना शासन कराने के अधिकार को मानते हैं, और जिन राष्ट्रों से एम सीएलिन अधिकार बलपूर्वक छीन लिए गए हैं उनके साथ भी अधिकार और स्वायत्तता की फिर से स्थापना करना चाहते हैं। कुछ भारतवासियों को इसमें प्रसन्नता हुई और उन्हें आशा हुई कि इसके फलस्वरूप भारत के प्रति ब्रिटेन की नीति में उदारतापूर्ण परिवर्तन होगा। लेकिन उस घोषणा के कुछ ही समय बाद चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट (हाउस ऑफ कॉमन्स) में ऐलान किया कि 'अगस्त प्रस्तावों में निर्दिष्ट (भारत के प्रति) ब्रिटिश नीति यद्यपि इस (अटलांटिक) घोषणा का अनुरूप ही है, फिर भी मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अटलांटिक घोषणा भारत पर लागू नहीं होती।' इस प्रकार सिवा इसके कि दिसम्बर 1941 को जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद सहित सत्याग्रही कदियों को जेलों से रिहा कर दिया गया, भारत की मांग पूरी करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

लेकिन 7 दिसम्बर 1941 का जब जापान युद्ध में शामिल हो गया तो ब्रिटेन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वयं कांग्रेस की दृष्टि से भी स्थिति बिल्कुल बदल गई। सत्याग्रहियों की रिहाई जापान के युद्ध में आने के कुछ ही पहले हुई थी। जापान के युद्ध में ध्यान पर 7 दिसम्बर के कुछ दिनों बाद जापान ने भारत में परिचित स्थिति को देखते हुए संयुक्त मोर्चा बनाने का अपील की। अगर जापान के युद्ध में आने से भारतीय जनता के मन में भारत पर जापानी हमले का डर या और किसी वजह से ब्रिटेन का साथ देने की भावना पैदा हुई हो—ऐसा ही मालूम पड़ता।

कांग्रेस कार्य समिति ने इस पर यह रुख लिया कि भारत पर जापानी हमला होने की स्थिति में लोगों की मदद और सेवा करने के लिए गैर-सरकारी रूप में एक स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए। मुस्लिम लीग का रुख तो कांग्रेस से भी

अधिक उग्र था क्योंकि उसने भारत पर जापानी हमले के परिणामा की उपेक्षा करते हुए पाकिस्तान की अपनी मांग ही बुलंद की। नरम दल वाले ने अलबत्ता फरवरी 1942 में हुए अपने लिबरल फेडरेशन में अधिक यथायथादी रख अपनाया। सर तजबहादुर सप्रू ने 15 निदली नताओ की आर से तार द्वारा चर्चिल से अनुरोध किया "कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे भारत का दिल पर असर हो और सारा राष्ट्र तयार हो।" उन्होंने नरम दल के इस कायक्रम को स्वीकार करने का सुझाव दिया कि "भारत में ऐसी राष्ट्रीय सरकार कायम की जाए जिसके सभी सदस्य भारतीय हों और वह सीधी सम्राट के प्रति जिम्मेदार रहे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और साम्राज्य के आंतरिक संबंधों में भारत का दर्जा बढ़ाया जाए।" लेकिन जापानी संकट के बावजूद ब्रिटिश राजनीति में भारत के नरम दल की बात पर भी ध्यान देने का तयार नहीं थे। वे तो भारत की विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव का ही राग जलापते रहे, जो वस्तुतः उन्हीं की देन थे और जिसे उन्होंने जान बूझकर भड़काया था। भारत मंत्री एमरी ने घोषणा की—“आपसो समझौते के अभाव में भारत में हम उसी तरह कोई शासन विधान लागू नहीं कर सकते जिस तरह कि यूरोप पर हम कोई विधान नहीं लाद सकते। तजबहादुर सप्रू के तार पर तो दो महीने से ज्यादा समय तक ध्यान ही नहीं दिया गया। मार्च 1942 में जब रगून पर जापान का कब्जा हुआ गया तब जाकर वही चर्चिल ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सर स्टाफर्ड क्रिप्स को, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में तुरंत ही शामिल हुए थे, भारत भेजने का निश्चय किया है। यह अब रहस्य नहीं रह गया है जो अमरीकी परराष्ट्र विभाग के गुप्त कामजपत्रों से भी प्रकट हो चुका है कि अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, 1941 के मध्य से ही ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि मित्रराष्ट्रों की सफलता के लिए भारतीय समस्या का यथासंभव जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। चर्चिल बहुत समय तक इसकी उपेक्षा करते रहे, लेकिन मार्च 1942 में उन्हें बाध्य होकर इस दिशा में कदम उठाना ही पड़ा। भारत में क्रिप्स के आगमन का मूल कारण यही था। उसकी सफलता के लिए लगभग उसी समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने विशेष हिदायत के साथ अपना एक विशेष प्रतिनिधि भी नई दिल्ली भेजा था।

त्रिप्स प्रस्ताव और उस पर कार्यम तथा मुस्लिम लीग व हल के विस्तार में जाने की हम ज़रूरत नहीं। अलबत्ता यह बताना हागा कि कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद न जापानी हमल के खतर का वजह से कांग्रेस की ओर से जिम्मेदारी ग्रहण करने की रजाम दी जाहिर की, वशतें जा सरकार बन वह सचमुच राष्ट्रीय है। अगर राष्ट्रीय सरकार वाइसराय की कायकारी परिषद का ही परिवर्द्धित रूप होने के वजाय पूणदायित्वयुक्त मन्त्रिमंडल हो ता, वह भविष्य के सारे प्रश्ना का फिलहाल स्थगित करने के लिए भी तयार थे। लेकिन त्रिप्स इसे स्वीकार नहा कर सके। आम धारणा उस समय यही थी कि त्रिप्स स्वयं तो इस भाग में सहमत थे, पर चर्चिल की सहमति प्राप्त नहीं कर सके। राष्ट्रपति रूजवेल्ट व विशेष प्रतिनिधि न उह इम संध में जो विवरण भेजा उससे भी बाद में इसी बात की पुष्टि हुई। इतने पर भी सरकारी तौर पर ब्रिटिश सरकार द्वारा यही कहा गया कि गांधी के शांतिवादी दृष्टिकोण के कारण त्रिप्स मिशन अमफल रहा।

भूलाभाई उम समय कांग्रेस काय समिति के सदस्य नहीं थे, फिर भी त्रिप्स से बातचीत में उनका योग रहा। मौ० आजाद न अपनी पुस्तक इंडिया विस फ्रीडम' में इस मबध में लिखा है 'काय समिति ने निश्चय किया था कि (त्रिप्स मिशन से) बातचीत कांग्रेस अध्यक्ष को ही करनी चाहिए। इसलिए मैंने फसला किया कि अय सदस्यो का उनसे अलग बातचीत करना ठीक नहीं होगा, लेकिन किसी कारणवश त्रिप्स किसी से मिलना चाहते तो उसकी व्यवस्था अवश्य की जाएगी। त्रिप्स न भूलाभाई देसाई से मिलने की विशेष उत्सुकता जाटिर की। उन्होंने बताया कि अपनी पिछली भारत यात्रा में उही के यहां वह ठहरे थे और जा लादी का सूट वह उस समय पहन हुए थे उसका धोर इशारा कर मुस्करात हुए कहा, "ये जा बपडे मैं पहने हुए हूँ वे भी भूलाभाई देसाई की भेंट हैं। तब मैंने भूलाभाई देसाई का उनसे मिलने का कहा और मर कहत पर उन्होंने सर स्टफड त्रिप्स से मिलकर बातचात भी का।'

त्रिप्स मिशन की विफलता का दाप गांधीजी व मत्थे मडने में ब्रिटिश सरकार न स्पष्ट रूप से झूठ का सहारा लिया। इससे गांधीजी का शुग्ध होना

स्वाभाविक था क्योंकि वह ता वस्तुतः इस बात के लिए सबसे अधिक इच्छुक था कि कठिनाई के वक्त अंग्रेजों को परेशान न किया जाए। ट्रिप्स मिशन का विफलता के बारे में ब्रिटिश सरकार की इस बात पर कहा जाता है कि 'गांधीजी का उक्ति थी—' यह सब बूठी बकवास है।

ट्रिप्स मिशन की विफलता के बाद अंग्रेजों के प्रति गांधीजी का रुख बदल गया। उपर्युक्त घटना के कुछ समय बाद ही उन्होंने खुलेआम कहा कि ब्रिटेन और भारत दोनों का हित इसी में है 'वक्त रहते ब्रिटेन गति से भारत से हट जाए।' उनके इसी रुख का परिणाम भारत छोड़ो प्रस्ताव और उसके बाद हुआ आंदोलन है। 2 मई को और उसके बाद फिर 10 मई को उन्होंने (गांधीजी ने) लिखा समय आ गया है जब ब्रिटेन की दासता से भारत को सबका मुक्त हो जाना चाहिए। इसके लिए युद्ध की समाप्ति का इतजार करने की जरूरत नहीं बल्कि युद्ध के बीच ही ऐसा कर डालना चाहिए। इसी महान काय का पूर्ण करने लिए मैं अपनी शक्ति लगाऊंगा भारत में अंग्रेजों की मौजूदगी तो जापान का भारत पर आक्रमण का निमंत्रण है। उनके यहाँ से चले जाने पर इस खतरे का खात्मा हो जाएगा। मान लो कि ऐसा न हो, तो भी पराधीनता से मुक्त भारत कभी अच्छी तरह आक्रमण का मुकाबला कर सकेगा। विशुद्ध असहयोग तब अपना पूरा चमत्कार दिखाएगा।' कुछ दिन बाद तो वह इससे भी आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा 'भारत का ईश्वर के भरोसे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। अर्थात् अराजकता की हालत में हम रहने दें। अराजकता में यही तो होगा कि आपस में थगड़े फसाद होंगे और लूट खसोट मचेगी। लेकिन यह अराजकता कुछ ही समय तक रहेगी और उससे ही फिर भारत का सच्चा रूप सामने आएगा सच्चा भारत का निर्माण होगा।' गांधीजी का यह विश्वास सबकुछ आवश्यकजनक मालूम पड़ता है कि अंग्रेजों के भारत से हट जाने पर कुछ समय फसाद के बाद ही भारत में उत्तरदायित्व की भावना पैदा होगी, जिसके फलस्वरूप विविध सम्प्रदायों में वाजिब समझौता हाकर सौहार्द कायम होगा और गति ब अहिंसा कायम होगी।



बाद कुछ मामूली सशोधनी के साथ भारी बहुमत से उसे स्वीकार कर लिया गया ।

भूलाभाई का, जो 'उस समय' काय समिति के सदस्य नहीं थे, इस प्रस्ताव पर क्या रुख था ? इस सबध में निश्चिन्त रूप से कुछ कहने की स्थिति में हम नहीं हैं पर जेल में जो उनकी मनोदशा थी उसे देखत हुए लगता है कि उन्होंने उसे बिल्कुल नापसंद ही किया होगा । विद्रोह के साथ होने वाले गभीर और हिंसात्मक उपद्रवों की आशंका और उसके फलस्वरूप होने वाले क्रूर दमन का कल्पना से वह उसके विरुद्ध ही रहे होंगे ।

कांग्रेस की हलचलो पर सरकार की कसी बड़ी नजर थी और उनके लिए उसकी कसी तैयारी थी, यह इसी से स्पष्ट है कि कांग्रेस महासमिति द्वारा 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरत बाद सरकारी वक्तव्य सामने आया, जिसमें कांग्रेस के प्रस्ताव पर खेद व्यक्त करते हुए उसकी चुनौती का सामना करने का दृढ़ निश्चय घोषित किया गया । सरकारी प्रस्ताव के अंत में कहा गया "भारतीय जनता के प्रति अपने दायित्व और अपने मित्र राष्ट्रों के प्रति अपने कर्तव्य की दृष्टि से भारत सरकार ऐसी किसी भी मांग पर विचार नहीं कर सकती जिसे स्वीकार करने से भारत में गडबडी और अराजकता फल और उसके फलस्वरूप मानव स्वतंत्रता के समान उद्देश्य की पूर्ति में भारत के प्रयत्न में रुकावट हो ।"

सरकार बड़ी कायवाही के लिए तैयार बठी थी, इसका पता अगले सबेरे ही लग गया—'रविवार 9 अगस्त को गांधीजी रोज की तरह सुबह 4 बजे प्रायना के लिए उठे । गिरफ्तारी की अपवाह चारों तरफ फल रही थी । संभवतः उन्हें ध्यान में रखत हुए महादब देसाई से उ होने कहा कि 'रात को महासमिति में मैंने जसा भाषण दिया उसका बाद ऐसा नहीं लगता कि मुझे गिरफ्तार किया जायगा । लेकिन प्रायना के बाद वह नित्यक्रम की जा ही रहे थे कि सबर आई, पुलिस कमिश्नर विडला हाउस के फाटक पर खडे हैं और गांधीजी के सेप्रेटरी से मिलना चाहत हैं । उनका पास भारत रक्षा कानून के मातहत गांधीजी महादब देसाई और मीराबेन की गिरफ्तारी और

नगरबन्धी के वारण्ट थे। वस्तुतः गांधी और प्यारेलाल के लिए वारण्ट नहीं थे। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उतरी रूप में भी गांधीजी के साथ चलना चाह तो मैं उन्हें भी ले चलने का तयार हूँ पर उन्होंने न जान का ही निश्चय किया। पुलिस ने गांधीजी और उनके साथियों का तयारी के लिए आधे घण्टे का समय दिया। गांधीजी ने राज गी तरङ्ग 'करी का दूध और फलो के रस का कनेवा किया, उनके प्रिय भजन "वैष्णव जन ता तण वहिए" की सगत हुई और कुरान की आयतें भी पढा गईं। इनके बाद भीता, आरम भजनावली, कुरान उदू के कायदे और अपनी धनुष तकली के साथ वे पुलिस के साथ हो लिए।'

गांधीजी ने पुलिस के साथ जाने से पहले राष्ट्र के लिए प्यारेलाल को यह संदेश दिया "स्वतंत्रता के प्रत्येक अहिंसक सैनिक को चाहिए कि वह कागज या कपड़े के टुकड़े पर 'करेंगे या मरेंगे' का नारा अर्पित कर उसे अपने कपड़ों में लगा ले, जिससे सत्याग्रह करत हुए अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उस चिह्न से पता लग सके कि यह उन लागा में नहीं है जो अहिंसा का नहीं मानते।"

अहिंसा और सत्याग्रह के महान पुजारी का यह कितना जबरदस्त आशीर्वाद था, यद्यपि बाद की घटनाएँ कुछ ऐसी हुईं कि स्थिति इससे उलटी ही रही।

आजाद उस समय भूलाभाई के ही यहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने स्वयं जो वचन किये हैं उससे अधिकारियों के रुव और इरादों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उन्होंने लिखा है

"बर्बाद जाने पर मैं आमतौर पर स्व० भूलाभाई देसाई के घर ही ठहरा करता था। इस समय भी मैंने वसा ही किया। वह (भूलाभाई) उस वक़्त बीमार थे और कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इसलिए कांग्रेस महाममिति की बैठक के बाद जब मैं देर से रात को घर लौटा तो उन्हें अपने इतजार में जागते हुए पाकर मुझे आश्चर्य हुआ। रात काफी बात चुकी थी और मैं यका हुआ था। मेरा ख्याल था कि वह सो गए होंगे। मैंने कहा आपको इतनी रात तक जागकर इतजार नहीं करना चाहिए, यह ठीक बात नहीं। लेकिन उस पर

\* 'महात्मा' से (खंड 6, पृष्ठ 216)



ध्यान न दे उहोने बताया कि मरा एक रिश्तेदार मुहम्मद ताहिर, जा बर्बई में त्रिजारात करता है मुझसे मिलने आया था। उसने बहुत देर तक मरा इतजार किया और तब तक भी मेरे न आने पर उनके पास मेरे लिए एक मद्देन छोड़ गया है। मुहम्मद ताहिर का एक दोस्त बर्बई की पुलिम में काम करता था, उससे उम पता चला था कि दिन निकलते निकलते सभी नाग्रम नता गिरपतार कर लिए जाएंगे। ताहिर के दोस्त ने यह भी कहा था कि उसे निश्चित तौर पर तो नहीं मालूम पर खबर है कि हमें भारत में बाहर सभवन दक्षिण अफ्रीका भेजा जाएगा।

‘कलकत्ता से रवाना होने के पहले, वहा भी मैं ऐसी अफवाह सुनी थी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि अफवाह निराधार नहीं थी। सरकार ने हमारी गिरपतारी का निणय करत वक्त यह भी सोचा था कि देश में ही हम रखना राजनीतिक दूरदर्शिता नहीं होगी। दरअसल दक्षिण अफ्रीका की सरकार से इस बारे में पूछा भी गया था। जरूर ऐन वक्त पर कोई रुकावट खड़ी हो गई होगी, जिसके कारण वहाँ में वह निणय बदलना पड़ा। जल्दी ही हम इस बात का भी पता लग गया कि सरकार ने गांधीजी को पूना में थोर हम सबको अहमदनगर के किले में नजरबंद रखने का निश्चय किया है।

‘भूलाभाई इस खबर से बड़े विचलित हुए थे, इसीलिए मरा इतजार कर रहे थे। मैं उस वक्त बहुत थका हुआ था और ऐसी अफवाहा पर ध्यान देने की मनोदशा नहीं थी। भूलाभाई से मैंने कहा कि खबर सच है तो आजादा के कुछ हा घण्टे मेरे पास हैं अच्छा हो कि जल्दी से खाना खाकर सोने चला जाऊँ जिनमें सवेरे रुकावट न हो। ऐसी अफवाहा पर अटकल लगाते रहने के बजाय आजादा के इन कुछ घण्टों में साकर जाराम कर लेना बहुत है। भूलाभाई इससे सहमत हुए और जल्दा ही मैं सो गया।

“(बड़े सवेरे) मुझे लगा कि कोई मेरे परों को छू रहा है। आँखें खोलीं तो भूलाभाई के लडके धीरूभाई देसाई की हाथ में एक कागज लिए खड़ा पाया। धीरूभाई के कटन में पहल ही मैं जान गया कि वह वारण्ट है जिसे लेकर पुलिम जाने

मरा गिरफ्तारी के लिए आए है। धीरूभाई न बताया कि डिप्टी कमिश्नर बगमदे में बड़े इंतजार कर रहे हैं। मैंने धीरूभाई से कहलवाया कि तयार होकर थोड़ी ही देर में आता हूँ।

"जल्दी से नहा धोकर मैंने कपड़े पहन। साथ ही मुहम्मद अजमलखा को, जो मेरे प्राइवेट मेन्ट्री का काम कर रहे थे जल्दी हिदायतें दी। उसके बाद बगमदे में चला गया। वहाँ भूलाभाई और उनकी पुत्रवधू डिप्टी कमिश्नर के साथ बातचीत कर रहे थे। मैंने हसकर भूलाभाई से कहा कि हमारे दोस्त न बल शाम जो खबर दी थी वह सही निकली। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर की तरफ मुलातिब होकर कहा 'मैं तयार हूँ।' उस वक्त सवेरे के 5 बजे थे।'

सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले की निश्चय ही पूरी तयारी कर रखी थी। कुछ ही दिनों में शायद ही कोई प्रमुख कांग्रेसी जेल से बाहर रह गया हो। कांग्रेस महासमिति और सीमा प्रान्त की कमिटी को छोड़ सभी प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का सरकारनूनी करार द दिया गया। इलाहाबाद स्थित कांग्रेस व प्रधान कार्यालय को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और कांग्रेस का रूपया-पैसा सब जब्त कर लिया। आंदोलन संबंधी खबरों और उनकी आलोचनाओं पर इतना सख्त नियंत्रण किया गया कि गांधीजी के 'हरिजन' और अन्य कई अखबारों को प्रकाशन बंद कर देना पड़ा।

इतन पर भी यह कम्ना ही पड़ेगी कि यदि ऐसी सख्त और तज कारबाई के द्वारा सरकार का उद्देश्य लोगों में आतंक फैलाने और कांग्रेस संबंधी सभी प्रवृत्तियों को कुचलने का था, तो इसमें वह सचचा विफल रही। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से लोगों में उत्तेजना फैली। लेकिन उह नियंत्रण में रखने और रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि गांधीजी और उनके अनुयायियों के जेल में बंद कर दिए जाने से अहिंसा के सिद्धांत का—जिस रूप में कि वह उस समय और उसका प्रतिपादन करते थे—ख़ात्मा हो गया। जबाहरलाल नेहरू ने सदैवक यह स्वीकार किया है कि "अहिंसा का जो पाठ बीस वर्ष से अधिन समय से लोगों को पढ़ाया जा रहा था उस उद्देश्य बिल्कुल भुला दिया।" इसमें शक नहीं

कि शुरुआत हड़ताल जोर ऐसे प्रदर्शनों से ही हुई जो हिंसात्मक नहीं थे। लेकिन अधिकारियों ने उन्हें गरवानूनी घोषित कर दिया और उन्हें रोकने के लिए लाठी और गोलियों का खुलकर प्रयोग किया। अतीजा यह हुआ कि लाचार हो लोगो ने हिंसा का सहारा लिया। फिर तो देश भर में सरकार को ऐसे विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसने सशस्त्र न होत हुए भी हिंसात्मक रूप ले लिया। यह ऐसा विद्रोह था जसा 1857 के विद्रोह के बाद शायद ही देखने में आया हो।

उस समय का घटनाओं के विस्तार में जाना यहाँ अनावश्यक है, इतना कहना ही काफी होगा कि वह भारतीय जनता में व्याप्त क्रान्तिकारी भावना का ऐसा उफान था, जो लगभग सारे देश में मुख्यतः हिंसात्मक घटनाओं के रूप में प्रकट हुआ। बंगाल में तथा अथर्व अनेक स्थानों पर आन्दोलनकारियों ने स्थानीय तथा अथर्व सरकारी अधिकारियों को बंदी बना कर समानांतर सरकारों कायम करने की कोशिश की। बदले में सरकारी कार्रवाई तो इससे भी तीव्र और हिंसात्मक थी। बलिया और मेदिनीपुर में खास तौर पर जो जुलूम डाले गए उसकी तो बात ही क्या, पर वैसे भी लाठी प्रहार, कोड़ों की मार, गालियों से निशानेबाजी कद, लूट पाट, आगजना बलात्कार, तरह-तरह के खबर तरीकों से लोगों का सताना और सामूहिक जुमाने (जो ज्यादातर हिन्दुओं पर किए गए) रोजमर्रा की बात हो गई थी। 1942 के नवम्बर में कांग्रेस महासमिति द्वारा प्रकाशित एक वक्तव्य में बताया गया कि गांवों का जलाना और लूटना सामूहिक रूप से बलात्कार और लूट पाट मशीनगना से ही नहीं, बल्कि हवाई गहाजा से गोलियों की वर्षा रोजमर्रा की बातें हैं। 1942 के उपद्रवों के सिलसिले में पुलिस और फौज की गालियाँ से हताहत होने वालों की संख्या सरकारों अनुमान के अनुसार 1,028 मृत और 1,200 घायल थी। यह अनुमान वास्तविकता से बहुत कम है। हताहतों की सही संख्या निश्चय ही बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सरकारी तौर पर ही बताया गया है कि कम से कम 538 अवसरों पर गालाबारी की गयी। यहाँ नहीं उनके अलावा भी चलती फिरती लारियों से भी पुलिस या फौज ने लोगों को गोलियाँ चलाकर मारा। ऐसी स्थिति में सही संख्या का तो माटा अंदाज लगाना भी मुश्किल है। आम लोगों के अनुमान से तो मरने वालों की संख्या 25,000 से



## गतिरोध और देसाई-लियाकत समझौता

भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद—अगस्त 1942 से जून 1945 तक का, कोई तीन माल रात का—काग्रेस के लिए बड़ा अनिश्चय और अधकारपूर्ण रहा। भारतीय स्वतंत्रता मंचम के इतिहास के अनुसार 60,000 से अधिक व्यक्ति तो 1942 के अंत तक ही गिरफ्तार किए जा चुके थे। 26,000 का मुकदमा चलाकर सजा दी गई और 18,000 व्यक्ति भारत रक्षा नियमों (डिफेंस ऑफ इण्डिया रूल्स) के मातहत गजरबंद किए गए। इसका अलावा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता पुलिस की भाषा में घूल झोबकर लापता हो गए थे और गुप्त आंदोलन चला रहे थे।

इस बीच गांधीजी ने वाइसराय, होम मन्त्र और भारत सरकार के मंत्रियों से पत्र-व्यवहार बराबर जारी रखा। अहिंसा पर और कांग्रेस महासमिति की बैठक में 7 और 8 अगस्त 1942 को उद्घोषित जायज लिया था, उसी पर वह इस पत्र-व्यवहार में जारी दन रहे। 29 जनवरी, 1943 का उद्घोषित उपवास शुरू करने के अपने निम्न की वाइसराय को सूचना दी। अपने पत्र में उद्घोषित इस बात की निम्न की निम्न के दृष्टिकोण को बिल्कुल गलत समझा गया है। उद्घोषित सरकार के दमन की निम्न की। उद्घोषित निम्न, मैग्नी हालत में यह सोच बिना नहीं रहे सकता कि "राजा की बर्मी के कारण दंग में लाला गराबो को जा मुगल उठाने पर रहा है।" धमक गयीं जनता के चुन हुए प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी वास्तविक राष्ट्रीय सरकार हाता तो यह बिल्कुल दूर न जानी ता भी बहुत हूँ तक दूर रहने हा जानी। मैं अगर जमाना को उपाय न कर पाता और लोगों को



म कहा गया 'हमम स कुछ लोगो की हान म गाधीजी से जा वातचीत हुई उमम हमे ऐमा लगता है कि इस समय समझौते की बात चलाई जाए तो उसकी सफलता की संभावना है। हमारा विश्वास है कि गाधीजी को अगर रिहा कर लिया जाए तो उससे युद्ध के सफलतापूर्वक संचालन में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी, बल्कि देश में जो गतिराध हो रहा है उसके समाधान के लिए वह लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और इस काम में अपनी शक्ति भर पूरी मदद पहुंचाएंगे। अतः हमारी तरफ से कुछ प्रतिनिधियों को उनसे मिलने की वाइसराय में अनुमति मांगनी चाहिए जिससे हाल की घटनाओं पर उनका प्रतिक्रिया निश्चित रूप से मालूम हो और समझौते का रास्ता निकालने की कोशिश की जा सके।'

इस वक्तव्य पर सभ्र, ज्यकर, राजाजा, भूलाभाई आदि के हस्ताक्षर थे। लेकिन वाइसराय ने नेताओं की मांग को ठुकराते हुए यह सक्षिप्त जवाब दिया 'पजर बाद कांग्रेस नेताओं से पहले कुछ आश्वासन और गारंटियां ले ली जाने के बाद ही इस बारे में आगे विचार किया जा सकता है।' यह उल्लेखनीय है कि राजाजी और भूलाभाई दोनों ही निदलीय नेताओं के मंच पर उसी रूप में शामिल हुए और उनके द्वारा स्वीकृत वक्तव्य पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए। इसका इसका सिवा और क्या अर्थ हो सकता है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव से भूलाभाई सहमत नहीं थे और उसके फलस्वरूप होने वाले आंदोलन से भी उन्होंने अपन का अलग ही रखा ?

वाइसराय लाड लिनलिथगो के साथ, जिनका कार्यकाल समाप्ति पर था, गाधीजी का लबा और लगातार पत्र-व्यवहार जारी था। दोनों ही तरफ में अपनी वाता की पुष्टि में दलीलें दी जाती रहीं, लेकिन देश जहां का तह्रा रहा और कांग्रेस तथा सरकार के बीच जो गतिरोध था उसके समाधान में कोई प्रगति नहीं हुई। इस बीच दो बातें ऐसी हुईं जिनका उल्लेख आवश्यक है। एक तो यह कि मुसलमान नेता धीरे धीरे पर निश्चित रूप से इस विचार के होते जा रहे थे कि देश का (हिंदू मुसलमानों में) बंटवारा होना चाहिए। दूसरी यह कि 1943 की फरवरी में जब जेल में गाधीजी ने उपवास किया तो राजाजी ने उनसे मिलकर 'पाकिस्तान के आधार पर जिना से समझौते की बात चलाने की अपनी योजना पर उनकी शुभ कामना प्राप्त कर ली थी।' लेकिन जिना के साथ राजाजी ने समझौते की कोई

बान नहीं की, क्योंकि गांधीजी के रुब में इतना भारी परिवर्तन हो गया था कि स्वयं उन्होंने जिन्ना से बातचीत का प्रस्ताव किया। मुस्लिम लीग ने दिसम्बर 1943 में जा खल प्रकल्पित किया और 'भारत छोड़ो' का मुकाबले 'बदवारा करो और जापो' का जो नया नारा अपनाया, उसे देखते हुए शायद इसके सिवा और चारा न था।

1944 की 22 फरवरी के दिन आगाखा महल में कमतूरवा का दहावसान हुआ गया। इसके बाद अप्रैल (1944) में गांधीजी जेल में बीमार हुए और 5 मई को उन्हें रिहा कर दिया गया। आगाखा महल से उन्हें पूना के एक मकान में ले जाया गया, जहाँ से स्वास्थ्य सुधार के लिए फिर वह पचगनी गए।

20 अक्टूबर, 1943 को लाड लिनलिथगो वाइसराय पद से प्रकाश ग्रहण कर चले गए। वह साठे सात साल तक वाइसराय रहे—जितने लम्बे समय तक शायद और कोई इस पद पर नहीं रहा, लेकिन इस बीच दश में अशांति ही रही और जब वह गए तब भारत की हालत बही खराब थी। नए वाइसराय लाड वेवल हुए, जो 1942 की गडबडी के वक्त भारत में कमाण्डर-इन-चीफ थे।

शामन के शीपस्थान पर ही परिवर्तन नहीं हुआ, युद्ध में भी मित्रराष्ट्रों का भाग्य चमकन लगा और उनकी विजय निश्चित लगने लगी। परिवर्तित स्थिति से शायद गांधीजी के विचार भी कुछ बदले। जुलाई, 1944 में 'न्यूज क्रानिकल' (लंदन) के प्रतिनिधि स्टुअर्ट गेल्डर ने उनसे भेंट की। गेल्डर ने उस भेंट का जा विवरण प्रकाशित किया उसको लेकर अच्छा खासा विवाद उठा, क्योंकि भेंट इस वक्त पर हुई थी कि उसका विवरण प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह स्पष्ट था कि भेंट में जो कुछ कहा गया वह वाइसराय तक पहुँचाने के लिए ही था और वह परिवर्तित स्थिति में गांधीजी की नई नीति थी, बशर्ते कायसमिति उसे मान ल। गांधीजी अगर वाइसराय लाड वेवल से मिलें तो उनसे क्या कहेंगे, गेल्डर के इस प्रश्न पर गांधीजी का जवाब था "मैं वाइसराय से यही कहूंगा कि मैंने आपसे मुलाकात मित्र राष्ट्रों के काम में रुकावट डालने के लिए नहीं बल्कि उसमें सहायक होने की दृष्टि से मांगी है और कांग्रेस कायसमिति के सदस्यों से मुलाकात की जा अनुमति मांग रहा हूँ वह भी इसी उद्देश्य से।" आगे पूछा गया कायसमिति के



सदस्यो की रिहाई के बाद वे जो माग पेश करें उसे सरकार पूरी न करे तो क्या आप फिर सत्याग्रह शुरू करेंगे ? इस पर गांधीजी न बहा "बायनमिति की रिहाई के बाद तो वही मारी स्थिति की जाच पडताल करेगी और आपस म तथा मेरे साथ विचार विनिमय करेगी । मैं तो यही कह सकता हू कि आज सत्याग्रह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है । देग को मैं 1942 पर वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होती । या कांग्रेस से अधिकार लिए, नगर भी मैं चाहू तो जनता पर अपने परिवर्तित प्रभाव के सहारे आज ही सत्याग्रह शुरू कर सकता हू लेकिन मेरे ऐसा करने से ब्रिटिश सरकार को परेशान करने के सिवा कोई लाभ न होगा और ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है ।" पत्र प्रतिनिधि न बहा कि युद्ध के जारी रहने ब्रिटिश सरकार आजादी की माग मजूर करके भारतवासियों को सत्ता सौंप देगी, ऐसा मं नहीं मानता । इस पर गांधीजी न बहा "1942 म जा माग रखी गई था और जो माग रखी जाएगी, उसम अंतर है । आज तो मैं नागरिक प्रशासन का पूण अधिकार रखने वाली राष्ट्रीय सरकार पर ही सतोप कर रूगा, लेकिन 1942 म ऐसी बात नहीं था । यह जरूर है कि ऐसी सरकार के द्वीय असेम्बली के निर्वाचित सदस्यो द्वारा चुने गए व्यक्तियों की ही होनी चाहिए । युद्धकाल म यही भारत की स्वतन्त्रता की घोषणा समझी जाएगी ।"

गांधीजी के 1942 की अगस्त मे जा विचार थे उ ह देवत उनक विचारो म यह महत्वपूर्ण परिवर्तन था । इस राजनीति के उलटफेर के सिवा क्या वह ? लेकिन हमारी स्वामित्व चम्पा ता "नक निश्चित रूप स प्रकट किए इस विचार म है कि युद्ध काल म कांग्रेस की मनुष्यिक व लिंग यही काफी है कि नागरिक प्रशासन के लिए ऐसी राष्ट्रीय सरकार कायम कर दी जाए जिसम के द्वीय असेम्बली के निर्वाचित सदस्यो द्वारा चुने गए व्यक्ति ही रहें । मोटे तौर पर इसा के लिए भूलाभाई ने उनकी अनुमति से प्रयत्न किया जसा कि आगे हम बताएंगे ।

सितम्बर 1944 म जि ना म समझौते की गांधीजी न जो कोणिस की उससे अनुमान लगायें ता मुस्लिम लीग के प्रति कांग्रेस के रख म भी निश्चय ही बहुत परिवर्तन हो गया था । यह ही सचता है कि कांग्रेस नताजा म स काफी लीग समझौते की ऐसी चर्चाआ व पत्र मे नहीं थे और समझौते की दिगा म कोई सफलता

नही मिली, लेकिन यह स्पष्ट है कि जिना ने निलकर राजाजी न जा योजना तयार की थी, उनका पक्ष में गांधीजी का कर लिया गया था, जिना का कांग्रेस में इला भी बालबाला था। 10 जुलाई, 1944 का राजाजी न उस प्रकाशित किया। उनके अनुसार समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में होना था और उसका गति निम्न प्रकार थी

(1) मुस्लिम लीग मंत्रमग बाल क लिए स्वतंत्रता की माग का समर्थन करेगा।

(2) युद्ध-समाप्ति क बाद एक कमीशन द्वारा पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर भाग के उन इलाका की हस्तान्तरणी की जाएगी जिनमें मुसलमान पूरा बहुमत में हैं और उनके समी निवासियों की इस प्रश्न पर जनमतगणना की जाएगी कि उन्हें हिन्दुस्तान में पृथक किया जाए या नहीं।

(3) जनमतगणना में उन इलाका क हिन्दुस्तान से पृथक होन के निश्चय का स्थिति में, रक्षा, वाणिज्य, संचार तथा अन्य आवश्यक मामलों पर इकरारनामे किए जाएंगे।

(4) य शर्तें लागू तभी हंगी जब ब्रिटन द्वारा भारत के शासन की पूरी सत्ता लीग जिम्मेदारी भारत का सौंप दी जाएगी।

इस समयों की घातचीन उम बकन हुई जब देग में करीब दो साल से जातों से दमन जारी था और कांग्रेस आ गालन क सभी प्रमुख नेता जेलों में बंधे थे। गांधीजी क निर्विवाद नतुत्य और जनता पर उनके व्यापक प्रभाव के कारण नेरम दल (त्रिवरल्लों) की ता भारत की राजनीति में कोई गिनती ही नहीं रही था। फिर भी भारतीय राजनीति के चाणक्य राजगोपाला राय से प्रभावित हा गांधीजी का जिम रास्त को पकड रहे थे उसका उनमें से अनेक ने खुपकर विरोध किया। और ता और, वाइसराय लार्ड वेवेल तक ने जो लार्ड लिनलिथगो के उत्तराधिकारी हुए थे ता और इस महा देश की आर्थिक तथा सामरिक अराडना की मरुता से भणी भानि परिचित थे इसका विरोध किया। अपने पूर्ववर्ती वाइसराय द्वारा के दीर असेम्बली

गांधीजी की हुई कि केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस दल के नेता की हैसियत से व. वाइसराय से मिलकर गतिरोध दूर करने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। भूलाभाई के कागजपत्रों में मिले सत्यद महमूद के इस पत्र से यह स्पष्ट है जो वर्धा से 18 नवम्बर 1944 को उनके पास भेजा गया था

सवाग्राम, वर्धा

व्यक्तिगत और गैरपनीय

18 11 44

प्रिय श्री भूलाभाई

कुछ मुसलमान मित्रों ने हमें यहां लिखा है कि जिना साहब से बातचीत के वक्त महात्माजी ने उन्हें अतिरिक्त सरकार का कोई मोटा साका पेश किया जाता तो मुमकिन है समझौता हो जाता। डा० अब्दुललतीफ का पत्र तो आपने अखबारों में देखा ही होगा। वापू ने आपको कहलवाया है कि साम्प्रदायिक तथा अन्य मामलों में दिल्ली में आप कुछ कर सकते हैं ता करें।

खबर मिली है कि नवाबजादा लियाकत अली खा—इस बात का निश्चय ही जान पर कि अतिरिक्त सरकार का क्या रूप होगा और उसका क्या काम होगा— कांग्रेस से समझौते के इच्छुक हैं। ये अफवाह कहा तक सही है, यह मैं नहीं जानता। आप नवाबजादा साहब से बात करके देखिए। अफवाह सच ही तो गांधीजी की ओर से (उस आधार पर बात करने में) कोई कठिनाई नहीं होगी। उनके मन में क्या है इसका आपका पता है अतः इस अवधि में आप जा ठीक समझ वह कर सकते हैं।

यह पत्र मैं वापू की जानकारी में और उनकी अनुमति से लिख रहा हूँ। उन्होंने इस दखल भी लिया है। वाइसराय से आपकी मुलाकात का हाल आज के अखबारों से मालूम हुआ।

मेरा पहला पत्र आपको मिल गया होगा। उस पर कोई कारवाई करना आपने ठीक समझा या नहीं यह मुझे नहीं मालूम।

आपका

सत्यद महमूद

सम्यद महमूद ने अपने जिस पिछले पत्र का इसमें उल्लेख किया है, वह हम नहीं मिला।

वाइसराय भी शायद गतिरोध दूर करने का कोई रास्ता निकालने के लिए उत्सुक थे। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का 7 नवंबर 1944 का एक पत्र मिला है, जिसमें भूलाभाई को 15 नवंबर को वाइसराय से मुलाकात का निमंत्रण है। भूलाभाई के कागजों में तो वाइसराय से हुई उनकी उस मुलाकात का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है, पर वी० पी० मेनन ने उमका उल्लेख किया है 'केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस दल के नेता भूलाभाई देसाई से भी वाइसराय मिले। देसाई ने वाइसराय का बताया कि मैं खुद तो औपनिवेशिक स्वराज्य पर तैयार हूँ औपनिवेशिक स्वराज्य और स्वतंत्रता में कोई वास्तविक अन्तर नहीं। उ होने यह भी बताया कि कांग्रेस के नेताओं की मकद पदा करने की कोई इच्छा नहीं है। देसाई ने कहा कि कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल में (प्राता के) एक मुसलमान को शामिल करने के लिए तैयार है, जिसे उस प्रांतीय असेम्बली का मुस्लिम बहुमत नामजद करे। यह जरूर है कि वे कांग्रेस के सामान्य अनुशासन का मानें और मंत्रिमंडल के समुक्त उत्तरदायित्व को स्वीकार करें, बंगाल और पंजाब में कांग्रेस भा एमए हा दावा करने का हकदार है, पर मुझे यह है कि वह इन प्रांता में ऐसा करगी। हा सिव की स्थिति भिन्न है। कांग्रेस बहुमत ग्रासन और मंत्रिमंडल के समुक्त उत्तरदायित्व पर जार दती है।' गांधीजी ने जहां तक सबंध है मनन के अनुसार, 'वह शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए उत्सुक थे और सरकार से सघप का उनका कोई इरादा नहीं था।'

स्पष्टतया इसी मुलाकात की खबर अखबारों में छपी होगी, जिसका सम्यद महमूद ने 18 नवंबर के अपने पत्र में उल्लेख किया। 15 नवंबर 1944 को यह मुलाकात हुई थी।

इसके बाद एसा मालूम पड़ता है कि सम्यद महमूद का पत्र पाकर भूलाभाई लियाकत अली से मिल और अंतरिम सरकार का सभावना पर कई बार उनकी बातचीत हुई। यह भी मालूम पड़ता है कि लियाकत अली से बातचीत के बाद भूलाभाई सेवाग्राम गए और 3 से 5 जनवरी 1945 तक वहा गांधीजी में मिलकर

उह लियाकतअली से हुई बातचीत का सार बताया। जैसा कि भूलाभाई ने अपने वक्त्रव्य मे बताया है, उनसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त कर "मैं दिल्ली गया। वहा नवाबजादा से आगे बातचीत चलाई और उह बताया कि इन प्रस्तावो पर महारमाजी की सहमति मिल गई है अब इहे लिखित रूप देना चाहिए।"

मौलाना आजाद और प्यारेलाल ने इस सवध मे जो प्रकाश डाला है उससे ऐसा मालूम पडता है कि भूलाभाई और लियाकत अली की बातचीत के फलस्वरूप प्रस्तुत याजना पर गाधीजी ने मौखिक सहमति ही नहीं दी बल्कि ऐसा भूलाभाई को लिखकर भी दिया। मो० आजाद ने अपनी किताब (इण्डिया वि स फ्रीडम) म लिखा है 'भूलाभाई देसाई ने गाधीजी से मिलकर उह लियाकतअली खा तथा दूसरो से हुई बातचीत का हाल बताया। गाधीजी सोमवार को मौन रखत हैं। भूलाभाई उनसे मिले, उस दिन सोमवार होने के कारण गाधीजी का मौन था, इसलिए गुजराती म जवाब लिखकर उहीने भूलाभाई को दिया। उसमे भूलाभाई को जो सलाह दी उसका सार यही था कि भूलाभाई अपन प्रयत्न जारी रखें और तपसील मालूम करके उह बताए।'

मगर, ऐसा मालूम पडता है, भूलाभाई के साथ हुई गाधीजी की बातचीत का विवरण वर्धा मे रखा गया था। प्यारेलाल के अनुसार ('महारमा गाधी—दी लास्ट पेज') "भूलाभाई के साथ हुई अपनी बातचीत का संक्षिप्त विवरण लिपिवद्ध करत हुए गाधीजी न लिखा 'काई इसकी घाब न ले, हर एक को अपन ही दिमाग स सोचना और जो ठीक लग वह करना चाहिए। फिर भी यह बतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है कि मैं इस प्रयत्न के विरुद्ध नहीं था। मरी धारणा के अनुसार कांग्रेस और लीग की समुक्त सरकार बन जाए तो मैं उसका स्वागत हा करूंगा। विधान मभा म कांग्रेस और लीग मिलजुलकर काम करें ता मैं उस पसंद करूंगा। लेकिन इसके लिए कांग्रेस कायसमिति स अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। उसके बगर काई समझौता करन म मुझ पतरा मालूम पडता है। कायसमिति की रिहाई के प्रयत्न म लीग को साथ देना चाहिए ' मैं यह नहीं चाहता कि आप गजमद हा या बिना उचित समझौते के इमम पडें।' भूलाभाई और गाधीजी की बातचीत के फलस्वरूप जो कायसमिति बना उसका भी प्यारेलाल ने उल्लेख किया है।

इनमें से एक यह था कि उपयुक्त समय पर गांधीजी वायसमिति को बताएंगे कि भूलाभाई ने जो कुछ किया वह उनकी सहमति से ही किया।”

इसके बाद क्या हुआ, यह भूलाभाई के ही दादा में उक्त वक्तव्य में बताया गया है “समझौते के दस्तावेज की मैंने दो प्रतियां तयार कराईं जिन्हें लेकर 11 जनवरी को मैं नवाबजादा (लियाकत अली) से मिला और दोनों प्रतियों पर हम दोनों ने अपने-अपने दस्तखत किए। दस्तावेज की एक प्रति उंहोंने रखी और दूसरी मैंने। उस वकन भी मैंने उंहें बताया कि समझौते का सांगश मैं गांधीजी को बता चुका हूँ और उंहोंने उसे पसंद किया है।”

सौभाग्यवश भूलाभाई के कागजपत्रों में दस्तावेज की वह प्रति मिल भी गई है जिस पर लियाकत अली और भूलाभाई दोनों के हस्ताक्षर हैं। साथ ही उस दस्तावेज का भूलाभाई के हाथ का लिखा मसौदा भी मिला है जिसमें गांधीजी के हाथ से किए सशोधन हैं। उससे यह साफ जाहिर है कि मसौदे का गांधीजी ने दखा था और उसमें सशोधन भी किए थे।

भूलाभाई ने एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी अपने हाथ से लिखकर तयार की थी और 3 से 5 जनवरी, 1945 के बीच, गांधीजी से मिलने पर उंहें दिखाई थी। गांधीजी ने पेंसिल से उसमें कुछ सशोधन और सवधन किए हैं। उस दिन गांधीजी का मौन था, इसलिए भूलाभाई ने उनके जवाब के लिए कुछ प्रश्न लिखकर तयार किए थे। उस टिप्पणी को गांधीजी के सशोधन सवधना व साथ (जो मोट टाइप में है) नीचे दिया जाता है

‘मेरे विचार में (समझौते की शर्तों का) क्रम कुछ नीचे लिखे प्रकार का होगा”

केन्द्र में अंतरिम सरकार के संगठन पर लोग हमसे सहमत हैं। सहमति से (सरकार से) लिए गए लोग, निर्वाचित धारा सभा के प्रति जवाबदेह होंगे।

लीग इस बात पर सहमत है कि गवर्नर जनरल हमारी इस सजबोज को मजूर कर लें ता नई सरकार का पहला काम कायसमिति के सदस्यों का रिहाई हागी ।

ऐसा ही जानें पर गवर्नर जनरल से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि सरकार क गठन पर हमारे सहमत सदस्या को (और उसके साथ दूसरे निर्वाचित प्लो या व्यक्तियों के प्रतिनिधियों का) स्वीकार कर ।

प्रश्न—नई अस्थायी सरकार का पहला काम कायसमिति के सदस्या की रिहाई हो, इस पर लीग की सहमति क्या उसकी नेकनीयती का (यथष्ट)† प्रारम्भिक सचूत है ?

कायसमिति के नजरब द रहते नई अस्थायी सरकार बन जाए और वह कायसमिति के सदस्यों को रिहा करे तो इससे हिंदू मुस्लिम समस्या के स्थायी समाधान में बाधा पड़ेगी, ऐसा आप क्या मानते हैं ?

उसमें खतरा यह है कि केन्द्रीय असेम्बली अस्पष्ट और दुरगि बात करेगी ।

मरा सवाधिक आग्रह इसलिए है कि लीग की सहमति से यदि अतन्त्रिम सरकार बन गई और उसमें सहयोगपूर्वक काम होने में कोई रुकावट न आइ ता हा सकता है कि (खुले रूप में ऐसा मजूर किए बिना) लीग का पाकिस्तान (बटवार) के लिए उरसाह खत्म हो जाण ।

अस्थायी सरकार लीग और गवर्नर जनरल की सहमति से अभी बन सकती है, लेकिन वह होगी मौजूदा शासन विधान के अतगत ही । उसमें कमाण्डर इन चीफ (और असेम्बला में चुनकर आए हुए ग्यारह अग्नेज सदस्या क एक प्रतिनिधि)\* का छाडकर सभी भारताय होंगे जिन्हें कांग्रेस और लोग द्वारा नामजद किया जाएगा पर वे असेम्बली के चुने हुए सदस्यों के प्रति जिम्म्दार होंगे ।

†इसे गांधीजी ने काट दिया था । टिप्पणा की फाटोप्रति परिसिष्ट । म देखिए ।

\*गांधी जी ने काट दिया था ।

‘सुके बाद में कानका कुछ कहना है’

कानका और लीग के बीच यह स्पष्ट है कि लीग के जो तर्कों के पास न हूँ हूँ उन तर्कों विधान के तर्कों के अन्तर्गत लीग को प्राप्त अधिकारों के द्वारा न हानि दिया जाएगा। (यहाँ लीग के प्रति ‘उत्तरदायित्व’ का भार है)।

प्रत्येक सदस्य (‘सुना पठता’) का प्रत्येक और लीग के पक्ष में होना चाहिए।

अब हम 11 जनवरी 1945 के दस्तावेज़ लिखाऊँ समझना को (जिसकी प्रतीति पर लीगलाई देनाई और लिखाऊँ अली खा दाना के हस्ताक्षर हैं) का पक्ष पर्युक्त करेंगे।

केन्द्र में अन्तरिम सरकार के स्थापना के प्रस्ताव

लीग और लीग इस बात पर सहमत हैं कि वे निम्नलिखित केन्द्र में अन्तरिम सरकार बनाएँ। ऐसी सरकार का गठन इस प्रकार किया जाएगा

- (अ) काँग्रेस और लीग समान संख्या में उसके लिए अपने प्रतिनिधि नामांकित करेंगे (जो जरूरी नहीं है कि केन्द्रीय प्रत्येक के सदस्य ही हों)।
- (ब) अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि (सात पर परिगणित आदिवासी और सिंधी के)
- (ग) कमांडर इन-चीफ

सरकार का गठन मौजूदा भारत शासन विभाग के पक्ष में होना और उसी के अंतर्गत वह काम करेगी। लेकिन इसमें यह बात विचार किया गया है कि भविष्य में अपनी किसी खास तजवीज का केन्द्रीय प्रत्येक से भ्रूण का भरा जाए, तो लीग के अन्तर्गत या वाइसराय के विशेष अधिकार का अन्तर्गत से लीग करने को

\* इसकी फोटो कापी परिशिष्ट 2 में देखा।



कोशिश नहीं करेगा। (इस तरह वह गवर्नर जनरल के हस्तक्षेप से काफी हद तक स्वतंत्र बनेगी)।

कांग्रेस और लीग इस बात पर सहमत हैं कि ऐसी अंतरिम सरकार बनी तो, कांग्रेस कायसमिति के सदस्यों की रिहाई, उसका पहला काम होगा।

इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार प्रयत्न करने का विचार है

उपयुक्त समझौते के आधार पर कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि गवर्नर जनरल की तरफ से ऐसा प्रस्ताव या सुझाव माए कि केन्द्र में कांग्रेस और लीग की सहमति से अंतरिम सरकार बने, ऐसी उनकी इच्छा है। और इसके लिए श्री जिन्ना और श्री देसाई को इकट्ठे या अलग अलग जब आमंत्रित करें तो वे सरकार बनाने की रजामंदी दें और उपयुक्त योजना प्रस्तुत करें।

अंतरिम सरकार बनने के बाद उसका अगला काम प्रा तो को दफा 93 से मुक्त करके, यथासंभव जल्दी से जल्दी प्रा तो में भी मिली जुली सरकार की स्थापना कराना होगा।

बी० जे० डी० 11 1 45

एल० ए० के० 11 1 45

प्यारलाल के वक्तव्यों और भूलाभाई के कागजपत्रों से मालूम पड़ता है कि 1945 की जनवरी के अंतिम दिनों में और फरवरी, अप्रैल तथा जून में इस समझौते के सम्बन्ध में गांधीजी और भूलाभाई के बीच पत्र व्यवहार हुआ। जनवरी में जिन्ना और लियाकत अली के कुछ वक्तव्य अखबारों में निकले जिनसे गांधीजी के मन में समझौते के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई। 24 और 31 जनवरी, 1945 का सवाग्राम से भूलाभाई को भेजे गए पत्रों से यह स्पष्ट है। भूलाभाई ने 1 फरवरी का लिखे पत्र में गांधीजी को पुनः आश्वासन किया जिसका 2 फरवरी का गांधीजी ने जवाब दिया मालूम पड़ता है। इसके बाद 20 फरवरी को गांधीजी ने

भूलाभाई को लिखा—“ममथोन का आपन जो रूप दिया है, उस चलने दे लेकिन कायसमिति की स्वीकृति आवश्यक है।’ गांधीजी का एक पत्र ऐसा भी है जिस पर भेजने की तारीख नहीं है, पर लगना है कि लिखने के कई दिन बाद भेजा गया। उसमें लिखा है कि ‘बिना किसी भय के आप अपना प्रयत्न आगे बढ़ाए। इस पत्र का अपने बचाव के लिए उपयोग करने की जरूरत नहीं। अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार ही हर एक का काम करना चाहिए। पर यह बताना मैं कोई हज़ नहीं कि मैं उनके प्रयत्न के खिलाफ नहीं हूँ। इसमें लिए आप मेरे इस पत्र का उपयोग कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम समस्या के समाधान के लिए आप जो कर सकते हो वह करें। जसा मैंने सुनाया है उस तरह अगर कांग्रेस और लीग का (मिला जुला) मंत्रिमंडल बने तो मुझे खुशी होगी।’

9 अप्रैल का भूलाभाई ने बंबई से गांधीजी का पत्र लिखकर बताया कि चीमूर काण्ड के बाद दियो का कठोरतम दण्ड देने के सरकारी इरादे से एक नई स्थिति पैदा हो गई है। जून में गांधीजी गायद महाबलेश्वर में थे। वहाँ से उठते ही भूलाभाई को लम्बा पत्र लिखा, जिसका कुछ अंश 7 जून का लिखा हुआ है और बाकी 11 जून का। भूलाभाई के पत्र के जवाब में वह लिखा गया था और उसमें गांधीजी ने समझौते की शर्तों पर अपने विचार व्यक्त किए थे। प्यारेलाल के विवरण से मालूम पड़ता है कि महाबलेश्वर में जून 1945 में भूलाभाई गांधीजी से मिले थे और जिस दिन मिले वह गांधीजी के मौत का दिन था। इस कारण गांधीजी ने अपने विचार लिखकर भूलाभाई को दिए। इस तरह यह स्पष्ट है कि जून 1945 में कायसमिति के सदस्य की रिहाई होने के पहले समझौते की सारी बातचीत, वह गांधीजी के पूरे महयोग और परामर्श से ही चला रहे थे।

देखना चाहिए कि दिल्ली में क्या हो रहा था। भूलाभाई के कागज़ों में उनके नाम वाइसराय के प्राइवेट सेक्रेटरी का 13 जनवरी, 1945 का एक पत्र मिला है। उससे मालूम पड़ता है कि 20 जनवरी, 1945 को वह वाइसराय से फिर मिले थे। पत्र इस प्रकार है—“आपने आज तीसरे पहर मुझे अपने जो विचार बताए उसी सम्बन्ध में वह (वाइसराय) आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वह यह भी चाहते हैं कि हमारे बीच जो बातचीत हुई उसे और इस सम्बन्ध में आगे उनसे जो बातचीत

हो उसे आप अपन तक ही रखेंगे।' पर इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई और देसाई लियाकत समझौते पर वाइसराय से चर्चा हुई या नहीं इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अतः कुछ समय के लिए समझौता सम्बन्धी घटनाओं को छोड़ 1945 के माघ में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही ध्यान दें।

वाइसराय से मुलाकात और देसाई लियाकत समझौते पर हस्ताक्षरों के बाद भूलाभाई गतिरोध को जो अर्थ भी जारी था दूर करने का प्रयत्न में लग गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि लाड बवाल जब परामर्श के लिए लंदन गए उस समय भूलाभाई क्रिप्स से पत्र-व्यवहार कर रहे थे। भूलाभाई व 21 मार्च के पत्र के जवाब में क्रिप्स ने 27 मार्च 1945 को उन्हें पत्र लिखा। एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मिनिस्टरी (वायुयान उत्पादन मंत्रालय) मिल बैंक लंदन (एस० डब्ल्यू० 1) से लिखे इस पत्र में क्रिप्स ने भूलाभाई को लिखा

“बम्बई में जो सुखद दिन मैंने आपके घर पर बिताए हैं, उन्हें मैं नहीं भूल सका हूँ और वाइसराय के साथ आपकी बातचीत में निश्चय ही मरी दिलचस्पी है। वह यहाँ आए हुए हैं इसलिए सब बातों पर उनसे चर्चा होगी ही।

“इस समय परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है जितनी 1942 में थी, जब मैं दिल्ली आया था। मैं जानता हूँ कि आपकी मेरे प्रस्ताव पसंद थे और आपकी ही तरह मैं भी समझता हूँ कि, हम किसी समझौते पर नहीं पहुँच पाएँ यह बड़े दुर्भाग्य की बात हुई। फिर भी स्थिति जैसी भी हो व्यक्ति और दल उसे कितनी ही बठिन क्या न बताएँ समाधान और प्रगति के लिए प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। जल्दी ही हमारा यहाँ आम चुनाव होने वाले हैं। उनका जो परिणाम होगा उसका भारतीय परिस्थिति पर भी निस्सन्देह काफी असर पड़ेगा। भारत के लिए नया शासन विधान बनाने में निश्चय ही हम बड़ी सृष्टिवृद्धि से काम लेना होगा क्योंकि मेरे ख्याल में भारत जैसे घनी और अधिक आबादी वाले देश के लिए पश्चिम में प्रचलित लोकतंत्र का तरीका उपयुक्त नहीं है। वहाँ की साम्प्रदायिक स्थिति की दृष्टि से भा. यह उपयुक्त नहीं है क्योंकि वहाँ साम्प्रदायिक आधार पर बहुमत और अल्पमत होने से अल्पमत के बहुमत में परिवर्तित होने की कोई आशा नहीं जबकि हमारे यहाँ लोगो

व राजनीति विचारा म परिवर्तन हाकर अल्पमत बहुमत मे बदल सकना है। जय प्रतर सामाजिक या धार्मिक दाना है तब अल्पमत बहुमत के गामन को स्वीकार करन बा। तयार नही होना। इसलिए इम्का कोई नया रास्ता निवालना हागा।

“आप भी इसी ढंग से सागर हाग और सप्रू कमेटी इसी ढंग से कुछ सुझाव रखेगी। आपके लिए मेरी गुभवामना और जागा है कि गतिरोध शीघ्र समाप्त होगा।”

यह स्मरणीय है कि तज यद्वादुर मप्रू कुछ छय नेनाआ के माथ एसा रास्ता निवालन की बराबर कोशिश कर रहे थे जिमस कठिनाइया दूर हा जीर काग्रेस क प्रमुख व्यक्ति जेला स दूटें।

इमस भी महत्वपूर्ण और बाध की घटनाओ की दृष्टि से और भी मामिक घटना माच 1945 म दृग कन्द्रीय असेम्बली के वजट अधिवेशन म भूलाभाई के शामिल होन की थी। उमम उहोन जा भाषण किया वह असेम्बली का उनका अतिम भाषण ही नहीं था बल्कि इतना महत्वपूर्ण रहा कि स्मरणीय बन गया।

किन परिस्थितियो म एसा दृजा यह जानने लायक है। बात यह हुई कि अनर प्रमुख व्यक्तिया का लगा कि असेम्बली स काग्रेसी सदस्यो की अनुपस्थिति का गाम उठा मरकार युद्धकालीन वजट पास कराले यह ठीक न होगा। अत उहाने असेम्बली म विपक्षी ल काग्रेस के नेता की हैसियत से भूलाभाई से अनुरोध किया कि वह वजट अधिवेशन म शामिल हो और वजट के विरुद्ध विपक्ष को संगठित करें। भूलाभाई ने उह काग्रेस कायसमिति के प्रस्ताव का हवाला देते हुए बताया कि उसके अनुसार हम (काग्रेस वाले) ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन सयोगवण अधिवेशन शुरू होने के कुछ पहले ही कायसमिति की एक सन्ध्या सरोजिनी नायडू जेल से छाड दी गई और रिहाई के बाद वह दिल्ली आइ। तब, जो लोग यह चाहत थे कि वजट पास न होने देने के लिए काग्रेसी सदस्य असेम्बली के वजट अधिवेशन मे भाग लें, वे उनसे मिलें और उ हे सारी स्थिति बताकर काग्रेसी सदस्यो को ऐसा

करने का आदेश देने को कहा। उन्होंने यह भी बताया कि जेल में होने के कारण कायसमिति के अन्य सदस्यों के पास तो इसके लिए पहुँचा नहीं जा सकता, उनके बाहर होने के कारण केवल उन्हीं से कहा जा सकता है और यदि वे यह बात मान लें तो उन्हें कांग्रेस दल को ऐसा आदेश देने का पूरा हक है। इसके फलस्वरूप सरोजिनी नायडू ने भूलाभाई को परामर्श के लिए दिल्ली बुलाया, साथ ही असेम्बली के अन्य कांग्रेसी सदस्यों को भी दिल्ली आने के लिए कहा। भूलाभाई के दिल्ली आने पर योजनानुसार बातचीत हुई और अंत में सरोजिनी नायडू ने अपनी जिम्मेवारी पर युद्धकालीन बजट पास न होने देने के विशेष उद्देश्य से भूलाभाई को कांग्रेसी सदस्यों के साथ असेम्बली में जाने का आदेश दिया।

इस अवसर पर भूलाभाई ने अपनी ससदीय योग्यता और नतत्व का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। असेम्बली के मुस्लिम लीगी तथा स्वतंत्र सदस्यों से मिलकर उन्होंने बजट के विरुद्ध मार्चा बनाया। सरकार को इससे चिन्ता हुई और बजट अस्वीकृत न हो पाए इसके लिए उसने पूरी कोशिश की। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मुस्लिम लीग के दो सदस्यों को उसने किसी तरह दिल्ली से बाहर भी भेज दिया, जिससे वे बजट के विरुद्ध मत न दे सकें। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार को सफलता न मिल पाई। थोड़े ही बहुमत से बजट का सरकारी प्रस्ताव गिर गया। इस तरह कांग्रेस ने दुनिया को बता दिया कि जिस के श्रेय असेम्बली में जनता को कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं हैं, वहाँ भी युद्ध प्रयत्न में सरकार को जनता के प्रतिनिधियों का समर्थन नहीं है।

लियाकत अली खाँ ने इस बहस में भूलाभाई से पहले बोलते हुए कहा था 'हम पृथक राज्य चाहते हैं जिससे प्रत्येक सम्प्रदाय (हिन्दू और मुसलमान) अपने अपने राज्य में अपनी मस्कृति, अपनी विचारधारा और अपने आदर्शों के अनुसार अपनी उन्नति करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की माँग भारत को मुलाम बनाए रखने के लिए नहीं है। यह तो उस आजाद करन की माँग है। यह माँग तो ऐसी है जो हिन्दू, मुसलमान सिख तथा दूसरी सभी जातियों की आजादी के हक में है। भारत की वर्धनिक समस्या के समाधान के लिए ही हमारी यह तजवीज है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि, जितना

साग समझा है उसमें फल ही बत जल्द यह दिन आने वाला है जब हिन्दू मुसलमान आपस में गतिपूषक रहेंगे। पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं का माप जमा व्यवहार किया गया, उस दंगत हुए हम पिछले इन बीस वर्षों की क्रूर घटनाओं का यह विलकुल ही गलत अनुमान मालूम पड़ता है।

भूतभाई ने, लियानत अला पा के बाद बालन हुए मामिब शब्दा में कहा 'मर माननीय मित्र नवाबजादा लियानत अला पा न आपकी बताया है वही मैं भी कहता हूँ, कि यदि दश का गसन हमें सोचकर हमसे अपने दंग की रक्षा तथा देश के हित में आवश्यक अथ दशा का रक्षा के लिए कहा जाता तो हम बसा करन में किसी तरह पीछे नहीं रहेंगे। नवाबजादा गाहब ने जिस भाषा में यह बात कही उससे मेरी भाषा भिन्न हो जाती है लेकिन मैं भा विलकुल स्पष्ट रूप में यह कह रहा हूँ जिसमें मदद की गई मुजादग नहीं है। लेकिन आपका कठपुतले बनकर हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर मैं पराधान बनने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे यह ठीक है कि सभी बातें उताहल ठीक नहीं हो जानी। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ—और ऐसा साधन का मुझे पूरा हवा है—कि इस सदन में हमारा मुविषा के जो साधन उपलब्ध हैं उनका बावजूद, दश का युद्ध से क्या मिला है? हम दश में तो लोगों के पास तन बनन का वस्त्र तब पूर नहीं है। उन पर वज का बाभल लया हुआ है। शोषण करने के लिए सभी तरह के तरीके काम में लाए जाने से दश में चीजा का भारी अभाव है। इनके पर भी, एसी बुरी हालत का बावजूद, हमसे इस (युद्ध के भारी खच वाले बजट का) मजूर करन की आशा की जाती है, यह आश्चर्य की बात है।'

दूसरे दिन, असम्बली के धपन अनिम भाषण में उ होने तीखा व्यग्य करते हुए कहा 'एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। परसो बी० बी० सी० (ब्रिटिश प्राइव्हास्टिंग कार्पोरेशन) के एक प्रवक्ता का बडो बुलद आवाज में मैंने यह घोषणा सुनी—'बलिन अपनी गुडि के लिए जल रहा है। इस घोषणा में जो बात गभित है उससे लगता है कि दुनिया को समझ आई है। बलिन अगर अपनी गुडि के लिए जल रहा है तो निश्चय ही और भी जो अनेक साम्राज्य निर्माता हैं उन्हे भी अपनी गुडि के लिए जलना चाहिए। इंग्लैंड का स्वतंत्रता छीनने का प्रयत्न करन के पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप बलिन जल रहा है, तो, मैं कहता हूँ, इंग्लैंड को भी अपने

ऐसे अनेक पाप कृत्या का प्रायश्चिन करना हागा । मैं आगा करना हू कि साम्राज्य वाद के पापा के लिए शुद्धि और प्रायश्चित को बी० बी० सी० न केवल बलिन के लिए ही सीमित नहीं रखा है और इस बारे में मुझे कोई सदेह नहीं कि उस प्रायश्चित को काय रूप देने का अब समय आ गया है । यह ऐसा अच्छा सबक है जिसको, मैं समझता हूँ, बिना कोई बहाना बनाए आज ही ब्रिटेन को सीस लेना चाहिए । बजट को अस्वीकार करने का प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कल जसा कहा था, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अब हम जनता के प्रतिनिधि अपने देश का शासन खुद ही करना चाहते हैं ।'

भूलाभाई का यह भाषण असम्बली ने उनके भाषणा में सर्वोत्तम था । एकजीवपुटिव कौंसिल के कुछ सदस्यों ने तो तुरंत ही अपने स्थानों से उनके पास जा उठे बधाइया दी । बजट तो अस्वीकृत हुआ ही ।

गांधीजी का उस समय भूलाभाई में कितना विश्वास था और किसी बात के निणय में वे उनके मत को कितना महत्व देते थे, यह कायसमिति के सदस्यों की रिहाई से कुछ समय पहले की एक घटना से स्पष्ट है । कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए थे उनके खिलाफ शिकायत थी कि कांग्रेस में शामिल होकर भी उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद कांग्रेस की नीति और उसके विचारों के विरुद्ध प्रचार किया । कम्युनिस्टों ने इन आरोपों की ट्रिब्यूनल द्वारा जांच कराने पर जार दिया और उसका लिए कुछ लागू का नाम भी मुझाए । इस पर गांधीजी ने इस सम्बन्ध में सारे कांग्रेसीत भूलाभाई के पास—जिनका नाम भी इस काम के लिए प्रस्तावित था—भेज दिया । भूलाभाई ने उनकी जांच कर जो सिफारिश की, उस गांधीजी ने मजूर कर, निणय किया कि कम्युनिस्टों को कांग्रेस की सदस्यता से नहीं हटाया जा सकता, न कम्युनिस्ट होने के कारण ही उनके खिलाफ कोई कारवाई की जा सकती है अलबत्ता व्यक्तिगत रूप में जिन्होंने कांग्रेस अनुशासन भंग किया है उनके खिलाफ कारवाई हो सकती है । जून 1945 में कायसमिति के सदस्यों की रिहाई हुई तब कायसमिति के सामने यह मामला आया । उसने भी भूलाभाई के निष्कर्ष का अनुमोदन कर यही निणय बहाल रखा ।





जिसे मानना-न मानना उनका काम है। फिर भी शिमला में आयोजित सम्मेलन का उन्होंने स्वागत किया और कहा, "प्रस्तावित सम्मेलन यदि उपयुक्त राजनीतिक स्तर पर रहे और विघटन की प्रवृत्ति से बचे तो वह उपयोगी काम कर सकता है। — भूलाभाई और लियाकत अली के बीच हुए समझौते को मैंने इसी दृष्टि से देखा है और मैं समझता हूँ उसी के कारण वाइसराय द्वारा प्रस्तावित सम्मेलन हो रहा है— साम्प्रदायिक समस्या के समाधान में दिलचस्पी होने के कारण भूलाभाई के प्रस्ताव ने मुझे आकर्षित किया और मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कायसमिति को उसके कारण बताकर उसके सदस्यों में उसकी स्वीकृति के लिए सिफारिश करूँगा। समझौते के दोनों पक्ष अगर अपने अपने पक्ष का सही तौर पर प्रतिनिधित्व करें और भारत की स्वतंत्रता दोनों का लक्ष्य हो तो इसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आगे की कार्रवाई तो कायसमिति के हाथ में है। प्रस्तुत समस्याओं पर कांग्रेस की ओर से तो उसके सदस्य ही बोल सकते हैं।"

कायसमिति के सदस्यों से गांधीजी 21 जून को वम्बई में मिले। विचार विनिमय के बाद कायसमिति ने शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने का निश्चय किया। कांग्रेस की ओर से भाग लेने के लिए जिन्हें वाइसराय के निमंत्रण मिले थे उन्हें सम्मेलन में जाने की अनुमति दी गई। भूलाभाई को तो पहले ही 13 जून को, वाइसराय के सेक्रेटरी से वाइसराय का यह सदेश मिल चुका था, जिसे उन्होंने अपने रेडियो भाषण के बाद यथाशीघ्र पहुंचाने को कहा था "आपने मेरा आज शाम का रेडियो भाषण सुना होगा। पालियामेंट में भारत मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के साथ वह कल अखबारों में प्रकाशित होगा। मुझे पूरा आशा है कि सामवार 25 जून के सबेर शिमला के वाइसरॉयल लाज में शुरू होने वाले सम्मेलन में आप भाग ले सकेंगे। कृपया तार से अपने निणय की सूचना दीजिए। आरंभ हो, तो कृपया यह भी सूचना दें कि आप के ठहरने की क्या व्यवस्था की जाए।"

इस सदेश के साथ भेजे अपने पत्र में सेक्रेटरी ने लिखा "इस सम्मेलन से राजनीतिक संपर्क पुनः कायम करने का जो अवसर मिलेगा, मेरा विश्वास है कि

उसका ठीक तरह से उपयोग किया जाए तो, उससे वर्तमान गतिरोध समाप्त किया जा सकता है। इसीलिए अपनी आर से भी मैं इस पत्र द्वारा आशा करता हूँ कि आप श्रीमान वाइसराय का निमंत्रण स्वीकार करेंगे।

गांधीजी ने वाइसराय को सूचना दी कि मैं सम्मेलन में शामिल नहीं हूँ। राजगढ़ पर आवश्यकता पड़ने पर सलाह मगवर के लिए उस समय निर्णय ही रहेगा।

शिमला सम्मेलन में 25 जून को जा लोग शामिल हुए उनमें कांग्रेस और लीग के विविध प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस और लीग के अध्यक्ष तथा केन्द्रीय असम्बन्धी में कांग्रेस के नेता (भूलाभाई देसाई) और लीग के उपनेता (लियान्तअली खाँ) भी थे। शिमला सम्मेलन में विचार विनिमय के बाद वाइसराय ने विविध पक्षा के नेताओं से ऐसे नामों की सूची देने को कहा जिनमें वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल के लिए नाम छोट करें। यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नाम वह छोटों के लिए किसको क्यों लिया गया इसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं उनकी होगी। इसके अनुसार कांग्रेस तथा सभी छोटे दलों ने 7 जुलाई तक अपनी अपना सूची दे दी, पर मुस्लिम लीग ने एमा करन से इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि कांग्रेस की सूची में भूलाभाई का नाम नहीं था जिसका कारण उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष मौ० आजाद के अनुसार कांग्रेसमिति के सदस्यों की यह धारणा थी कि "भूलाभाई ने लियान्तअली खाँ से समझौता कर, कांग्रेस की अनुमति प्राप्त किए बिना ही एक्जीक्यूटिव कौंसिल में शामिल होने की कोशिश की।"

शिमला सम्मेलन, 14 जुलाई को सफलता प्राप्त किए बिना समाप्त हो गया। सफलता का मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस ने दा राष्ट्र की बात नहीं मानी और स्थावित अंतरिम सरकार के लिए अपने नामों में दा राष्ट्रवादी मुसलमानों— मौ० आजाद और आसफअली—का नाम अवश्य रखने का आग्रह किया।

कांग्रेस की कांग्रेसमिति और महासमिति ने मितंबर में कांग्रेस का पुराने पक्ष की पुन पुष्टि की और चुनाव लड़ने का निश्चय किया। लेकिन इन निश्चय का

साथ ही कांग्रेस न यह भी निश्चय किया कि जिन भूलाभाई ने केन्द्रीय असेम्बली में दस साल तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व और कांग्रेस दल का नेतृत्व किया उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार न बनाया जाए।

उस समय पर नजर डालें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वायसमिति के सदस्य जब जलम नजरबंद थे तब वायसमिति की उपक्षा कर भूलाभाई न कांग्रेस की पीठ में छुरी भांकी, ऐसी लागो में आम अफवाह फली हुई थी और अचबारा में भी इस तरह का बातें दखन का मिलती थी। इन्हीं कारणों से 29 जुलाई, 1945 का जब एक पत्र प्रतिनिधि वर्धा में गांधीजी से मिला तो इस बात में उनसे भी पूछा। उस मुलाकात का विवरण दूसरे दिन बर्बई के फ्रा प्रेस जनल' में इस गापक से छपा 'कांग्रेस की पीठ में छुरा नहीं भोका गया गांधीजी द्वारा भूलाभाई का समयन।' मुलाकात में गांधीजी न कहा था 'एडवाकेट भूलाभाई क बार में मैं सिर्फ यही कह सकता हू कि गतिरोध का सम्मानपूर्ण समाधान निकालकर कांग्रेस की सवा करने के सिवा उनका कोई और इरादा नहीं था।

इसके बाद, ऐसा मालूम पड़ता है, पत्र प्रतिनिधि ने गांधीजी से यह लम्बा प्रश्न किया "डा० पट्टाभि सीतारामय्य के अनुसार देसाई लियाकत समन्वित में पहली बात नई सरकार के निर्माण की थी, उसके बाद ही वायसमिति क सदस्य रिहा होत। समन्वित की इसी बात के अनक अर्थ लगाए गए हैं और इसी का किसान ने 'कांग्रेस की उपेक्षा और किसी न 'कांग्रेस की पीठ में छुरा भाकना' कहा है। पचगनी से जारी किए अपन वक्तव्य में आपने कहा है कि उसमें साम्प्रदायिक समन्वितों का आधार होने क कारण आपने उसका समयन किया। आम न्याय यह है कि समन्वितों की बातचीत के हर दौर में आपस परामर्श किया गया। एसा हालत में ऐसा कहना क्या सच है कि कांग्रेस की उपेक्षा करके समन्वित किया गया?" इस पर गांधीजी न पहले ता ऐसी बातें कही, जिन्हें पत्र प्रतिनिधि न 'सवात्ताता' की उपदेश की सवा दी, उसके बाद प्रश्न के उत्तर में कहा

"एडवाकेट भूलाभाई देसाई का, जिनकी तरफ से ही मैं कह सकता हू 'कांग्रेस की पीठ में छुरा भाकने' या कांग्रेस की उपेक्षा करने का कभी कोई इरादा

नहीं था। उनका जा भी राजनीतिक जीवन है वह कांग्रेस के ही कारण है, इसलिए एमे किसी इराद के दापो यह कभा हा नहीं सकते, और जहा तक भरा सवाल है, मैं एम किसी प्रयत्न म साधोदार बनकर तो अपनी जात्महत्या ही कर सकता हू।

“एडवोकेट भूलाभाई के बारे म मैं सिफ यही कह सकता हू कि गतिरोध का सम्मानपूण रास्ता निरालकर कांग्रेस की सेवा करने क मिवा उनका कोई और इरादा नहीं था।

‘समझौते क हर दौर म भरा सलाह ली गई, यह कहना ता गलत होगा लेकिन यह विल्कुल सच है कि समझौते क सम्बन्ध म एडवोकेट भूलाभाई एक से अधिः बार मुझसे मिले थे।

मकस बड़े नता(गाधीजी) ने इम प्रकार भूलाभाई का पूरी तरह समझन किया।

यह बात हम नहीं भूलनी चाहिए कि समझौते का मूल रूप अभी सामने नहीं आया था। इसलिए गाधीजी से पूछा गया ‘कांग्रेस कायसमिति के सदस्यों की रिहाई समझौते की शर्तों म थी या नहीं दोनों पक्षों म यह तय हुआ था या नहीं कि नई सरकार के मुसलमान सदस्यों का चुनाव मुस्लिम लीग ही करेगी, और समझौते के पक्ष विपक्ष म सामने आए अनेक वक्तव्यों के कारण क्या यह वाछनीय नहीं होगा कि समझौते का उमके मूल रूप म प्रकाशित कर दिया जाए?’ इस पर गाधीजी न बढा ‘मैं समझता हू कि समझौता अभी सामने नहीं आया है इस बात को जानते हुए उसके बारे म जो कुछ मैं कह सकता था वह कह चुका हू। समझौता करने वाले पक्ष उच्च प्रकाशित करने का तयार हो जाए तो अच्छा ही होगा।’

उसी दिन, यानी 30 जुलाई का के द्वाय असेम्बली म कांग्रेस दल के तत्कालीन मंत्री श्रीप्रकाश का बनारस (वाराणसी) से वक्तव्य निकला। समझौते को लेकर भूलाभाई के खिलाफ जा प्रचार किया जा रहा था उसकी निंदा करते हुए, श्रीप्रकाश न कहा “नवाबजादा लियारतअली खा और वाइसराय के साथ भूलाभाई देसाई न जो बातचीत चलाई उसको लेकर भूलाभाई पर दोषारोपण करना बहुत अपमानजनक और अनुचित बात है।”

“मैं नहीं समझता कि भूलाभाई पर कांग्रेस की उपेक्षा का दोषारोपण कब किया जा सकता है जबकि नवाबजादा लियानकमखली के साथ कि० ममझोने में नई सरकार का पहला काम कायसमिति का सत्स्यो की रिहाई निश्चित किया गया था ।

“सभी कांग्रेसजन कांग्रेस का अनुपासन में है इसलिए यदि रिहाई के बाद कायसमिति भूलाभाई के विचारों से सन्तुष्ट नहीं होती तो 'अप्य पाप्रेस जना की तरह वह उसके अधीन थे । भूलाभाई तथा अप्य सबकी इच्छा ता स्पष्ट रूप से यही थी कि कायसमिति के सदस्यों को किसी तरह मुक्त कराया जाए, जिससे राजनीतिक स्थिति ठीक हो और तनाव दूर हो ।

‘भूलाभाई लिखाकत सरकार बनी—अगर यह वास्तविक में आई—तो उसका पहला काम कायसमिति के सदस्यों की रिहाई होगा, इस बात का ऐसा अर्थ निकालना सवथा अनुचित है कि नई सरकार के निर्माण से पहले उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता । सरकार ने जब यह कहा कि वह उनकी रिहाई की जिम्मेदारी लाने का तयार नहीं है, क्योंकि ऐसा करने वह खतरा माल नहीं लेना चाहती तब उस कठिनाई का पार करने का भूलाभाई ने जो रास्ता निकाला उसके सिवा और कोई रास्ता था ही नहीं । भूलाभाई ने जो कुछ किया उसका लिए तो उनके प्रति हम कृतज्ञ हाना चाहिए, क्योंकि कम से कम मैं तो स्पष्ट रूप से यह मानता हूँ कि उसी के फलस्वरूप कायसमिति के सदस्य जेल से छूटे और उसी के कारण बाद में शिमला सम्मेलन किया गया ।”

श्रीप्रकाश ने जिस आरोप का खंडन किया, अर्थात् नई सरकार बनने से पहले कांग्रेस कायसमिति के सदस्यों की रिहाई न हो, यह आरोप बिल्कुल अनुचित था । कायसमिति के सदस्यों की रिहाई तो, जसा हम देख चुके हैं इसलिए हुई थी जिससे कांग्रेस वाइसराय की अंतरिम सरकार सम्बंधी योजना पर विचार कर सके और इसके लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में शामिल हो ।

1945 की पहली सितम्बर की इस शीपक से बांधे 'क्रानिकल' में एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ— 'दसाई लिखाकत समझौता प्रकाशित गलतफहमी रोक्ने के लिए'

लीग के मंत्रा द्वारा गुप्त योजना पर प्रकाश।" यह लियाकतअली खा का वह वक्तव्य था जो इन्होंने आल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रधान मंत्री की हैसियत से 31 अगस्त 1945 का नई दिल्ली से जारी किया था। समझौते का मूल रूप (जो हम पहले देख चुके हैं) प्रकाशित करत हुए उन्होंने बताया 'यह (समझौता) पिछले साल मेरे साथ हुई गानगी बातचीत में मि० देसाई ने मुझे दिया था।' और आम कहा 'मुझे बताया गया है कि केन्द्रीय असेम्बली में कांग्रेस दल के नेता श्री भूला भाई देसाई न अम्बई के अध्यक्ष बालो से कहा है कि देसाई-लियाकत समझौता प्रकाशित नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं उस गुप्त रखना चाहता हूँ। श्री देसाई के ऐसे वक्तव्य से गलतफहमी होने की संभावना है, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे इस सम्बन्ध में सभी तथ्य जनता के सामने रख दान चाहिए।'।

इसके बाद उन्होंने यह तथ्य प्रस्तुत किए

"केन्द्रीय असेम्बली के अंतिम अधिवेशन के बाद श्री देसाई मुझसे मिले। दश में उस समय—आधिक तथा अल्प रूप में—जसी कष्टकर स्थिति थी और युद्ध के कारण लागे का जा मुसीबत के कठिनाई उठानी पड़ रही थी उसपर हमारी अनौपचारिक रूप में बातचीत हुई। युद्ध उस समय यूरोप में पूरे जोर पर था और कोई यह नहीं कह सकता था कि कब उसका अंत होगा, आम तौर पर यह जरूर थी कि यूरोप में युद्ध समाप्त होने के बाद भी जापान से पार पाने में कम से कम दो साल और जरूर लगेंगे। पूर्व में जापान के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत का मित्र राष्ट्रों का मुख्य पीजी अड्डा बनने वाला था, जिसका मतलब यह था कि भारतीय जनता की किस्मत में पहले से भी ज्यादा कठिनाई और मुसीबतें बढ़ी थी। सभी यह मानते थे कि जो समस्याएं पैदा हो चुकी थी और जो भविष्य में पैदा होनी थी, भारत में जिस तरह की सरकार है, उसके लिए उनका ठीक से सामना करना संभव नहीं है।

"हमारी बातचीत में श्री देसाई ने मुझसे पूछा कि केन्द्र में कोई अंतरिम व्यवस्था करने और गवर्नर जनरल की एक्जीक्यूटिव कौंसिल का भारतीय तौर पर ऐसा पुनर्गठन करने के बारे में मुस्लिम लीग का क्या रुख होगा जिससे उसे (सरकार का) सभी लोगों का विश्वास प्राप्त हो और वह उनकी मौजूदा मुसीबत में उनकी

मदद कर सक और युद्ध के विघ्नार से भविष्य में स्थिति जा और भी गंभीर होन वाली है उनका ज्यादा अच्छा तरह सामना कर सक । इस सम्बन्ध में मुस्लिम लीग ने जो प्रस्ताव समय समय पर पास किए थे उनके द्वारा मैंने मुस्लिम लीग का एक स्पष्ट किया । साथ ही अपना व्यक्तिगत मत दिया कि कट के समय लोग की मदद करने और कट के समय दंग की रक्षा के प्रयत्न में मुस्लिम लीग हमें योगदान को तैयार रही है इसलिए स्थिति में गुधार की नाद योजना सामन आए ता उस पर जरूर गौर किया जाएगा । इस साल की जनवरी में भारत में था दसाई दिल्ली में फिर मुंबई मिले जबकि मैं मद्रास प्रांत के और पर खाना हान ही वाला था । केन्द्र में अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार की गई योजना का मसौदा उन्होंने लिखा था जिसके आधार पर उनका कथनानुसार वह देश की सरकार के रूप में परिवर्तन के लिए प्रयत्न करने वाले थे । योजना का मसौदा की एक प्रति भी उन्होंने मुझे उनके कृपा की और उस बिल्कुल गुप्त रखने के लिए कहा ।

‘उन्होंने मुझे बताया कि इस सम्बन्ध में वाइसरॉय और जिना से मिलने का उनका विचार है । मैंने कहा कि मेरे अपने विचार में ता योजना बातचीत का आधार बन सकती है । लेकिन बातचीत आगे अभी बढ़ सकती है जब या ता गांधीजी खुद इससे अग्रणी बनें या फिर उनका निश्चित और खुला समयन इस प्रश्न हो, क्योंकि कायसमिति की अनुपस्थिति में वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हैं जो कांग्रेस की आर से बोल सकते हैं ।

श्री देसाई से मेरी बातचीत बिल्कुल व्यक्तिगत था और बातचीत के बीच बिल्कुल स्पष्ट रूप में मैंने उन्हें बताया कि मैंने जो कुछ कहा है वह मेरी निजी राय है मुस्लिम लीग या और किसी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । कांग्रेस की आर से अगर वह बात करें ता, मैंने उन्हें बताया, कांग्रेस से बसा अधिकार प्राप्त करके उन्हें मुस्लिमलीग के अध्यक्ष से मिलना होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की तरफ से किसी योजना का मजूर करने के लिए वही उपयुक्त अधिकारी हैं देसाई लिखाकत फामूला, दसाई लिखाकत योजना वगैरह नामों से अखबारों में बहुचर्चित योजना का यही कच्चा चिट्ठा है ।

श्री देसाई की इच्छा का पूरा ध्यान रखत हुए याजना क मसौदे का मैंने बिल्कुल गुप्त रखा है, किसी को भी उसे नहीं बताया है लेकिन श्री देसाई के वक्तव्य की वजह से धीरे-धीरे इस मामले को लेकर जा गम्बह मची हुई है उसका कारण मुझे लगता है कि अब इस प्रकाशित कर देना चाहिए। इसीलिए इसे अलबारा म प्रकाशनाय दे रहा हूँ।”

इस वक्तव्य के साथ देसाई लियाकत समझौते के नाम से मशहूर प्रस्तावित याजना की मूल प्रति दी गई जिस हम कहल ही देखे है।

लियाकतअली खा न जो यह कहा कि उ होने सारी शर्तों जि ना की सहमति लिए बगर खुद अपनी निजी हैसियत म की थी उस पर आसफअली ने अलबारी को एक वक्तव्य दिया। जिना का क्या नहीं बताया ?” शापक से उनका वह वक्तव्य 3 सितम्बर, 1945 के बाम्बे क्रानिकल म प्रकाशित हुआ। उसम उ होने कहा कि ‘अनरिम सरकार सम्बन्धी देसाई लियाकत योजना का कच्चा चिट्ठा नवाब जादा लियाकतअली खा न खोलकर रख दिया है लेकिन उससे यह बात स्पष्ट नहीं होनी और अचरज जमी बात लगती है कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष का उसकी जानबारा क्या नहीं दी गई ?’

इधर वयई म जिना न एक वक्तव्य म कहा ‘मुझे इसका बारे म इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं कि नवाबजादा लियाकतअली खा से भूलाभाई के साथ उनके समझौते की अपवाह के बारे म पूछे जान पर उन्होंने उसे झूठी बकवास बतलाया।’

आसफअली न अपन वक्तव्य के अंत मे यह भी कहा ‘गुप्त समझौते का अभी तक नहीं, भले ही दली के जिम्मेदार नेता अपनी निजी हैसियत स ही उह क्या न करें। जनता के हित से सम्बंधित मामले ता स्पष्ट रूप म जनता के सामने आने चाहिए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही उनके बारे म निणय करने का अवसर मिले।’

भूलाभाई ने भी जवाबी वक्तव्य दिया, जा 11 सितम्बर के बाम्बे क्रानिकल म इस धीपक से प्रकाशित हुआ—“लियाकत ने जिना स सलाह ली—देसाई का



वक्तव्य ।” उसमें भूलाभाई ने वस्तुस्थिति इस प्रकार रखी ‘बर्बई लोटने पर नवाबजादा लियाकतअली खा का वक्तव्य मुझे बताया गया, जिसे देखकर मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ। गांधीजी से 28 जून को हुई पत्र प्रतिनिधि की भेंट का हाल जब मैं अखबारों में देखा, जिसमें समझौते का प्रकाशित करने का सुझाव था, तब तत्काल मैं नवाबजादा साहब से सम्पर्क कायम कर समझौते को उसके मूल रूप में, प्रकाशित करने के लिए कहा। ऐसा होता तो सब बातें अपने आप साफ हो जाती, जिनको नवाबजादा साहब ने तोड़ मरोड़ कर गलत रूप में पेश किया है। मगर दुर्भाग्यवश उस वक्त नवाबजादा साहब ने उसका प्रकाशन पसंद नहीं किया। अब उन्होंने मुझे कुछ बताया बगर ही उसे प्रकाशित किया है। अब जब प्रकाशित कर ही दिया गया है तो मैं यही कह सकता हूँ कि वक्तव्य सारे मामले को सही रूप में पेश नहीं करता।

‘पहली बात तो यही है कि वक्तव्य में इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि समझौता हाने के बावजूद पिछले कुछ महीना में वह उससे लगातार बिल्कुल इनकार क्यों करते रहे? जनता, अब इस बात को समझ सकती है कि मुझे कितनी परेशानी होती होगी। जब नवाबजादा साहब असेम्बली के मंच से तथा अपने अथ भाषणों में प्रयत्नपूर्वक इस बात का खंडन करते रहे कि गतिरोध को हटाने के लिए मेरे और उनके बीच कोई समझौता हुआ है फिर भी अगर उनकी बात को गलत बताकर उनका साथ सावजनिक विवाद में मैं नहीं पड़ा तो वह सिर्फ इसीलिए कि तात्कालिक समस्या को सुलझाने का रास्ता निकलने की अभी भी मुझे आशा थी।

“समझौते के बारे में नवाबजादा साहब से मेरी कई बार बातचीत हुई। बातचीत में मैंने जिना से इस बारे में बात करने को कहा था और बाद में उनसे मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने बात कर ली है। इसके बाद 3 व 4 जनवरी का मैं सेवाग्राम में गांधीजी से मिला और जो कुछ हुआ था उसका सार उन्हें बताया। उनकी सहमति पाकर आगे की बातचीत के लिए मैं वापस दिल्ली गया और गांधीजी की सहमति की बात बताकर, समझौते की शर्तों को लेखबद्ध करने के लिए कहा। तदनुसार समझौते के दस्तावेज की दो प्रतियाँ तैयार कर 11 जनवरी को नवाबजादा

से मित्रा और उन पर हम दोनों न अपन दस्तखत किए। एक प्रति उन्होंने रखी और एक मैंने। उस समय भी मैंने उन्हें बताया था कि समझौते का सार मैंने गांधीजी को बताया है और उस पर उनकी सहमति है।”

इसके बाद भूलाभाई ने समझौते से यह उद्धरण दिया “उपयुक्त समझौते के आधार पर कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि गवर्नर जनरल की तरफ से ऐसा प्रस्ताव या सुझाव आए कि उनका इच्छा है कि केन्द्र में कांग्रेस और लीग की सहमति से अंतरिम सरकार बन और इसके लिए श्री जिन्ना या श्री देसाई को इकट्ठे या अलग-अलग जब वह आमंत्रित करें तो उपयुक्त योजना प्रस्तुत की जाए और वे सरकार में शामिल हान की रजाम दी जाहिर करें।” भूलाभाई ने बताया कि समझौते के इन उद्धरण स्पष्ट है कि नवाबजादा ने इस संबंध में श्री जिन्ना से पहले जरूर बातचीत कर ली होगी ऐसा न होता तो समझौते में, जिस पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, ऐसे इशरार का समावेश ही ही नहीं सकता था।”

बनारस के अंत में उन्होंने कहा कि नवाबजादा और लीग के अध्यक्ष दानो के ही समझौते में इनकार कर देने के कारण अब उसका कोई महत्व नहीं रहा, फिर भी मैंने यह जो जवाब दिया है वह सिर्फ इसीलिए कि ‘जनता में कोई गलत फहमी न रह जाए।’

समझौता करने वाले दोनों नेताओं के विवाद का अंतिम दौर 18 सितम्बर 1945 को जारी किए उस वक्तव्य से सामने आया जो 21 सितम्बर के ‘बाबे शानिकल’ में इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था—“भूलाभाई को लियाकत का जवाब” इस वक्तव्य में लियाकतअली खान ने कहा कि भूलाभाई को इस बात का बखूबी पता था कि समझौता कोई नहीं हुआ था, जो कुछ था वह विचार के लिए कुछ प्रस्ताव मात्र था। उन्होंने उसे समझौते का नाम कैसे दिया इसका कारण तो वही जानते होंगे। जहां तक जिन्ना से परामर्श का सवाल है उन्होंने कहा “श्री देसाई जब यह कहते हैं कि मुझे उन्हें मालूम हुआ कि श्री जिन्ना से सलाह कर ली गई है तो मुझे लगता है कि उनकी याददाश्त ठीक तरह साथ नहीं दे रही है। मैंने उनसे ऐसा कभी नहीं कहा। इसके विपरीत जब जब मुझे उनकी बात हुई

मैंने उनको बिल्कुल साफ तौर पर बताया कि मैं जो कुछ कहा वह मरा निजी विचार है और श्री जिना से इस बारे में कोई सलाह-मगवरा नहीं हुआ है।”

अब जब इस विषय के मुख्य तथ्य सामने आ चुके हैं और उपलब्ध दस्तावेजों की छानबीन की जा चुकी है, हम पहले उठाए उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। भूलाभाई ने जो कुछ किया वह गांधीजी की जानकारी में उनकी सम्मति और सहमति से किया, गांधीजी के वक्तव्यों को दखत हुए यह असंदिग्ध है। गांधीजी ने यह भी कभी नहीं कहा कि भूलाभाई ने इस संबंध में उनकी मलाह की कोई उपेक्षा की या उह जिस हद तक जाने को कहा था उससे आगे बढ़ गए।

प्यारेलाल ही अनेले एमे “यकिन हैं जिन्होंने अपनी किताब (महात्मा गांधी—दी लास्ट फेज, खंड 1, पृ० 126) में यह कहा है कि भूलाभाई ने गांधीजी के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं किया। गांधीजी तथा अ-य लीगा के उद्धरण देकर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है “गांधीजी द्वारा लगातार यह चेतावनी दत्त पर भी कि कोई बचन देने से पहले, सब बातें लिखित होनी चाहिए और साथ ही इस बात का भी निश्चय कर लेना चाहिए कि जिना की उस पर सहमति है या नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है, परिणाम की जधीरता में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और वकालती कुशलता की उपेक्षा कर, गांधीजी के सुझाव के अनुसार यह प्रारंभिक सावधानी नहीं बरती।” लेकिन जिन बचन यों श्री प्यारेलाल ने उद्धरण दिए हैं, उनकी बारीकी से छानबीन करने पर, वैसा निष्कर्ष नहीं निकलता जसा उहोंने निकाला है। आश्चर्य इस बात पर होता है कि प्यारेलाल ने गांधीजी के उन वक्तव्यों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया जिनमें उन्होंने भूलाभाई को दोषमुक्त किया है। इस बात को भी प्यारेलाल ने दरगुजर किया है कि उनकी तरह गांधीजी ने भूलाभाई पर असावधानी का कोई दोषारोपण नहीं किया। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि मौलाना आजाद की किताब के प्रकाशित होने पर भी, प्यारेलाल की किताब में समझौते और उस पर काय समिति के रूप में सबंधी मौलाना आजाद के विवरण का कोई जिक्र तक नहीं किया गया है। इस सबसे यह मान बिना नहीं रखा जा सकता कि काय



लियावतअली द्वारा जारी किए गए वक्तव्य पर उन्होंने (अपनी 'पाषवे टु पाकिस्तान' पुस्तक प० 326 31 में) लिखा है "मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि यह वक्तव्य शायद मि० जिन्ना के कहन पर दिया गया है, हालांकि नवाबज़ादा उसी नीति पर चल रहे थे जिस पर के द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए स्वयं जिन्ना साहब 1940 से चल रहे थे।"

कायसमिति की उपक्षा या उसकी पीठ में छुरा भोक्ने के दापाराप का खुा गाधीजी न खुलाआम गलत बताया है जसाकि गाधीजी के वक्त य का उल्लेख करके, पहले बताया जा चुका है।

सवाल यह है कि भूलाभाई ने समझौते के लिए जा प्रयत्न किया, उसपर रिहाई के बाद काय समिति के सदस्यों ने उनके विपरीत रुख क्यों लिया? जिन भूलाभाई ने गतिरोध का दूर करने का प्रयत्न किया उनके प्रति कायसमिति का ऐसा रुख क्या मायोचित कहा जा सकता है। सौभाग्यवश इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम अत्यन्त प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध है। भला मौलाना आजाद से अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय और बौद्धिक सचता है जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अध्यक्ष के नाते कायसमिति की बैठक की अध्यक्षता उ होने ही की होगी विचार विनिमय में उनका गाग रहा होगा और निणय भी उही की सहमति से हुआ होगा। इस संबंध में उनका कहना है '1945 में जब हम जेल से छूटकर बाहर आए तब हम सारी बातें बताई गई और कांग्रेसजनों में उस पर काफी बहस मुवाहसा हुआ। बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें इस बात की हमेशा उपेक्षा हुई कि भूलाभाई ने जो कुछ किया वह गाधीजी की जानकारी में और उनकी इजाजत से ही किया। सरदार पटेल ने इसमें ताम दिलचस्पी ली और किसी न किसी तरह ऐसा असर पड़ा हा गया कि भूलाभाई ने कांग्रेस का प्रघरे में रसत हुए लियावतअली के साथ समझौता करके एक्जाक्युटिव बोसिल में जाने की कोशिश की है। जसाकि मैं पहले बता चुका हूँ, कांग्रेस में आकर भूलाभाई जिस तेजी से आगे बढ़ उससे बहुत से कांग्रेसी उनसे ईर्ष्या करने लग थे। इसे उहाने कांग्रेस के प्रति उनकी गरवफाजारी समझा और उनके प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करने का उहें यह बहाना मिल गया। भूलाभाई के विराधिया न उनका निजी जीवन को लेकर

गांधीजी व भी कान भरे और उह भी उनक खिलाफ कर दिया । उन पर जा दाप लगाए गए उनमे स ज्यादातर झूठे थे पर महीना उनका प्रचार हात रहन से भूलाभाई क खिलाफ हवा बधनी स्वाभाविक थी । इससे उह एसी हानि हुई जिसका पूनि फिर नही हो पाई ।”

मौलाना आजाद ने आग बनाया है कि गांधीजी को उनके खिलाफ करने के लिए कुछ लोगो ने यह तरीका अपनाया कि पहले गांधीजी व निकटवर्ती लोगो का उनके खिलाफ उभारना शुरू किया । तरह-तरह के मनगटन किस्म भूलाभाई व खिलाफ उन तक पहुंचाए गए कि उनक द्वारा गांधीजी तक व पहुंचे बिना नही रहेंगे । गांधीजी आमतौर पर मनगटन किस्म और दापारापणो पर ध्यान नही देते थे । उह दरगुजर करने की उनमे क्षमता थी । लेकिन अपन दास आदमियो से कोई बात बार बार सुनकर कभी-कभी उससे प्रभावित हो जाना उस्वाभाविक नही था । मुझे याद है कि मातीलाल नेहरू व खिलाफ बातें सुन सुनकर दूगो तरह एक बार उनके प्रति भी उनका मन खराब हो गया था । जवाहरलाल क साथ भा एक बार एसी ही नौबत आई थी । लेकिन दोनो ही बार सही बात का जब उह पता चल गया तो उहनि अपनी गल्ती सुधार ली थी । यह बदकिस्मती की ही बात है कि भूलाभाई के मामल मे ऐसा नही हुआ और इस तरह गांधीजी उनमे बिमुग हो गए ।

“यह मैं पहले ही बता चुका हू कि भूलाभाई जब गांधीजी से मुस्लिम लीग के साथ समझौते की बातचीत शुरू करने की इजाजत ले गए उस दिन गांधीजी का मौन दिवस था, इसलिए गांधीजी ने जवाब लिखकर दिया । उस जवाब का भूलाभाई ने गम्हाल कर रस लिया था । सरदार एटल गया दूगर लोगो का उद्ये निष्ठाकर उहोने बताया कि समझौते की बातचीत केन गांधीजी की जानबारा से और उनकी रजामन्गी से की, इसलिए मुझे दाप नही उहारा जा सकता । उनका यह कहना बिल्कुल ठीक था और दरअसल उनकी दूग बात का कोई जव ब नही था । पर बदकिस्मती से उनकी बात पर कोई ध्यान नही दिया गया और उनके स ग न बधन की अफवाह बगबर फैला ली ।” (दिलिया बिना २ टम, पृ० 136)

यह एसा विवरण है जिसे घमदिग्ध रूप में नहीं माना जा सकता है। भूलाभाई जम प्रमुख लोकसबक के साथ, जिसमें बरसों तक कांग्रेस की बड़े उरसाह के साथ विशिष्ट सेवा की विस तरह भागी अयाय हुआ, इससे यही पता नहीं चलता वलकि ऐसा क्यों किया गया इसकी असलियत में सामने आती है।

भूलाभाई के साथ सरदार पटल के शुरू में बड़े अच्छे सम्बन्ध थे और बर्दों में काफी दिना तक वह उनके मेहमान भी रहे, लकिन सब जानते हैं कि बाद में उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं रहे थे। मौलाना आजाद ने यह बताया ही है कि भूलाभाई ने थोड़े ही दिनों में अपना जो स्थान बना लिया उसमें कुछ पुराने नेता खुश नहीं थे और उनमें ईर्ष्या करते थे। तो कभी यह बात तो नहीं है कि सम्प्रदाय में कल्पित अतन्त्रि सरकार में भूलाभाई कही उनके प्रतिद्वन्दी न बन जाए, इस आशय के कारण उनको रास्त से विल्कुल हटा देना ही ठीक समझा गया? इस बात का तो मने भी पता है कि उन दिनों कांग्रेस में ही अनेक लोगो और बुद्धि जीवियों का यह आम खयाल था कि कांग्रेसमिति में भूलाभाई के साथ जो सलूक किया वह एक तरह उहे प्रतिद्वन्दी मानकर रास्त से हटा देने की दृष्टि से ही किया। इसे असभव भी नहीं कहा जा सकता। सभी जानते हैं कि राजनीति में सत्ता के लोभ और महत्वाकांक्षा की ही तूनी बोलती है, जिनके कारण न जाने कितने अयाय और बुरे काम किए जाते हैं।

मौलाना आजाद ने इस मामले में मगदार् पटल द्वारा राम दिलचस्पी लने की जो बात कही है उसके कारण मेरा यह कतब हा जाता है कि स्वयं सरदार में मुझ इस सम्बन्ध में जो कुछ मालूम हुआ वह भी ब्रता दू। उससे इस अयाय में सरदार का जैसा हाथ समझा जाता है उससे विल्कुल विपरीत रूप सामने आता है। बात यह हुई कि 1946 में जब भूलाभाई गभीर रूप में बीमार थे, कांग्रेस के सामने आजाद हिन्द फौज के कुछ ऐसे लोगो का सवाल आया जिन पर नवम्बर दिसम्बर 1945 में लाल किले में चल मुकदमों के फसल के बावजूद सरकार मुकदमा चलाना चाहती थी। सरदार मुझे अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मुझे उनका बचाव का काम सम्हालने का कहा। मगर उहे यह मालूम था कि वकीलो तथा अन्य अनेक लोगो की इस ग्राम धारणा के कारण कि भूलाभाई का चुनाव में उम्मीदवार तक

न बताकर कांग्रेस ने उनके साथ भारी अत्याय किया है मैं शायद राजी न हाऊ  
 इसलिए उ हान मुझे मिलन का बुलवाया और हमारी लम्बा बानच त हुई। बानचीत  
 का मार यह था कि गांधीजी के पास भूलाभाइ के जिज्ञा जीवन सम्बन्धी जो बातें  
 पढ़ी थीं, उनका कारण ही उ हान उह असम्बली मे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप  
 में न भेजन का जाग्रह किया। मरदार न तो उल्ट भूलाभाइ के हक में बड़ा जोर  
 लगाया और उनका साथ ऐसा अगाभनीय व्यवहार करने का विराध किया। एक  
 ह तक यह बान भीयाना राजा ने जा कुछ कटा उससे मेल जाती मालूम  
 पानी है।

यहा क्षपता एक सम्मरण दना नी जप्रामगिक न हागा। भूलाभाइ का जब  
 यह मालूम हुआ कि कांग्रेस ने 1945 के चुनाव में उह सम्मन्त्र का उम्मीदवार नहीं  
 बनाया है तो स्वभावत उह घबरा गया और क्षान हुआ। शक्ती से तो नहीं पर  
 कुछ रापमिश्रित चुनावी के रूप में कुछ कांग्रेस मित्रों में उस समय उन्हे कहा  
 था कि कांग्रेस का टूटन पर नी असम्बला के लिए मेरे जसा उपयुक्त व्यक्ति दना  
 फाई नहीं मिलगा। उनका उन मित्रों में से दो न—जिनमें से एक उनके निकट साथी  
 थे और दूसरे उनके प्रणमक—अपन नना पर इस तरह मुमीबन धान पर उनका  
 साथ छाड़ दिया। उनके नाम बतान की जरूरत नहीं पर यह निश्चय है कि ऐसा  
 करके उन्हे राजनीतिक अवसरवादिता दिखाई। मरदार का नाम लेकर मुन से  
 उ हाने चुनाव में भूलाभाइ की जगह कांग्रेस का उम्मीदवार बनने के लिए कहा।  
 मेरे लिए तो ऐस अनुरोध का एक ही जवाब हो सकता था और तत्काल वही मैंने  
 उ हें दिया। मैंने उह बताया कि जा खादमी नदालन के पधे में बरसो तक भूला  
 भाइ के इतना निकट रहा उसमें यह साग करना ही दुरागा है कि कांग्रेस में वह  
 उनका जगह न—नामकर नव जस कांग्रेस में बडे अनुचित और क्रूर उपाय में उहें  
 हटाया है। मेरे इस इनकार का भूलाभाइ का बाद में उस वकन पता लगा जब वह  
 काजाद हिन्द फौज के मुकाम में पंखी कर रहे थे। नव 9 नवम्बर 1945 का  
 उन्हे मुझे लिखा था मेरे खाना होने का कहन न मिलकर आपका केन्द्रिय  
 सम्बन्धला में लान का जो प्रयत्न किया था उाके द्वारे न बन्य। आपने  
 उस पर जा रुक लिया उससे मुझे पुगी है। मैं आपका अपनी तरह जानता हू आप  
 जस उन्वागय और मुनसे स्नह रखने वाले आदमी से यही आगा ही कांग्रेस



का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए—यानी देश की आजादी के लिए ही—मैंने काम किया और उसमें कोई बरकर नहीं रखी। लेकिन आप जानते हैं दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं कि किसी भी सगठन का नियंत्रण किसी भी समय ऐसे लोगों के हाथ में जा सकता है जो आपसे सहमत न हों और आपको उससे हटाने में ही अपना हित समझें। जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसे इसी भावना से अनासक्त रूप में मैंने ग्रहण किया है।"

कांग्रेस कायसमिति न जिस प्रकार बिना कारण अत्यायपूर्वक भूलाभाई के असेम्बली में कांग्रेस की ओर से जाने से रोकता, उसकी विविध लेखकान आलोचना की है, जिसे अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता।

डा० नारायण भास्कर खरे ने गांधीजी और कायसमिति की अपनी किताब ('माई पोलिटिकल मेमोरियम') में इसके लिए बड़ी आलाचना की है। जा निष्पक्ष उन्होंने निकाले उनका आधार उन्होंने भूलाभाई से हुई अपनी बातचीत को बताया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि गांधीजी ने न केवल कायसमिति के रूप को पार्योचित बताया बल्कि भूलाभाई से यह भी अनुरोध किया कि वाइसराय का एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सदस्यता जैसे नगण्य पद का लोभ वह न करें। भाई उन्होंने यह भी बताया है कि भूलाभाई ने इस पर जब यह कहा कि यह पद तो चाहिए तो अभी भी मुझे मिला सकता है, तो गांधीजी ने उह लिविंग रूप में यह बचन देने के लिए कहा कि वह ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे। डा० खरे और गांधीजी के मतभेदा का सभी को पता है इसलिए भूलाभाई से बातचीत का जो विवरण डा० खरे ने दिया है उस पर विश्वास करना लेखक के लिए कठिन है। वह असंभव और अजीब जान पड़ता है।

राजेन्द्र बाबू ही ने स्थिति का सही निरूपण किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस सम्बन्ध में लिखा है

'केन्द्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने अपनी ओर से जा नाम लाने के लिए वेबल को दिए उनमें भूलाभाई का नाम नहीं था। केन्द्रीय असेम्बली के बहिष्कार से पहले वह उसमें कांग्रेस दल के नेता थे और उस रूप में उन्होंने बड़ा नाम बनाया'

था। 1928 में बारडाली मन्दापट्ट के समय वह कांग्रेस में आए और तभी से उन्होंने सक्रिय रूप में कांग्रेस का काम किया जिन्हें लिए जेल जान में भी कभी नहीं हिचकिचाए। उनकी योग्यता और त्याग के कारण ही उन्हें कांग्रेसप्रति का सदस्य भी बनाया गया। चुनाव में कांग्रेस का सम्मोदवार न बनाने पर उन्हें गहरा धक्का लगना स्वाभाविक था। यह पत्थरनुप नहीं था लेकिन इस बात का उन्हें बड़ा रज हुआ कि उन्हें ठमके योग्य नहीं समझा गया। कांग्रेस ने जा नाम दिए थे व यद्यपि प्रकाशित नहीं किए गए लेकिन यह बात फल बिना न रहा कि उनको शामिल नहीं किया गया है और इस लागा ने पम नहीं किया। कांग्रेस असम्बन्ध के सदस्यो ने तो इसे बर्न ही दुर्भाग्यपूर्ण माना।

भूलाभाई का उममे अलग क्या रखा गया इसका कारण बताना मेरे लिए न तो उचित है और न आवश्यक लेकिन अपने बारे में मुझे बताना ही चाहिए कि जो सूची दी गई उससे खुद मुझे सतोप नहीं था यद्यपि उसका विवरण भी कुछ नजर नहीं आना था कांग्रेस के माध्यम से की गई उनकी महान सेवा के बावजूद उन्हें लाड ववल का मिनिस्टर बनाने के लिए दी गई कांग्रेस की सूची में शामिल नहीं किया गया, इस पर मैं अफगास जाहिर किए बिना नहीं रह सकता।"

राजेन्द्रबाबू जम कांग्रेस के बड़े सम्मानित नेता न सयत पर स्पष्ट रूप में जा कहा है, वही इस दुर्भाग्यपूर्ण काले अध्याय पर इतिहास का निश्चित निष्पत्ति हो सकता है।

अत में गांधीजी के उस पत्र का उल्लेख भी करना ही चाहिए जो पूना से 21 अक्टूबर, 1945 का उन्होंने भूलाभाई का लिखा था। पत्र गुजराती में लिखाया हुआ है और अत में हस्ताक्षर की जगह 'बापू के आशीर्वाद' गांधीजी के अपने हाथ का लिखा हुआ है। इस सारे घटनाचक्र में गांधीजी का क्या योग रहा, इस पर उससे प्रकाश पड़ता है, अत उसका पूरा अनुवाद अगले पृष्ठ पर दिया जाता है।

प्रिय भूलाभाई

मेरे हाथ का लिखा पढ़ना मुश्किल है, इसका मुझे पता है, इसलिए छुपाएत लिखनेवाले अन्य व्यक्ति को बालकर लिया रहा हूँ।

लेजिस्लेटिव असेम्बली के चुनाव में आपका उम्मीदवार बनाने के लिए मैं और सरदार दोनों के पास बराबर तार जा रहे हैं। खुद मैं तो चुनाव में कुछ नहीं कर रहा हूँ। सरदार के पास जा दरबार लगा रहता है उसका भी मुझे कोई पता नहीं। आमनौर पर इस बार में वह मुझसे कोई पूछताछ नहीं करते, न कोई बात ही करते हैं। मैं अपने रास्त चलाता हूँ वह अपने। इस समय हमारा साथ एक कारण है, उनकी प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है जिसमें मेरा बड़ा विश्वास है। चीर फाड़ में काफी खतरा है। डॉ० नेगमुष का छोड़ और कोई डाक्टर शल्यचिकित्सा के पक्ष में नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा में मेरा विश्वास है इसी लिए मैं उन्हें यहाँ डॉ० महता के चिकित्सालय में ले आया हूँ और उनकी प्राकृतिक चिकित्सा करा रहा हूँ। डॉ० महता इसमें माहिर हैं, जबकि (प्राकृतिक चिकित्सा का) मेरा ज्ञान तो बिल्कुल अज्ञान है। लेकिन यह सब तो भूमिका मात्र है।

असली बात तो यह है कि आप के बार में सरदार के पास जा भी बात आती है उस बड़ में पास भेज देने है, ताकि मैं जसा ठाक समझू वसा करूँ। आपन मेरा बात मजूर की है इसलिए मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेटिव असेम्बली में बने रहने की खुद आपकी कोण महत्वाकांक्षा नहीं है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इसक लिए जो तार आ रहे हैं वे आपकी प्रेरणा से नहीं आ रहे। कुछ बड़े लाभ स्वभावतः आपका लेजिस्लेटिव असेम्बली में दखना चाहते हैं। सच तो यह है कि इस निणय में मेरा हाथ न हाना तो आपकी असम्पला में लाने के लिए जो दबाव डाला जा रहा है उसका जग सरदार भी बोले पड़ जाते। लेकिन मैं टूट हूँ, क्योंकि मात्र आपकी हित की दृष्टि से ही मैंने निणय किया है। मैं तो आपन महसूस का काम लेना चाहता हूँ—यदि आप मेरे लिए इस कर सकें। आप जनसाधारण के प्रति विधि बनें, एमो मरी इच्छा है। बूना मैं आपका हगिज नहीं मानता। आप भी 125 वय की आयु तक जिन्दा रहने का आकांक्षा क्या न करें। आप मेरा तरह ऐसा

इच्छा न रमते हो, तां भी मैं चाहता हूँ कि दूसर भी जनसाधारण की सेवा के लिए, इनना जीने की इच्छा रखें। मैं जो इच्छा रखता हूँ उसके लिए सक्तिभर प्रयत्न भा करता हूँ। मृत्यु आज ही आ जाए तो उमका भी मुझ कोई भय नहीं है। अलबत्ता आकाशा और चेष्टाप्रतिम सासतक नहीं छोडगा क्योंकि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और अभी तक पूरी तरह ऐसा कर रहा पाया हूँ। पूरी सेवा करन का मेरा इरादा है और मैं चाहता हूँ कि हम सभी ऐसी इच्छा रखें।

इम भूमिका के साथ आपका मेरी सलाह है कि इस वार म आप खुद ही एक शिष्ट बनव्य हों। उक्तव्य म आप उन लोगो को धयवाद द जो आपके लिए स्वच्छा स यह प्रयत्न कर रहे हैं, पर साथ ही ऐसी घोपणा भी करें कि फिलहाल आप असम्बली म नहीं जाना चाहत असम्बली स बाहर रहत हुए जो सेवा की जा सक वशी आप करना चाहत के और फिलहाल ऐसा हा करत रहगे। इसके अलावा यह भी लिखें कि अगर आपने दीर्घायु पाई ओर असम्बली म जान की आपकी इच्छा हुई तो आप मय मतदानओ मे वमा कहने मे सकोच नहीं करेंगे।

(आजाद हिंद फौज के) कदियो की इम समय घाप जसी परवी कर रद है उस पर मुझे प्रस नता है। यह ता जापका क्षन है ही और इसमे आपका शाइरत भी मिलगी। पर मेरो यह भी इच्छा है कि जवाहरलाल और सरदार जिस तरह जाता के निकट सम्पक मे आग उमां तरह आप भी कर। उनक बराबर ता नहीं पर मौलाना साहब (आजाद) भी धाडा जनसम्पक रखत हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तो मैं शायद राज द्र बाबू का ही द सकता हूँ। राजेद्र बाबू जो रास्ता दिखत हैं उसी पर बिहार चलता है, वह बिहार के पीछे नहीं चलत। और भी ऐस उदाहरण दिए जा सकत है, पर निश्चय ही आपका उसकी जरूरत नहीं है। मेरे म्याल म इनना भी ज्यादा ही है। आपके मामले म तो निश्चय ही अनावश्यक है। फिर भी मैं लाभसवर्णन नहीं कर सता। और लोभ को आध्यात्मिक रूप म लें ता उसके मात्र आध्यात्मिक हान क कारण उमको छिपान की काई जरूरत नहीं है।

आशा है कि आप ठीक हैं। अरन वाम म आप वामयाव हागे, इसका मुझे पूरा भरासा है।

बापू के आशीर्वात

इस पत्र से विलकुल साफ है कि असेम्बली के कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में भूलाभाई का नाम न रखने में गांधीजी का रस ही निर्णायक रहा। यह भी मालूम पड़ता है कि भूलाभाई इस स्थिति को स्वीकार कर लें और स्वतंत्र रूप में असेम्बली के लिए चुनाव न लड़ें इसके लिए भी गांधीजी ने उन्हें समझाया बुझाया था। पत्र में कूटनीति और मीठा आग्रह भरा है और भूलाभाई के सामने असेम्बली के बाहर जनता में काम करने का मनाहर चित्र खींचा गया है। ऐसे सावजनिक जीवन का लुभावना चित्र खींचकर राजनीतिज्ञ महात्मा ने अपनी राजनीतिक चतुरता और मीठे ढंग में समझाने बुझाने की क्षमता का परिचय दिया है। शायद अहिंसा, असहयोग सविनय अवज्ञा और चर्खे के बारे में भूलाभाई के जो विचार थे उनकी गांधीजी को जानकारी थी। भूलाभाई ने असेम्बली में जो प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था और वाइसरॉय तथा मुसलमान नेताओं का विश्वास प्राप्त करने में उह जो सफलता मिली थी उसके कारण गांधीजी को उनकी तरफ से संभवतः यह आशंका भी हो गई थी कि उसके कारण केंद्रीय असेम्बली द्वारा बनने वाले मंत्रिमंडल में वही वह ही सर्वप्रथम स्थान न प्राप्त कर लें। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि भूलाभाई को असेम्बली में बाहर रखने की जो कारवाही नायकसमिति ने की, उसमें गांधीजी का पूरा समर्थन था। यह पत्र भी निःसंदेह एक चतुर प्रयत्न था कि भूलाभाई स्वयं सावजनिक बक्तव्य द्वारा घोषणा कर दें कि असेम्बली में वह जाना ही नहीं चाहते, जिससे सरदार व गांधीजी पर उहें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का जो दबाव पड़ रहा है वह ढीला पड़ जाए।

भूलाभाई को इन सब बातों से निश्चय ही बड़ा क्षोभ हुआ। इसमें भी कोई शक नहीं कि इससे जो मानसिक वेदना उहें हुई, उससे पहले ही गिर रहा उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। क्षोभ और मानसिक वेदना को अस्वाभाविक भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके साथ जसा व्यवहार हुआ वैसे व्यवहार का ब्रिटेन या अन्य देशों के संसदीय दलों के इतिहास में कोई उदाहरण पाना कठिन है। फिर भी उनके दृढ़ स्वरूप और ऊँचे मनावल की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिन्होंने उनके साथ ऐसा क्रूर व्यवहार किया उनके प्रति कटुता या प्रतिशोध की कोई भावना उहोंने अपने मन में नहीं आने दी। यही कारण है कि नायकसमिति द्वारा खुले तौर पर अपमानित होने पर भी जिस सगठन (कांग्रेस) की सेवा में उहोंने अपनी महान

बुद्धि और प्रतिभा का उपयोग करने में कोई कमर नहीं रखी थी उसके प्रति उनकी वफादारी में कोई कमी नहीं हुई और ज़रूरत पड़ने पर बीमार हाते हुए भी उसकी सेवा का अवसर उपलब्ध होने पर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने की वह तयार हो गए। राजेन्द्र बाबू ने बताया है कि 'इसके (उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसके) बावजूद, जब सरफार ने आजाद हिंद फौज के मेजर जनरल शाहनवाज खा और उनके साथियों पर बगावत का मुकदमा चलाया और हमने भूलाभाई से उनकी परवी बनने को कहा तो स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी खुशी के साथ उ होने हमारी बात मान ली। इस मुकदमे की परवी में उनकी असाधारण बवालती कुशलता प्रकट हुई और बचाव के लिए उन्होंने जो दलीलें दीं उनकी गिनती दुनिया में हमेशा सर्वोत्तम दलीलों में की जाएगी। इस कठिन काय में उन्होंने जो भारी परिश्रम किया एक तरह से उसी में उनका प्राणांत निकट आया। मुकदमे के बाद उनकी बीमारी न गंभीर रूप ले लिया और उससे वे बच नहीं पाए।

भूलाभाई के साथ हुए अत्याय का जनता तो कभी नहीं भूल पाई। यही कारण है कि कायसमिति और गांधीजी ने उनके साथ जसा सलक किया उसके बावजूद आजोवन उनकी लोकप्रियता ही नहीं बनी रहा बल्कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे में उन्होंने जो स्मरणीय काय किया, उसके कारण इहलीला समाप्त करने के कुछ महीने पहले वह बहुत लोकप्रिय बन गए थे।

## आजाद हिन्द फौज का मुकदमा

भारत की स्वतंत्रता के लिए विभिन्न समय पर अनेक शक्तियों ने काम किया। सुभाष बोस ने आजाद हिन्द फौज का संगठन कर उसका द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए जा वीरतापूर्ण प्रयत्न किया उससे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का जुगा ढीला पटन में निश्चय ही बड़ा मदद मिली।

राष्ट्रीय आन्दोलन की नींव, स्वराज और स्वतंत्रता के ब्रिटिश विचारों से प्रभावित शिक्षित भारतीयों ने कुछ उदार हृदय अंग्रेजों की सहायता से डाला। भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना 1885 में हुई जिसे आमतौर पर उसने अंग्रेजी नाम कांग्रेस से ही सब जानते हैं। उस पर जब तक गरम दल के नाम से मशहूर पक्ष ने कब्जा नहीं किया, उसका प्रारम्भिक समय बहुत कुछ ढीलाढाला ही रहा। कांग्रेस पर गरम दल का कब्जा हुआ जान पर गरम दलवालों जिन्हें आमतौर पर माडरेट कहा जाता था और बाद में लिबरल कहा जान लगा उससे अलग हो गए। अलग होकर उन्होंने अपना पक्का दल बनाया पर धार धीरे-धीरे उनका असर कम होने लगा और देश में उनका कोई खास प्रभाव नहीं रहा। फिर भा प्रसंग पडने पर और सासकर कठिनाई तथा गतिरोध उपस्थित होने पर कांग्रेस को उनकी सलाह और सहायता का लाभ अवश्य मिला। बीसवीं सदी शुरू होने पर बधानिक आन्दोलन के अलावा क्रान्तिकारी आन्दोलन भी शुरू हुआ। बंगाल, पंजाब युक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) और महाराष्ट्र के नौजवानों का इसमें विशेष योग्य रहा और उन्होंने देश सेवा के लिए आत्मत्याग और शहादत के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। इसके बाद अहिंसा और सविनय अवज्ञा का गांधीवादी आन्दोलन आया।

इस प्रकार कुछ वर्षों तक देश की मुक्ति के लिए सच्चा भिन्न और परस्पर विरोधी दो आंदोलनों से प्रेरित लोगो ने काम किया। इनमें एक बग हिंसा और ताकत में विश्वास रखने वाले नौजवान आतंकवादीयों का था। और दूसरा अहिंसा और कष्टसहन में विश्वास करनेवाले विनम्र सत्याग्रहियों का। सुभाष बोस माना इन दोनों के बीच बड़ी का तरह थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि गांधीजी के महान नतृत्व से प्रभावित हो आतंकवादीयों के कुछ दल अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा के उनके आंदोलन में शामिल होकर उसके उत्साही कार्यकर्ता बन गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब आतंकवादी प्रवृत्तियाँ और सत्याग्रहियों का अहिंसात्मक आंदोलन दोनों मिथिल पड़ गए और विदेशी सत्ता न स्वतंत्रता की भारतीय माँग का जखीरा कर दिया। यह ता दूसरे विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थिति का ही परिणाम था जिसने देश का स्वतंत्रता का सुअवसर प्रदान किया।

सुभाष बोस ने 'दिल्ली चलो' नारे के साथ हजारों भारतीय सैनिकों का— जो उस समय जापान के बंबे में आए भारतीय युद्धबंदी थे—संगठन कर निश्चय ही बड़ी सशस्त्र और साहस का परिचय दिया। बड़े उपयुक्त समय उनके नेतृत्व में यह विजय यात्रा शुरू हुई, जिसके दो परिणाम हुए। एक तो यह कि खास तौर पर जिन भारतीय सैनिकों के सहारे ही भारत में ब्रिटिश शासन टिका हुआ था, उनकी वफादारी में गहरी दरार पड़ गई। दूसरा यह कि भारतीय सैनिकों की वफादारी सदिग्ध हो जाने से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव ढीली पड़ गई और उसके लिए ऐसा संकटकाल उपस्थित हो गया जिसमें वह बहुत दूर तक सुरक्षित रूप में यहाँ कायम नहीं रह सकता था। फरवरी 1946 में बम्बई में नौसेना की बगावत ने उसे और भी धक्का लगाया क्योंकि थल सेना के साथ अब नौसेना और वायुसेना की वफादारी भी असदिग्ध नहीं रही। आजाद हिंद फौज के कारनामों की खबरें भारत में भी पहुँचने लगीं और उससे देश में आनंद की लहर ही नहीं आई बल्कि दण्डसेवा की तीव्र भावना भी व्यापक और अभूतपूर्व रूप में फैली। जिस देश का अग्रज लोग कोई डकैत ही वपस भी अधिक समय से दायण कर रहे थे उससे चले जाने का अंतिम और निश्चयात्मक रूप से उद्धाने जा निणय किया उसका कारण सम्भवतः दूसरे विश्वयुद्ध के फलस्वरूप उनका कमजोर पड़ जाना ही



था। यह तो सच है कि युद्ध में ब्रिटन की जीत हुई, लेकिन इसने मूल्यस्वरूप विश्व में महाशक्ति की स्थिति को वह खो बठा। युद्ध के बाद वह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। विश्व राजनीति के मंच पर रूस और अमरीका ही, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में प्रतिष्ठित हो गए।

सुभाष बास और आजाद हिंद फौज के वीरनापूण वार्यों की गाथा, उपवास की तरह अदभुत और रोमाचकारी है। सुभाष जावरी 1941 में किस तरह रहस्यपूर्ण ढंग से भारत से गए किस तरह जमनी में उड़ने भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया और अंत में जब जापान ने युद्ध में शामिल हो 1942 की फरवरी में सिंगापुर पर कब्जा कर लिया तो किस तरह पनडुब्बी से वह दक्षिण पूर्व एशिया पहुंच कर जापानी फौज के साथ हो गए ये सब कपोल कल्पनाएं न हाकर ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनका मजर जनरल साहनवाज तथा अन्य बड़्यों ने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है।<sup>1</sup>

लेकिन हम तो अपने उद्देश्य के लिए इस रोमाचक कथा को उस हिस्से पर ही नजर डालनी है जिसका सम्बंध दक्षिण पूर्व एशिया में 1943 से शुरू हुई घटनाओं से है। यह इसलिए आवश्यक है कि आजाद हिंद फौज के तीन व्यक्तियों पर 1945 के नवम्बर में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किल में फौजी अदालत के सामने बगावत का जा मुकदमा चला उसकी बुनियाद वहीं थी और उन घटनाओं को ही उनकी परीक्षा करते हुए भूलाभाई ने अपनी अविस्मरणीय दलील का आधार बनाया था। इंग्लैंड के प्रधान 'यायाधोश (लाड चीफ जस्टिस) ने एक मशहूर मुकदमे की परीक्षा पर जिन शब्दों का उपयोग किया था, उन्हीं शब्दों में हम कह सकते हैं कि भूलाभाई के तक बकालत की सर्वोच्च परम्पराओं के अनुरूप और 'याय के हक में थे।

सिंगापुर का पतन 15 फरवरी 1942 को हुआ। सिंगापुर पर जापानी बच्चे के पल्लस्वरूप 40 000 से अधिक भारतीय सैनिक युद्धबंदी बने जिन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से फनल हण्ट ने जापान सरकार के प्रतिनिधि कनरु फूजीवारा के

1 'आई० एन० ए० एण्ड इट्स नेताजी' देखिए।

सुपुद किया। प्रथमी भारतवासी इससे पहले ही इण्डियन इण्डिपेंडेंस लीग (भारतीय स्वतन्त्र्य मघ) की स्थापना कर चुके थे जिसके विविध देशों से आए सौ से अधिक प्रतिनिधिया का जून 1942 में बंबाई में एक सम्मेलन भी हुआ। इसी सम्मेलन में इण्डियन नेशनल आर्मी संगठित करने का विचार सामन आया और एक प्रस्ताव द्वारा जर्मनी में भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम कर रहे सुभाष बोस को पूर्वी एशिया में आमन्त्रित किया गया। इधर बनल फूजोवारा ने एक भारतीय सैनिक अधिकारी बन्तान माहनसिंह को इण्डियन नेशनल आर्मी संगठित कर भारत की स्वतन्त्रता के लिए काम करने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की स्वतन्त्रता के काम में इस मेंना का जापान का पूरा सहयोग मिलगा। तब भारी तादाद में जो भारतीय सैनिक युद्धबंदी के रूप में अंग्रेजों द्वारा जापानियों को सौंप गए थे उनके सामने यह विचार रखा गया। काफी तादाद में जब उन्होंने इस विचार से सहमति प्रकट की, तब माहनसिंह के ही संनापतित्व में उसे संगठित किया गया।

लेकिन शुरू में ही मोहनसिंह और इण्डियन इण्डिपेंडेंस लीग के प्रवक्तवों में मतभेद पदा हा गए, इसीलिए काम ठीक स आगे नहीं बढ़ा और जून 1943 में जब सुभाष बाबू पूर्वी एशिया पहुंचे तभी उनमें सत्रिय रूप धारण किया। सुभाष बोस ने इस सम्बन्ध में जापान के प्रधानमंत्री तोजा से बात की, जिसके फलस्वरूप जापान की ससद में प्रधानमंत्री ने घोषणा की 'जापान ने इस बात का दृढ़ निश्चय किया है कि भारत से भारतीय जनता के दुश्मन अंग्रेजों का हटाकर उनका प्रभाव का नष्ट करने और भारत में सच्चे अर्थों में पूण स्वाधीनता कायम करने के प्रयत्न में वह अपने सभी साधनों द्वारा पूरी मदद करेगा।' इसके बाद सुभाष बाबू सिंगापुर गए। वहां पूर्वी एशिया के विविध देशों में बसे हुए 20 लाख से अधिक भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 000 से अधिक भारतीयों की उपस्थिति में उन्होंने इण्डियन इण्डिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। वही अध्यक्षान से सुभाष बोस ने अपनी योजना की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत को स्वतन्त्र कराने के उद्देश्य से आरजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) बनाकर आजाद हिंद फौज को भारत को स्वतन्त्र करने के लिए आगे बढ़ाना था। इण्डियन नेशनल आर्मी को

यहाँ आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया और दिल्ली चला' उभवा युद्धपाय बना ।

आरज़ा सरकार का ध्योगणेश 21 अक्टूबर 1943 को एक सावजनिक समारोह में बड़े उत्साह के बीच हुआ । एक सरकारी ऐलान द्वारा आरज़ी हुकूमत के क्या काम होंगे यह बताया गया आरज़ी हुकूमत भारत से अंग्रेज़ा और उन के साथियों का निबाल कर भारत का आजाद करन की लड़ाई शुरू करगी । और उसका संचालन करेगी । इसके बाद वह (आरज़ी हुकूमत) ऐसी स्थायी राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रयत्न करेगी जिसका निर्माण भारतीय जनता की इच्छानुसार होगा और जिसके लिए भारत की जनता का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक होगा । अंग्रेज़ा और उनके साथियों का निबाल देने के बाद जब तब स्वयं भारत में आजाद हिंद की स्थायी राष्ट्रीय सरकार नहीं बन जायगी तब तक आरज़ी हुकूमत ही घराघर के रूप में भारतीय जनता की ओर में देश का शासन करेगी ।" और भारतीय जनता से इस मनुरोध के साथ घोषणा समाप्त हुई 'परमपिता परमेश्वर के नाम पर भारतीय जनता से आशा अनुरोध है कि भारत का स्वतंत्रता के लिए हमने जो लड़ाई शुरू की है उसमें वह हमारा साथ दे । हमारा कहना है कि अंग्रेज़ो और उनके साथियों के विरुद्ध आखिरी लड़ाई शुरू कर दो और अंतिम विजय क पूरे विश्वास के साथ धीरे धीरे और बहादुरी से तब तक लड़न रहो, जब तक कि दुश्मन का बाहर निबाल कर हमारा राष्ट्र फिर से स्वतंत्र न हो जाए ।'

23 अक्टूबर का आरज़ी हुकूमत न अपन मंत्रिमण्डल की बैठक में सिटन और अमरीका के खिलाफ लड़ाई घोषित करने का निश्चय किया । लड़ाई की यह घोषणा सुभाष बोस ने रेडियो से की जा मनमामिमका रेडियो व जगिए दुनिया भर में सुनी गई । इसके कुछ ही दिन बाद आजाद हिंद की आरज़ी हुकूमत का जापान, जर्मनी, इटली, कोरिया, बर्मा पार्सिलैण्ड, राष्ट्रवांग चीन, फिलिपीन और मचूरिया ने विधिवत मान्यता दे दी । जापान में ता आरज़ी हुकूमत का विधिवत मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि भी रहन लगा । यश नहीं बल्कि टोकियो में नवम्बर 1943 में हुए एक सम्मेलन में जापानी प्रतिनिधि ने अण्डमान और निकोबार के द्वीप समूह आजाद हिंद की आरज़ी हुकूमत के सुपुत्र करन के जापान सरकार के

निश्चय का भी ऐलान किया। इस तरह सबसे पहले यही प्रदेश आजाद हिंद की आरजी हुक्मत के पास आया।

खर्चों के लिए आरजी हुक्मत न टैक्स तथा चन्दे के रूप में धन माग्य किया और कहत है कि इस तरह प्राप्त धनराशि बीस करोड़ रुपये से ऊपर हो गई थी। तब आजाद हिंद फौज को अधिक बारागर बनाने के लिए कई ब्रिगेडों में बाटा गया। सुभाष, गांधी और आजाद उन ब्रिगेडों के नाम रखे गए।

आजाद हिंद फौज की स्थिति पर सुभाष बोस और जापान के सैनिक अधिकारियों के बीच कुछ विवाद उठा मालूम पडता है। कहत है कि गुरु में जापानी आजादी हिंद फौज की जापानी सेना से स्वतंत्र स्थिति मानने को तयार नहीं थे। उनका कहना था कि आजाद हिंद फौज के सैनिक अंग्रेजी सेना की आरामतलबी के घादी होन से बर्मा और पूर्वोत्तर भारत के जंगलों की कठिनाई और दुगम मजिल जापानी सैनिकों की तरह सुगमता से पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए भारत को स्वतंत्र बनने की सारी जिम्मेदारी जापानी फौज के सुपुर्ण कर आजाद हिंद फौज को सिंगापुर में ही रहत हुए प्रचार तथा इसी तरह के दूसरे कामों में उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सुभाष बोस ने शिष्टता और दृढता के साथ जापानी अधिकारियों की इस बात से इंकार करत हुए कहा, 'जापानी कुरवानियों से अगर हमने भारत की आजादी हासिल की तो वह तो गुलामी से भी बदतर होगी' और इस बात पर जोर दिया कि भारत की आजादी के लिए तो भारतवासियों को ही सबसे ज्यादा कुरवानी करनी चाहिए और उन्हीं का खून सबसे ज्यादा बहना चाहिए, इसलिए भारत की सीमा पर लडाई का नेतृत्व तो आजाद हिंद फौज को ही करना होगा। आखिर सौभाग्यवश इस बात पर सहमति हा गई कि पहल आजाद हिंद फौज की एक रेजिमेंट से यह काम लिया जाए और अगर वह इस काम में उपयुक्त निकले तो फिर आजाद हिंद फौज के बाकी सैनिकों को भी लडाई पर भेज दिया जाए। जापानी फौज की विभिन्न टुकड़ियों के साथ उनका काम करना था।

सुभाष ब्रिगेड का मुख्य भाग जिसका संचालन साहनवाज खा कर रहे थे, पीठ पर लगभग एक मिन बाय लादे नौसत तीर पर कोई 25 मील रोज बदल चलन

हुए कम से कम 400 मील का फासला तय कर 1944 की जनवरी के शुरू में रगून पहुंचा। मोर्चे पर जल्दी से जल्दी पहुंचने की उत्सुकता के कारण, जितना रास्ता जापानी सैनिक पांच दिन में तय करते थे उतना आजाद हिंद फौज के भारतीय सैनिक आमतौर से दो दिन में ही पूरा कर लेते थे।

सुभाष भी जनवरी में ही रगून पहुंच गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जापानियों से उठोने यह तय कर लिया था कि आजाद हिंद फौज की टुकड़ियां सैनिकों की संख्या की दृष्टि से बटेसियों से छोटी रहेंगी, ऐसी हर एक टुकड़ी का संचालन पूर्णतः भारतीय अधिकारियों के ही अधीन रहेगा, मोर्चे पर उनका अलग क्षेत्र रहेगा, भारत की जिस भूमि को मुक्त किया जाएगा उसको शासन के लिए आजाद हिंद फौज का सुपुत्र किया जाएगा और मुक्त की हुई भारतीय भूमि पर एकमात्र भारतीय तिरगा झंडा ही लहराएगा।

इसके बाद भारतीय और जापानी फौज ने लडाईं शुरू की और आगे बढ़ते हुए बर्मा के कई स्थान फतह किए। इनमें एक दलेतमें भी था। वहां से भारतीय सीमा सिर्फ चालीस मील दूर रह गई थी और आगे बढ़ती हुई सना जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने के लिए व्यग्र थी। 'भारतीय सीमा पर अंग्रेजी फौज की निकटतम चौकी माउडोक में थी जो काक्स बाजार के पूर्व में लगभग पचास मील पर है। उसे रात के बचन (मई 1944) अचानक आक्रमण कर बच्चे में कर लिया। अचानक आक्रमण में शत्रु टिक न सका और उसके सैनिक भयभीत होकर भारी परिमाण में हथियार गोलाबारूद तथा खाने पीने का सामान छोड़ भाग खड़े हुए। भारतीय प्रदेश में आजाद हिंद फौज का प्रवेश बड़े हृदयस्पर्शी ढंग में हुआ। जिस मातृभूमि की मुक्ति के लिए युद्ध का अभियान किया गया था उसमें प्रवेश करत ही भारतीय सैनिकों ने उसकी पवित्र भूमि को श्रद्धापूर्वक दण्डवत् किया और उसकी रज का मन्त्र पर लगाया। इसके बाद बड़े आनंद और उत्साह के बीच आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान गाते हुए बिधिवत् झण्डा लहराया।\* खाने पीने का सामान मुलभ न होने तथा जवाबी हमले की आशंका से जापानी फौज ने माउडोक से हट जाने का निणय

\* 'हिस्ट्री आफ फाइव मूवमेंट इन इण्डिया' से (खंड 3, पृ० 721-22)

किया और आजाद हिंद फौज के कमाण्डर को भी ऐसा ही करने की सलाह दी लेकिन आजाद हिंद फौज के सैनिक न ऐसा करने से इनकार किया। उन्होंने कहा—  
 हमारा लक्ष्य तो दिल्ली का लाल किला है, क्योंकि हम तो यहाँ आदेश है कि पीछे लौट बगैर वहाँ पहुँचने के लिए बने चले जाओ।' आखिर यह तय रहा कि कप्तान सूरजमल के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज को एक कंपनी को झण्डे की निगरानी के लिए भाउडाक छोड़कर बाकी सैनिक वापस चले जाएँ। जापानियों ने भी अपनी एक टुकड़ी भारतीय सेना के साथ वहाँ छोड़ी, जिसे कप्तान सूरजमल के ही मोर्चे नेतृत्व में रखा गया। जापानी सेना के इतिहास में शायद यही पहला अवसर था जब उसके सैनिक किसी विदेशी अधिकारी के नेतृत्व में रखे गए। स्पष्ट ही आजाद हिंद फौज के विरोध में बलिदान और पराक्रम से प्रभावित होकर बर्मा स्थित जापानी फौज का प्रधान सेनापति नेताजी के पास गया और सिर झुकाकर उनसे कहा, "महामहिम, आजाद हिंद फौज के बारे में हमने जो ख्याल बनाया था वह गलत था। अब हमें पता चल गया है कि वे भाड़ के टट्टू नहीं बल्कि सच्चे दशभक्त हैं।"<sup>1</sup>

आजाद हिंद फौज की यह छोटी सी टुकड़ी कप्तान सूरजमल के नेतृत्व में 1944 के मई से सितंबर तक रही। इस बीच उस पर अंग्रेजी पक्ष से भारी तोपों और माटर मशीनगनों के बार बार हमले हुए और कभी कभी साथ में हवाई जहाजों से बमबर्षा भी की गई लेकिन उसने डटकर सामना किया और शर नहीं खाई।

ब्रिगेड की बाकी बटालियन फरवरी 7 को रंगून से दूसरे मोर्चे पर चली गई। वहाँ भी जापानी जनरल ने जानबूझ कर उनको बड़ी कमीटी पर नसा, पर वे खरे ही साबित हुए और जापानी जनरल को भी पूरी तरह सतोप हो गया। तब यह हिदायत जारी की गई कि "ब्रिगेड का मुख्य भाग काहिमा जाएगा और इम्फाल का पतन होते ही तेजी से ब्रह्मपुत्र को पार कर बंगाल पहुँचने के लिए तैयार रहेगा।" इसके अनुसार मई 1944 के अंतिम सप्ताह में 150 से 300 के बीच आदिमियों का वहाँ छोड़ बाकी सबन असम की नागा पहाड़ी के सदरमुकाम

८

<sup>1</sup> हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया' से (खंड 3, प० 722)

कोहिमा की तरफ ब्रूच किया। आजाद हिंद फौज के सैनिकों की अथ दुर्बलिया भी बाद में उनमें आ मिली और उग्ररुच व काहिमा पर उन्होंने अधिकार कर लिया। विजित प्रदेशों की व्यवस्था का भार तब तक आजाद हिंद दल को ही सम्हालना था जब तक कि वहाँ कोई नियमित शासन मायम न हो। इसके लिए उसे लागू के लाने पीने बस्ती की मर्यादा आदि अनिवाय नागरिक सहायता तथा शांति व्यवस्था कायम रखने और वहाँ की भारतीय जनता का विश्वास मर्यादा देन करने जैसे सभी काम करने थे। नग-नाग क्षेत्रों पर अधिपत्य होने ही आजाद हिंद की आरजा हुक्मों के नाम पर आजाद हिंद दल उनका भार सम्हाल लेता। इस तरह उसने काफी अच्छा काम किया। काहिमा के आसपास ऊँच ऊँच पहाड़ों पर उसने तिरंगा झण्डा लहरा दिया।

मगर आजाद हिंद फौज जब काहिमा पहुँची उतने आसपास ही युद्ध का रुख जापान के खिलाफ हो गया। इम्फाल पर कब्जा कराने में जापानी फौज को काम यावों नहीं मिली और दीमापुर तथा कोहिमा का दिशा में शक्तिशाली अग्रजों फौज का आक्रमण शुरू हो गया। काहिमा स्थित आजाद हिंद फौज यद्यपि मार्चों पर डटो रही और बड़ी बहादुरी से उसने दुश्मन का लगातार हमलों का सामना किया, फिर भी आखिर जापानी फौज के साथ उस चिं दविन नदी के पूर्वी तट का ओर लौटना ही पडा।

आजाद हिंद फौज की गांधी और आजाद विगडान भा बड़ी बहादुरी दिखाई। अग्रजों सैनिकों से सहायता में पही काम होने हुए भी और अस्त्रास्त्र आदि की अपेक्षाहीत कामों का वाञ्छुद हल पर हल होने पर भी अग्रजों को उहीन बारबार लडेडा। लेकिन अग्रजों के हमले को विफल कर देने पर भी उससे कही भयानक दुश्मन का उह सामना करना पडा। वर्षों ने एसा महाप्रलय किया कि टामू पहाड़ सबक टूट फूट कर बिल्कुल बह गई। उह राशन और अस्त्रास्त्र मिलने का वही एकमात्र माग था, उसके इस तरह नष्ट हो जाने पर स्थिति नाजुक बन गई। इस पर भी आजाद हिंद फौज के सैनिक—जिनका उस वक्त काई 200 बगमील भारतीय प्रदेश पर कब्जा था जिसका नेताजी द्वारा भोजी आजाद हिंद हुकडों द्वारा शासन किया जा रहा था मुक्त किए हुए उस प्रदेश से हट नहीं। हटने के उजाय

उन्होंने नागाओ का सहारा लेना ही ठीक समझा और एक सम्मेलन करके उन्हें सारी स्थिति बताई। नागाओ ने इस पर उन्हें भागने से मना करत हुए कहा 'आप तो भारत को मुक्त करन आए हैं ऐसी हालत में आपका वापस नहीं जाना चाहिए खान की खुश हमी को बहुत कमी और कठिनाई है फिर भी जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए जुटाएंगे और साथ साथ जीयें या मरेंगे।' असल में वे (नागा लोग) अंग्रेज और जापानी दोनों ही के खिलाफ थे। उन्होंने कहा 'अपने प्रदेश पर न तो हम अंग्रेजों का कब्जा चाहते हैं, न जापानियों का। हम तो नेताजी सुभाष बाबु को ही अपना राजा बनाना पसंद करेंगे।' लेकिन काटिमा से आजाद हिंद फौज के हट जान से नागालैण्ड में गांधी ब्रिगेड की स्थिति सुरक्षित नहीं रही थी, इसलिए उसे भी वहाँ से हटना ही पड़ा।

भारत वर्मा मार्च पर आजाद हिंद फौज की हलचलों को सुभाष ब्रिगेड के कमाण्डर शाहनवाज खान ने इस प्रकार वर्णन किया है— जापानी फौज के साथ मिल कर आजाद हिंद फौज ने 1944 के मार्च में जो मुख्य लड़ाई शुरू की थी उसका इस तरह अंत हुआ। लड़ाई में आजाद हिंद फौज ने कहीं घटिया युद्ध सामग्री और रसद तथा दस्त्रास्त्र की उपलब्धि और बहुत कमजोर व्यवस्था के बावजूद काई डेढ़ सौ मील भारतीय भूमि पर कब्जा किया। आजाद हिंद फौज की इस चढ़ाई में उत्कलेशनाय बात यह है कि लड़ाई के मोर्चे पर हमारी फौज एक बार भी परास्त नहीं हुई और दुश्मन के पास हमसे कहीं ज्यादा सैनिक और युद्ध सामग्री हात हुए आजाद हिंद फौज की एक भाँची पर वह कभी कब्जा नहीं कर सका। इससे विपरीत ऐसा बहुत कम बार ही हुआ जबकि आजाद हिंद फौज ने किमा ब्रिटिश चाका पर हमला करके सफलता नहीं पाई है। लड़ाई में आजाद हिंद फौज के काई 4000 आदमी गहारा हुए।<sup>1</sup>

अंग्रेजों के जवाब हमले ने 1944-45 की सर्दियाँ में जार पकड़ा, जिसके फलस्वरूप जापानियों को पीछे हटना पड़ा। रगून छोड़ते वक्त जापानों उस आजाद हिंद फौज को सुपुद कर गए थे। 1945 का मई में अंग्रेजों ने उस पर कब्जा कर

<sup>1</sup> 'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया' (सर्क 3, पृष्ठ 730)



लिया और आजाद हिंद फौज वालों को निःशस्त्र करके बंदी बना लिया। सुभाष बोस को फिर से लड़ाई करन की अभी भी आशा थी, इसलिए वह रंगून से बैकाक चले गए। किस कठिनाई से वह बैकाक गए इसका अनुमान इस बात में लगाया जा सकता है कि यात्रा में उन्हें इक्कीस दिन लगे। बैकाक से हवाई जहाज में वह सिंगापुर गए और मध्य अगस्त में जापान में आत्म समर्पण कर दान पर अंत में हवाई जहाज में हासंगोन से तोकिया गए। इसी यात्रा में दुषटना से उनका हवाई जहाज चकनाचूर हो गया और दुषटना में लगा चोट में उनका प्रणत हुआ।

आजाद हिंद फौज के उत्थान, पराक्रम और शौर्य का यह वर्णन भारतीय लेखकों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर दिया गया है, जिनमें से एक (शाहनवाज खा) का तो इन घटनाओं से सीधा सम्बन्ध रहा है।<sup>1</sup> इसलिए इसका दृष्टिकोण भारतीय होना स्वाभाविक है और अंग्रेजों का दृष्टिकोण निश्चय ही इससे भिन्न बल्कि सर्वथा विपरीत भी हो सकता है। आकिनलेक के जीवनीकार जान वानेल का विवरण इसका प्रमाण है जिसमें घटनाओं पर अंग्रेजों के दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। उद्दान लिखा है

'आजाद हिंद फौज की जो दुर्लभ और जटिल समस्या सामने आई वह अंग्रेजों की 1942 में दक्षिणपूर्व एशिया में हुई पराजय का परिणाम थी। उस वर्ष की फरवरी में जब सिंगापुर का पतन हुआ गया तो मलया में बची हुई अंग्रेजी सैन्य का कोई 85,000 सैनिकों को जापान के आगे आत्म समर्पण करना पड़ा। इसमें लगभग 60,000 भारतीय थे—जिनमें अफसरों की संख्या 1,000 थी तथा जवान सभी तरह के लोग थे।

“युद्ध में और उसके बाद इन्होंने जो काम किए और उनके जो परिणाम सामने आए उसका मूल्यांकन करते समय हमें इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि जापान के कब्जे में गए इन बंदियों में 35,000 युद्ध बंदी ऐसे भी थे जिन्होंने नमक हरामी नहीं की और फौज में भर्ती होते वक्त वफादारी का जो शपथ ली थी उस पर पूरी तरह कायम रहे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कठिनाई, मुसीबत,

1 इण्डियाज स्ट्रगल फार फ्रीडम ए० सी० चटर्जी द रिप्रिगिंग टाइगर ह्यू टोपी, लंदन



1945 में जापान की शौर स बर्मा व मार्च पर लडाई म शामिल हुआ था । जापानी सेना ने इनस दा तरह व काम लिए । एक ता आशिक रूप म प्रचार का (जा सवधा असफल रहा) और आशिक रूप म ही गुरिल्ला युद्ध मा हलकी लडाई का (जिस इहीन बेमन से जस तस सम्पन्न किया) । इनक पास न हवाई जहाज प, न तोपखाना, न भारी माटर मशानगन न टैंक या बग्गरबंद गाडिया, इह ता 1941 की किस्म का शस्त्रास्त्र मिला और ऐमी ब दूकें दी गई जा अग्रजी फौज स जापानिया के हाथ लगी थी और इस तरह इनकी एक लको पदल सेना ही था । इमी का नतीजा था कि बर्मा की प्रत्येक उल्लेखनीय लडाई म अग्रेजा स इहें बुरी तरह पराम्त हाना पडा । इनका नेतत्व स्फूर्तिदायक नही था । लडाई म कुल तीन अफसर मर, एक जापाना सतरी के हाथी मरा और एक की वायुयान दुघटना म मृत्यु हुई । बर्मा म जापान की अंतिम पराजय तक आजाद हिंद फौज ने कुल 750 आदमी लडाई म मारे गए जबकि 1,500 बीमारी और भुगमरी से मर 2,000 भागकर स्याम चल गए तथा 3,000 ने या तो आत्मसमर्पण किया या फौज से पलायन कर गए । नौ हजार ब नौ बनाए गए ।'

इन दोना वणनो की समति वठाना असभव है । जहा तक हमारी जानकारा है जो कहा गया उसे दस्तावेजो स पुष्ट करने का प्रयत्न इन दोनो ही वणनो म नही है । फिर भी अतिशयाक्ति की गुजाइरा रखत हुए, जसाकि एसी परिस्थितियों मे स्वाभाविक ह पहला वणन ही स्पष्ट रूप से अधिक प्रामाणिक और ग्राह्य मालूम पडता है । उनम स कुछ ता ऐसे ग्रादमियों के ग्राखो दख स्वानुभव हैं जि होने उनम अपना भी सक्रिय यागदान किया । फिर यह भी स्मरण रखने की बात है कि उनम दी हुई अनेक प्रमुख घटनाओ की आजाद हिंद फौज के मुकदमे म पुष्टि भी हो चुकी है ।

आजाद हिंद फौज के अ य लोगो का क्या हुआ, इस बारे म जान कानेल ने बताया है कि युद्धकाल म भारतीय जनता की आजाद हिंद फौज व बारे म या तो कुछ भी नही मालूम था या मालूम था तो बहुत कम । मई 1944 से जब उ होने आत्मसमर्पण करना गुरू किया या उह बंदी बनाया जाने लगा तब उहे भारत लाकर उनके अपराध के अनुसार उनका अलग अलग बर्गाकरण करके नजर

बाद सम्प्रेषण में भेजा गया। आजाद हिंद फौज का सचिव मामला माना गया, यानी भारतीय नेता व अनुशासन और मनाबल का मामला। युद्ध समाप्त होने के पहले हा कोई तीसरा ची० सी० ना० एन० मा० आ० जोर मीनियर सिपाहियों पर, जिन्हें या तो लॉन्ग में बन्दी बनाया गया या पनडुब्बी अथवा हवाई छतरी से भारत-प्रवेश करने हुए पकड़ा गया था, फौजी अदालत में मुकदमा चल चुका था। इनमें से तो का मौत पा गजा भी दी गई थी, जिन पर जासूसी या तोडफोड के आरोप थे।"

दिन 18 अगस्त 1945 का सुभाष बोस की मृत्यु हो जाने पर, उसके दूसरे दिन भारत सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमें सुभाष बाबू की मृत्यु की खबर के साथ आजाद हिंद फौज व संघ में भी कुछ बताया गया। इससे लोगों में कुछ उत्तेजना पैदा हुई और आजाद हिंद फौज की कारगुजारिया की खबर सारे देश में बिजली की तरह फैली ही नहीं उसकी प्रतिनिधिया स्वरूप कुछ हिंसात्मक वाण्ड भी हुए जिनका शांति सरकार ने पहले कोई अनुमान नहीं लगाया था। फिर जब आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों पर फौजी अदालत में दगावत का मुकदमा चलाने का सरकार ने निश्चय किया तब तो लोगों में और भी उबाल भाया।

आजाद हिंद फौज के बारे में जवाहरलाल नेहरू से उनके विचार पूछे जाने पर 19 अगस्त को उन्होंने कहा था 'मेरा विचार था और अब भी यही विचार है कि इस फौज के नेता और अ्यक्ति कई तरीकों से गुमराह हुए। जापानियों के साथ गठबंधन करते समय उन्होंने उसके व्यापक परिणामों का ठीक तरह ख्याल नहीं किया। तीन साल पहले कलकत्ता में मुझसे पूछा गया था कि भारत की मुक्ति के लिए सुभाष बाबू सेना लेकर भारत पर चढ़ाई करें तो मैं क्या करूंगा। मैंने जवाब दिया था कि मैं उसका मुकाबला करने में जरा भी आगा पीछा नहीं करूंगा, हालांकि सुभाष बाबू की नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। मैं मानता हू कि वह और उनके साथी जापानियों के हाथ के तिलीने किसी तरह नहीं है और भारत को आजाद करने की तमन्ना से ही यह सब कर रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि जापानियों के तत्वावधान में काम करके वह गलती कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों

का उद्देश्य कुछ भी बयो न हा, भारत म या उससे बाहर उनका मुकाबला करना ही होगा ।”

लेकिन इसके दूसरे ही दिन उनके विचारों म कुछ परिवर्तन हा गया मालूम पडता है । इसी बारे म फिर स वालत हुए उन्होंने कहा—“आजाद हिंद फौज के अफसर और सिपाहों बहुत बडी तादात्त म ब दी वन हुए हैं और उनम स नम स नम कुछ का मौत क घाट भी उतारा जा चुका है । उनक साथ बहुत सन्तों स पेश आना किसी भी समय ठीक नगी कहा जा सकता था, फिर हम बरत तो—जबकि कहा जाता है कि भारत म बडे परिवर्तन होन वाक हैं—ऐसा करना बडी भारी गलती होगी और अगर उनके साथ मामूली बागिया जसा व्यवहार किया गया, तो उसक बडे दूरगामी परिणाम हुए बिना नही रहने । उह सजा दना तो एक तरह सारे भारत का और सभी भारतीयों को दण्डित करना है जिसका लाभो कराडा हृदया पर गहरा घाघात लगा ।”

यह तथा इस तरह के दूसरे वक्तव्य सरकार क लिए ऐसी चतावती थ जिसस उसे सावधान हो जाना चाहिए था और आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों क खिलाफ फौजी अदालत म मुकदमा चलाने का खतरा नही उठाना था । लेकिन एक तरह सरकार चक्कर म पड गई थी । ऐसा लगता है कि सनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी नही था कि अंग्रेजी फौजों के बर्मा पर फिर स कब्जा करने के बाद आजाद हिंद फौज और अंग्रेजों की (भारतीय) सना के लोग आपस म खूब हिले मिले थे, जिससे भारतीय सना म ऐसी राजनीतिक चेतना आ गई था जसीकि पहले कभी बल्पना भी नही की जा सकती थी । दूसरी ओर यह सवाल था कि आजाद हिंद फौज का नतत्व करने या उसम प्रमुख भाग लेने वाला का अगर कोई सजा न दी गई तो उसस भारतीय सनिका की वफादारी पर क्या असर नही पडेगा ? बहुत साच विचार के बाद आखिर सरकार ने घोषणा की कि जवानों को तो सजा नही दी जाएगी लेकिन जिन अफसरों पर अत्याचार के आरोप हैं उनके विरुद्ध अवश्य कारवाई का जाएगी ।

सजा देने के लिए सरफार क्या क्या करेगी, इसकी तफवील सामने आने के पहले ही सितम्बर मे कांग्रेस की महासमिति का अधिवेशन हुआ । उसम जवाहर

लाल ने आजाद हिंद फौज के सम्बंध में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें राजनीतिक और मनीष परिस्थिति का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन स्त्री पुरुष अफसरों को भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने के कारण दंडित किया गया तो वह बड़े दुःख की बात होगी। इसलिए कांग्रेस महासमिति दिल्ली से आशा करती है कि उन्हें बिना दण्ड दिए रिहा कर दिया जाएगा।" साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि आजाद हिंद फौज के बलिदानों के वचाव की व्यवस्था करने के लिए कांग्रेस ने एक डिफेंस कमेटी बनाई है, जिसमें सर तेजबहादुर सप्रू और भूलाभाई देसाई हैं तथा अन्य पक्षों को भी उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। बाद में स्वयं जवाहरलाल आसफअली, कलाशनाथ काटजू आदि और लोग भी उसमें शामिल हो गए।

अक्टूबर में सरकारी घोषणा सामने आई कि घोरम्भ में आजाद हिंद फौज के तीन अफसरों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा, मुकदमा अगले महीने से दिल्ली के लाल किले में शुरू होगा और कारवाई गुप्त नहीं, खुली होगी। लाल किले का चुनाव, कहते हैं कुछ तो व्यावहारिक दृष्टि से और कुछ भावनात्मक दृष्टि कारण से किया गया था। लाल किले का ऐतिहासिक महत्त्व है, क्योंकि यहीं मुगल दरबार होने थे। वहां मुकदमा चलाकर सरकार वफादार भारतीय सैनिका पर यह असर डालना चाहती थी कि जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है उनके अपराध कितने सही हैं और ऐसे अपराधों पर कसौ सख्त सजा दी जाती है। लेकिन भारतीयों की भावना पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, जो लाल किले का अपने देश की मुक्ति के लिए विदेशी सत्ता के प्रति संघर्ष करने का प्रतीक मानने है। जिन तीन अफसरों पर मुकदमा चलना था वे थे कप्तान शाहनवाज खां कप्तान सहगल और लेफ्टिनेंट जी० एम० दिल्ली। शाहनवाज खां न इंडियन मिलिटरी अकादमी से तलवार प्राप्त करने का सम्मान हासिल किया था और आजाद हिंद फौज में मजर जनरल थे। 1945 में वर्मा स्थित, डिवीजन की कमाण्ड उन्हीं के हाथ में थी। कप्तान सहगल और लेफ्टिनेंट दिल्ली शाहनवाज खां के मनीष डिवीजन में अलग अलग बटालियनों के कमाण्डर थे। सरकार ने मुकदमा चलते समय इस बात की सावधानी रखी मालूम पड़ती है कि सभी अभियुक्त एक ही जाति के न हों।

संभवतः इसीलिए हिंदू, मुसलमान, सिख सभी प्रमुख जातियां न एक एक व्यक्ति को मुकदमे के लिए चुना गया।

डिफेंस कमिटी न, मालूम पड़ता है, वाइमराय न मुकदमा उठा लन या उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दो न अग्रगण्य किया, पर वाइमराय न दाना हा बातों के लिए साफ इनकार किया। आकिनलन (कमांडर-इन-चीफ) की वाइमराय को यह सलाह थी कि "वाय के मामले को, जिस तरह कमेटी न वहा है वसे रोक रखना ठीक गही होगा।" लेकिन जसाकि प्राद म खुद सरकार का भी मालूम पड गया, मुकदमा चलाने का निणय ही बडी भारी गल्ती थी। जवाहरलाल न एक जीवनीकार (फ्रैंक मारेस) के गल्लो म वह तो उसस 'आजाद हिंद फौज नाटकीय रूप म राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गई।' वायम न ही आजाद हिंद फौज के आदमिया के प्रति सहानुभूति नही दियाइ मुस्लिम लीग न भी वसा ही रख अस्थितार किया। सार देग म दशभक्ति की भावना और उनक प्रति सहानुभूति की लहर छा गई। भारत न विविध भागो म सरकार-विराधी प्रदर्शन भी हुए। कल्कत्ता म एमे कुछ प्रदर्शना के बीच कुछ हिंसात्मक काण्ड हुए। दिल्ली मे लामा न सरकारी इमारती का आग लगाने और सावजनिक सम्पत्ति का नष्ट करन का प्रयत्न किया। ऐसे घातावरण के बीच लगभग किले म शाहनवाज, सहगल और दिल्ली पर बगावत का फौजी मुकदमा गुरु हुआ।

मुकदमे म सफाई के सत्रह बवाल उपस्थित थे। इनमे जवाहरलाल भी थे जिन्होने तीस माल के बाद बरिस्टरी का चांगा धारण किया ग। उनिन परबी मे सबप्रमुख याग भूलाभाई का ही रहा जिन्होने करारी जिरह करके सारे देश म ख्याति अर्जित की। डा० काटजू इसम उनके मुख्य सहायक थे।

भूलाभाई का स्वाम्थ्य पहले ही ठोक नही था, दमाई लियाकत समशीत के वाद का घटनाआ और उस समशीत के कारण कायसामिति न उनके प्रति जसा रूप ग्रहण किया उससे वह और बिगड गया था। आजाद हिंद फौज के अविस्मरणीय मुकदम का काम जब उ हाने सम्भाला उस वक्त उनकी जो हालत थी, उस पर उनके एक ऐसे डाक्टर मिन ने प्रकाश डाला है जो उनके परिवार के सदस्य जसा था और





सहायता बगर, मुहजबानी दिया। इस दृष्टि से उसका महत्व और भी बढ़ जाता है कि मुकदमा साधारण वायालय के बजाय फौजी अफसरों की फौजी अदालत में था। मामला ऐसा था जिसमें मुख्य आधार अंतर्राष्ट्रीय विधान के सिद्धांतों पर था और प्रमुख वकीलों तथा राजनीतिकों के प्रमाण प्रस्तुत करके ऐसी भाषा में अपने पक्ष का प्रतिपादन करना था, जो फौजी अफसरों की समझ में आ जाए। इसलिए मेहनत की और ज्यादा जरूरत थी। इसमें दाव नहीं कि स्पष्ट प्रतिपादन उनका बहुत बड़ा गुण था, लेकिन इस मुकदमे में कानूनी मुद्दों का ऐसा सरल रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी जिससे मुकदमे की सुनवाई करने वाले फौजी अफसरों की समझ में रह आ सके। भूल भाई ने ऐसा ही किया और ऐसे सीधे सादे तरीके से अपनी बात रखी कि उनके भाषण को कोई भी व्यक्ति आज भी बिना किसी कठिनाई के पढ़ समझ सकता है।

चीना अभियुक्तों पर तीन आरोप थे (1) आजाद हिंद फौज की भारत से बाहर हुई कारवाइया में उन्होंने सयुक्त रूप में सम्राट के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, (2) आजाद हिंद फौज के अफसरों के रूप में काम करने हुए, लड़ाई के मिल सिले में, कुछ व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा और (3) हत्या के ऐसे कामों में उन्होंने मदद की।

मुकदमे में एक अजीब बात यह हुई कि जिस सबूत पर अभियोग पक्ष अभियुक्तों को सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का दोषी ठहराना चाहता था, उसी का सफाई के बगल (भूलाभाई) ने सफाई का आधार बनाया। उन्होंने यह सिद्ध करने का यत्न किया कि अंतर्राष्ट्रीय विधान के माध्यम से सिद्धांतों के अनुसार अभियुक्तों को आरजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) के तत्वावधान में संगठित सेना के अंतर्गत अपने देश को पराधीनता से मुक्त करने के लिए यशस्वर युद्ध करने का हक है और ऐसी संगठित सेना के अग बनें बिना किसी कामों को भारत के नागरिक विधान (म्युनिसिपल ला) के अंतर्गत अपराध करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार भारतीय दंड विधान उन पर लागू नहीं होता। अभियोग पक्ष ने अपने लिए जो लम्बा सबूत तैयार किया था उसका सफाई के वकील ने जितने उच्च पमाने पर अपने पक्ष में उपयोग किया उसपर ध्यान गए बिना नहीं

रहता। जिन्होंने बड़ी मेहनत से उसे तयार किया था, उन्होंने शायद ही यह साचा हागा कि उनकी मेहनत का उपयोग उल्टे अभियुक्तों के पक्ष में ही होगा।

मफाई पक्ष से जिरह का काम ज्यादातर भूलाभाई ने ही किया। उन्होंने उसमें न केवल अपनी बकालती कुशलता का पूरा उपयोग किया बल्कि बकालत की सबश्रेष्ठ परंपरा का भी पूरा तरह निर्वाह किया। ऐसा उन्होंने कैसे किया इस पर एक नजर डालना उपयोगी होगा। अतः मुकदमे में उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा बनाई कुछ घटनाओं का यहाँ हम उल्लेख करेंगे।

कप्तान घरगलकर अभियोग पक्ष के एक गवाह थे। डिफेंस कमेटी के एक सदस्य को इस बात की जानकारी मिली कि पिता के साथ उसके अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं, इसलिए जिरह करत हुए उनके पिता का कहीं उल्लाप कर दिया जाए तो वह मडक उठेंगे और गवाही गडबडा जाएगी। भूलाभाई तक जब यह बात पहुँचाई गई जिससे जिरह के कवन वह इसका ध्यान रखें, ता भूलाभाई तत्काल यह जवाब दिया था “यह ठीक नहीं, मैं ऐसा गदा तरीका हगिज नहीं अपनाऊंगा।” अगले दिन जब भूलाभाई ने उनसे जिरह की तो उनके साथ बड़ी सम्मता से पेश आए और बड़ी शिष्टता से एक के बाद एक सवाल किए। भूलाभाई ज्यो ज्यो सवाल पर सवाल पूछने गए, गवाह गडबडा गया और ऐसे जवाब देन लगा जो असंगत और परस्पर विरोधी थे। नतीजा यह हुआ कि वह चकरा गया और बार-बार यही कहन लाग कि ‘मुझे कुछ याद नहीं।’ जब कई बार ऐसे ही जवाब मिल ता भूलाभाई न ५ जवाब ओर मुवातिब होकर कहा “जिनका कुछ दिन पहले ने अपन बयान में कहीं बाता का कोई पता नहीं सब कुछ भूल गया मालूम पडता है एम गवाह से और जिरह करना फजूल है।’ इस तरह गवाह को गडबडान के लिए नागवार सवालो का सहारा लिए बगर ही उन्होंने उनकी गहादत निरन्मयी कर दी।

एक अन्य घटना स तफसील की बातो की भी याद रखन की उनकी अस्मरणशक्ति का पता चलता है। भारतीय सेना के एक सूबदार का जिरह अभियाग पक्ष का गवाह था भूलाभाई ने एडवोकेट जनरल के पूछने किमी बात का हवाला दिया और अपनी याददाश्त से उमक के

सुनाए। एडवोकेट जनरल ने कहा 'गवाह से ऐसी बात बचूल करवान की काशिग की जा रही है जा, जहा तक मेरी याददाश्त काम करती है उसन कही ही नही थी। फीर्जा अदालत के अध्यक्ष न इसपर भूलाभाई स कहा यह ता आप ठान नही कर रहे।' उधर डा० काटजू ने भी जो भूलाभाई की सहायता कर रहे थे, धुपचाप उह बताया कि जो बात आपन कही वह हबहू ऐसी नही थी। लेकिन एडवोकेट जनरल अदालत क अध्यक्ष और काटजू किसी की भी बात स जरा भी विचलित हुए बगर भूलाभाई ने अदालत स कहा, 'अदालत की बारवाई का ब्योरा ता रखा ही जाता है, उस क्या न दल्प ले। तब ब्योर क डर म गवाह क बयान की खाज शुरू हुई। लेकिन उसक लिए वह रके नही और एडवाकट जनरल न जो सवाल गवाह स किए थे उसक जवाब की तफसील दी। इस बीच गवाह की गवाहा का ब्योरा मिल गया था और उस दखने पर भूलाभाई न जा कुछ कहा था वही बिल्कुल ठीक निकला। एडवोकेट जनरल इसपर बड शर्मि दा हुए और तत्काल भूलाभाई से उ होन माफी मागी।

मुकदमा खत्म होत हात भूलाभाई का स्वास्थ्य और भी बिगड गया था, फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का कितना ध्यान रखा यह बताने वाली एक घटना का इस सिलसिले म हम और वणन करेंगे। मुकदमे के बाद रोज डाक्टर उनकी परीक्षा करते थे। एक शाम उनके पाब का सूजन का बढते हुए देखकर डाक्टरों ने कहा कि यदि आप इसी तरह काम करत रहें और अदालत म भापण दते रहें तो आपकी जान मतरे म है। आपके हृदय पर बडा जार पड चुका है और विथाम की आपका बहुत जरूरत है।' उ होन डाक्टरों की बात का उडा देने की काशिग की पर डाक्टर अपनी बात पर अडे रहें और कहा कि आपका हमारी बात माननी ही पडेगी। तब आकर भूलाभाई किसी तरह उनकी बात मानने का तयार हुए और तुरत डा० काटजू को बुलाया। काटजू से जल्दी म उहोने मुकदम के बारे मे सलाह की और समझाया। फिर भी डाक्टरों से इस बात की स्वीकृति उ होने ले ही की कि मुकदमे की वह खुद चाह परेवा न करें पर मुकदम क बक्त वकीला क कमरे म वह जरूर रहेंगे जिससे जरूरत पडने पर उनसे सलाह मशवरा हो सके। घटना चक्र कुछ ऐसा हुआ कि अगले दिन एक ग्रय वकील ने, जो डिफेंस कमेटी क सदस्य भी थे, पर

त्रिहैन ना मामले की पूरी जानकारी थी और न वे पिछले दिन की बातचीत में ही शामिल हुए थे। बाटजू की मौजूदगी के बावजूद मामले की परवी शुरू कर दी। एसी हालत में जा जाना था वहाँ हुआ। मामला विगडन लगा। भूलाभाई का जब यह पता लगा तो उनमें न रण गया। उन्होंने अदालत के कमरे में जान का आग्रह किया और वहाँ पहुँचकर खुद ही परवी करना शुरू कर दिया। तत्काल उन्होंने कुछ कानूनी मुद्दे उठाए जिन पर विचार के लिए चायाधीशों को समय की दरकार थी। अंत अदालत याद समय के लिए उठ गई। भूलाभाई अपनी कुर्सी पर वकीलों के कमरे में ले जाए गए तब डिफेंस कमेटी के दूसरे वकील का सामने ही उठाने का वकील मन्हा भल आदमी, उही का परवी क्या नहीं करन देन, जो मामले को समझते हैं। साथ ही कहा कि अदालत का काम शुरू होने पर मैं खुद ही परवी करूँगा। मौत आती हो तो भा जाए पर अपन महान् देगभक्तों की जान सतरे में नहीं डाल सकता। इसी भावना से मुकदमे के अंत तक उन्होंने काम किया जिसके फलस्वरूप जल्दी ही उन्हें प्राणा स हाथ धाना पडा।

आशय की बात है कि फौजी अदालत के काम में बुरी तरह व्यस्त रहन हुए भी अपने विपक्षियों से हलमेल बढ़ाने और सामाजिक कार्यों के लिए वह किसी न किसी तरह समय निकाल ही लेते थे। एक अप्रोज प्रोफेसर (एल सी ग्रीन) ने, जो लंदन और सिगापुर के विश्वविद्यालयों में बानून का प्राफेसर रह चुकने के बाद उस समय ब्रिटिश सना के सदस्य के रूप में नई दिल्ली में थे और लालकिले के मुकदमे को जिहान देखा था, कहा है कि "भूलाभाइ ने लाल किले में हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे की जिस तरह परवी की और अपना फौजी विपक्षियों के प्रति जिस तरह का रख रखा, उससे यह मलीभाति बढ़ा जा सकता है कि वह महान वकील था ही, साथ ही आदमी भा वह बहुत ऊँचे दर्जे के थे।" मुकदमे के साथ अखबारों में प्रकाशित उसका समाचारों में लोगो में बड़ी उत्तेजना थी। इनके पर भी भूलाभाई ने मुकदमे को पेश करने वाले सबसे बड़े फौजा अफसर के साथ खाना खाने का समय निकाल ही लिया। इसलिए वह जनरल हड्डकवाटस के आफिसस में आए जहाँ बावचियों ने अपनी रीत छोड़ कर श्री देसाई के लिए बडे उत्साह से काकाहारी भोजन बनाया। भोजन के बाद जसा मित्रा के बीच होता है, घनीपचारिक

बातचीत भी चली। यह ता याद रखन लायक बात है ही पर सबसे प्रमुख बात थी देसाई के बारे में हमेशा मुझे याद रहती है वह है मुकदमे के उपमहार का उनका भाषण जो निरसदेह बहुत ऊंचे स्तर का था। मुकदमे के वक़्त वह बूढ़ हो चले थे, वह बीमार भी थे फिर भी सफ़ाई का मुख्य भार उठाने ही मम्हाला और मुकदमे के अंत में बीमारी के कारण कुर्सी पर लाए जाने पर भी अभियुक्ता की सफ़ाई में उठाने ऐसा बड़िया भाषण दिया जो ग्रंथे जी के सर्वोत्तम वकालती भाषणा में स्थान पा सकता है। भाषण के उनके पास पहले से तयार किए नोट नहीं थे, फिर भी बड़े सौम्य ढंग से और एक बार भी कहीं पुनरावृत्ति किए बग़र ऐसा धाराप्रवाह बोल कि, जिन्हें उमें सुनन का सुअवसर मिला वे उसे कभी भूल नहीं सकते।'

भूलाभाई का विशिष्ट गुण यह था कि अपन निजी सबधा को घरे की बातों से परे रखते थे। विपक्ष के वकालो में अदालत में कमी ही बड़ी झड़प क्यों न हो, अपना ऐसा अदालती वाना वह अदालत के कमरे तक ही रखत थे। उनमें बाहर, जब अदालत कुछ समय के लिए स्थगित होता या अदालत की छुट्टिया होती, वह शिष्ट और सज्जन पुरुष की तरह सभी साधियों के साथ, चाहे उनके पक्ष के हो या विपक्ष के, बड़े प्रेम से मिलत जुलत थे।

आकिनलेक के जीवनोकार ने नई दिल्ली के चम्सफाड क्लब में भारताय मना के एक वरिष्ठ अधिकारी से हुई भूलाभाई की बातचीत का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि यह प्रतिष्ठित वकील अदालत की तरह ही अदालत से बाहर भी खुलकर बातचीत करना था। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का चलत दस दिन हो चुके थे, उस समय की बात है। 15 नवम्बर का वह दिन था। जनरल हडबवाटस में वाम करने वाले मेना के एक वरिष्ठ अधिकारी चम्सफाड क्लब आकर इनसे मिले। जा बातचात हुई उसका निम्न स्वीरा उन्होंने आकिनलेक (कमाण्डर इन चीफ) को भेजा।

बातचीत का मुख्य विषय आजाद हिंद फौज और उसके आन्मिया पर चलने वाला मुकदमा था। काई एक घण्टा बातचीत हुई जिसमें ज्यादातर भूलाभाई ही बोले। इन विषयों पर बातचीत चली



कमाण्डर इन चीफ की अपनी कोई राय नहीं होती वल्कि उन्हें अपने सलाहकारों के अनुसार करना पड़ता है।”

मुकदमे का रुख जब अभियुक्तों के पक्ष में होने लगा, तो भूलाभाई को सतोष का अनुभव होना ही था। 1 दिसम्बर 1945 को दिल्ली से अपने घर वालों को पत्र में उन्होंने लिखा ‘इस समय अदालत में जोर अदालत से बाहर सरकार को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जिरह बड़ी कामयाब रही— इतनी कि जितनी की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सभी को इससे बड़ी खुशी हुई। डा० सप्रू ने आज लिखा है कि गवाहिया का वह बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि जिरह बहुत कारगर रही।’

उसी दिन एक दूसरे पत्र में घरवालों को उन्होंने लिखा “सरकार झुकना चाहती है, पर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा कि झुका कैसे जाए। श्री चन्द्रलाल त्रिवेदी कल मुझे मिले थे। मैंने उन्हें बताया कि सरकार चाहे तो उसके लिए रास्ता मौजूद है। मुकदमे को तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभियुक्तों पर व्यक्तिगत रूप में अत्याचार करने का कोई अभियोग नहीं है। लेकिन इसमें कठिनाई बताते हुए उन्होंने कहा, सरकार इतना आगे बढ़ चुकी है कि अब लौटना मुश्किल है। जहाँ तक मुकदमे का सबंध है, अभियोग पक्ष गुरुवार को अपना वक्तव्य समाप्त कर देगा और तब हम अपना सबूत पेश करेंगे। फौजी अदालत के कायदे के अनुसार पहले अभियुक्त का वक्तव्य होगा। मेरा भाषण तो सबूत दज हो जाने के बाद ही शुरू होगा।”

भूलाभाई का सबसे बड़ा काम, जसा हम पहले ही बता चुके हैं, बचाव के लिए दिया हुआ उनका अविस्मरणीय भाषण था। उस भाषण में बड़े साहस के साथ जो देशभक्तिपूर्ण रुख उन्होंने अपनाया उसने देशवासियों की भावनाओं का नई कल्पना और स्फूर्ति प्रदान की। भूलाभाई ने फौजी अदालत को समझाने की दृष्टि से बड़े सरल शब्दों में अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

उन्होंने गरजकर कहा, “यह आजाद हिन्द फौज के सम्मान और विधान का मामला है”, “यह पराधीन राष्ट्र के अपनी दासता से मुक्ति के लिए युद्ध करने के

अधिकार का प्रश्न है।' अभियोग पक्ष की इस तर्काल पर कि अफसरों (अभियुक्तों) ने अपनी वफादारी की शपथ के विरुद्ध काम किया है उ होने कहा, "जब तक कि आप अपनी आत्मा का ही न वच दें, स्वदेश की मुक्ति के लिए युद्ध का प्रसंग उपस्थित होने पर आप किसी अन्य वफादारी की शपथ के नाम पर उससे कैसे पीछे हट सकते हैं। इसका तो यही मतलब है कि दासता स्थायी बन जाए और उससे मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती।'

भूलाभाई क तक का मूल आधार यह था कि 'किसी भी राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी अंग में एक अवस्था एसी आती है जब परतंत्रता से अपनी मुक्ति के लिए युद्ध करने का उसे पूरा हक होता है।' वस्तुतः यही सवमा य अंतरराष्ट्रीय विधान है। अगर मेरी यह बात ठीक है तो राष्ट्र की मुक्ति के लिए उसके सदस्यों के कामों के लिए, अंतरराष्ट्रीय विधान के अनुसार देश के नागरिक प्रशासन का (म्युनिसिपल) कानून लागू नहीं किया जा सकता। और खुद अभियोग पक्ष ने अपने मामले की पुष्टि के लिए जो मवृत पेश किया है यह बात तो उसी से स्पष्ट है कि आजाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत की आरजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) थी—वह भारत का ऐसा पक्ष स्वतंत्र राज्य था जो सक्डो हजारों भारतवासियों को पराधीनता से मुक्त करने के लिए ही युद्ध कर रहा था। घटनाक्रम पर प्रकाश डालते हुए उहाने बताया कि आजाद हिंद फौज की म्यापना सवप्रथम सनवर 1942 में हुई थी। दिसबर 1942 में उसे भग कर दिया गया और उसके मुखिया कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद दूसरी बार आजाद हिंद फौज सगठित हुई, जिसका नेतृत्व सिगापुर पहुंचने पर सुभाषचंद्र बास ने ग्रहण किया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना बृहत्तर पूर्वी एशिया सम्मेलन (ग्रेटर ईस्ट एशियन कांफ्रेंस) का आयोजन था जिसमें सुदूरपूव के विभिन्न भागा से आए भारतीयों ने भाग लिया। इसके एक प्रस्ताव द्वारा स्वतंत्र भारत की आरजी हुकूमत (अस्थायी सरकार) बनाने का निश्चय किया गया। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की उस अस्थायी सरकार के निर्माण की घोषणा का गई। सुभाष बोस उसके मुखिया बने और सरकार के काम को विभिन्न विभागों में बांट कर उनके लिए मंत्रियों की नियुक्ति हुई और उहाने (अस्थायी सरकार के प्रति) वफादारी की शपथ ली। इस



तरह विधिवत उस सरकार का निर्माण हुआ और विधिवत स्थापित उस सरकार ने ब्रिटेन और अमरीका से युद्ध की विधिवत घोषणा की। इस तरह नई सरकार बन जाने पर, इस नए राज्य के आशानुसार ही आजाद हिंद फौज ने काम किया।

अदालत में पेश गवाहियों द्वारा अस्थायी सरकार के अस्तित्व का जा पुष्टि हुई थी, उस पर ध्यान आकषिप्त कर उन्होंने कहा कि वह एक संगठित सरकार थी। बीस लाख में ज्यादा आदमी उसके प्रति वफादार थे जिनमें से 2,30,000 न तो वस्तुतः मलाया में ही वफादारी की गपथ ली थी। गहादतो से यह भी स्पष्ट है कि इस सरकार का धुरी गठना की मायता प्राप्त थी। इस नए राज्य की सेना का संगठन विधिवत् और अच्छी तरह किया गया था। उसके अपने खास विल्ले के और चिह्न थे। बाकायदा नियुक्त अपसरों के मातहत वह काम करती थी। जिस खास काम के लिए सेना संगठित की गई वह बहुत महत्वपूर्ण था। 'भारत का पराधीनता' से मुक्ति करन के लिए लड़ना उसका उद्देश्य था। जसाकि अदालत के सामने अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है। यह अस्थायी सरकार भारत का नया राज्य था, इसकी असद्विध पुष्टि इस बात से भी होती है कि जापान की सरकार ने 50 बग मील क्षेत्रफल वाले अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को इस भारतीय राज्य के सुपुद्र कर दिया था। इस बात के भी सबूत पेश हुए हैं कि नए भारतीय राज्य न बर से छह महीने तक मणिपुर और विष्णुपुर इलाकों पर भी शासन किया। इस नए प्रदेश के शासन के लिए नए राज्य न एक कमिश्नर नियुक्त किया था। उस कमिश्नर को नए प्रदेश का वायभार सौंपन के लिए एक समारोह किया गया था। समारोह में जल और धन सजाओ के अधिकारियों ने, जिनके अधीन उस समय वहा का शासन था, द्वीपसमूह को बाकायदा उस कमिश्नर के सुपुद्र किया। इसके बाद उन द्वीपों का पुराना नाम बदलकर नया नाम सहीद और स्वराज द्वीप रखा गया।

जिमावाही प्रदेश का क्षेत्रफल, अदालत में पेश गवाहियों के अनुसार, लगभग पचास बगमील था और जनसंख्या 19,000 थी। वहा रहन वाले सभी भारतीय थे। लगभग 15,000 आबादी वाले मणिपुर और विष्णुपुर इलाका पर भी उपयुक्त समय तक, आजाद हिंद की अस्थायी सरकार की तरफ से आजाद हिंद फौज का

शासन रहा, यह ऐसा तथ्य था जिसका खडन नहीं किया जा सकता था। कितने समय तक शासन रहा इस बारे में मतभेद ही भी तो उसका कोई खास महत्व नहीं था। मुझे की बात तो यही थी कि ऐसे राज्य का अस्तित्व था जिसके शासन निश्चित रूप से काफी प्रदेश था और उसमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय आबादी थी।

“फिर यह भी याद रखने की बात थी कि धन व साधन भी उसके पास थे। “वस्तुन करीब बीस करोड़ रुपये चंद्र से प्राप्त हुए थे जिससे नागरिक प्रशासन और फौज का खर्च चलाया गया।” यह साबित हो चुका है। साथ ही इस बात के समूत भी है कि इस सरकार का अपना सिविल एण्ड आर्मी गजट भी था।

‘यहो नहीं बल्कि शाहादतो के अनुसार इम्फाल के लिए टिकट की डाइया भी ढाली जा चुकी थी और टिकट छापने की तयारों की जा रही थी। टिकट पर दिल्ली के लालकिल की छायाकृति के साथ यह अंकित होने वाला था - ‘आजाद हिन्द की आरजी हुकूमत के नाम पर दिल्ली चलो।’

“इस तरह एक ऐसे भारतीय राज्य का अस्तित्व था जिसकी सील मुहर थी और जिसका वाक्यायदा शासन था अतः अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार दूसरे देश से युद्ध करने का उस हक था, जिसका उपयोग करके ही उसने भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया। युद्ध शुरू करने के बाद लड़ाई में किए कामों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार, नागरिक प्रशासन का विधान (म्युनिसिपल ला) लागू नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार दो स्वतंत्र देश या दो राज्य एक दूसरे से युद्ध कर सकते हैं और युद्ध में किए कामों के लिए नागरिक कानून के अंतर्गत कोई कारवाई नहीं की जा सकती। हत्या और तोड़फोड़ के काम साधारणतः जुम माने जाते हैं पर लड़ाई में तो यही कर्तव्य बन जाते हैं, अतः सेना के अग्रभूत लोग सेना के सामान्य कर्तव्य के रूप में ऐसा करें तो व्यक्तिगत रूप से उनमें से किसी का उसका लिए अपराधी नहीं ठहराया जा सकता।”

आगे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विधान के इस सवम में सिद्धांत का उल्लेख किया कि ‘दो राष्ट्र जब एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दें तो फिर उसके उचित

अनुचित होने का प्रश्न ही नहीं रहता। एक राष्ट्र के किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देने पर यह सवाल ही नहीं उठ सकता कि ऐसा करना उचित और 'याययुक्त' था या नहीं और ऐसा करने का उस राष्ट्र को हक था या नहीं।

अंतर्राष्ट्रीय विधान ऐसा स्थिर विधान नहीं है जो समय के अनुसार बदलता न रहे। समयता की प्रगति के साथ साथ समय समय पर उसमें परिवर्तन हाता रहा है। अब वह जिम रूप में है उसके अनुसार "स्वतंत्रता और लोकतंत्र सत्ता के किसी एक भाग के वजाय, सारे ही सत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं। अतः पराधीनता से मुक्ति के लिए किया जानेवाला कोई भी युद्ध आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार पूरी तरह 'याययुक्त' है।' इसके बाद उ होने कहा "यह 'याय' का मजाक नहीं तो क्या है कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता के लिए तो जर्मनी, इटली और जापान तक से लड़ने को हमसे कहा जाए, पर खुद अपने देश का दासता से मुक्त कराने के लिए - चाहे वह दासता इंग्लैंड की ही क्यों न हो—स्वतंत्र भारतीय राज्य के प्रयत्न को गलत माना जाए? हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते और हमारी यह निश्चित धारणा है कि, अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार, उसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता।"

उन्होंने तक किया कि युद्ध करने वाले दोनों पक्षों का स्वतंत्र या सावभौम राष्ट्रों के रूप में मान्य होना आवश्यक नहीं है। "एक राज्य और उस पर आधिपत्य रखने वाले अधिपति के बीच भी युद्ध हो सकता है जसा कि बोअर युद्ध में हुआ। और ब्रिटिश इतिहास से तो आप परिचित ही है—चाल्स प्रथम की मृत्यु कैसे हुई? मग्नाकार्टा की क्या कहानी है? जेम्स द्वितीय का क्या हुआ? यह सब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन सबसे इसके निवा और किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सकता कि कभी ऐसी स्थिति आती ही है जब जिन्हें आप बागी कहें या विद्रोही के संगठित रूप से दासता से मुक्ति का प्रयत्न करते हैं और युद्ध शुरू हो जाने पर फिर तो वह सब होता ही है जसा युद्ध में आम बात है।" उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा 'कोई भी पराधीन राष्ट्र मुक्ति के लिए युद्ध शुरू कर देता युद्ध करने वाले दोनों ही पक्षों के सैनिकों द्वारा किए गए युद्धजनित कामों के लिए इस तरह मुकदमा नहीं चल सकता। इसको और स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल सहज भाव से मैं पूछूंगा इस

मुद्द में प्रवेश की तरफ में लड़ने वाला के लिए पत्र रूप करे लगे क्या क्या  
 लाना का नारा ? तो क्या उन पर भी इस अर्थ में लड़ने के लिये मुद्दे  
 चलाना जाय ? यह बना विविध बात हो ।

उन्होंने अमरीका के मुद्दे का भी हवाया दिया, जिसमें अशिय के अन्त  
 राज्य अमरीका के राज्य मध्य (समुद्र राज्य) से हटा न होने के लिए उत्तरी प्रदेश के  
 उन राज्यों में लड़े थे जो मयुक्त रहने के पक्ष में थे । उन्होंने कहा "अमरीका के उत्तरी  
 और दक्षिणी राज्यों के बीच मुद्द का उत्तरात्तरमारे सामने है, जिसे अबाहम 1877  
 स लेकर नहीं न ठीक ठहराया और मुद्द समाप्त होने ही सब भाग्य ठीक हो  
 गया ।"

अन्तर्राष्ट्रीय विधान की मुद्द सम्बन्धी कसोटियों का उल्लेख करते हुए  
 उन्होंने कहा कि उनके अनुसार विद्रोहियों का वास्तविक रूप में ऐसा राजनीतिक  
 संगठन होना चाहिए जो स्वरूप, जासूसिया और साधना की दृष्टि से राज्य सम्पादन  
 की क्षमता रखता हो, उसके पास बाबायदा भरती भी हुई साता हो और लोगों पक्ष  
 मुद्द के नियम बरतें जहां ये सब बाएँ हो उसे निरसादेह मुद्द रिधति कहा जाएगा ।  
 इस दृष्टि से विचार करें तो इस मामले में यह पूरी तरह सत्य ही युवा है कि  
 विद्रोहियों का इस तरह का राजनीतिक संगठन था । ये विद्रोही थे, इससे कोई  
 इनकार नहीं करता, लेकिन उन्होंने जो कुछ और जिस तरह किया यह अन्तर्राष्ट्रीय  
 विधान के अनुसार दो राष्ट्रों के बीच होने वाला मुद्द ही था ।

अतः में उन्होंने कहा "अगर आप इस विषयों पर पहुँचे हैं कि इस तरह का  
 राजनीतिक संगठन था जिसने पास जासूसिया व साधना थे जो मुद्द घोषित कर और  
 संगठित सेना द्वारा मुद्द लड़ा सके तो आपका निर्णय उनके पक्ष में ही हो सकता  
 है उसी तरह जिस तरह कि अपने आदमियों (सिपायों) द्वारा दूसरों को मारने  
 जैसे कामों पर प्राय गव करते और उद्द ठीक समझता है ।"

मुद्द घोषणा के अधिकार के लिए अरथापी सरकार का क्या अधिकार  
 मायता होगी आदमियों की ? इस सवाल का उत्तर उम्मीद था "यह मूल्यमा  
 ही व्यर्थ है, क्योंकि जिस देश की सामता से लड़ने में लिया अभावना का प्राय ही

वह देश बगावत सफल हुए बिना उसको माफता नहीं दे सकता। अलबत्ता युद्ध स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता और युद्ध स्थिति का मतलब है लड़ाई में आमतौर पर जो कुछ हाता है उसे साधारण दण्ड विधान के क्षेत्र में बाहर रखना।

युद्धरत पक्ष (बेल्जिजेंट) की हैसियत के बारे में अनेक प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने चर्चिल के उस भाषण का उल्लेख किया जो उन्होंने 1937 में हूण स्पेन के गृह युद्ध के समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था। 'विपक्ष ने माननीय सदस्य ने विद्रोहियों के बारे में जो कुछ कहा उसे सुनकर मुझे उनको याद दिलानी पड़ती है कि किसी पार्टी के सदस्य होत हुए भी वह बिना सिद्धांतों की उपस्था कर रहे हैं। विद्रोह का अधिकार उनका पहला सिद्धांत था। तीसरी सप्ता के इतिहास को हम देखें तो हमें ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं मिलेगी जब स्वयं ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों का पक्ष लिया। ब्लाडिसाइट पार्टी के नेता (मि० मक्सटन) ने अपने खरे स्वभाव के कारण विद्रोहियों का स्पष्ट समर्थन करने में आगा पीछा नहीं किया। उनके अनुसार दखने की बात सिर्फ यही है कि विद्रोह जिस उद्देश्य से हुआ है वह हमें पसंद है या नहीं। इसलिए हमें यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि स्पेन की सरकार का पक्ष ही बिल्कुल ठीक है और विद्रोही गलत रास्ता पर हैं। हो सकता है कि उन्हें (विद्रोहियों का) सफलता न मिले, मगर इस बीच व युद्धरत पक्ष के हकों के अधिकारी हैं।'

आम उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में जिस अस्थायी सरकार की बात है, उसके पास ता भू भाग था, पर ऐसा न होता तो भी उसके युद्धरत पक्ष होने के हक में कोई फर्क न पड़ता। पिछले और इससे पहले के महायुद्ध के समय बेल्जियम तथा अन्य देशों की जा प्रवासी सरकारें लंदन में थीं, उनके पास तो एक इंच भी अपना प्रदेश नहीं था, फिर भी इस अदालत के सामने ऐसा कहने की कौन जुरत कर सकता है कि हालण्ड, पोलण्ड, फ्रांस या युगोस्लाविया की (यानी ऐसी प्रवासी सरकारों की) सेना को अपने देश की मुक्ति के लिए नहीं लड़ना चाहिए या और उनके सैनिकों को युद्धरत पक्ष के अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे।

अभियोग पक्ष की आर से यह मुद्दा उठाया जा सकता था कि उनकी बात आजाद हिंद फौज वाला पर इसलिए लागू नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने वफादारी की शपथ के विरुद्ध आचरण नहीं किया था, जबकि आजाद हिंद फौज वालों ने सम्राट की वफादारी की शपथ के बावजूद सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया। इस दृष्टि में रख भूलाभाई ने कहा कि वफादारी की बात इस मुकदमे में आड़े नहीं आती, क्योंकि बुनियादी वफादारी से आजाद हिंद फौज वाले कभी नहीं हटे। इंग्लैंड के सम्राट के प्रति वफादारी की प्रचलित शपथ, भारतीय सेना में प्रथा के समय उन्होंने जख्म ली थी, पर किसी की भी बुनियादी वफादारी तो अपने देश की ही प्रति हो सकती है। दोनो वफादारियों के बीच टक्कर होने पर, उन्होंने विदेशी राजा की वफादारी से अपने देश की वफादारी को ऊंचा स्थान देकर इतिहास में श्रेष्ठ उत्तराहरण ही प्रस्तुत किया।

इस सम्बंध में उन्होंने यह भी बताया कि 17 फरवरी का फरर पाक में जा कुछ हुआ उसके बाद सम्राट के प्रति वफादारी की कोई बात रही ही नहीं। फौज के अग्रज अफसरों और जवानों को भारतीय अफसरों और जवानों से अलग करके भारतीय सैनिकों को फरर पाक में इकट्ठे होने का आदेश दिया गया। 30,000 से 45,000 तक उनकी कुल संख्या थी। वहाँ उन्हें इकट्ठा कर, बनल हण्ट ने एक वक्तव्य या भाषण द्वारा उन्हें ब्रिटिश सरकार की आर से जापान सरकार के प्रति निधि बनल फूजीवारा को सौंप दिया। उसके बाद बनल फूजीवारा ने जापानी में भाषण करते हुए जिसका अंग्रेजी और हिंदुस्तानी में भी अनुवाद किया गया, कहा कि जो भारतीय युद्धबंदी अपने देश की मुक्ति के लिए सेना संगठित करना चाहे वे ऐसा कर सकते हैं और जिन्होंने ऐसा करना चाहा उन्हें उसने कप्तान मोहनसिंह ने सुपुर्द कर दिया। तब कप्तान मोहनसिंह ने भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज संगठित करने की वे तयार हैं। वहाँ उपस्थित सभी भारतीय युद्ध बंदियों ने इसका स्वागत किया।

‘पुनरावृत्ति होने पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लोगों और अपने देश को विदेशी सरकार की दासता से मुक्त करने के लिए जो विद्रोही लड़े उसमें वफादारों का सबाल उठता ही नहीं।’ उन्होंने कप्तान अरगद अहमद के इस स्पष्ट

वक्तव्य का हवाला दिया 'हमारी वफादारी तो एकमात्र अपने देश के प्रति ही हो सकती है।' और कहा कि लडाईं जब नाम के लिए सम्राट के खिलाफ हो, पर दरअसल की जाए अपन देश की स्वतन्त्रता के लिए तब (सम्राट के प्रति) वफादारी का कोई सवाल ही नहीं सकता। इससे कोई फक नहीं पड़ता कि आजाद हिंद फौज जापानी फौज के साथ या उसके निर्देश में लड़ रही थी यह भी कहा जा सकता है कि वह जापानियों की कठपुतली सरकार की ओर से लड़ रही थी। लेकिन उसका उद्देश्य भी वही था जो ब्रेलिनघम और फ्रांस को स्वतंत्र करने वालों का था जो मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहे थे। क्या एक कमान के मातहत लड़ने से कोई दूसरे का कठपुतला हो जाता है। ब्रिटिश फौज जनरल आइसेनहावर की कमान में लड़ रही थी, तो क्या भयंजक अमरीकनो के कठपुतले कहे जाएंगे।"

आजाद हिंद फौज की वफादारी के प्रश्न पर उन्होंने कहा "प्रचलित अर्थ में आजाद हिंद फौज के सदस्यों की वफादारी सम्राट के प्रति थी लेकिन उनकी वफादारी अपन देश के प्रति भी थी, और उन्होंने अनुभव किया कि वक्त आ गया था जब दोनों वफादारियों में टक्कर थी। और ऐसा ही उदाहरण हम इतिहास में भी मिलता है। यह ऐसे देश का है, जिसमें आज दुनिया की रक्षा की है और प्रथम महायुद्ध में भी, और जिसने मानव सम्मता के लिए बलिदान दे दिया है। यह देश अमरीका (संयुक्त राज्य) है। यदि आप इस उदाहरण को नहीं मानेंगे, तो यह धारणा की हत्या होगी।

अमरीका की 4 जुलाई, 1776 को की गई स्वतन्त्रता का घोषणा का उल्लेख कर उन्होंने कहा "अमेरिका का आखिर युद्ध ही करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1781 में संयुक्त राज्य अमरीका की दुनिया के एक स्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में स्थापना हुई। इतिहास की यही परंपरा है। उन्होंने फिर आजाद हिंद की अस्थायी सरकार के प्रति वफादारी की गप की, अमरीका की स्वतन्त्रता की घोषणा से तुलना की और कहा "दोनों का उद्देश्य एक ही है।"

वफादारी के प्रश्न के अलावा, आजाद हिंद फौज वालों के युद्धबंदी होने के कारण क्या स्थिति में कोई अंतर हो गया? यह सवाल इस तर्क के कारण उठा कि

फरर पाव म कुछ भी बयो न हुआ हो फिर भी उनकी गिनती ता युद्धबन्दिया मे ही रही । भूलाभाई न इस पर कहा कि युद्धबन्दियो वा स्वेच्छा से अपन देश की स्वतत्रता के लिए लडन वा बाई रखायट नही है । फिर आजाद हिंद फौज का जहा तक सबध है, अदालत म पना सबूत से स्पष्ट है कि वह तो थी हो अपने दश की स्वतत्रता के लिए और इसम रुकावट डालनेवाले सभी स—यहा तक कि जापान स भी—लडन को यह तयार थी । यदि मही उसवा सच्चा इरादा था तो युद्धबंदी क्या कर सनता है क्या नहीं, यह प्रश्न नही उठना । वे दुश्मन को लडाई लडने क लिए दुश्मन के साथ नही मिले थे । पहले पहल बनी आजाद हिंद फौज तो बल्कि इसीलिए भग हो गई थी बयोकि मोहनसिंह का भाशना थी कि उनकी अनुपस्थिति मे जापानी कही अपने मतलब के लिए ही उसका उपयोग न करने लगे । इस प्रकार मोहनसिंह जहा इस बात के लिए उत्सुक थे कि भारत को स्वतत्र कराने के लिए सेना वा सगठन किया जाए वहा इस बात की भी उन्हें पूरी चिन्ता थी कि वह जापानियो के हाथ की कठपुतली न बने । बाद की घटनाओ से यह स्पष्ट भी है कि आजाद हिंद फौज जापानियो क हाथ की कठपुतली नही थी बल्कि जापानियो से मित्र सेना के रूप म सहायता पात हुए भी उसन एकमात्र भारतीय स्वतत्रता के लिए ही काम किया । बैकाव का प्रस्ताव भी इसी बात की पुष्टि करता है जिसम असदिग्ध रूप मे कहा गया कि आजाद हिंद फौज का उपयोग केवल इन कामो के लिए होगा—(1) भारत म ब्रिटिश वा मय विदेशी गानन के खिलाफ लडाई, (2) भारत की स्वतत्रता को प्राप्त करना और उसे सुरक्षित रखना तथा (3) भारतीय स्वाधीनता ।”

अदालत म पना शहादतो क आधार पर उन्होंने यह भी बताया कि आजाद हिंद फौज के सभी अफसर एकमान भारतीय ही थे और कुल मिलाकर फौज पूरी तरह स्वतत्र थी । सनिक उसम बिना किसी दबाव के, स्वेच्छा से शामिल हुए थे यह भा इस बात स सिद्ध है कि अभियुक्तो तथा सुभाष बास न हर मौके पर भाषण करत हुए यही कहा कि जो बाई इससे अलग हाना चाह वह इस छोडकर जा सनता है । इसके सिवा भी इसके स्वेच्छा से सगठित होने वा सबसे बडा प्रमाण यह है सेना म कुछ ही लाघो को हथियार दिए जा सके और लडाई की ट्रेनिंग दी जा सकी, बाकी बहुत से घादमी साधना की बमी के कारण उससे बचित ही रहे ।



मन्नाट के विरुद्ध लड़ाई के मुख्य आरोप ही इस तरह सफाई के बाद उन्होंने हत्या के आरोप का लिया और गवाहिया के तप हथाल से बिरलेपण के बाद निष्कप निकाला कि उनसे उसकी पुष्टि नहीं होती।

अतः म अ तराष्ट्रीय विधान पर आधारभूत वानूनी स्थिति पर जोर देते हुए उहाने कहा कि अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए गए हैं वे उन पर लगने ही नहीं चाहिए। मगर मुकदमे का परिणाम तो एक तरह जा ताबूझा ही था। अतराष्ट्रीय विधान के मुद्दों पर तो ऐसा हा यायालय ठीक विचार कर सक्ता या जा फौजी अदालत के बातावरण से मुक्त हाता। अस्तु फौजी अदालत न शाहनवाज का न केवल सम्राट के खिलाफ लड़ाई का अपराधा ठहराया बल्कि मुहम्मद हुसेन का हत्या मे सहयोग का दोषी भी माना। सहगल और डि ल्ला को सिफ सम्राट के खिलाफ लड़ाई का ही दोषी माना। तीनों को जम-नद का दंड दिया गया, साथ ही उनकी तनखाह और भत्ते जवन कर लिए गए।

इन तानों पर मुकदमा चल रहा था, उ सी बीच मलिक अधिकारियों को आजाद हिंद फौज के बाकी ऐसे लोगों के बारे मे भी विचार करना पना। इसके लिए कमाण्डर-इन चीफ आकिनलेक ने 11 नवम्बर 1941 को दिल्ली मे फौजी कमाण्डरो को सलाह के लिए बुलाया। आकिनलेक के जीवनीक को दिल्ली मे फौजी कमाण्डरो के अनुसार उस समय 'आजाद हिंद फौज के मामल पर न केवल देस भर मे उर जना फली हुई थी बल्कि स्वय सना के बहुत जिम्मेदार और बरिष्ठ अधिकारी त उससे प्रभावित हुए बगर नहीं रह थे। (आजाद हिंद फौज के बाकी लोगों के बारे मे) क्या किया जाए, इस बारे म इस सम्मेलन म और इसके बाद भी बडा मतभेद रहा। एक जराल ने आकिन लेक का लिखा कि वतमान स्थिति म सना की फादारी ही सबसे अहम सवाल है—म इस बान से सहमत हू कि प्रचार का रोक वा वाछनाय है, क्याकि उसका भारतीया पर ही नहीं बल्कि दूसरे बहुत से लोगों प र भी बुरा असर पड रहा है। लेकिन मरा कहना यह है कि उदारता या डिलाई से ह मारा तात्कालिक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।" मगर सनिक उच्चाधिकारियों के ऐसे बचार के बावजूद कि भारतीय सेना की कफादारी (अ प्रोजे के प्रति) बनाए रखने के लिए आजाद हिंद फौज के प्रति उदारता खतरनाक हागी, आकिनलेक न यहा सिफ ारिण की मालूम पडती है कि



सजा की बहाल रखा जाए।" एसा ही किया गया और बाकी लोग पर मझाट क विरुद्ध लडाई का जो मुकदमा चलने वाला था, उसे भी रोक दिया गया।

अग्नेज कमाण्डर इन चीफ आकिनलेक बडी कठिा स्थिति म फम गए थे। जैसा कि उाणे जीवनीकार न लिखा है, वाइसराय को अपन ज्ञापन मे उाहोने "अपने दिल की इस तरह खालकर रख दिया जैसा अग्नेजो राज के इतिहास मे किसी कमाण्डर इन-चीफ ने नही किया। यह ब्रिटिश शासन का सध्याकाल था। मामाज्य का सूय डूब रहा था। अपने या अपने ऊपर निभर बहादुर, परेशान और दुखी, अग्नेज अफमरा के मागदशन क लिए कोई रागती उनके पास नही थी। बत अपने माहस, बयालीस साल के अनुभव और भारतीय जनता की शुभकामना के अलावा उनका और कोई मागदशक न था।

लाल किले म हुए आजाद हिंद फौज के मुकदमे पर पटाक्षेप करन से पहले जवाहरलाल नेहरू के उस पत्र का उल्लेख भी आवश्यक है जा उाहोने मुकदमे के काफी समय बाद लिखा था। 4 मार्च 1946 को लिखे उस पत्र म उाहोने आजाद हिंद फौज के लागे के तिलाफ सभी मुकदमे उठालेन के लिए धयवाद देन हुए आकिनलेक को लिखा था 'मुये निश्चय है कि इस निणय का अपापक स्वागत होगा और वसा वातावरण बनाने म मदद मिलेगी असा कि हम सभी बनाना चाहते हैं।' पत्र में आजाद हिंद फौज के बारे म भारतीय भावना का सही चित्रण है, इसलिए उमका कुछ अग यहा देना अप्रासगिक न हागा

'दक्षिणपूर एशिया म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुछ नेताआ ने जो राजनीतिक और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिअ एा अपनाया वह मुझे पसद नही था। यही नही बरिज इसमे पहले भी अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामलो मे मेरा उनसे मतभेद रहा है। फिर भी, वे हमारे ही भात्मी हैं। हमारा उनसे भाईचारा और सहायुभूति भी है। उनके विरुद्ध कोई भी नारवाई हुई तो भारतीय जनता पर उसकी बया प्रति श्रिया होगी, यह भी मैं जानता हूँ। बडा तादात् म उनको फौजी अदालतसे कीड सजा की सभावना से मुझे बडा चिंता हुई। न बवल उन लोगो की खातिर बल्व इसलिए भी मुझे चिंता हुई कि भारत पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। यह

सोचकर ही मैंने आजाद हिंद फौज के बारे में सावजनिक रूप से कुछ कहा और उसे दोहराया । उस वक्त मुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि उमका राजनीतिक लाभ भी उठाया जा सकता है । लेकिन उस पर जो प्रतिक्रिया हुई वह बड़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक थी । आश्चर्यजनक इसलिए कि लोगो पर व्यापक रूप से और उसका गहरा असर हुआ । भारतीय जनता की भावना का पता तो मुझे था, पर यह इतनी गहरी और व्यापक है, इसका पूरा भान मुझे नहीं था । आजाद हिंद फौज की कहानी इतनी तेजी से फली कि कुछ ही सप्ताहों में दूर दूर के गांवों तक जा पहुंची और सभी जगह उसकी सराहना होने लगी तथा उसके सैनिकों (अभियुक्तों) के भविष्य की चिन्ता व्याप्त हो गई । कोई भी राजनीतिक सगठन भारत में ऐसी व्यापक और विशाल प्रतिक्रिया पैदा नहीं कर सकता था, चाहे वह कितना ही मजबूत और कायधम क्या न हो । यह उन अनोखी बातों में थी, जो एकदम मनुष्य के दिल को छू लेती हैं और जन भावना में बाढ़ पैदा कर देती हैं । कारण स्पष्ट है । आजाद हिंद फौज के बारे में जनता को कोई खास जानकारी नहीं थी और उसमें भाग लेनेवाले व्यक्तियों को कोई नहीं जानता था । लेकिन जैसे ही उसकी कहानी प्रकट हुई, लोगों को वह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का ही एक पक्ष लगा और उसमें योगदान करनेवाले स्वातंत्र्यवीर बन गए । कोई इससे सहमत हो या नहीं, यह तो समझना ही चाहिए कि कसी घटनाएँ घट रही हैं और कौनसी शक्तियाँ उनके पीछे काम करती हैं । जनता में जो व्यापक उत्साह प्रकट हुआ वह तो आश्चर्यजनक था ही, पर उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय सेना में भी—बहुसंख्यक जवानों और अफसरों सभी में—उसकी वंसी ही प्रतिक्रिया हुई है । राजनीतिज्ञ या आंदोलनकारी एसी भावना उत्पन्न नहीं कर सकते, न उहाने ऐसा किया । आजाद हिंद फौज के मामले में यही बुनियादी बात है जिसे भूलना नहीं चाहिए । और सब बातें इसके आगे गौण हैं चाहे वे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों ।”

आजाद हिंद फौज के इन विविध पहलुओं और उनके तीन अफसरों पर चले मुकदमों में सामने आईं बातों से पता चलता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के महान सपूत सुभाष बास ने दक्षिण पूर्व एशिया में कितनी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका अदा की । उसके बाद, लाल किले के मुकदमों में भारत के

महान वकील और राष्ट्रीय नेता भूलाभाई ने आजाद हिन्द फौज में लड़नेवाला उसके तीन अप्सरो के बचाव में जो प्रमुख योगदान किया उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। सुभाष बोस की महानता उनकी दूरदृष्टि और कल्पना शक्ति के साथ साथ अपने विचारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रदर्शित उनके अपूर्व साहस में है। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि अहिंसा के अनेक पुजारी और उस पर जांचरण करनेवाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका गांधीजी की तरह धार्मिक सिद्धांत के तौर पर उसमें विश्वास नहीं है। उनके लिए तो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए अथ साधनों की तरह यह भी एक साधन ही था और उन्होंने इसे अपनाया सिर्फ इसलिए कि भारत की स्थिति में अथ साधना से उन्हें वह अधिक उपयुक्त लगा। आम लोगो न यानी गांधी के लोगो न—जिनका जवाहरलाल ने उल्लेख किया है—जब मुना कि सुभाष बास और आजाद हिन्द फौज के लोगो ने देश की आजादी के लिए कसी बहादुरी दिखाई तो वह उन्हें पूजन लग गए। उनकी आखा में वे राजद्रोही नहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए अपूर्व बलिदान करने वाले दशभक्त थे। भूलाभाई की महानता इसमें है कि उन्होंने इनकी वीरगाथा को अनाखे ढग में प्रस्तुत किया। स्वतंत्र भारत की अस्थापी सरकार की स्थापना और उसके द्वारा देश की आजादी के लिए युद्ध की याजना के पीछे जो गमाचकारी साहस और कल्पना था, वसी ही भूलाभाई की प्रखर बुद्धि थी, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना कानून की नजर में भी उचित था।

जिस शानदार ढग में भूलाभाई ने यह काम किया उसके देखते इसमें आश्चर्य नहीं कि मुम्बई में 13 जनवरी, 1946 में बम्बई लौटने पर उनका शानदार स्वागत हुआ। वहाँ पहुँचने के कुछ ही समय बाद 13 जनवरी 1946 का पत्रप्रतिनिधियों के एक समूह की आर स राजमहल हाटल में उनका सम्मान किया गया। आजाद हिन्द फौज के मुम्बई की परवी के रूप में देश की जो महान मेवा उठाने की उसके लिए उन्हें चानी की मजूपा में रखकर मानपत्र भेंट किया गया। वहाँ के मेयर तथा अथ सभान नागरिकों ने उनकी प्रशंसा में भाषण किए। इस अवसर पर एक वक्ता ने देसाई लिखाकत समर्थन को लेकर कांग्रेस द्वारा उनका साथ किए सलूक का भी उल्लेख किया। कुछ तीक्ष्ण स उसने कहा “जिन भूलाभाई ने कांग्रेस

की इतनी सेवा की, और कांग्रेस का आ दालन जब बिल्कुल शिथिल पड गया था और कांग्रेस के सभी नेता जेलों में थे तब कांग्रेस को जिंदा रखने की जि होने भरसक काशिश की, उहे 1945 के चुनाव में असेम्बली में जान से बचो रोका गया यह समय में नहीं आता ।”

अत में हम जवाहरलाल नेहरू का वह पत्र और प्रस्तुत करेंगे जो उन्होंने 6 फरवरी 1946 को लखनऊ से भूलाभाई को भेजा था । उसमें उन्होंने लिखा था ‘ आज नन्दन मुझे मिले । उ होने मुझे बताया की वह बंबई में आपस मिले थे और आजाद हिंद फौज के पहले मुकदमे की समाप्ति पर मरा कोई पत्र या तार न पाकर आपको बहुत निराशा हुई । आपकी यह भावना उचित है और मैं सचमुच कसूरवार हू । वास्तव में मुकदमे की जिस तरह आपने परकी की और खास कर उसमें जा आपका आखिरी भाषण हुआ वह प्रशंसनीय है और अपन भाषणों और वक्तव्यों में कई बार मैंने यह कहा भी है । जहा तक आपको पत्र न लिखने का सवाल है, बात कुछ या हुई कि इन दिनों मैं यहां से वहा घूमता रहा हू जिससे लिखने को बहुत कम वक्त मिलता था । बाद में बदकिस्मती से दौरे के बीच ही पेशिश हो गई । इसलिए मैं आशा करता हू कि मरी बोताही के लिए आप मुझे माफ करेंगे । बाद में मैंने लिखने का विचार किया भी था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अब बहुत देर हो गई है और लिखना व्यर्थ होगा । लेकिन, जसा मैंने बताया, जिस तरह आपने मुकदमा लडा उससे निस्संदेह में बहुत प्रभावित हुआ हू ।”

आजाद हिंद फौज के मुकदमे में भूलाभाई ने स्मरणीय योगदान किया वह कांग्रेस और मातभूमि के लिए उनकी महान सेवा थी । यही नहीं देश के लिए यह उनकी महान आत्मत्याग भी था क्योंकि इसमें किए भारी परिश्रम के कारण, वह कुछ महीनों से ज्यादा जिंदा न रह सके ।

## अन्तिम यात्रा

जनवरी 1946 में बंबई लोट आने पर भूलाभाई का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि डाक्टर रोज उह देखते थे। उनके डाक्टर (डा० भार० एन० नूपर) के शब्दों में "उनका मस्तिष्क तो उस वक्त भी बहुत सक्रिय और स्पष्ट था। पर उनकी बिनोद वृत्ति जाती रही थी। वह हताशा हो गए थे। उन्होंने शेष जीवन जन-सेवा में लगाने की आशा की थी, पर उससे उन्हें बचित होना पड़ा। कांग्रेस के साथियों ने उन्हें त्याग दिया, इसका उन्हें बड़ा क्षोभ था और कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा था। उन्हें इस बात का बड़ा रज था कि अपने देश की उन्होंने जो बहुमूल्य सेवा की और उसके लिए जो त्याग किए उसका ऐसा प्रतिफल उन्हें मिला। फिर भी किसी क प्रति कोई बटुता उनमें नहीं थी।"

बीमारी के आखिरी महीनों में गांधीजी दो बार उन्हें देखने गए। लेकिन दोनों ही बार अपना मौन दिवस पर ही गए और पहुंचते ही सक्त से भूलाभाई को बता दिया कि मौन के कारण वह कोई बातचीत नहीं करेंगे। भूलाभाई के लिए यह बड़ी निराशा की बात थी, क्योंकि वह गांधीजी से ही यह सुनना चाहत थे कि कांग्रेस ने उनके साथ ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों किया। भावावेश में उन्होंने गांधीजी से बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरे साथ झगदा हुआ है और यह खेद प्रकट किए बिना भी नहीं रहे कि आप जानबूझ कर मौन के दिन आते हैं जिससे आपके साथ कोई बात ही न हो सके। भावावेश में होने पर भी उन्होंने दीनता नहीं दिखाई। उन्होंने गांधीजी से साफ कहा—आपकी या अन्य किसी की कोई बटुपा मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो पूरी बफादारी के साथ देश की सेवा की है इसीलिए

मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस न चाहे जो अयाय किया दश मेरे साथ याय करेगा ।” गांधीजी न इसका कोई जवाब नहीं दिया ।

अयाय और निराशा की यह भावना उ ह बराबर पीड़ित करती रही, यह उनके निकटवर्तियो तथा उ ह देखन आने वालो से छिपा नहीं रहा । गीली आखा और वेदना भरे स्वर म वह अपने साथ हुए अयाय का जिक्र करते और कहत — कांग्रेस न कसा ही सलूक कयो न किया हो, देश और वे लोग जो मुझे जानते है तथा जि ह पता है कि दश के लिए मैंने कस और क्या काम किया मेरे साथ जहर याय करेंगे ।

1946 के आखिरी दिना मे उनका मस्तिष्क जवाब देने लगा । बात चीत मे उनको उपयुक्त गब्द न मिल पाते । आखिर अत की घडी आ ही गई, जिसका वणन उनके डाक्टर (कूपर) के ही शब्दो मे करना ठीक होगा “डा० कोट्टियार और मैं त्ति म तीन बार उ हे देखते थ । भूलाभाई ने यह मसल लिया था कि उनका अत आ गया है, इसलिए रात को जब हम उ ह देखन जात तो चलते समय वह विदा मागते । बह सोचत थे कि सबरे हम उ ह जीवित न देख पाएगे । उनकी मानसिक शक्ति तजी स नष्ट हो रही थी । कभी-कभी तो उनका मस्तिष्क बिल्कुल गूय हा जाता था । 6 मई 1946 के बडे सवर वह बेहोशी म डूब जा रहे थ । उनकी पुत्रवधू माधुरी ने ‘भाई’ कहकर उ हे पुकारा, तभी उ होने आखे ग्योली और हाठ कुछ हिलाए । माधुरी ने उनके मह म थाडा पानी डाला और वह अमरता की गाद मे चले गए ।

उनका शव उनकी लाट्ररी म रखा गया, जहा मकडो व्यक्तियो ने दश के महान स्वातंत्र्य याद्धा को अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की ।

शवयात्रा मे उनके पुत्र धीरुभाई, आजाद हिंद फौज के मुखदमे के नायक शाहनवाजख़ा डा० कूपर और उनके एक अय साथी न पहले उनके शव को कधा लगाया । ‘जय हिंद’ का ध्वनि के साथ उ ह लाइब्रेरी की मज म क धा पर उठाकर अर्धो पर रखा गया । वाइन राड के उनक मकान स अर्धो नाग्रेस भवना गई और बडा म सारे गहर म होता हुइ श्मशान । शवयात्रा के कांग्रेस भवन पहुंचन



तक उमके साथ चलने वाले नर-नारियो की अपार भीड हो गई थी। कांग्रेस भवन से उनके शव को एक खुले ट्रक में रखा गया और आग उसी में ले जाया गया। शवयात्रा में शामिल लोगों की संख्या अब हजारों पर पहुँच चुकी थी और शवयात्रा के सण्डहस्ट रोड, कालबादेवी रोड तथा प्रिंसेज स्ट्रीट से गुजरते समय, आसपास के मकानों से जन समुदाय ने अर्धों पर फूल बरसाए। यह सिलसिला अर्धों के मरीन लाइस के शमशान पहुँचने तक बराबर जारी रहो।

बुधवार 6 अगस्त 1947 को शेरिफ द्वारा बुलाई गई बबई के नारिको की सभा में उहें श्रद्धाजलिया अर्पित की गई। सर चिमनलाल सीतलवाड सभापति थे। बबई की सभा में उहे भारत का सपूत बताते हुए कहा गया “वह हमारे बीच से उठ गए, पर भले आदमियों की स्मृति में और इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठों में वह सदा मौजूद रहेगे।”

जवाहरलाल, सरदार पटेल तथा अन्य लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक संदेश भेजे। सरोजिनी नायडू ने अपने शोक संदेश में उहे अपना ‘पुराना और सम्मानित मित्र’ बताते हुए कहा मैं उहे बड़ी प्रशंसा और स्नेह की दृष्टि से देखती थी। उनमें विविध गुणा का ऐसा समुच्चय हुआ था, जसा हमारी पीढ़ी में कुछ ही को सौभाग्य हुआ होगा। प्रखर बुद्धि सम्य व्यवहार, ममस्पर्शी बक्तृत्व शक्ति, हृदय की उदारता तथा स्वभाव की परम शालीनता के कारण राष्ट्रीय जीवन में उहोंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। भारत की स्वतंत्रता में उनके योगदान का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है पर उनकी सेवाएँ इतनी महान हैं कि उनका नाम अमर रहेगा। खासकर लाल किले में की गई उनकी अंतिम और सर्वोच्च सेवा के कारण तो वह राष्ट्र के प्रेम और कृतज्ञता के पात्र बन गए हैं।” राजा जी ने “प्रिय भूलाभाई को प्रेमपूर्ण श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहा, वह परलोक चले गए परंतु भले आदमियों की स्मृति और भारतीय इतिहास के उज्ज्वल पृष्ठों में वह सदा मौजूद रहेंगे।” मौ० आजाद ने कहा कि “शरीर से वह हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उनकी याद बनी है। उम्मीद करता हूँ कि भूलाभाई ने हिंदुस्तान की जो खिदमत की, उसे बबई कभी नहीं भूलेगा और हिंदुस्तान तथा बबई इस सबश्रेष्ठ सपूत के लिए उपयुक्त यादगार काम करेगा।” राजेन्द्र

बाबू ने कहा "भूलाभाई आज जि दा होने तो अपने परिश्रम और बलिदान को सफल होते देख उनका हृदय प्रसन्न हुए बिना नहीं रहता । हमे उनकी सेवाआ का स्मरण करके उनकी विरासत के उपयुक्त बनन का निश्चय करना चाहिए ।"

भूलाभाई की यादगार कायम करने के लिए जो धन संग्रह हुआ उससे बाद में बंबई के रिक्लेमेशन प्राउण्ड में एक सभा भवन बनाया गया । भूलाभाई प्राडि टोरियम उसका नाम है और अनेक सावजनिक समारोह अनसर वही होते हैं ।

## भूलाभाई का व्यक्तित्व

भूलाभाई के अठसठ वष के जीवन पर हमने अधिक म अधिक प्रकाश डालने की चेष्टा की है। उनके मावजनिक भाषणो निजी पत्रो तथा उनकी डायरा का भी इसके लिए हमने उपयोग किया है और उदघरण दक्क उनके चिन्तन और विचारो की याकी प्रस्तुत की है। इतने पर भी उनका व्यक्तित्व का हम महा आकलन कर पाए है यह नही कहा जा सकता क्योंकि, जसा बरसा तक उनके साथ काम करने वाले एक वकील मित्र न बताया। उनका व्यक्तित्व परस्पर विराधी गुणों का एसा समुच्चय था जिससे सहज ही सही रूप म उसका समझना कठिन था और उनके ऊपरी आवरण से कोई भी धाखे म पड सकता था।'

भूलाभाइ मचोले कद और इकहर बदन क थ। रंग गहूआ था और छाडुति सु टर। चेहरा गाल नाक सीधी और ठुड्डी तीखी। आवाज उनका स्पष्ट और मधुर थी, बोलने का ढंग शिष्टतापूण वाक्शाली मजी हुई और चेहरा मुस्कुराता हुआ। जा भी उनके मपक म आता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नही रहता था। उनकी भावुक मुखमुद्रा और घनी भौंहो के बीच से याकती हुई आला का कुछ ऐसा असर पडता था जिसको भुलाया नही जा सकता। उनके व्यक्तित्व का शब्दा म आकना और उनकी विशेषताओ तथा आकषणशक्ति का सही बखान करना कठिन काय है। सिवा इमके कि उनका आग के बाल उड गये थे और कान के पास क वाल अधपके होने लगे थे, उह दक्कर कोई यह नही कह सकता था कि वह आयु के अठसठ वष पार कर चुके है। सबसे बडी बात तो यह कि दात, आल और कान (श्रवणशक्ति) पर उनकी आयु का काइ प्रभाव नही पडा। चश्मा भूलाभाई न कभा

नहीं लगाया। हमेशा नीची नजर किए चलते थे जिससे लगता था मानो चलते हुए भी वह विचार गन रहते थे।

बचालत के गुरु में उन्होंने परंपरागत पोशाक—लंबा काट पाजामा और पगड़ी—धारण की, पर बाद में उसको छोड़कर अंग्रेजी बेशभूषा अपनाई। लेकिन केन्द्रीय असेम्बली में तथा औपचारिक अवसरों पर अचकन तथा चूड़ीदार पाजामा ही पहनते थे। पाजामा उनकी विस्तृत साफ सुपरी और करीने से पहनी जाती थी। बचालत गुरु करते वक्त छटी हुई मूछें भी रखते थे, पर बाद में मूछे मुड़ा दी।

भूलाभाई सादगी पसंद थे। खुराक उनकी कम थी। जीवन के उत्तरकाल में तो उन्होंने सुबह का खाना भी बंद कर दिया था। वैसे उन्हें जिन्दगी आराम की पसंद थी और जीवन का आनन्द लते थे। वह खाने को कुछ मद्यपान करते और मित्रों के साथ गप्पों में समय बिताते।

दिन भर उन्हें पेचीदा कानूनी मामला में उलझे रहना पड़ता था, जिनके लिए कानून और तथ्य की पूरी छानबीन करते। इससे अलावा असेम्बली का तथा अन्य राजनीतिक कार्य भी उन पर आ पड़ता था। इस सबके लिए इतना परिश्रम करना पड़ता था कि बहुधा रात को ठीक से सो भी नहीं पाते थे।

उनकी सफलता के दो प्रमुख कारण मालूम पड़ते हैं। एक प्रखर बुद्धि और अद्भुत स्मरणशक्ति के साथ किसी भी मामले के आवश्यक मुद्दों का तुरंत छोट लेने की उनकी क्षमता, जो प्रारंभिक जीवन में विस्तृत पुस्तकाध्ययन से ही उनमें आई मालूम पड़ता है। दूसरे अपनी क्षमता में यह पूर्ण विश्वास कि जब जसी स्थिति होगी उसके अनुसार रास्ता निकाल ही लेंगे, जो वस्तुतः पहली स्थिति से ही उत्पन्न हुआ।

छात्रावस्था में भूलाभाई ने इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। इससे इंग्लैंड, यूरोप तथा प्राचीन यूनान के राजनीतिक इतिहास की उन्हें अच्छी जानकारी हो गई थी। जरस्तू की 'पालिटिक्स' तथा प्लेटो की 'रिपब्लिक' का उन्हें दिना उन्होंने अध्ययन किया, साथ ही जान स्टुअर्ट मिल की 'मान लिबर्टी

तथा बक के 'रिपलेक्शस आन द रिवोल्यूशन इन फ़ारस' को भी बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा था। गुजरात कालेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हान के कारण इन विषयों का ज्ञान उन्होंने बाद में और भी बढ़ा लिया था।

विविध भाषाएँ सीखने की उनमें स्वाभाविक अभिरुचि थी। कालेज में द्वितीय भाषा फ़ारसी होने से फ़ारसी साहित्य की उन्हें अच्छी जानकारी थी। इसी वजह से वह मुहाबरेदार उर्दू में भी बात कर सकते थे और कभी-कभी सभाओं में उर्दू में उन्होंने भाषण भी किए। संस्कृत उन्होंने नहीं पढ़ी थी लेकिन जीवन के उत्तरकाल में उन्होंने गीता तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की चेष्टा की। जब वह प्राध्यापक थे, उनके एक वरिष्ठ माथी आनंदशंकर ध्रुव ने उन्हें अपने द्वारा संपादित गुजराती पत्र 'बसंत' के लिए गुजराती में लेख लिखने को प्रेरित किया। उसी से मूलाभाई का गुजराती लिखने बालने का शौक लगा और उसमें उन्होंने इतनी प्रगति की कि 1934 में गुजराती साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने। अध्यक्ष पद से उन्होंने जो भाषण दिया वह बड़ा पांडित्यपूर्ण था।

वह गुजरात कालेज में दो साल प्राध्यापक रहे। इसमें वह बहुत कामयाब रहे। लेकिन उनके मन में तो वकील बनने की आकांक्षा समाई हुई थी। अपने बाल्यकाल में, जब वह स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने चिमनलाल सीतलवाड का देखा था। वह उनके घर चुनाव में उनके पिता का वोट मांगने गए थे। उन्हें देखकर ही शायद उनके मन में वकील बनने की इच्छा पैदा हुई होगी। लेकिन पिता की मृत्यु और परिवार की स्थिति के कारण उन्हें अहमदाबाद में प्राध्यापक का काम सम्हालना पड़ा। विवश होकर दो बरस तक उन्होंने वह काम किया, पर वकील बनने की तम ना न छोड़ी। सफल प्राध्यापक का सुविधापूर्ण काम छोड़कर, जबकि, विद्यार्थी और साथी सभी उनसे बहुत खुश थे, बंबई में वकालत का बीहड़ रास्ता पकड़ने का निश्चय आसान बात नहीं थी। वह जोखिम उठाने के समयक ज्यादा नहीं थे। लेकिन आनंदशंकर ध्रुव उनकी प्रतिभा विचारों की स्पष्टता और वाकशाली से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस विचार का समय ही नहीं किया बल्कि इसमें उन्हें प्रोत्साहित किया। फिर भी यह साहसी कदम अंत में उठाना उन्होंने शायद अपनी आंतरिक प्रेरणा से ही, क्योंकि वकालती समृद्धि और शोहरत

के कारण उस आर उनकी प्रवृत्ति पहले से ही थी जोर उसमें सफलता के लिए उनका आत्मविश्वास कम नहीं था ।

राजनीति में भूलाभाई के अल्पकालीन प्रवेश की बात हम पहले बता चुके हैं और यह भी बताया जा चुका है कि 1920 में उनका वह प्रयोग समाप्त हो गया था । उनकी अदालती कारगुजारी के सिलसिले में हम यह भी जान चुके हैं कि 1920 से आगे के सात आठ सालों में उनकी वकालत कसी चमकी । उनकी रयाति देश यापी हो गई थी और कमा भी जटिल मामला क्यों न हा उसको वह सम्हाल लेते थे, इसीलिए महत्व के तथा पेचीदा मामलों के लिए देश भर में उनकी मांग रहने लगी थी । अपनी ऐसी सफल वकालत के बावजूद 1928 के बाद, वह फिर राजनीति में पड़े जोर उसके लिए वकालत की भारी कमाई का भी उन्होंने मोह नहीं किया । यह कैसे हुआ ?

यह बड़ा पेचीदा सवाल है जिसका थोड़ा बहुत जवाब भारत के राजनीतिक घटना चक्र से मिल सकता है जब राजनीति में गांधीजी के महान नतत्व का बालबाला हुआ और अहिंसा तथा मत्याग्रह (सविनय अवज्ञा) के उनके सिद्धान्तों का व्यापक रूप से प्रसार हुआ । 1927 तक भूलाभाई के विचार बहुत कुछ नरम-मलवाली (लिबरली) जस ही थे । लेकिन अपनी बौद्धिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक दृष्टि, राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास और राजनीति के अध्ययन के कारण ज्यादा समय तक वह राजनीतिक गतिविधि से अलग नहीं रह सकत थे । फिर भी चारों तरफ बढ़ रहे प्रवाह में पड़ने का निश्चय वह अभी नहीं कर पाए थे । इसका कारण शायद यह हो कि वकालत के पेशे से हो रहा भारी कमाई से वह हाथ नहीं धोना चाहते थे । या यह हो सकता है कि सक्रिय राजनीति में पड़ने का उनका मन अभी पूरी तरह तयार नहीं हो पाया था । यह भी हो सकता है कि स्वभाव से लिबरल होने के कारण कांग्रेस की राजनीति का पूरी तरह स्वीकार न कर पाए हों, और यह भी हो सकता है कि क्रांति के बजाय विकास या क्रमिक सुधार का वह अच्छा समझते थे । जो भी हो तब की बात यह है कि 1920 से 1927 तक वह राजनीति में सक्रिय नहीं रहे ।

इस समय जब वह बकालत में सर्वोच्च स्थिति को पहुँच गए थे, अचानक दंगसेवा की पुकार पड़ी। जसा हम पहले बता चुके हैं, गांधीजी ने उन्हें बारडाली के किसानों की परवी के लिए लिया। यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि ब्रूमफील्ड कमेटी के सामने बारडाली के किसानों का पक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें किसानों की स्थिति का जो अनुभव हुआ, उसमें उनकी मनोवृत्ति का बिल्कुल बदल दिया। उहूँ ऐसा लगने लगा कि कोई भी भारतीयवासी जनसाधारण की स्थिति सुधारने का पूरा प्रयत्न किए बिना सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। साथ ही इस बात की भी उहूँ अनुभूति हो गई कि सफलतापूर्वक यह काम भारत के स्वतंत्र हान पर ही संभव है। संभवतः इसी मनोवृत्ति से उहूँने बारडाली के किसानों का काम किया और परिश्रम तथा आर्थिक हानि का ध्यान किए बिना कई महीने उस काम में लगाए।

इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि उस वक्त भारत का सारा वातावरण पूरी तरह झूल गया था। लोगों के दृष्टिकोण को गांधीजी ने क्रांतिकारी रूप में बदल दिया था। लोगों की अब तक की मान्यताएँ एकदम बदल गई थीं। आदर्शों के लिए, जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा कर अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए लोग तैयार थे। सौ साल से अधिक समय से पददलित, राष्ट्र जाग उठा था और विदेशी आधिपत्य को चुनौती देते हुए लोग साहसपूर्वक उसके कानूनों का उल्लंघन करने लगे थे। यह क्रांतिकारी और रचनात्मक आंदोलन लगभग सारे देश में फल गया, जिससे प्रेरित हो मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सक्का हजारों नर नारी स्वच्छा से हुर तगहूँ के बलिदान के लिए उत्सुकतापूर्वक आगे आने लगे। ऐसे लोग भी, जो अनपढ़ और अज्ञान थे तथा बड़ी बाता को नहीं समझते थे, राष्ट्र का स्वतंत्रता के लिए अपनी संपत्ति तथा जान तक देने को तैयार हो गए। दुनिया के सब से शक्तिशाली साम्राज्य के विध्वंस के लिए सशस्त्र राष्ट्र को अपने नए हथियार (अहिंसा) से परास्त करने के लिए मात्र 82 पाण्ड वजन के एक आदमी का, जिसकी आयु साठ के आसपास थी खूराक जिसकी नाम की और जीवन धारण भर के लिए थी शरीर से जो बिल्कुल क्षीणकाय तथा कुरूप सा था, तन ढकने के लिए मात्र लंगोटी और सहारे के लिए लठिया लिए आगे बढ़ते देख भूलाभाई जसा सूक्ष्म बुद्धि मनुष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था।

निस्संदेह गांधीजी ने राष्ट्र को जगाकर उसमें प्राण फूंक दिए थे। उससे लोग में जा उत्साह आया वह धार्मिक जोश से रम नहीं था। उसके फलस्वरूप परंपराएँ टूटने लगीं रूढ़ियाँ छूट गईं, सदियों से चले आएँ पूर्वग्रह मिट गएँ और असंभव समझी जाने वाली बातें संभव हो गईं। देश में जो लहर आई उसे सवथा राजनीतिक आन्दोलन ही नहीं कहा जा सकता। वह तो ऐसी हलचल थी जिसके प्रभाव से व्यक्ति तो क्या राष्ट्र का जीवन भी अछूता न रह सके, मसूचे राष्ट्र को सभी दृष्टियों से उसने प्रभावित किया। भला ऐसी सवव्यापी लहर से भूलाभाई का भाव प्रवण मन प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता था ?

मगर आदमी पर असर किसी एक बात का ही नहीं होता, बल्कि आमतौर पर कई तरह की भावनाओं और दृष्टियों से आदमी काम करता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल ठीक न होगा कि खाली भावना में वह कर भूलाभाई राजनीति में आए। हाँ सवता है कि इसके साथ कोई महत्वाकांक्षा भी काम कर रही हूँ जिसने उन्हें राजनीति में पडन के लिए प्रेरित किया। संभव है कि बवालत में जो सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली थी वही उनकी महत्वाकांक्षा का सतुष्ट करन के लिए काफी नहीं थी। कहते हैं कि 1929 में किसी समय उन्होंने एक मित्र से कहा कि मैं मर गया तो मुझे कौन याद करेगा ?' इस पर उनके मित्र ने कहा सिर्फ बबई क कानूनी क्षेत्र में लोग आपको याद करेंगे। ' साथ ही यह भा बताया कि समाज तो उसी को याद रखेगा जो अपन जीवन में उसके लिए कुछ कर जाएगा। भूलाभाई ने कहा, "मैंने किसी का नुकसान ता बभी नहीं किया।" पर इस बात का स्वीकार किया कि दशवासियों के हृदय में जो बस जाए उसी का समाज याद रख सकता है। इस पर से ऐसा लगता है कि किसानों तथा जनता के आन्दोलन का जा अनुभव उन्हें हुआ और बवालत की सफलता से ही उनकी महत्वाकांक्षा सतुष्ट न हुई उसी से उनके अन्दर देशसेवा के क्षेत्र में पड कर उसके लिए त्याग की प्रेरणा हुई। सही बात कुछ भी हो इसमें कोई संदेह नहीं कि बकील मडली के सधे हुए और असदिग्ध मस्तिष्क वाले नेता का कानून तोडनेवाले असहयोगी के रूप में जिस तरह उनमें परिवर्तन हुआ, उस क्रान्तिकारी मानसिक परिवर्तन ही कहा जाएगा।

भूलाभाई के मामले में यह परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन का उनका दृष्टिकोण आदशवादी न होकर सवथा भौतिक या भोगवादी था। वह



अक्सर यही कहा करते थे कि अगली चीज वही है, जो जीवन में आना दे। कला और सस्कृति में भी उनकी स्वाम अनुसक्ति नहीं जा पाती थी। वह मूलन व्यक्तिवादी थे। समाजवाद उन्हें नापसंद था। समाज में प्रचलित अघाय और असमानता का दूर करन का बात उन्हें प्रभावित नहीं करती थी। वह कहा करते थे कि पाप और अशुचित्य का कोई निरपेक्ष मापदण्ड नहीं है। उचित और अयोग्यता का कुछ भी है वह है यह उनका सिद्धांत था। दुनिया में उ होना अस्तित्व रह सकता है जो दूसरे से बलवान हो, ऐसा उनका विश्वास था। गुण और क्षमता वाले जिंदा रहते हैं अयोग्य पतन हो जाते हैं। उनके अनुसार असमानता का मिटाने का काम केवल भावुकता है। समाज में समानता लाना संभव नहीं। मानव स्वभाव जसा है उसमें समानता असंभव है और मानव स्वभाव का आप बदल नहीं सकते। आचरण में केवल सहानुभूति का लाया जा सकता है। पूजावाद का विरुद्ध उठाई जानवाली आवाज उनकी नजर में ईर्ष्या का कारण थी, जो निराशा और निरश्चय आदिमियों का एक मात्र सहारा है। यह वह जहर मानते थे कि समाज का जसा रूप है, उसमें उचित करो तथा अर्थ साधनों द्वारा धनियों से अधिकांश धन उगाहन की वाफा गुजाइश है और उस धन का उपयोग दूसरों की गरीबी तथा भुखमरी मिटाने में किया जा सकता है। उनके विचारों का उचित विवेचन कुछ भी हो लेकिन एक उच्चकोटि का धकील से वह जिस प्रकार अमह्ययोगी राजनीतिज्ञ बन उसे क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है।

लेकिन इस भारी परिवर्तन का बावजूद कालत से उनका सम्बन्ध आज्ञाधन रहा और उसमें आलोचना की जो वृत्ति बनी वह भी दूर नहीं हुई। मूलतः सहृदय नहीं और भावुक हाते हुए भी इसके कारण बहुत बार उनका व्यवहार ऐसा होना था, जिससे यह प्रतीत होता कि उनमें सहानुभूति का अभाव है और पीड़ितों के दर्द के प्रति वह लापरवाह हैं। मगर सचार्थ यह है कि लोगों का कष्ट और मुसाबत में देखकर उनके भावुक मन का बड़ी चोट लगती थी और उसके लिए जो कुछ उनसे हो सकता वे वह करते थे।

बम्बई के अंतिम अंग्रेज चाफ़रस्टिस सर लियोनाड स्टोन ने 1944 में बम्बई के बन्दरगाह में हुए विस्फोट के समय की एक घटना का उनके सम्बन्ध में उल्लेख

किया है। 'वह (भूलाभाई) निश्चय ही बहुत ऊँचे दर्जे का आदमी था। उनकी प्रायः म प्रच्छाई की पलक थी और उनका सम्पर्क म आने पर उनके व्यक्तित्व के आवरण म प्रभावित हुए बिना कोई नहीं रह सकता था। यह बताकर 14 अप्रैल, 1944 की घटना का उद्घाटन इस प्रकार वणन किया है— 14 अप्रैल, 1944 का बरदई ने बरदरगाह मगालाबारूद स भर एक जहाज म भयकर विस्फोट हुआ था। उसा दिन गाम का बात है। सयाग की बात है कि मैं और मेरी पत्नी ने उम गत ताग पर कुछ लागा का बुलाया था, क्योंकि हाईकाट ती उस दिन से छुट्टिया हात वाली थी। रात्रि भाज म शामिल हात वाला म से किसी की विस्फोट का पूरा हाल मालूम नहीं था, जबकि उसके बारे म जानना हर एक चाहता था। भूलाभाई ममत हम बुला बीस आदमा थ। विस्फोट का कारण किसी म उल्लास नहीं था और जस-तस गाना समाप्त होत ही एक न मुझाया कि हम सब भूलाभाई के घर क्या न चलें वह मलाबार हिल के उस तरफ है और वहा स बरदरगाह मच्छी तरह दिमाई पन्ना है। इसके अनुसार हम भूलाभाई के घर गए और उनके साथ पिछे बरामदे म पटूच। वहा जातर हमत जा कुछ दता उसी से हम विस्फोट की भयनरता का ठाक पता चला। जलत हुए जहाजो के माथ गोदामा मे लगी आग की लपटा म दमनता हुआ आममान वहा से साफ दिमाई पडता था। उसे देख भूलाभाई न तत्काल वहा "हमका वहा चलकर देयना चाहिए।" और जल्दी ही उसकी व्यवस्था की गई। जा चार जातिवाल वहा थे उनके प्रतिनिधि स्वरूप भूलाभाई, सर कावसजी जहागीर, चागला और मैं य चार मेरी मोटर म बडे और हम य दरगाह को चल दिए। वहा लपटो से बसत हुए जहा तक जाना सभव था वहा तक गए। भूलाभाई वहा आग बुझाने वाला के पास जाकर आग बुझाने के लिए उह प्रोत्साहित करने लगे। वे थके हुए थे, मगर उनकी उपस्थिति और उनके प्रात्साहन स उनम उत्साह का सचार हुआ और वे आग बुझाने का काम दून उत्साह स बरते लगे। वहा के कुछ दृश्य ता बडे भयावने थे—आदमियो की लाशे, मृत गरीर के इधर उधर पडे दुनडे और खून से भीगी घरती। एक बहुत ही बीभत्स दृश्य देखने से मैंने उह राकना चाहा, पर उहोने वहा— नही अगर हम कुछ मदद करनी है तो आग बुझाने वाला की ही तरह हमे भी सब कुछ देखना हागा। हम बरना नहीं चाहिए। उनका यह व्यवहार इतना निस्स्वाय और उच्च था कि

उसकी स्मृति आज भी वसी ही बनी हुई है माना अभी कल की ही बात है।”

इस घटना ने हम यह उक्ति मच मारूम पड़ती है कि “सकट बाल म हा मनुष्य की खरी परीक्षा हाती है।

किसी भी विषय पर उनमें बातचीत बड़ी राचक और पानवधक होती थी। बातचीत म उह बडा मजा आता था। मित्रमडली म तो यह खूब खुलन थ। तरह तरह के मजेदार किस्से सुनाकर मित्रा का मनारजन करत, जिनम स बहुत स ता उही से सम्बधित हाते थे। इसीलिए कभी-कभी यह निवासत भी हाता कि वह तो बस अपनी ही बातों म मगन रहत हैं।

जीवन क प्रति उनका बडा अनुराग था और जीवन का भरपूर आनद लन में विश्वास करत थे। व रसिक और विनोदी स्वभाव क थे।

अतरंग मित्र उनक बहुत नहीं थ पर जिन घाटे से व्यक्तिया म उनका निकट सपक रहा उनसे हादिक सम्बन्ध रह। मानवता की उनम कमी नहीं थी और मित्रों से वह स्नेह और सच्चाई बरतने थे।

घरवाला से उहे बडा स्नेह था। पत्ना इच्छाबेन की लम्बी बीमारा के बाद 1924 म मृत्यु हो गई थी। उससे उह बडा दुख हुआ था और ऐसा जाघात लगा जिसन बहुत दिना तक उह व्यग्र और उदासीन रखा। पुत्र और पुत्रवधू से उ हे कितना गहरा स्नेह था यह उनके पत्रों से स्पष्ट है जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है।

पुत्र धीरूभाई के सिवा भूलाभाई के काई सतान नहीं थी। धीरूभाई ने भरडा के हाईस्कूल की शिक्षा ममाप्त करने के बाद बम्बई के एल्फिस्टन कालेज म पढाई की। वहा से इतिहास और अर्थशास्त्र में स्नातक हुए। इसके बाद बर्बई विश्वविद्यालय से एल० एल० बी० पास कर बरिस्टरी के लिए ल दन गए। बरिस्टर होकर 1931 में भारत वापस आए और बर्बई हाईवाट की आरिजिनरु साइड में वकालत शुरू की। माधुरी बहन से उनका विवाह हुआ था, जिनस उह बडा प्रेम था। अपने परिश्रम, मीठे स्वभाव, शिष्ट व्यवहार और सामाजिक सौजन्य स

वकालत में उहाने अच्छी सफलता पाई। थोड़े ही समय में उनके पास काफी काम आने लगा और वकीलों में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। भूलाभाई तो उनपर दीवाने थे। इतना अधिक प्रेम उह अपने पुत्र पर था कि उसे अनुरक्ति ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार पुत्रवधू माधुरी बेन को भी वह बहुत प्यार करते थे। भूलाभाई की मृत्यु के बाद सरदार पटेल ने धीरुभाई की स्विटजरलैंड में भारत का राजदूत बनने के लिए कहा। तब अच्छी चलती हुई वकालत को छोड़ वह स्विटजरलैंड गए। भारत द्वारा जब तक नियुक्त राजदूतों में वही सबसे कम उम्र के थे और राजदूत के रूप में उहोंने बड़ा अच्छा काम किया लेकिन दुर्भाग्यवश तीन वर्षों में ही उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उनके बाद सतान नहीं हुई थी केवल माधुरी बेन ही उनकी यादगार के रूप में रहे गये। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में वह सलग्न हैं।

भूलाभाई के पत्रों से जो उद्धरण हमने दिए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि पूजापाठ के रुढ़िगत विधि विधान में कोई आस्था नहीं हात हुए भी भूलाभाई नास्तिक नहीं थे। प्रत्येक विषय की उसके सभी पहलुओं से पड़ताल करते रहने से उनका मन वस्तुतः बुद्धिवादी बन गया था। वस वह यह मानते थे कि मनुष्य को किसी अलौकिक सत्ता में अवश्य श्रद्धा रखनी चाहिए जिससे उसे मार्गसक और आध्यात्मिक सहारा मिले। एक मित्र से उहोंने कहा था कि मैं ऐसा बुद्धिवादी और आलोचक बन गया हूँ कि किसी भी बात में तर्क किए बिना नहीं रह पाता, इससे मेरा मन शांत नहीं रह पाता। उनकी मानसिक उद्विग्नता और अकेलेपन की भावना का गायद यही कारण था। यह सचमुच आश्चर्य की बात है कि अपने बहुमुखी अध्ययन, विपुल ज्ञान और व्यापक अनुभव के बावजूद राजनीतिक मित्रों द्वारा हुए अनुचित व्यवहार पर वह स्थिर चित्त नहीं रह सके। आंतरिक व्यग्रता और श्रद्धा के अभाव के कारण ही गायद ऐसा हुआ।

मानव अस्तित्व का क्या उद्देश्य है इस बारे में उनके कोई स्पष्ट विचार थे या नहीं यह कह सकना कठिन है। यह जरूर है कि भगवद्गीता को पढ़कर उह बड़ा संतोष होता था। मरने के बाद क्या होगा इसकी उह कोई चिन्ता मालूम नहीं पड़ती थी। इसको एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना अप्रासंगिक नहीं होगा। एक

वार एक किनाब उ होने पढी जिसका सार उसके उपरी आवरण पर ताड के वक्ष द्वारा प्रकट किया गया था। पुस्तक पढकर वह इतने प्रभावित हुए कि एक दिन शाम को मायालय से निपट कर अपन चम्बर के एक मित्र के साथ एल्फिस्टन सकल वाले वाग म गए जहा पुस्तक म दिए पेट जम ताड के अनक पेड थे। उनम से एक म फूल न्बलन शुरू हु। थ जा उसके ऊपर दिखाई द रह थे। मित्र के साथ उसे देखकर भूलाभाई ने कहा था 'ताड के इस पड का जीवन मानव जीवन का ही प्रतीक है। बरसो तक बढन रहन के बाद एक ही बार फूल आत हैं और फूलन क बाद फिर मृत्यु हो जाती है।' तीन महीने बाद उस मित्र के साथ दुवारा जब वह वहा गए तो ताड क पेड का सचमुच अंत हो चुका था।

भूलाभाई के बडे प्रशंसक एक मित्र न जिसन कई साल तक उनक साथ काम किया था और उनके निकट सम्पक म रहा था, उनकी सफलता से अभिभूत हा एक वार उनसे पूछा था कि उससे उहू पूरी तरह सतोप है या नहीं और मृत्यु के बाद फिर से पदा होकर उस तरह की जिदगी बिताने की क्या वह कामना नहीं करेंगे ? समय समय इस बारे मे उनके बीच बातें हाती रही। कुछ समय बाद एक दिन भूलाभाई न उस मित्र का हाल्डेन की आत्म कथा लाकर ली और उसके एक अश पर उनका ध्यान दिलात हुए वहा कि जीवन सम्ब धी मर दृष्टिकोण का यही सही चित्रण है। सम्भवत उनके बहुत म काम उनके उसी दृष्टिकोण के फलस्वरूप थ। हाल्डेन का वह अश इस प्रकार है

“जहा तक बाह्य परिस्थिति का सम्ब ध है मुझे फिर से जिदगा बितान का अवसर मिले तो मैं इसे पसद नहीं करूंगा। दुनिया का काफी अनुभव रखन वाले एक विशिष्ट राजनीतिज्ञ न एक वार मुक्ष स पूछा था कि क्या मैं अपने अनुभव स प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाकर नए सिर से जावन बिताना चाहूंगा ? मेरा उत्तर इनकार म था।, 'वयोकि', मैंन कहा, 'हमारा सफलता तो भाग्य और सयोगा क कारण ही हुई और नए ज म मे भी ऐसा हा हागा यह नहीं कहा जा सकता। इस पर उ होने भी कहा, 'तब ता मैं भी फिर से जम लेना न चाहूंगा। भाग्य का जब कीइ टिकाना नहीं कि कब अनुकूल और कब प्रतिकूल, तो मैं ही यह कसे मान लू कि नए जम मे भी मुझे ऐसी ही सफलता मिलेगी ?' निश्चय हा जीवन म भाग्य

का बड़ा हाथ है, जिसके कारण ही अत्यन्त सुखवस्थित जीवन में भी यह अनिश्चितता बनी ही रहती है कि पता नहीं बच बचा हो जाए। अतः दशनशास्त्र से हमें अनामिकी की शिक्षा लेनी चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में मन का सतुलित, और शांत रखन का अभ्यास करना चाहिए। साधारण मनुष्य तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता है कि अच्छे फल की आशा से अपना काम करता रहे। बीमारी, दुर्भाग्य या मृत्यु से हो सकता है कि उसकी इच्छानुकूल फल न निकले, फिर भी यह सताए तो रक्षा ही कि अपनी तरफ से हमने काई बसर नहीं रखी। ऐसी मनावृत्ति से जा सुख मिलेगा वह किसी भी लौकिक लाभ से वही सुखद होगा।

अपनी विगिण्टताओं का भूलाभाई न लगभग अपनी मृत्यु तक कायम रखा। उनका मृत्यु से कुछ समय पहले उनसे मिलने वाले एक विदेशी महानुभाव लिखते हैं श्री दमाई बैसर का बीमारी से घुल रहे थे, लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ वकीलों में उनकी गिनता थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद दूसरा बार मैं उनसे प्रभावित हुआ था और अब, जब वह क्षणकाय हो गए हैं और जावाज मखर परापन आ गया है, यह देखकर मरनाह बगर नहीं रह सकता कि उनका दिमाग अब भी उस्तरे की तरह तज है। कानूनी चर्चा छिड़न पर वह ऐसी स्पष्टता से विवेचन करते थे कि सामान्य व्यक्ति भी उस समझ सकता था। मुद्दों की पकड़ उनकी ऐसी जबरदस्त थी कि फौरन छाट लेते थे कि उनमें से कौन से माय हैं किन पर विवाद है, कौन से ऐसे हैं जिनकी साक्षी नहीं हैं और किन को पारिस्थितिक तथा लिखित या मौखिक साक्ष्य के सहारे सिद्ध किया जा सकता है। श्री देसाई से एक बार मैंने फिर सीखा कि अच्छा वकील कसा होना चाहिए। हम यह मानने में कोई सकाच नहीं होना चाहिए कि भारत में वकालत की परंपरा ब्रिटेन से आई है, पर भारत के वकीलों ने वकालत में जो सर्वोच्च कुशलता प्राप्त की है वह निश्चय ही इसी देश की देन है। यहाँ ऐसे कुछ वकील हुए हैं और अब भी हैं जिन्हें दुनिया के बढ़िया से बढ़िया वकीलों की श्रेणी में रखा जा सकता है। उनके कारण राष्ट्र की शक्ति बहुत बढ़ी है।" और यह बताकर कि उनकी भेंट के सात सप्ताह बाद ही भूलाभाई की मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा "एक आदश हिंदू की तरह बड़े शांत भाव से उन्होंने मृत्यु का अलिंगन किया।"

भूलाभाई के अडसठ बरस में ऊपर के जीवन पर दृष्टिपान करके हमने उनके बहुमुग्धा और जटिल व्यक्तित्व का समयाने की चेष्टा की है। स्वूल और बालक के उनके जीवन के साथ ही उनके प्राध्यापक जीवन का भी हमने अवलोकन किया। ज्ञान हार जूनियर के रूप में बवालत गुरु बनने धूमकतु की तरह उमम चमकत हुए जीवन के लगभग अंतिम समय तक उमकी चोटी पर हमने उन्हें देखा। कम से कम दो अविस्मरणीय प्रसंग हमने ऐसे ही देने जरा मातभूमि की सहाय ही उहाने अपना अनुपम बानूना कुशलता और महान बौद्धिक प्रतिभा का उपयोग किया। दस वर्ष स अधक समय तक अपनी बाद विवाद पदुता और मुदर बकनूत्वकला का उपयोग कद्राय विधान सभा के मच पर दश के बार याददा के रूप में किया। विलासो जीवन के अभ्यस्त हात हुए भी, जल जावन का तनहाई और बठिनाई उठान का समय बाने पर वे जरा भी विचलित नहीं हुए। जल में भी उहाने दश के गरीब, अनजान, पददलित लोग के उत्थान का ही चिन्तन किया। यह अनुभव करत हुए भी कि मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ और बुरी तरह मुझे अपमानित किया गया दश सेवा की पुकार होने पर अपने जीवन को खतर में डालकर भी अपनी पूरी योग्यता और शक्ति के साथ, सफरतापूर्वक वह काम किया। उनका अध्ययन व्यापक था, दालीनता अपार थी, मन और स्वभाव में उदारता थी, इससे जो भी उनक सपक में आया उसी ने उसकी सराहना की। दश के लिए और देग सेवा में लगे काय-कर्ताओं के लिए उनका हाथ खुला रहता था। साथ ही मित्रा के प्रति वह कभी भी कच्चे नहीं साबित हुए। घर-वालों से उहे बडा स्नेह था—जो 1924 में इच्छा बेन के मरने तक उन पर और उनके बाद पुत्र और पुत्रवधू (धोळभाई और माधुरी बेन) पर प्रकट हुआ, जिहोन मरणपय त उनकी सेवा की।

दोष और त्रुटिया निम्सदेह उनमें थी। अपनी बौद्धिक क्षमता में उनका इतना अधिक विश्वास हो गया था कि उनमें कुछ अहकार का आभास मिलने लगा था। अपने बारे में बडा चढाकर बात करने की उहे लत पड गई थी। समवत ऐसे विश्वास के कारण ही मित्रमडली में वही बराबर बोलने रहते थे और इस दापारोपण के पात्र बने कि अपनी ही बातों में वह मगन रहते हैं। इस अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण ही, सलाह के लिए आने वाले तथा उनसे प्रगिण के लिए उनके साथ काम करने वाले जूनियर बकीलों के साथ बहुत बार वह ऐसे हल्लेपन सपेग आत

य, जिसे अभद्रता ही कहा जा सकता है। यह भी अज्ञात बात है कि सावजनिक कार्यों के लिए उदारता से रुपया देन में उन्होंने कभी कसर नहीं की, देश के लिए काम करन वाले साथियों की पातिरदारी का खुले हाथों तयार रहते थे—देश का काम करन वालों के लिए उनके घर के द्वार सदा खुले रहें लेकिन अपने चम्बर में काम करन वाले जूनियर वकीलों के प्रति अपन इस गुण का उन्होंने शायद ही कभी परिचय दिया हो। अक्सर उन पर इत्या का दोष भी लगाया जाता था, क्या कि जूनियर वकील के अच्छा काम करने पर उसकी सराहना का एक शब्द भी कभी उनके मुह से नहीं निकलता था। कभी कभी अपने बराबरी के और अपने से वरिष्ठ वकीलों के बारे में वह एसी हलकी बातें कर बैठते थे जिससे उन पर लोभ और ईर्ष्या का आरोप लगाया जा सकता था। इसमें सन्देह नहीं कि मौजमजे के साथ जिन्दगी बिताना उन्हें पसन्द था और ऐसी ही जिन्दगी उन्होंने बिताई।

भूलाभाई की जिन्दगी के दोनों पक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं। उन पर दृष्टिपात करके, मैं समझता हूँ, हम यावपूर्वक यह कह सकते हैं कि उनमें गहरी मानवता थी, बुद्धि के वह धनी थे, वकील के रूप में उनकी दक्षता बजाड थी, वाक्पटु और सदा कुशल थे मातृभूमि के वफादार सेवक थे, तथा उसकी सेवा के लिए सदा कटिबद्ध रहते थे।

स्वतंत्र भारत के निर्माण में अनेक श्रेष्ठ और देशभक्त लोगों ने अपना योगदान किया है। पर भूलाभाई का योगदान भा किसी से कम ठास और महत्वपूर्ण नहीं है।





